



# भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का मार्च 2016 को समाप्त हुए वर्ष के लिए प्रतिवेदन स्थानीय निकाय



बिहार सरकार  
वर्ष 2017 का प्रतिवेदन संख्या—4

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक  
का  
मार्च 2016 को समाप्त हुए वर्ष के लिए प्रतिवेदन  
स्थानीय निकाय

बिहार सरकार

वर्ष 2017 का प्रतिवेदन संख्या-4

## विषय सूची

विवरण	कंडिका	पृष्ठ सं.
प्राक्कथन	—	V
विहंगावलोकन	—	vii
<b>भाग – अ</b>		
<b>अध्याय – I</b>		
<b>बिहार में पंचायती राज संस्थाओं की कार्यप्रणाली का एक अधिदृश्य</b>		
परिचय	1.1	1
राज्य की रूपरेखा	1.2	1
संगठनात्मक ढाँचा	1.3	2
पंचायती राज संस्थाओं की कार्यप्रणाली	1.4	3
विभिन्न समितियों का गठन	1.5	5
लेखापरीक्षा व्यवस्था	1.6	6
लेखापरीक्षा टिप्पणियों पर अनुक्रिया	1.7	7
जवाबदेही तंत्र	1.8	9
निधि के स्रोत	1.9.1	11
राज्य वित्त आयोग की अनुशंसाएँ	1.9.2	13
केंद्रीय वित्त आयोग की अनुशंसाएँ	1.9.3	14
अभिलेखों का संधारण	1.9.4	15
शेषों का समाधान	1.9.5	16
पंचायती राज संस्थाओं द्वारा लेखाओं का संधारण	1.9.6	16
लेखापरीक्षा की उपलब्धि	1.9.7	17
उत्तम व्यवहार	1.9.8	17
<b>अध्याय – II</b>		
<b>अनुपालन लेखापरीक्षा</b>		
<b>पंचायती राज विभाग</b>		
पंचायती राज संस्थाओं में चतुर्थ राज्य वित्त आयोग की अनुशंसाओं का कार्यान्वयन	2.1	19
किराया आय की हानि	2.2	32
दंडात्मक ब्याज का परिहार्य भुगतान	2.3	33

<b>भाग — ब</b>		
<b>अध्याय — III</b>		
<b>बिहार में शहरी स्थानीय निकायों की कार्यप्रणाली का एक अधिदृश्य</b>		
परिचय	3.1	35
राज्य की रूपरेखा	3.2	35
शहरी स्थानीय निकाय का संगठनात्मक ढाँचा	3.3	36
शहरी स्थानीय निकाय की कार्यप्रणाली	3.4	37
समितियों का गठन	3.5	39
लेखापरीक्षा व्यवस्था	3.6	40
लेखापरीक्षा टिप्पणियों पर अनुक्रिया	3.7	42
जगबदेही तंत्र	3.8	43
निधि के स्रोत	3.9.1	45
केंद्र/राज्य प्रायोजित योजनाएँ	3.9.2	47
राज्य वित्त आयोग	3.9.3	48
अमिलेखों का संधारण	3.9.4	48
शहरी स्थानीय निकाय द्वारा लेखाओं का संधारण	3.9.5	48
लेखापरीक्षा की उपलब्धि	3.9.6	49
<b>अध्याय — IV</b>		
<b>निष्पादन लेखापरीक्षा</b>		
<b>नगर विकास एवं आवास विभाग</b>		
नगर निगमों द्वारा नागरिक सुविधा शीर्ष (राज्य योजना) के अंतर्गत अनुदानों का उपयोग	4.1	51
<b>अध्याय — V</b>		
<b>अनुपालन लेखापरीक्षा</b>		
<b>नगर विकास एवं आवास विभाग</b>		
अनियमित/निष्फल व्यय	5.1	75
कर राजस्व की हानि	5.2	77
अग्रिमों का अनियमित भुगतान	5.3	79

<b>परिशिष्ट</b>			
<b>परिशिष्ट सं.</b>	<b>विषय</b>	<b>संदर्भ</b>	
		<b>कंडिका</b>	<b>पृष्ठ सं.</b>

<b>परिशिष्ट सं.</b>	<b>विषय</b>	<b>संदर्भ</b>	
		<b>कंडिका</b>	<b>पृष्ठ सं.</b>
2.1	पं.रा.सं. के संबंध में चतुर्थ राज्य वित्त आयोग द्वारा की गई मुख्य अनुशंसाओं को दर्शाती विवरणी	2.1.1	83
2.2	उच्च प्राथमिकता प्रक्षेत्र के अंतर्गत चयनित इकाइयों में 2011–16 के दौरान लिए गए कार्यों की स्थिति दर्शाती विवरणी	2.1.3.4	84
2.3	निजी परिसर में कार्यान्वित पाए गए कार्यों को दर्शाती विवरणी	2.1.3.4	86
2.4	खराब पड़े चापाकल एवं सोलर लाइट को दर्शाती विवरणी	2.1.3.4	88
2.5	असंबद्ध अनुदान से किए गए व्यय को दर्शाती विवरणी	2.1.3.5	90
2.6	31 मार्च 2016 को रोकड़बही एवं बैंक खाता के अंतर्शेष में अंतर को दर्शाती विवरणी	2.1.3.10	92
2.7	मार्गदर्शिका के विरुद्ध योजनाओं के कार्यान्वयन से संबंधित विवरणी	2.1.4.1	93
2.8	31 मार्च 2016 को जि.प. के आई.बी./भूमि के अतिक्रमण को दर्शाती विवरणी	2.1.4.2	95
2.9	बकाया किराया को दर्शाती विवरणी	2.1.4.2	96
2.10	दिनांक 31 मार्च 2016 को सरकारी कार्यालय पर बकाया किराया को दर्शाती विवरणी	2.1.4.2	99
2.11	₹ 3.78 करोड़ के राजस्व हानि (पटना जिला परिषद) को दर्शाती विवरणी	2.2	100
3.1	श.स्था.नि. द्वारा किए जाने वाले कार्यों की सूची को दर्शाती विवरणी	3.4.2	101
3.2	नगर निगमों में सेवा स्तर मानक के लक्ष्य व वर्तमान स्थिति को दर्शाती विवरणी	3.8.4	102
3.3	28 श.स्था.नि. की प्राप्ति एवं उपयोगिता को दर्शाती विवरणी	3.9.1.3	103
3.4	पंचम राज्य वित्त आयोग द्वारा श.स्था.नि. के संबंध में की गई महत्वपूर्ण अनुशंसाएँ एवं राज्य सरकार द्वारा उसकी स्वीकृति को दर्शाती विवरणी	3.9.3	104
3.5	वित्तीय विवरणी तैयार नहीं किया जाना	3.9.5	106
4.1	सामानांतर निकायों को हस्तांतरित की गयी अनुदानों से संबंधित विवरणी	4.1.7.1	107
4.2	विशिष्ट प्रयोजनों के लिए प्राप्त अनुदानों के उपयोग से संबंधित विवरणी	4.1.7.2	108
4.3	पार्कों के निर्माण के लिए विमुक्त अनुदानों की प्राप्ति एवं उपयोगिता की विवरणी	4.1.8.1	109

4.4	बस स्टैंड के लिए जमीन उपलब्ध नहीं होने से संबंधित विवरणी	4.1.8.2	110
4.5	बस स्टैंड के लिए निर्माण के लिए विमुक्त अनुदानों की प्राप्ति एवं उपयोगिता की विवरणी	4.1.8.2	110
4.6	बस क्यू शेल्टर को तोड़े जाने से हुए हानि/होनेवाले हानि की विवरणी	4.1.8.2	111
4.7	समूह विकास समिति के विशेष बैंक खातों में वसूली की राशि जमा नहीं किए जाने की विवरणी	4.1.8.4	112
4.8	राजस्व की हानि को दर्शाती विवरणी	4.1.8.7	113
—	संक्षिप्तियों की शब्दावली	—	114

## प्राक्कथन

मार्च 2016 को समाप्त हुए वर्ष के लिए यह प्रतिवेदन नियंत्रक—महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियाँ और सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 के अंतर्गत बिहार के राज्यपाल को प्रस्तुत करने के लिए तैयार किया गया है।

इस प्रतिवेदन में राज्य के संबंधित विभागों सहित पंचायती राज संस्थाओं एवं शहरी स्थानीय निकायों के लेखापरीक्षा के महत्वपूर्ण परिणाम सम्मिलित हैं।

प्रतिवेदन में वर्ष 2015–16 के दौरान लेखाओं के नमूना लेखापरीक्षा में पाए गए दृष्टांतों के साथ—साथ, जहाँ कहीं आवश्यक है, वैसे मामलों को भी उल्लेखित किया गया है जो पूर्ववर्ती वर्षों में पाए गए, परंतु पूर्व के प्रतिवेदनों में शामिल नहीं किए जा सके थे।

लेखापरीक्षा का संचालन भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा निर्गत लेखापरीक्षा मानकों के अनुरूप किया गया है।

विहंगावलोकन

## विहंगावलोकन

इस प्रतिवेदन में पाँच अध्याय सम्मिलित है। प्रथम तथा तृतीय अध्यायों में क्रमशः पंचायती राज संस्थाओं (प.रा.स.) एवं शहरी स्थानीय निकायों (श.स्था.नि.) की कार्यप्रणाली, जवाबदेही तंत्र एवं वित्तीय प्रतिवेदन के मामले सम्मिलित हैं। द्वितीय एवं पंचम अध्यायों में क्रमशः पं.रा.स. एवं श.स्था.नि. से संबंधित अनुपालन लेखापरीक्षा कंडिकाएं सम्मिलित हैं। चतुर्थ अध्याय में श.स्था.नि. से संबंधित 'नगर निगमों द्वारा नागरिक सुविधा शीर्ष (राज्य योजना) के अंतर्गत अनुदानों का उपयोग' एक निष्पादन लेखापरीक्षा कंडिका सम्मिलित है। इस विहंगावलोकन में महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्षों का सारांश प्रस्तुत किया गया है।

### 1. बिहार में पं.रा.सं. की कार्यप्रणाली का एक अधिदृश्य

#### लेखापरीक्षा व्यवस्था

तेरहवें वित्त आयोग ने पंचायतों के सभी स्तरों के लेखापरीक्षा पर तकनीकी मार्गदर्शन एवं सहयोग भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (नि.म.ले.प.) को सौंपने की अनुशंसा की थी। बिहार सरकार ने तकनीकी मार्गदर्शन एवं सहयोग व्यवस्था के अंतर्गत स्थानीय निकाय के लेखापरीक्षा के लिए मानक नियमों एवं शर्तों को स्वीकार किया (दिसंबर 2015)।

(कंडिका 1.6.2)

पं.रा.सं. के लेखाओं की लेखापरीक्षा जो बिहार एवं उड़ीसा स्थानीय निधि अंकेक्षण अधिनियम, 1925 के अंतर्गत महालेखाकार (लेखापरीक्षा), बिहार के पर्यवेक्षण में स्थानीय लेखापरीक्षक द्वारा किया जाता था को समाप्त करके दिसंबर 2016 से तकनीकी मार्गदर्शन एवं सहयोग व्यवस्था के अंतर्गत लेखापरीक्षा की शुरुआत की गई। वर्ष 2015–16 के दौरान स्थानीय लेखा परीक्षक ने 1102 पं.रा.स. का अंकेक्षण किया तथा निदेशक, स्थानीय निधि ने 127 पं.रा.स. का अंकेक्षण किया।

(कंडिका 1.6.1 एवं 1.6.2)

#### कार्यों, निधियों तथा कर्मियों का प्रतिनिधायन

बिहार सरकार ने जनवरी 2017 तक तिहत्तरवें संविधान संशोधन अधिनियम के ग्यारहवीं अनुसूची में वर्णित 29 कार्यों का प्रतिनिधायन पं.रा.स. को किया था।

पंचम राज्य वित्त आयोग के प्रतिवेदन के अनुसार, विभिन्न स्रोतों से पं.रा.स. को उपलब्ध कराए गए अनुदान उन्हे सौंपे गए कार्यों के लिए अपर्याप्त थी।

राज्य के जिला परिषदों के पास प्रतिनिधायित कार्यों का संपादन करने के लिए पर्याप्त कर्मी नहीं थे एवं जनवरी 2017 तक 79 प्रतिशत स्वीकृत पद रिक्त थे। बक्सर तथा सुपौल जिला परिषदों में कार्यरत बल स्वीकृत पदों के 10 प्रतिशत से भी कम था। ग्राम पंचायत स्तर पर 31 मार्च 2016 तक पंचायत सचिव के 3,160 पद (कुल 8,397 पदों का 38 प्रतिशत) रिक्त थे।

(कंडिका 1.4.3)

#### निधियों की उपयोगिता

जनवरी 2017 तक, पं.रा.स. द्वारा 2007–16 की अवधि के लिए ₹ 6,924.71 करोड़ का उपयोगिता प्रमाणपत्र समर्पित नहीं किया गया एवं उपयोगिता के प्रतिशत का परास दो से उन्नासी प्रतिशत के बीच था।

(कंडिका 1.8.3)

### **पं.रा.सं. द्वारा लेखाओं का संधारण**

प्रियासॉफ्ट में, कुल आठ मानक लेखांकन प्रणाली प्रपत्रों में से केवल तीन प्रपत्रों को तैयार किया जा रहा था। हालाँकि, 17 अप्रैल 2015 से प्रियासॉफ्ट में लेखांकन कार्य बंद हो गया था तथा इसके बाद ई-पंचायत मॉड्यूल में लेखांकन कार्य आरंभ किया गया।

(कंडिका 1.9.6.2)

## **2. अनुपालन लेखापरीक्षा**

### **पं.रा.सं. में चतुर्थ राज्य वित्त आयोग की अनुशंसाओं का कार्यान्वयन**

पं.रा.सं. के संदर्भ में चतुर्थ राज्य वित्त आयोग द्वारा किए गए सभी 17 अनुशंसाओं को राज्य सरकार द्वारा स्वीकार किया गया। हालाँकि, चार अनुशंसाओं को अक्षरशः लागू किया गया, दस अनुशंसाओं को संशोधनों के साथ लागू किया गया एवं तीन अनुशंसाओं पर कोई कार्रवाई नहीं किया गया।

(कंडिका 2.1.1)

### **अक्षरशः लागू की गई अनुशंसाएँ**

चतुर्थ राज्य वित्त आयोग ने पं.रा.स. तथा श.स्था.नि. को निधियों के आवंटन एवं तदनुसार त्रि-स्तरीय पं.रा.स. को इसकी विमुक्ति के संबंध में चार अनुशंसाएँ की। लेखापरीक्षा में पाया गया कि उपरोक्त अनुशंसाएँ राज्य सरकार द्वारा स्वीकार किया गया तथा अक्षरशः लागू किया गया।

### **संशोधनों के साथ लागू अनुशंसाएँ**

राज्य सरकार ने दस अनुशंसाओं को संशोधनों के साथ लागू किया जैसा कि नीचे वर्णित है:

### **अनुदानों की विमुक्ति का आधार**

चतुर्थ राज्य वित्त आयोग ने अनुशंसा की थी कि राज्य के कर राजस्व से संग्रह लागत घटाकर निवल कर राजस्व का 7.5 प्रतिशत उस वित्तीय वर्ष के लेखापरीक्षित ऑकड़ों के आधार पर स्थानीय निकायों को अंतरित किया जाना चाहिए। हालाँकि, राज्य सरकार ने दो वर्ष पूर्व के ऑकड़ों के आधार पर निधि की विमुक्ति की। परिणामस्वरूप, वर्ष 2010–15 के दौरान ₹ 4,026.55 करोड़ के अनुदान की अनुशंसा के विरुद्ध मात्र ₹ 1,580.49 करोड़ ही विमुक्त किया गया।

(कंडिका 2.1.3.1)

### **दो अद्वार्षिक किस्तों में अनुदानों की विमुक्ति**

लेखापरीक्षा में पाया गया कि चतुर्थ राज्य वित्त आयोग की अवधि (2010–15) के तीन वर्षों में से दो वर्षों (2011–13) में अनुदान की विमुक्ति एक ही किस्त में वर्ष के अंत में की गयी थी।

(कंडिका 2.1.3.2)

### **पंचायत समितियों को निधियों की विमुक्ति**

लेखापरीक्षा में पाया गया कि नालंदा एवं सारण जिलों में पंचायत समितियों को निधियों का अंतरण आबादी के लिए 80 प्रतिशत भारांक तथा बी.पी.एल. परिवारों की संख्या के लिए 20 प्रतिशत भारांक के आधार पर नहीं किए गए थे। इसकी बजाय निधियों का अंतरण पंचायत समितियों के जनसंख्या के आधार पर किया गया था।

(कंडिका 2.1.3.3)

### **उच्च प्राथमिकता प्रक्षेत्रों के अंतर्गत अनुदानों की विमुक्ति**

वर्ष 2010–11 तथा वर्ष 2014–15 में उच्च प्राथमिकता प्रक्षेत्रों के अंतर्गत प.रा.स. को ₹ 635.98 करोड़ कम निधि विमुक्त की गई थी। आगे, वर्ष 2011–14 के दौरान ग्राम पंचायतों के विशिष्ट उपयोग के लिए ₹ 282.37 करोड़ की निधि को जिला परिषदों तथा पंचायत समितियों को आवंटित किया गया।

**(कंडिका 2.1.3.4)**

### **क्षमता संवर्द्धन हेतु अनुदान**

चतुर्थ राज्य वित्त आयोग ने अनुशंसा की थी कि प्रत्येक जिला परिषद, पंचायत समिति तथा ग्राम पंचायतों को क्षमता संवर्द्धन हेतु प्रतिवर्ष क्रमशः ₹ 15 लाख, ₹ एक लाख तथा ₹ दो लाख का अनुदान दिया जाए (2010–15 के पाँच वर्ष की अवधि में ₹ 180.27 करोड़ प्रतिवर्ष की दर से ₹ 901.35 करोड़)। लेखापरीक्षा ने पाया कि राज्य सरकार ने प.रा.स. को आयोजना, बजट निर्माण, व्यय, लेखांकन तथा रिपोर्टिंग की मूलभूत उत्तरदायित्वों को पूरा करने के लिए लेखा संधारण और क्षमता संवर्द्धन हेतु तीन वर्षों (2011–14) के लिए केवल ₹ 538.11 करोड़ विमुक्त किया।

**(कंडिका 2.1.3.5)**

### **असंबद्ध अनुदान**

चतुर्थ राज्य वित्त आयोग ने अनुशंसा की थी कि उच्च प्राथमिकता प्रक्षेत्रों की आवश्यकताओं की पूर्ति के पश्चात असंबद्ध अनुदान की शेष राशि का व्यय अधिनियम में उल्लिखित कर्तव्यों एवं कार्यों के संगत उद्देश्यों को पूरा करने में किया जाना था तथा राज्य सरकार की पूर्व स्वीकृति के बिना वेतन भुगतान अथवा वाहन क्रय पर इसका उपयोग नहीं किया जाना था।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि राज्य सरकार द्वारा पंचायत समितियों तथा ग्राम पंचायतों के लिए वर्ष 2011–14 के दौरान ₹ 518.27 करोड़ का अनुदान 20:70 के अनुपात में विमुक्त किया गया। हालाँकि, वर्ष 2011–15 के दौरान जिला परिषदों के हिस्से की ₹ 108.25 करोड़ की विमुक्ति अन्य विकासात्मक शीर्षों पर न कर जिलों की आबादी के आधार पर वेतन एवं सेवानिवृति लाभ के भुगतान हेतु की गई थी। परिणामतः जिला परिषद, अधिनियम में वर्णित कर्तव्यों एवं कार्यों के संगत उद्देश्यों पर व्यय हेतु अतिरिक्त निधि प्राप्त करने में विफल रहे।

**(कंडिका 2.1.3.6)**

### **कार्यों, कर्मियों एवं निधि का प्रतिनिधायन**

चतुर्थ राज्य वित्त आयोग ने कार्यों, कर्मियों एवं निधि (तीन एफ) के हस्तांतरण में तेजी लाने की अनुशंसा की थी।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि बिहार सरकार के विभागों ने (जुलाई से सितंबर 2001) ग्राम पंचायतों को 79 कार्यों, पंचायत समितियों को 60 कार्यों तथा जिला परिषदों को 61 कार्यों का प्रतिनिधायन किया था तथा प.रा.स. द्वारा प्रतिनिधायित कार्यों के स्तरवार मानचित्रण तैयार किया। परंतु, अब तक विभागवार एवं विषयवार कार्य-कलाप मानचित्रण की प्रक्रिया असंतोषजनक थी। कर्मचारी अपने संबंधित विभागों के प्रति जवाबदेह थे तथा प.रा.स. के पास प्रतिनिधायित कार्यों को संपादित करने हेतु पर्याप्त कर्मचारी नहीं थे। यद्यपि प.रा.स. को विभिन्न स्रोतों से उपलब्ध करायी गयी निधियाँ उन्हें सौंपे गए कार्यों के लिए पूर्णतः अपर्याप्त थी, क्षमता की कमी के कारण वे उसका भी उपयोग करने में सक्षम नहीं थे।

**(कंडिका 2.1.3.7)**

### **कर्मचारियों के वेतन के लिए अनुदान की विमुक्ति**

चतुर्थ राज्य वित्त आयोग ने अनुशंसा की थी कि राज्य सरकार वर्ष 2010–15 की अवधि के लिए जिला परिषदों के कर्मचारियों के वेतन के लिए अनुदानों को बिना किसी कटौती के विमुक्त करेगा। हालाँकि वर्ष 2011–15 के दौरान जिला परिषदों को मात्र 39 से 70 प्रतिशत अनुदान ही उपलब्ध कराया गया क्योंकि राज्य सरकार ने कार्यरत बल के स्थान पर जनसंख्या के आधार पर निधियों को विमुक्त किया था।

(कंडिका 2.1.3.8)

### **सेवानिवृत्ति लाभ का भुगतान**

चतुर्थ राज्य वित्त आयोग ने अनुशंसा की थी कि स्थानीय निकायों के कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति लाभ की बकाया राशि का भुगतान एकमुश्त सहाय्य अनुदान देकर की जाय। लेखापरीक्षा में पाया गया कि राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2010–15 के दौरान पं.रा.सं. को इस प्रकार का कोई अनुदान विमुक्त नहीं किया गया था।

(कंडिका 2.1.3.9)

### **पं.रा.सं. के लिए लेखांकन प्रपत्र को अपनाया जाना**

चतुर्थ राज्य वित्त आयोग द्वारा अनुशंसा की गयी थी कि नि.म.ले.प. द्वारा विहित लेखांकन प्रपत्र अपनाया जाय तथा महालेखाकार से परामर्श कर लेखांकन नियमावली को अंतिम रूप दिया जाय। यह भी अनुशंसा की गयी थी कि प्रपत्र को और सरल बनाने की संभावना की भी तलाश की जाय।

हालाँकि लेखापरीक्षा में पाया गया कि मार्च 2015 तक मात्र आठ डेटा प्रपत्रों में से तीन प्रपत्रों को ही तैयार किया गया था एवं पाँच प्रपत्र संधारित नहीं किए गए थे क्योंकि पं.रा.सं. द्वारा आवश्यक एकुअल आधारित लेखांकन प्रणाली नहीं अपनाया गया था। परिणामतः पं.रा.सं. द्वारा लेखाओं का वित्तीय विवरण तैयार नहीं किया गया और पं.रा.सं. की परिसम्पत्तियों का वास्तविक स्थिति का आकलन नहीं किया जा सका।

(कंडिका 2.1.3.10)

### **सरकार द्वारा कार्यान्वित नहीं की गयी अनुशंसाएँ**

राज्य सरकार ने स्वीकृत अनुशंसाओं में से तीन को लागू नहीं किया जिसका विवरण नीचे दिया गया है:

#### **जिला परिषदों तथा पंचायत समितियों को सहाय्य अनुदान**

राज्य करों में हिस्सा के तदुपरांत पंचायत समिति एवं जिला परिषद को विमुक्त सहाय्य अनुदान का उपयोग सर्वप्रथम प्राथमिक कार्यकलापों के रूप में चिन्हित योजनाओं के कार्यान्वयन पर वास्तविक लागत की असमानता को दूर करने में किया जाएगा। चतुर्थ राज्य वित्त आयोग के अनुशंसाओं एवं राज्य सरकार की निर्देशिका में उन उद्देश्यों को उद्धृत किया गया था जिन पर निधियों का उपयोग किया जाना था।

लेखापरीक्षा ने पाया कि चतुर्थ राज्य वित्त आयोग के अनुशंसाओं/सरकार के निर्देशों में वर्णित उद्देश्यों के लिए जिला परिषद एवं पंचायत समिति को अनुदान की विमुक्ति नहीं की गयी थी।

(कंडिका 2.1.4.1)

### **पं.रा.सं. का वित्तीय रूप से आत्मनिर्भर होना एवं राजस्व को बढ़ाना**

चतुर्थ राज्य वित्त आयोग ने अनुशंसा की थी कि पं.रा.सं., विशेषकर जिला परिषद को अपनी महत्वपूर्ण भूमि का लाभदायक उपयोग सुनिश्चित करने हेतु अपनी परियोजना में निवेश हेतु वित्तीय संस्थाओं से संपर्क कर अपने संसाधन को बढ़ाकर वित्तीय रूप से आत्मनिर्भर होने का प्रयास करना चाहिए तथा सार्वजनिक-निजी भागीदारी पद्धति अपनाकर परिसम्पत्तियों के निर्माण की संभावना की तलाश करनी चाहिए।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि नमूना जांचित चारों जिला परिषद वित्तीय संस्थाओं से सम्पर्क करने अथवा अपनी महत्वपूर्ण भूमि के लाभदायक उपयोग हेतु सार्वजनिक-निजी

साझेदारी पद्धति अपनाने में असफल रहे। आगे नमूना जांचित जिला परिषद राजस्व बढ़ाने के प्रयास में भी असफल रहे।

(कंडिका 2.1.4.2)

#### **करों का अध्यारोपण**

चतुर्थ राज्य वित्त आयोग के अनुशंसा के अनुसार, राज्य सरकार को प.रा.सं. द्वारा वसूली योग्य करों की उच्चतम दरों को अधिसूचित करना था ताकि वे अपनी संसाधनों को बढ़ा सके अथवा नियमों में इस प्रकार संशोधन करना था कि सरकार के अनुमोदन की आवश्यकता न पड़े।

राज्य सरकार मई 2016 तक किसी भी प्रकार के करों की दर अधिसूचित करने में विफल रही। जिसके कारण प.रा.सं. करारोपण द्वारा राजस्व सृजन करने में असमर्थ रहे।

(कंडिका 2.1.4.3)

#### **लेखापरीक्षा कंडिकाएँ**

मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद पटना द्वारा आठ मंजिला एनेक्सी भवन की वर्तमान स्थिति में बन्दोबस्ती किए जाने के जिला परिषद बोर्ड के आदेश को कार्यान्वित करने में निष्क्रियता के परिणामस्वरूप सितंबर 2011 से अगस्त 2016 के दौरान ₹ 3.78 करोड़ के किराया आय की हानि हुई।

(कंडिका 2.2)

चौदहवें वित्त आयोग अनुदान की राशि का बिहार सरकार द्वारा विलंब से विमुक्त किए जाने के फलस्वरूप ग्राम पंचायतों को ₹ 8.12 करोड़ के दंडात्मक ब्याज का परिहार्य भुगतान किया गया।

(कंडिका 2.3)

### **3. बिहार में शहरी स्थानीय निकायों की कार्यप्रणाली का एक अधिवृश्य**

#### **लेखापरीक्षा व्यवस्था**

श.स्था.नि. के लेखाओं की लेखापरीक्षा जो बिहार एवं उड़ीसा स्थानीय निधि अंकेक्षण अधिनियम, 1925 के अंतर्गत महालेखाकार (लेखापरीक्षा) बिहार के पर्यवेक्षण में स्थानीय लेखापरीक्षक द्वारा किया जाता था को समाप्त करके दिसंबर 2016 से तकनीकी मार्गदर्शन एवं सहयोग व्यवस्था के अंतर्गत लेखापरीक्षा की शुरुआत की गई। वर्ष 2015–16 के दौरान स्थानीय लेखापरीक्षक ने 59 श.स्था.नि. तथा निदेशक स्थानीय निधि ने सात श.स्था.नि. का अंकेक्षण किया।

(कंडिका 3.6.1)

#### **कार्यों निधियों तथा कर्मियों का प्रतिनिधायन**

चौहत्तरवें संविधान संशोधन अधिनियम के बारहवें अनुसूची में वर्णित कुल 18 विषयों में से, श.स्था.नि. 12 विषयों से संबंधित कार्यों के कार्यान्वयन कर रहे थे तथा छ: विषयों के कार्यों का कार्यान्वयन राज्य सरकार के कार्यकारी विभागों द्वारा किया जा रहा था।

पंचम राज्य वित्त आयोग के अनुसार श.स्था.नि. के पास उपलब्ध निधियाँ उनके नियत कार्यों के लिए अपर्याप्त थे। पंचम राज्य वित्त आयोग के अंतर्गत वर्ष 2015–16 के लिए ₹ 781.32 करोड़ अनुदान की विहित राशि के विरुद्ध श.स्था.नि. को मात्र ₹ 434.64 करोड़ विमुक्त की गई।

श.स्था.नि. में कुल 12,453 स्वीकृत पदों में से 7,145 पद (57 प्रतिशत) रिक्त थे। मार्च 2007 तक 40 प्रतिशत पद रिक्त थे जो सितंबर 2016 तक बढ़कर 57 प्रतिशत हो गया जबकि, तकनीकी कर्मियों के 96 से 99 प्रतिशत पद रिक्त थे।

(कंडिका 3.4.2, 3.9.3 एवं 3.4.3)

### निधियों की विमुक्ति

वर्ष 2016–17 का मई 2016 में देय प्रथम किश्त की ₹ 462.93 करोड़ राशि को अक्टूबर 2016 में विमुक्त किया गया जबकि प्रथम किश्त के उपयोगिता प्रमाण पत्र समर्पित नहीं करने के कारण श.स्था.नि. को द्वितीय किश्त विमुक्त नहीं किया गया (फरवरी 2017)।

(कंडिका 3.9.3)

### निधियों की उपयोगिता

नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा विभिन्न सहाय्य अनुदान के रूप में 2003–15 (जुलाई 2015 तक) के दौरान ₹ 10,261.62 करोड़ का अनुदान विमुक्त किया गया। परंतु, 2 फरवरी 2017 तक ₹ 4,223.56 करोड़ (41 प्रतिशत) के उपयोगिता प्रमाण पत्र लंबित थे।

(कंडिका 3.8.6)

## 4. निष्पादन लेखापरीक्षा

### नगर निगमों द्वारा नागरिक सुविधा शीर्ष (राज्य योजना) के अंतर्गत अनुदानों का उपयोग

नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार सरकार ने वित्तीय वर्ष 2011–16 के दौरान नगर निगमों को नागरिक सुविधाएं प्रदान करने के लिए जैसे पार्कों का निर्माण, बस पड़ाव/ठहराव, घाट का निर्माण, मलिन बस्तियों में आधारभूत संरचना का विकास, सामुदायिक भवन का निर्माण, अतिथि गृह/टाउन हॉल का निर्माण, ट्रैफिक लाइट/नागरिक सुविधाएँ एवं विशेष स्वच्छता हेतु राज्य योजना शीर्ष के अन्तर्गत अनुदानों की विमुक्ति की थी।

निष्पादन लेखापरीक्षा में यह पाया गया कि:

### निधियों की उपयोगिता

लेखापरीक्षा में पाया गया कि नगर निगमों द्वारा प्राप्त कुल अनुदानों का 55 प्रतिशत समानान्तर/पैरास्टेटल निकायों यथा बिहार शहरी आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड, बिहार शहरी विकास अभिकरण आदि को हस्तांतरित किया गया, जिनकी स्थापना शहरी स्थानीय निकायों में मानव बल की कमी एवं तकनीकी अक्षमता के कारण नगरपालिकाओं के विभिन्न कार्यों के निष्पादन के लिए किया गया था। अतः नागरिक सुविधाओं से संबंधित कार्यों का 50 प्रतिशत से अधिक का कार्यान्वयन, बिना शहरी स्थानीय निकायों को शामिल किए, किया गया था।

(कंडिका 4.1.7.1)

चार नमूना जांचित नगर निगमों में ₹ 48.19 करोड़ अनुदान की राशि का उपयोग, आवश्यक भूमि उपलब्ध नहीं रहने के कारण एक से सात वर्षों की अवधि में नहीं किया जा सका।

(कंडिका 4.1.7.2)

### पार्कों का निर्माण

बिहार सरकार द्वारा वर्ष 2009–16 के दौरान नगर निगम पटना के अधीन 17 पार्कों के निर्माण के लिए ₹ 11.56 करोड़ का अनुदान विमुक्त किया गया था। इसमें से 10 पार्कों का निर्माण ₹ 10.08 करोड़ के व्यय के साथ पूर्ण किया गया था जबकि 7 पार्क अगस्त 2016 तक अपूर्ण थे।

छ: पार्कों के भौतिक सत्यापन में पाया गया कि दो पार्कों जिनकी कुल लागत ₹ 51.25 लाख थी, वे गंदे, बंद एवं उपयोग में नहीं लाए गए थे।

(कंडिका 4.1.8.1)

### **बस पड़ाव एवं बस क्यू शेल्टर का निर्माण**

शहरी अबादी के लिए बेहतर सुविधा प्रदान करने हेतु बि.स. द्वारा पूरे राज्य में बस पड़ावों के निर्माण हेतु बिहार शहरी आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड को अधिदृष्टि किया गया था। वर्ष 2011–16 के दौरान बि.स. द्वारा बस पड़ावों/बी.क्यू.एस के निर्माण हेतु कुल ₹ 26.24 करोड़ चार नमूना जांचित नगर निगमों के माध्यम से बिहार शहरी आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड को विमुक्त किया गया था। इसमें से नमूना जांचित नगर निगमों में पाँच बस पड़ावों के निर्माण हेतु ₹ 18.74 करोड़ धनराशि विमुक्त की गयी थी।

हालाँकि दो बस पड़ावों का कार्य प्रगति पर था एवं तीन बस पड़ावों का निर्माण अगस्त 2016 तक प्रारंभ नहीं किया गया था। मार्च 2013 से नवंबर 2014 तक ₹ 12.73 करोड़ की उपलब्धता के बावजूद बिहार शहरी आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड तीन बस पड़ावों का निर्माण शुरू करने में विफल रहा क्योंकि दो नगर निगमों द्वारा जमीन उपलब्ध नहीं करायी गयी थी एवं बिहार सरकार से अंतर्राज्यीय बस टर्मिनल, पटना की प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त नहीं की गयी थी।

**(कंडिका 4.1.8.2)**

### **तालाब/घाट का निर्माण/जीर्णोद्धार/सौंदर्यकरण**

बिहार सरकार ने गया नगर निगम के अंतर्गत कागवली सरोवर के सौंदर्यकरण/जीर्णोद्धार हेतु ₹ 80 लाख विमुक्त किया था (अक्टूबर 2010)। कार्य फरवरी 2012 तक पूर्ण कर लिया जाना था तथापि, कार्यस्थल पर विवाद के कारण कार्य ससमय शुरू नहीं किया जा सका तथा कार्य जून 2012 में शुरू किया जा सका। न तो ठेकेदार द्वारा कार्य पूर्ण किया गया और न ही नगर निगम, गया द्वारा उसके विरुद्ध कोई कारवाई शुरू की गयी थी (अगस्त 2016)।

**(कंडिका 4.1.8.3)**

### **मलिन बस्तियों में आधारभूत संरचना का विकास**

बिहार सरकार ने चार चयनित नगर निगमों के अंतर्गत मलिन बस्तियों में आधारभूत संरचना के विकास हेतु बिहार शहरी विकास अभिकरण को ₹ 45.25 करोड़ स्वीकृत (दिसंबर 2013 एवं जुलाई 2014) किया था।

अंकेक्षण में पाया गया कि कुल 4,488 व्यक्तिगत शौचालयों (वर्ष 2014 की योजना) में से केवल 1,548 शौचालयों को प्रथम चरण में पूर्ण किया गया था एवं ₹ 1.87 करोड़ उपलब्ध रहने के बावजूद नगर निगमों द्वारा 2,940 शौचालयों का निर्माण नहीं किया गया तथा संबंधित घरों के लोग लगातार खुले में शौच के लिए मजबूर थे।

**(कंडिका 4.1.8.4)**

### **समुदायिक भवन का निर्माण**

नमूना जांचित नगर निगमों में चार समुदायिक भवनों के निर्माण/विस्तार/जीर्णोद्धार के लिए जिला शहरी विकास अभिकरण, गया को ₹ तीन करोड़ की राशि विमुक्त की गई थी (दिसंबर 2011)। हालाँकि दो सामुदायिक भवनों, आजाद पार्क सामुदायिक भवन कार्य स्थल पर विवाद तथा माँ बागेश्वरी मंदिर के पास सामुदायिक भवन का निविदा आमंत्रित नहीं (अगस्त 2016) किए जाने के कारण, निर्माण कार्य अगस्त 2016 तक अपूर्ण/प्रारंभ नहीं किया गया था।

**(कंडिका 4.1.8.5)**

### **टाउन हॉल का निर्माण**

सम्राट अशोक भवन (टाउन हॉल) के अंतर्गत विमुक्त अनुदान कोषागार से राशि की निकासी नहीं किए जाने के कारण व्यपगत हो गया था। यद्यपि, नगर आयुक्त कोषागार से अनुदान की निकासी हेतु जिम्मेवार थे, नगर आयुक्त द्वारा इस प्रकार के अनुश्रवण किए जाने से संबंधित कोई भी अभिलेख उपलब्ध नहीं था।

**(कंडिका 4.1.8.6)**

### सार्वजनिक शौचालयों का निर्माण

बिहार सरकार ने पटना के विभिन्न स्थलों पर 32 सार्वजनिक शौचालयों के निर्माण हेतु बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड को ₹ 18.45 लाख प्रति की दर से ₹ 5.94 करोड़ का आवंटन किया था। पुनः, इन शौचालयों को नगर निगम, पटना को हस्तांतरित किया जाना था ताकि इसके आय के स्रोत में वृद्धि हो सके। सभी 32 सार्वजनिक शौचालयों का निर्माण नवंबर – दिसंबर 2009 की अवधि में किया गया था। हालाँकि, 10 शौचालयों को इनके निर्माण के छः वर्ष से अधिक बीत जाने के बाद भी नगर निगम, पटना को हस्तांतरित नहीं किया गया था।

इन 10 सार्वजनिक शौचालयों का लेखापरीक्षा द्वारा भौतिक निरीक्षण किया गया एवं पाया गया कि नौ सार्वजनिक शौचालय निर्माण के समय से ही उपयोग में नहीं थे तथा इंदिरा गाँधी आयुर्विज्ञान संस्थान परिसर स्थित एक सार्वजनिक शौचालय का उपयोग एवं रखरखाव अस्पताल द्वारा किया जा रहा था, जिसकी संपुष्टि 177 लाभुकों के लाभुक सर्वेक्षण के दौरान की गयी।

(कंडिका 4.1.8.7)

### विशेष स्वच्छता

संपूर्ण नगर निकाय क्षेत्र में स्वच्छता में व्यापक सुधार हेतु अनुदानों का उपयोग छः घटकों यथा घर-घर कचरा संग्रहण, कचड़ा संग्रहण हेतु उपकरणों का क्रय, कचड़े के प्रबंधन हेतु लैंडफिल साइट के क्रय/विकास, कचड़े से कम्पोस्ट/बिजली बनाने की योजना में सहायता, नालों की उड़ाही, सफाई एवं सुदृढ़ीकरण तथा सार्वजनिक स्थलों पर विशेष स्वच्छता अभियान हेतु मानव बल उपलब्ध कराने पर किया जाना था।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि दो नगर निगमों द्वारा वर्ष 2015–16 के दौरान ₹ 20.60 करोड़ के कुल अनुदान में से ₹ 10.56 करोड़ का व्यय ऐसे घटकों पर किया गया जो विहित घटक नहीं थे, जैसे नियमित सफाईकर्मी का वेतन, दैनिकभोगी सफाईकर्मी का वेतन, रात्रि सफाई, एप्रन का क्रय इत्यादि।

(कंडिका 4.1.8.8)

### योजना

नमूना जांचित नगर निगमों द्वारा नागरिक सुविधाओं को प्रदान करने हेतु विकास योजना तैयार नहीं किया गया था तथा उनके द्वारा कार्यान्वित विकासात्मक कार्य जिला योजना समिति द्वारा तैयार जिला योजना का भाग नहीं थे।

(कंडिका 4.1.6.1)

## 5. अनुपालन लेखापरीक्षा

योजना मार्गदर्शिकाओं के अनुपालन में कमी के कारण नगर परिषद, सुल्तानगंज ने स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना के प्रशिक्षण घटक पर ₹ 50 लाख का अनियमित भुगतान किया। आठ शहरी स्थानीय निकायों में लाभार्थियों के प्रशिक्षण पर ₹ 3.91 करोड़ के व्यय के बावजूद गैर सरकारी संगठन प्रशिक्षित लाभार्थियों को रोजगार मुहैया कराने में विफल रहे।

(कंडिका 5.1)

होल्डिंग का वार्षिक किराया मूल्य प्रत्येक पाँच वर्षों में न्यूनतम 15 प्रतिशत की वृद्धि नहीं करने एवं संपत्ति कर का निर्धारित न्यूनतम दर से कम दर पर वसूली के कारण ₹ 36.56 लाख के कर राजस्व की हानि।

(कंडिका 5.2)

नगर परिषद, सिवान द्वारा सोलर लाईट के अनुरक्षण के लिए अग्रिम भुगतान में संगत वित्तीय नियमों का पालन नहीं किया गया, जिसके फलस्वरूप एजेंसी को ₹ 80.87 लाख का अनियमित भुगतान किया गया।

(कंडिका 5.3)

**भाग—अ**  
**पंचायती राज संस्थाएँ**

**अध्याय – I**

**बिहार में पंचायती राज संस्थाओं  
की कार्यप्रणाली का एक अधिदृश्य**

## अध्याय - I

### बिहार में पंचायती राज संस्थाओं की कार्यप्रणाली का एक अधिदृश्य

#### 1.1 परिचय

तिहतरवें संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 ने पंचायती राज संस्थाओं (प.रा.सं.) को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया तथा एक समान संरचना, चुनाव, अनुसूचित जातियों/जनजातियों व महिलाओं के लिए पदों का आरक्षण तथा प.रा.सं. को निधि, प्रकार्य व कर्मियों के प्रतिनिधायन की एक प्रणाली स्थापित किया। प.रा.सं. का उद्देश्य जन-भागीदारी को प्रोत्साहित करना तथा संविधान के ग्यारहवें अनुसूची में सूचीबद्ध विषयों सहित विभिन्न क्षेत्रों में आर्थिक विकास व सामाजिक न्याय हेतु ग्रामीण विकास योजनाओं को प्रभावी रूप से लागू करना है।

परिणामस्वरूप, बिहार सरकार (बि.स.) ने बिहार पंचायत राज अधिनियम (बि.प.रा.अ.), 1993 अधिनियमित किया (तत्पश्चात् बि.प.रा.अ., 2006 के द्वारा प्रतिस्थापित) तथा प.रा.सं. की त्रि-स्तरीय प्रणाली यथा: ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत (ग्रा.पं.) प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति (प.स.) एवं जिला स्तर पर जिला परिषद (जि.प.) का गठन किया गया जिससे वे स्थानीय स्वशासन की संस्थाओं के रूप में कार्य करने में सक्षम हो सकें। मार्च 2016 तक राज्य में 1,35,725 निर्वाचित प्रतिनिधियों वाली 8,969 प.रा.सं.<sup>1</sup> थी। प.रा.सं. के निर्वाचित निकायों का विवर आम चुनाव अप्रैल-मई 2016 में संपन्न हुआ था।

#### 1.2 राज्य की रूपरेखा

94,163 वर्ग कि.मी. क्षेत्रफल के साथ बिहार राज्य देश का तेरहवाँ सबसे बड़ा राज्य है जो देश की कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.86 प्रतिशत है। विगत दशक में बिहार की जनसंख्या वृद्धि दर 25.4 प्रतिशत थी। राज्य की कुल जनसंख्या 10.41 करोड़ में से ग्रामीण जनसंख्या 9.23 करोड़ (89 प्रतिशत) थी। राज्य के तुलनात्मक जनसांख्यिक तथा विकासात्मक आँकड़ों को नीचे तालिका 1.1 में दर्शाया गया है:

तालिका – 1.1: राज्य के महत्वपूर्ण आँकड़े

सूचक	इकाई	राज्य के आँकड़े	राष्ट्रीय आँकड़े	राज्यों के बीच स्थान
जनसंख्या	करोड़	10.41	121.09	3
जनसंख्या घनत्व	प्रति वर्ग कि.मी.	1,106	382	1
ग्रामीण आबादी	करोड़	9.23	83.31	2
लिंगानुपात	प्रति 1000 पुरुष	918	943	23
साक्षरता	प्रतिशत	61.80	74.04	29
जिलों की संख्या	संख्या	38	686	3
प.रा.सं. की संख्या	संख्या	8,969	2,56,116	11
मानव विकास सूचकांक (मा.वि.सू.) 2011	मूल्य	0.447	0.504	18
दशकीय वृद्धि दर	प्रतिशत	25.42	17.64	3

(चोत: जनगणना 2011, तेरहवां वित्त आयोग प्रतिवेदन, योजना आयोग, भारत सरकार एवं संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम का प्रतिवेदन 2011)

<sup>1</sup>

38 जि.प., 534 प.स. एवं 8,397 ग्रा.प.

बिहार में संख्या, औसत क्षेत्रफल व औसत आबादी के संदर्भ में पं.रा.सं. की स्थिति को नीचे तालिका 1.2 में दर्शाया गया है:

**तालिका – 1.2: पं.रा.सं. की स्थिति**

पं.रा.सं. का स्तर	संख्या	प्रति पं.रा.सं. औसत क्षेत्रफल (वर्ग किमी)	औसत आबादी (लाख में)
		2011 जनगणना के अनुसार	
जिला परिषद	38	2,427.83	24.30
पंचायत समिति	534	172.77	1.73
ग्राम पंचायत	8,397	10.99	0.11


(स्रोत: योजना व विकास विभाग, बिहार की वेबसाइट)

### 1.3 संगठनात्मक ढाँचा


राज्य स्तर पर, पंचायती राज विभाग (पं.रा.वि.) पं.रा.सं. के कार्यों का अनुश्रवण एवं समन्वय करता है। जि.प. की अध्यक्षता, अध्यक्ष के द्वारा जबकि पं.स. एवं ग्रा.पं. की अध्यक्षता क्रमशः प्रमुख एवं मुखिया के द्वारा किया जाता है जो संबंधित पं.रा.सं. के निर्वाचित प्रतिनिधि होते हैं।

उप-विकास आयुक्त (उ.वि.आ.) तथा प्रखंड विकास पदाधिकारी (प्र.वि.प.) क्रमशः जि.प. तथा पं.स. के कार्यकारी प्रधान होते हैं। पंचायत सचिव, ग्रा.पं. कार्यालय के प्रभारी होते हैं एवं ग्रा.पं. स्तर पर लेखाओं व अभिलेखों के संधारण के लिए उत्तरदायी होते हैं। पं.रा.सं. के संगठनात्मक संरचना को नीचे चार्ट-1.1 तथा 1.2 में दर्शाया गया है:

**चार्ट – 1.1: निर्वाचित निकाय**



## चार्ट – 1.2: प्रशासनिक संरचना



(स्रोत: वि.पं.रा.अ., 2006 तथा [www.biharprd.bih.nic.in](http://www.biharprd.bih.nic.in))

### 1.4 पं.रा.सं. की कार्यप्रणाली

**1.4.1 पं.रा.सं. की शक्तियाँ एवं कार्यप्रणाली**

भारत के संविधान का अनुच्छेद 243 जी और 243 एच प्रावधान करता है कि राज्य सरकार निम्नलिखित शक्तियाँ, प्राधिकार तथा उत्तरदायित्वों को पं.रा.सं. को प्रदान कर सकती हैं:

- समाजिक न्याय एवं आर्थिक विकास के लिए योजनाओं को तैयार करना;
- संविधान के ग्यारहवीं अनुसूची में वर्णित विषयों के साथ—साथ अन्य विषयों जो सामाजिक न्याय एवं आर्थिक विकास की योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु सौंपे गए हों; तथा
- करारोपण की शक्तियाँ एवं पंचायतों के सभी राशियों को जमा करने हेतु निधियों का गठन करना।

इसके अलावा, वि.पं.रा.अ., 2006 की धारा 22, 47 एवं 73 क्रमशः ग्रा.पं., पं.स. एवं जि.प. की शक्तियों तथा कर्तव्यों की प्रकृति का वर्णन करता है।

### 1.4.2 राज्य सरकार की शक्तियाँ

बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006 पं.रा.सं. के समुचित कायकलापों के अनुवीक्षण के लिए राज्य सरकार को सक्षम बनाने हेतु निम्नलिखित शक्तियाँ प्रदान करता है। पं.रा.सं. के संबंध में राज्य सरकार की शक्तियों एवं भूमिकाओं का एक संक्षिप्त सारांश नीचे तालिका 1.3 में दर्शाया गया है:

### तालिका – 1.3: राज्य सरकार की शक्तियाँ

प्राधिकार	राज्य सरकार की शक्तियाँ
धारा 146	<b>नियम बनाने की शक्ति:</b> राज्य सरकार, बि.पं.रा.अ., 2006 में विनिर्दिष्ट कार्यों को कार्यान्वित करने के लिए राज्य विधायिका के अनुमोदन से राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियम बना सकती है।
धारा 150, 152 एवं 153	<b>मानक नियमावली बनाने, पृच्छा एवं निरीक्षण की शक्ति:</b> राज्य सरकार, बि.पं.रा.अ. 2006, के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए मानक नियम बना सकती है तथा यह पं.रा.सं. के नियंत्रणाधीन किसी भी अभिलेख या कार्यालय के निरीक्षण की शक्ति रखती है।
धारा 167	<b>जिला योजना समिति:</b> राज्य सरकार प्रत्येक जिले में, जिले के अंतर्गत पंचायतों तथा नगरपालिकाओं के द्वारा तैयार की गई योजनाओं को समेकित करने तथा संपूर्ण जिले के लिए एक प्रारूप विकास योजना को तैयार करने हेतु एक जिला योजना समिति का गठन करेगी।
धारा 168	<b>पंचायतों के लिए वित्त आयोग:</b> राज्य सरकार प्रत्येक पाँच वर्षों में, पं.रा.सं. की वित्तीय स्थिति की समीक्षा, निधियों के प्रतिनिधायन तथा उनकी वित्तीय स्थिति में सुधार के उपाय हेतु सुझाव देने के लिए एक वित्त आयोग का गठन करेगी।
धारा 27, 55 एवं 82	<b>कराधान:</b> पं.रा.सं., राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित अधिकतम दर के अधीन होल्डिंग व पेशाओं पर करारेपण तथा टॉल, शुल्क एवं दर अध्यारोपित कर सकती है।
धारा 172	<b>कठिनाईयों का निराकरण:</b> यदि अधिनियम के उपबंधों को प्रभाव में लाने में कठिनाई उत्पन्न होती है तो राज्य सरकार, आदेश निर्गत कर कठिनाईयों के निराकरण हेतु जो आवश्यक है, करेगी।
धारा 18(5), 44(4) एवं 70(5)	<b>पद से निष्कासन:</b> बैठकों में भाग न लेने, बि.पं.रा.अ., 2006 के अनुसार कर्तव्यों का निर्वहन न करने, अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करने एवं दोषी होने व छ: महीने से ज्यादा समय के लिए फरार होने के आधार पर राज्य सरकार द्वारा उनको अपना पक्ष रखने का अवसर प्रदान करने के पश्चात मुख्या/उपमुख्या, प्रमुख/उपप्रमुख व अध्यक्ष/उपाध्यक्ष को पद से निष्कासित किया जा सकता है।

(स्रोत: बि.पं.रा.अ., 2006)

#### 1.4.3 पं.रा.सं. को कार्यों, निधियों तथा कर्मियों का प्रतिनिधायन

तिहतरवें संविधान संशोधन अधिनियम के ग्यारहवीं अनुसूची में वर्णित 29 कार्यों के साथ-साथ निधियों एवं कर्मियों का पं.रा.सं. को अंततः प्रतिनिधायन राज्य सरकार उपयुक्त विधि निर्माण के द्वारा कर सकेगी।

#### कार्यों का प्रतिनिधायन

बिहार सरकार के 20 विभागों ने जनवरी 2017 तक अपने संबंधित कार्यों का हस्तांतरण पं.रा.सं. को किया था। बि.स. के विभिन्न विभागों द्वारा पं.रा.सं. को समय-समय पर 621 प्रकार के उत्तरदायित्वों जिसमें लाभुकों का चयन, वित्तीय शक्तियाँ, योजनाओं की तैयारी, आधारभूत संरचना का निर्माण, कार्यक्रमों का प्रबंधन, अनुश्रवण कार्य, परिसंपत्तियों का अनुरक्षण इत्यादि सम्मिलित हैं, सौंपा गया है। बि.स. के सभी प्रधान सचिवों/सचिवों की एक बैठक (जुलाई 2014) में पं.रा.सं. को प्रभावी प्रतिनिधायन के लिए प्रचालन मार्गदर्शिका तैयार करने के लिए 12 विभागों का चयन किया गया था। तथापि, केवल दो विभागों ने प्रचालन मार्गदर्शिका तैयार किया (जनवरी 2016)। पंचम राज्य वित्त आयोग (पंचम रा.वि.आ.) ने पाया (फरवरी 2016) कि गतिविधि मानचित्रण पर विभागवार एवं विषयवार प्रगति असंतोषजनक थी तथा पं.रा.सं. के कार्यों का संपादन समानांतर निकायों (स.नि.) द्वारा किया जा रहा था।

## निधियों का प्रतिनिधायन

चतुर्थ राज्य वित्त आयोग (चतुर्थ रा.वि.आ.) की अनुशंसाओं व बि.पं.रा.अ., 2006 के प्रावधानों के बावजूद पं.रा.सं. द्वारा जनवरी 2017 तक किसी भी प्रकार का कर अध्यारोपित एवं संग्रहित नहीं किया गया था क्योंकि राज्य सरकार ने करों की दरों को अधिसूचित नहीं किया था। अनुश्रवण पदाधिकारी, पं.रा.वि. ने बताया (जनवरी 2017) कि पं.रा.सं. द्वारा करारोपण हेतु विनियम तैयार किया जाना प्रक्रियाधीन था।

वर्ष 2015–16 के दौरान त्रि–स्तरीय पं.रा.सं. को चौदहवाँ वित्त आयोग (चौ.वि.आ.), पंचम रा.वि.आ. एवं राजीव गाँधी पंचायत सशक्तिकरण योजना (रा.गाँ.पं.स.यो.) के अंतर्गत असंबद्ध अनुदान उपलब्ध कराए गए थे। वर्ष 2015–16 से पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि (पि. क्षे.अ.नि.) को केंद्र सरकार के सहायता अनुदान से हटा दिया गया। पंचम रा.वि.आ. के प्रतिवेदन के अनुसार, विभिन्न स्रोतों से पं.रा.सं. को उपलब्ध कराए गए निधि उन्हें सौंपे गए कार्यों के कार्यान्वयन के लिए अपर्याप्त थे। आगे, क्षमता में कमी यथा: मानवशक्ति, कार्यालय स्थल, आई.टी. सुविधा, सामग्रियों आदि की अत्यंत कमी के कारण वे आवंटित निधि का उपयोग करने में असमर्थ थे।

## कर्मियों का प्रतिनिधायन

राज्य के जि.प. के पास प्रतिनिधायित कार्यों का संपादन करने के लिए पर्याप्त कर्मी नहीं थे एवं जनवरी 2017 तक 79 प्रतिशत<sup>2</sup> स्वीकृत पद रिक्त थे। दो जि.प.<sup>3</sup> में कार्यरत बल, स्वीकृत पद के 10 प्रतिशत से कम थे। ग्रा.पं. स्तर पर, 31 मार्च 2016 तक पंचायत सचिव के 3,160 पद (कुल 8,397 पदों का 38 प्रतिशत) रिक्त थे। पंचम रा.वि.आ. ने पं.रा.सं. के तीनों स्तरों पर कर्मचारियों की अत्यंत कमी को देखते हुए एक संशोधित स्टाफिंग पैटर्न की अनुसंशा की जिसका दिसंबर 2016 तक अनुपालन नहीं किया गया था।

### 1.5 विभिन्न समितियों का गठन

बि.पं.रा.अ., 2006 प्रावधान करता है कि पं.रा.सं. अपने कार्यों के प्रभावी निष्पादन हेतु अपने सदस्यों में से चुनाव द्वारा विभिन्न समितियों का गठन करेगी।

#### 1.5.1 स्थायी समितियाँ

बि.पं.रा.अ., 2006 की धारा 25, 50 एवं 77 के अनुसार, पं.रा.सं. सौंपे गए कार्यों के निष्पादन के लिए विभिन्न स्थायी समितियों का गठन करेंगी। पं.रा.सं. के तीनों स्तरों पर गठित हानेवाली स्थायी समितियों को नीचे तालिका 1.4 में दर्शाया गया है:

तालिका – 1.4: स्थायी समितियाँ

समितियाँ	ग्रा.पं.	पं.स.	जि.प.
सामान्य स्थायी समिति	नहीं	हाँ	हाँ
योजना, समन्वय एवं वित्त समिति / वित्त, अंकेक्षण व योजना समिति	हाँ	हाँ	हाँ
उत्पादन समिति	हाँ	हाँ	हाँ
सामाजिक न्याय समिति	हाँ	हाँ	हाँ
शिक्षा समिति	हाँ	हाँ	हाँ
लोक स्वास्थ्य, परिवार कल्याण एवं ग्रामीण स्वच्छता पर समिति	हाँ	हाँ	हाँ
लोक कार्य समिति	हाँ	हाँ	हाँ

(स्रोत: बि.पं.रा.अ., 2006 की धारा 25, 50 तथा 77)

<sup>2</sup> कुल स्वीकृत पद – 3,974; कार्यरत बल – 844; रिक्त – 3,130

<sup>3</sup> बक्सर एवं सुपौल

### 1.5.2 जिला योजना समिति

संविधान के अनुच्छेद 243 जेड.डी. एवं बि.पं.रा.अ., 2006 की धारा 167 जिले के पंचायतों एवं नगरपालिकाओं दोनों के द्वारा तैयार किए गए योजनाओं को समेकित करने तथा संपूर्ण जिले के लिए एक प्रारूप विकास योजना तैयार करने के उद्देश्य से एक जिला योजना समिति (जि.यो.स.) के गठन का प्रावधान करता है। आगे, प्रत्येक जि.यो.स. का अध्यक्ष, इन समितियों द्वारा अनुशंसित विकास योजना को राज्य सरकार को अग्रसारित करेगा।

यद्यपि, राज्य के सभी जिलों द्वारा जि.यो.स. का गठन किया गया, पंचम रा.वि.आ. ने पाया कि लाईन विभागों के असहयोग एवं पं.रा.सं., जि.यो.स. की कम क्षमता के कारण 'जिला योजना' पि.क्षे.अ.नि. एवं वित्त आयोग निधि तक ही सीमित था। इस प्रकार, अनुच्छेद 243 जेड.डी. के उद्देश्य एवं बि.पं.रा.अ., 2006 के प्रावधान की प्रतिपूर्ति केवल आंशिक रूप से हुई।

### 1.6 लेखापरीक्षा व्यवस्था

#### 1.6.1 प्राथमिक लेखापरीक्षक

बि.पं.रा.अ., 2006 (मई 2011 में संशोधित) की धारा 31, 59 व 86 भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (नि.म.ले.प.) अथवा इसके प्राधिकृत प्राधिकार द्वारा क्रमशः ग्रा.पं., पं.स. व जि.प. की लेखापरीक्षा एवं लेखापरीक्षा की समाप्ति की तिथि के एक माह के अंदर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की एक प्रति संबंधित पं.रा.सं. को अग्रसारित किए जाने का प्रावधान करता है।

बिहार सरकार ने स्थानीय लेखापरीक्षक (स्था.ले.प.), बिहार को पं.रा.सं. की लेखापरीक्षा के लिए विहित 'प्राधिकार' घोषित (2006) किया। तदनुसार, बिहार के पं.रा.सं. के लेखाओं की लेखापरीक्षा बिहार एवं उड़ीसा स्थानीय निधि अंकेक्षण (स्था.नि.अ.) अधिनियम, 1925 के प्रावधानों के तहत महालेखाकार (लेखापरीक्षा), बिहार के पर्यवेक्षण में स्था.ले.प. के द्वारा किया गया।

2015–16 के दौरान, राज्य के 8,969 पं.रा.सं. में से 1,102 पं.रा.सं. का अंकेक्षण महालेखाकार (लेखापरीक्षा) के अंतर्गत स्था.ले.प. द्वारा किया गया। इसके अतिरिक्त, स्थानीय निकायों (स्था.नि.) का अंकेक्षण, स्था.ले.प. द्वारा अंकेक्षित इकाईयों की व्याप्ति के बिना वित्त विभाग, बिहार के अधीन गठित स्थानीय निधि लेखापरीक्षा निदेशालय (स्था.नि.ले.नि.) द्वारा भी किया गया। स्था.ले.प., महालेखाकार (लेखापरीक्षा) कार्यालय तथा स्था.नि.ले.नि., बि.स. द्वारा लेखापरीक्षित इकाईयों का विवरण नीचे तालिका 1.5 में दर्शाया गया है:

तालिका—1.5: स्था.ले.प., म.ले. (लेखापरीक्षा) एवं स्था.नि.ले.नि., बि.स. द्वारा अंकेक्षण की स्थिति

पं.रा.सं.	इकाईयों की कुल संख्या	स्था.ले.प. द्वारा अंकेक्षित इकाईयों की संख्या	स्था.नि.ले.नि. द्वारा अंकेक्षित इकाईयों की संख्या	स्था.नि.ले.नि. से म.ले. (लेखापरीक्षा) को मार्गदर्शन के लिए प्राप्त प्रतिवेदनों की संख्या
जि.प.	38	38	11	4
पं.स.	534	158	19	4
ग्रा.पं.	8397	906	97	6
<b>कुल</b>	<b>8969</b>	<b>1102</b>	<b>127</b>	<b>14</b>

(चोर: लेखापरीक्षा प्रतिवेदन एवं स्था.नि.ले.नि. द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना)

2015–16 के दौरान, स्था.नि.ले.नि. द्वारा 127 पं.रा.सं<sup>4</sup> का अंकेक्षण किया गया। इनमें से 14 पं.रा.सं. का प्रतिवेदन स्था.ले.प. कार्यालय में मार्गदर्शन के लिए प्राप्त हुए थे (सितंबर 2015)

<sup>4</sup> जि.प. – 11, पं.स. – 19 एवं ग्रा.पं. – 97

एवं इन प्रतिवेदनों पर टिप्पणियों से स्था.नि.ले.नि. को दिसंबर 2015 में अवगत करा दिया गया था।

### **1.6.2 भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा लेखापरीक्षा**

पंचायतों की नि.म.ले.प. द्वारा लेखापरीक्षा किए जाने से संबंधित ग्यारहवीं वित्त आयोग की अनुशंसा पर जोर देते हुए तेरहवीं वित्त आयोग (ते.वि.आ.) ने नि.म.ले.प. को सभी स्था.नि. के प्रत्येक स्तर के लेखापरीक्षा पर तकनीकी मार्गदर्शन एवं सहयोग सौंपे जाने तथा उसके वार्षिक तकनीकी निरीक्षण प्रतिवेदन, नि.स्था.नि.ले. के वार्षिक प्रतिवेदन के साथ राज्य विधायिका के समक्ष प्रस्तुत करने की अनुशंसा की थी। चौदहवें वित्त आयोग ने भी पूर्ववर्ती वित्त आयोगों द्वारा स्था.नि. के लेखाओं के संधारण में सुधार एवं उनके लेखापरीक्षा तथा नि.म.ले.प. द्वारा त.मा.स. व्यवस्था के पहल को जारी रखने की अनुशंसा की थी।

परिणामस्वरूप, बि.स. ने नि.स्था.नि.ले. की स्थापना एवं 11 जून 2015 से इसके कार्यशील होने को अधिसूचित किया (जून 2015)। वित्त विभाग ने सूचित किया (दिसंबर 2015) कि बि.स. ने त.मा.स. के अंतर्गत स्था.नि. की लेखापरीक्षा के लिए लेखापरीक्षा एवं लेखा विनियम, 2007 के तहत मानक नियमों एवं शर्तों को स्वीकार कर लिया है। तकनीकी मार्गदर्शन एवं सहयोग व्यवस्था के अंतर्गत दिसंबर 2016 से अंकेक्षण प्रारंभ किया गया।

### **1.7 लेखापरीक्षा टिप्पणियों पर अनुक्रिया**

#### **1.7.1 निरीक्षण प्रतिवेदनों पर असंतोषप्रद अनुक्रिया**


लेखापरीक्षा के पूर्ण होने के बाद, लेखापरीक्षा निष्कर्षों के साथ निरीक्षण प्रतिवेदनों (नि.प्र.) को संबंधित पं.रा.सं. को तथा एक प्रति राज्य सरकार को भेजे गए थे। जि.प. के मु.का.प., पं.स. के का.प. तथा ग्रा.पं. के मुखिया को नि.प्र. में अंतर्विष्ट प्रेक्षणों पर प्रतिक्रिया देना तथा नि.प्र. की प्राप्ति की तीन महीने के अंदर स्था.ले.प. को अनुपालन प्रतिवेदन भेजना था। परंतु, लेखापरीक्षा कंडिकाओं के अनुपालन की स्थिति संतोषप्रद नहीं थी जो 31 मार्च 2016 को लंबित कंडिकाओं की बढ़ती हुए संख्या से स्पष्ट है। विगत पाँच वर्षों (2011–16) में लंबित कंडिकाओं की विवरणी नीचे तालिका 1.6 एवं चार्ट 1.3 में दर्शाया गया है:

**तालिका – 1.6: पं.रा.सं. में विगत पाँच वर्षों से लंबित अंकेक्षण कंडिकाएँ**

वर्ष	नि.प्र. की सं.	नि.प्र. में कंडिकाओं की संख्या	सम्मिलित राशि (₹ करोड़ में)	निपटान कंडिका ओं की संख्या	निपटान की राशि (₹ करोड़ में)	लंबित कंडिकाओं की संख्या	लंबित कंडिकाओं का मौद्रिक मूल्य (₹ करोड़ में)
1	2	3	4	5	6	7 (3–5)	8 (4–6)
2011–12	518	5447	117.15	3020	0.54	2427	116.61
2012–13	416	7449	92.80	3163	0.44	4286	92.36
2013–14	503	8748	128.12	3487	0.00	5261	128.12
2014–15	574	8528	99.14	4056	59.91	4472	39.23
2015–16	1454	18586	339.01	6207	0.01	12379	338.99
कुल	3465	48758	776.22	19933	60.90	28825	715.31

(स्रोत: स्था.नि. के लेखाओं का निरीक्षण प्रतिवेदन)

### चार्ट 1.3



उपरोक्त तालिका 1.6 एवं चार्ट 1.3 से यह स्पष्ट था कि 2011–16 के दौरान बड़ी संख्या में कंडिकाएँ लंबित रहीं। कुल 48,758 लेखापरीक्षा कंडिकाओं में से केवल 19,933 (41 प्रतिशत) कंडिकाओं का ही निपटान किया गया तथा 31 मार्च 2016 तक ₹ 715.31 करोड़ की राशि के 28,825 कंडिकाएँ निपटारे हेतु लंबित थीं।

लंबित पुराने नि.प्र. तथा इसके कंडिकाओं की वृहत् संख्या एवं इसकी बढ़ती प्रवृत्ति पं.रा.सं. में कमजोर आंतरिक नियंत्रण को झंगित करती है।

#### 1.7.2 स्था.ले.प. के वार्षिक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों का अनुपालन

वित्त विभाग, बिहार सरकार ने स्था.ले.प. के वार्षिक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों की समीक्षा के लिए त्रि-स्तरीय समितियों – उच्च स्तरीय, विभाग स्तरीय एवं जिला स्तरीय का गठन (मार्च 2010) किया था। जिला स्तरीय समिति<sup>5</sup> का उत्तरदायित्व, जिले के पं.रा.सं. एवं श.स्था.नि. से प्राप्त लेखापरीक्षा कंडिकाओं/प्रतिवेदनों के अनुपालन को सुनिश्चित करना है। विभाग स्तरीय समिति<sup>6</sup> को जिला स्तरीय समितियों द्वारा किए गए अनुपालन की स्थिति की समीक्षा करना था। जिला एवं विभाग स्तरीय समितियों के कार्यकलापों की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय समिति<sup>7</sup> की बैठक छः महीने में एक बार होनी थी।

यह पाया गया कि 2015–16 के दौरान पं.रा.सं. से संबंधित सात जिला स्तरीय समिति की बैठक हुई एवं विभाग स्तरीय समिति की केवल एक बैठक जुलाई 2015 में संपन्न हुई थी जबकि, उच्च स्तरीय समिति की बैठक अगस्त 2013 से नहीं हुई थी। इस प्रकार, त्रि-स्तरीय समिति के गठन का उद्देश्य विफल रहा।

#### 1.7.3 स्थानीय निकायों पर प्रतिवेदन की स्थिति

बिहार पंचायत राज (संशोधन) अधिनियम, 2011 की धारा 31(4), 59(4) तथा 86(4) के अनुसार, भारत के नि.म.ले.प. अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत प्राधिकार का वार्षिक प्रतिवेदन राज्य विधायिका के दोनों सदनों के पटल पर रखा जाएगा। मार्च 2013 एवं मार्च 2014 को समाप्त हुए वर्ष के लिए स्थानीय निकायों पर स्था.ले.प. के वार्षिक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों को राज्य के दोनों सदनों के समक्ष 11 मार्च 2016 को उपस्थापित किया गया। परंतु, जनवरी 2017 तक स्था.ले.प. के प्रतिवेदन पर चर्चा की व्यवस्था नहीं की गयी थी।

<sup>5</sup> जिलाधिकारी/उप विकास आयुक्त की अध्यक्षता में

<sup>6</sup> प्रधान सचिव/सचिव, पं.रा.वि., बिहार सरकार की अध्यक्षता में

<sup>7</sup> वित्त विभाग के प्रधान सचिव, बिहार सरकार की अध्यक्षता में व प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) एक सदस्य के रूप में

मार्च 2016 को समाप्त हुए वर्ष के लिए स्था.नि.–बि.स. पर नि.म.ले.प. के प्रथम प्रतिवेदन को राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों के पटल पर 4 अप्रैल 2016 को रखा गया एवं बि.स. ने लोक लेखा समिति (लो.ले.स.) में प्रतिवेदन पर चर्चा करने का निर्णय लिया जिसने चार कंडिकाओं पर चर्चा (दिसंबर 2016) की परस्तु, संबंधित विभाग के समुचित जवाब के अभाव में कोई अंकेक्षण टिप्पणी निरस्त नहीं की गई थी।

### जवाबदेही तंत्र एवं वित्तीय प्रतिवेदन मामले

#### 1.8 जवाबदेही तंत्र

##### 1.8.1 लोकप्रहरी (लोकपाल)

बि.पं.रा.अ., 2006 की धारा 152(5) के अनुसार, पंचायतों एवं ग्राम कचहरी के लिए लोक प्रहरी (लोकपाल) की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा की जानी है। महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) की मार्गदर्शिका, एक लोकप्रहरी (लोकपाल) की नियुक्ति दो वर्ष की अवधि के लिए जो संतोषजनक निष्पादन के आधार पर एक वर्ष तक या 65 वर्ष की आयु तक जो भी पहले हो विस्तार किया जा सकता है तथा पारदर्शिता एवं जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए मनरेगा के अंतर्गत शिकायतों के निवारण हेतु इसके कार्यालय की स्थापना का प्रावधान करता है।

हालाँकि, पंचायतों व ग्राम कचहरियों के लिए लोकप्रहरी (लोकपाल) की नियुक्ति से संबंधित बिहार स्थानीय सरकार लोकपाल नियमावली 2011 के प्रारूप को अंतिम रूप नहीं दिया गया। अतः, जनवरी 2017 तक पं.रा.वि. द्वारा पं.रा.सं. के लिए लोकप्रहरी (लोकपाल) की नियुक्ति नहीं की गयी थी।

मनरेगा के लिए लोकप्रहरी (लोकपाल) के संबंध में ग्रामीण विकास विभाग (ग्रा.वि.वि.) ने सूचित किया (नवंबर 2016) कि 23 जिलों में लोकपाल कार्य कर रहे थे तथा शेष 15 जिलों में लोकप्रहरी (लोकपाल) की नियुक्ति प्रक्रियाधीन थी।

इस प्रकार, लोकप्रहरी (लोकपाल) के द्वारा योजनाओं (मनरेगा के अलावा) से संबंधित शिकायतों का निवारण नहीं किया गया जैसा कि बि.पं.रा.अ., 2006 में प्रावधानित था।

##### 1.8.2 सामाजिक अंकेक्षण

सामाजिक अंकेक्षण का मूल उद्देश्य परियोजनाओं, कानूनों एवं नीतियों के कार्यान्वयन में लोक जवाबदेही को सुनिश्चित करना है।

बिहार सरकार ने मनरेगा के अंतर्गत कार्यों के सामाजिक अंकेक्षण के लिए 69 विभिन्न पदोंवाली एक स्वतंत्र सामाजिक अंकेक्षण समिति के गठन की स्वीकृति दिया था (जुलाई 2015)। ग्रा.वि.वि., बि.स. द्वारा प्रदत्त सूचना के अनुसार, वर्ष 2015–16 के दौरान 2,100 ग्रा.पं. में संबंधित ग्राम सभा द्वारा 3,544 सामाजिक अंकेक्षण किया गया। इन सामाजिक अंकेक्षणों का संचालन मुख्यतः मनरेगा के कर्मियों द्वारा किया गया था तथा ग्राम सभाओं का आयोजन जिला प्रशासन द्वारा नियुक्त एक पर्यवेक्षक की उपस्थिति में किया गया था।

ग्रा.वि.वि. के सचिव ने जवाब दिया (जून 2016) कि सामाजिक अंकेक्षण प्रतिवेदन ग्रा.पं. एवं जिलों के पास थे तथा राज्य को सामाजिक अंकेक्षण का कोई प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हुआ क्योंकि तब तक राज्य में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी।

मनरेगा आयुक्त ने राज्य के सभी जि.प.–सह–जिला कार्यक्रम समन्वयकों को वर्ष 2013–14 से ग्रा.प. के सामाजिक अंकेक्षण प्रतिवेदनों को तैयार करने के लिए पंचायती

राज मंत्रालय (प.रा.म), भा.स. द्वारा तैयार किए गए मानक प्रचालन प्रक्रिया को अपनाए जाने हेतु निर्देशित किया (जुलाई 2013)।

तदनुसार, 2013–16 की अवधि के लिए ग्रा.पं. द्वारा सामाजिक अंकेक्षण प्रतिवेदन विहित प्रारूप में तैयार किए गए एवं प.रा.म. के वेबसाईट पर अपलोड किए गए।

### 1.8.3 उपयोगिता प्रमाण पत्र का प्रेषण

बि.स. के अनुदेशों सह पठित बिहार वित्तीय नियमावली (बि.वि.नि.) की धारा 342 में निहित प्रावधानों के अनुसार, विशिष्ट उद्देश्यों हेतु संस्वीकृत अनुदानों के लिए उपयोगिता प्रमाण पत्र (उ.प्र.प.) के समर्पित किए जाने की समय–सीमा अनुदान के आवंटन की तिथि से 18 महीने थी। यह पाया गया कि प.रा.वि. ने प.रा.सं. को वर्ष 2007–08 से 2015–16 के दौरान ते.वि.आ., मुख्यमंत्री ग्रामोदय योजना (मु.मं.ग्रा.यो.), चतुर्थ रा.वि.आ. फर्नीचर व उपस्कर शीर्ष इत्यादि के अंतर्गत ₹ 14,025.96 करोड़ की अनुदान राशि विमुक्त किया था। परंतु, जुलाई 2016 तक प.रा.सं. द्वारा केवल ₹ 7,101.25 करोड़ (50.62 प्रतिशत) का ही उ.प्र.प. समर्पित किया गया था। विवरणी नीचे तालिका 1.7 में दर्शाया गया है:

**तालिका—1.7: 2007–16 के दौरान आवंटित निधियों हेतु प.रा.सं. द्वारा समर्पित उपयोगिता प्रमाण पत्र**

क्र. सं.	शीर्ष	कुल आवंटन	अवधि	समर्पित किए गए उ.प्र.प.	समर्पित नहीं किए गए उ.प्र.प.	(₹ करोड़ में) समर्पित किए गए उ.प्र.प. का प्रतिशत
1.	ते.वि.आ.	4810.74	2010–11 से 2014–15	2676.41	2134.33	56
2.	मु.मं.ग्रा.यो.	267.70	2012–13 से 2014–15	43	224.70	16
3.	च.रा.वि.आ.	2118.61	2011–12 से 2014–15	1016.95	1101.66	48
4.	प.रा.सं. सदस्य को भत्ता	492.46	2008–09 से 2015–16	10.30	482.16	2
5.	ग्राम कचहरी के लिए फर्नीचर एवं उपस्कर	14.00	2008–09 से 2015–16	शून्य	14.00	शून्य
6.	रा.गा.पं.स.अ.	83.71	2013–14 से 2014–15	4.71	79.00	6
7.	पि.क्षे.आ.नि. के अंतर्गत आईटी प्रकोष्ठ	9.26	2013–14 से 2014–15	5.48	3.78	59
8.	पि.क्षे.आ.नि. मूल अनुदान	3960.30	2007–08 से 2014–15	3140.46	819.84	79
9.	चौ.वि.आ.	2269.18	2015–16	203.94	2065.24	8.99
<b>कुल</b>		<b>14025.96</b>		<b>7101.25</b>	<b>6924.71</b>	<b>50.62</b>

(स्रोत: प.रा.वि., बि.स. द्वारा उपलब्ध करायी गयी जानकारी)

कुल ₹ 6,924.71 करोड़ राशि के उ.प्र.प. एक वर्ष से आठ वर्षों की अवधि के लिए समर्पित नहीं किए गए थे तथा फर्नीचर एवं उपस्कर शीर्ष जिसकी कोई उपयोगिता समर्पित नहीं की गयी थी, को छोड़कर अनुदानों की उपयोगिता के प्रतिशत का परास दो से उनासी प्रतिशत के बीच था। यह कमजोर आंतरिक नियंत्रण एवं निधियों के संभावित दुरुपयोग को इंगित करता था।

### 1.8.4 प्रमुख केंद्र प्रायोजित योजनाओं के अंतर्गत अनुदानों की उपयोगिता

प्रमुख केंद्र प्रायोजित योजनाओं (के.प्रा.यो.) के अंतर्गत अनुदानों की उपयोगिता का विवरण नीचे तालिका 1.8 में दिया गया है:

**तालिका–1.8: प्रमुख के.प्रा.यो. के अंतर्गत अनुदानों की उपयोगिता**

क्र. सं.	अनुदान/ योजना	वर्ष	उपलब्ध निधि	उपयोगिता (₹ करोड़ में)	
				उपयोगिता	उपयोगिता का प्रतिशत
1.	मनरेगा	2011–12	2566.45	1668.69	65
		2012–13	2377.68	1971.13	83
		2013–14	2344.22	2038.48	87
		2014–15	1374.24	1090.88	79
		2015–16	1897.31	1606.16	85
2.	पि.क्षे.अ.नि.	2011–12	1172.08	457.88	39
		2012–13	1179.82	546.34	46
		2013–14	1162.36	786.80	68
		2014–15	740.00	280.23	38
3	रा.गां.पं.स.अ.	2013–14	8.61	2.30	27
		2014–15	81.43 <sup>#</sup>	2.41	3
		2015–16	79.00	शून्य	शून्य

(स्रोत: ग्रा.वि.वि, बिहार सरकार का वार्षिक प्रतिवेदन, पं.रा.वि. एवं ग्रा.वि.वि, बिहार सरकार द्वारा उपलब्ध कराए गए आँकड़े)

टिप्पणी: पि.क्षे.अ.नि. को केंद्र सरकार की सहायता से प्रभावी तौर पर 2015–16 में अलग कर दिया गया।

# ₹ 20.58 करोड़ के राज्यांश सहित

पि.क्षे.अ.नि. के अंतर्गत उपयोगिता 68 प्रतिशत (2013–14) से घटकर 38 प्रतिशत (2014–15) हो गयी। अनुश्रवण पदाधिकारी, पं.रा.वि. ने जवाब दिया (अक्टूबर 2016) कि उपयोगिता का प्रतिशत अगस्त 2016 तक सुधर कर 81 प्रतिशत हो गया था। 2013–15 के दौरान राजीव गांधी पंचायत सशक्तिकरण अभियान (रा.गां.पं.स.अ.) के उपयोगिता की स्थिति तीन से सत्ताईस प्रतिशत के बीच थी जबकि 2015–16 के दौरान प्राप्त अनुदान के लिए कोई उपयोगिता समर्पित नहीं की गयी थी।


### 1.9 वित्तीय प्रतिवेदन मामले

#### 1.9.1 निधि के स्रोत

##### 1.9.1.1 वित्त के स्रोत

पं.रा.सं. के संसाधन के स्रोतों में कर एवं गैर-कर राजस्वों के संग्रहण से प्राप्त स्वयं के राजस्व, राज्य एवं केंद्रीय वित्त आयोग की अनुशंसा के अनुसार निधियों का प्रतिनिधायन, रखरखाव एवं विकास उद्देश्यों हेतु केंद्रीय व राज्य सरकार द्वारा अनुदान राशि तथा अन्य प्राप्तियाँ सम्मिलित हैं। बि.पं.रा.अ., 2006 की धारा 27, 55 तथा 82 के अनुसार पं.रा.सं., राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित अधिकतम दर के अधीन होल्डिंग्स, पेशाओं पर करारोपण तथा टॉल, शुल्कों एवं दरों को अध्यारोपित कर सकती है। पं.रा.सं. के वित्त स्रोतों का फलो चार्ट नीचे चार्ट 1.4 में दर्शाया गया है।

### चार्ट – 1.4: वित्त के स्रोत



(स्रोत: बि.प.रा.अ, 2006 की धारा 27, 55 तथा 82)

परंतु, पं.रा.सं. के पास स्वयं का कोई कर राजस्व नहीं था क्योंकि राज्य सरकार ने जनवरी 2017 तक करों, टॉल तथा शुल्कों इत्यादि के अधिकतम दर को अधिसूचित नहीं किया था। पं.रा.सं. के तीनों स्तरों में से मात्र जि.प. के पास दुकानों, निरीक्षण बगलों के किराया, तालाबों/बस पड़ावों की बंदोबस्ती इत्यादि के रूप में कुछ गैर-कर राजस्व के स्रोत थे जबकि पं.स. तथा ग्रा.प. के पास स्वयं के कोई राजस्व स्रोत नहीं थे। हालाँकि, पं.रा.सं. द्वारा करों के संग्रहण हेतु राज्य स्तर पर विनियम तैयार किया जाना प्रक्रियाधीन था।

#### 1.9.1.2 केंद्र/राज्य प्रायोजित योजनाओं में निधि प्रवाह व्यवस्था

प्रमुख केंद्र/राज्य प्रायोजित योजनाओं में निधियों के प्रवाह व्यवस्था को नीचे तालिका 1.9 में दर्शाया गया है:

#### तालिका – 1.9: केंद्रीय/राज्य प्रायोजित योजनाओं की निधि प्रवाह व्यवस्था

क्र. सं.	योजना का नाम	निधि प्रवाह व्यवस्था
1.	मनरेगा	मनरेगा में इलेक्ट्रॉनिक निधि प्रबंधन प्रणाली (ई-एफ.एम.एस) शुरू किया गया है। इस प्रणाली में निधियों को राज्य स्तर पर एक खाते (ई-एफ.एम.एस डेबिट खाता) में रखा जाता है जो सभी कार्यान्वयन स्तरों से इलेक्ट्रॉनिक रूप से जुड़ा हुआ है। कार्यान्वयन एजेंसी, कार्य एवं मस्टर रॉल के विधिवत सत्यापन के पश्चात् राज्य स्तरीय खाते को डेबिट करते हुए सीधे लाभार्थी के खाते में मजदूरी का अंतरण करने हेतु एक इलेक्ट्रॉनिक निधि अंतरण आदेश (एफ.टी.ओ.) निर्गत करते हैं।
2.	चौ.वि.आ.	अनुदान दो किस्तों में प्रतिवर्ष जून एवं अक्टूबर में विमुक्त किया जायेगा जिसे केंद्र सरकार से प्राप्ति के 15 दिनों के अंदर ग्रा.प. को हस्तांतरित किया जाना है। अनुदान की राशि सीधे ग्रा.प. के खातों में हस्तांतरित किया जाना है।
3.	पं.रा.वि.आ.	पंचम रा.वि.आ. के अनुदानों को इलेक्ट्रॉनिक निधि अंतरण एवं कोर बैंकिंग प्रणाली के माध्यम से संबंधित पं.रा.सं. के बैंक खातों में विमुक्त किया जायेगा। 2014–15 के संशोधित/वास्तविक ऑकड़ों के आधार पर वर्ष 2015–16 के लिए, अनुदान को एकमुश्त विमुक्त किया जाना है। अनुवर्ती वर्षों में, विगत वर्ष के लेखाओं को समर्पित किए जाने के पश्चात विगत वर्ष के संशोधित/वास्तविक ऑकड़ों के आधार पर हस्तांतरित निधियों के 50 प्रतिशत का प्रथम आवंटन अप्रैल में एवं द्वितीय किस्त अक्टूबर में विमुक्त किया जाएगा।



पंचम रा.वि.आ. का गठन 2015–20 की अवधि के लिए दिसंबर 2013 में किया गया था तथा इसका प्रतिवेदन 31 मार्च 2015 को सौंपा जाना था जिसे 10 महीने के विलंब से समर्पित (2 फरवरी 2016) किया गया था।

पंचम रा.वि.आ. की अनुशंसाओं के अनुसार, पं.रा.सं. को जलापूर्ति, स्वच्छता, स्मार्ट पंचायत ई—गवर्नेंस, पंचायत सरकार भवन इत्यादि पर व्यय हेतु दो प्रकार की राशि (i) राज्य के निवल कर राजस्व का अंश (ii) अनुदान के रूप में राशि, विमुक्त किया जाना है। ग्रा.पं., पं.स. तथा जि.प. में राशि का वितरण क्रमशः 70:10:20 के अनुपात में किया जाना था। बि.स. ने 2015–16 के दौरान पं.रा.सं. को ₹ 1,822.88 करोड़ राशि विमुक्त किए जाने का प्रावधान किया था परंतु, जनवरी 2017 तक अनुदानों की विमुक्ति नहीं हुई थी।

### 1.9.3 केंद्रीय वित्त आयोग की अनुशंसाएँ

भारतीय संविधान की धारा 280 (3)(बीबी) एवं 280 (3)(सी), वित्त आयोग को पंचायतों एवं नगरपालिकाओं के संसाधनों की पूर्ति हेतु राज्य के संचित निधि की अभिवृद्धि के उपायों की अनुशंसा का अधिकार प्रदान करता है।

#### तेरहवां वित्त आयोग

तेरहवां वि.आ. ने राज्यों के हिस्से के अतिरिक्त स्थानीय निकायों को विगत वर्षों के करों के पूल के प्रतिशत के रूप में सहायता अनुदान की अनुशंसा की। बि.स. ने 2010–15 की अवधि के लिए ₹ 4,810.74 करोड़ की राशि का आवंटन प्राप्त किया तथा इसमें से, जुलाई 2016 तक पं.रा.सं. ₹ 2,676.41 करोड़ (56 प्रतिशत) राशि का ही उपयोग कर सकी एवं ₹ 2,134.33 करोड़ राशि शेष थी। ते.वि.आ. की अनुशंसा के अनुसार, भा.स. से अनुदान प्राप्ति के 15 दिनों के अंदर अनुदान राशि पं.रा.सं. को विमुक्त कर दिया जाना था जिसे नहीं किए जाने पर राज्य सरकार को 15 दिनों से ज्यादा हुए विलंब के लिए दंडात्मक ब्याज स्वयं के संसाधनों द्वारा पं.रा.सं. को भुगतान किया जाना था। यह पाया गया कि वर्ष 2014–15 के लिए भा.स. द्वारा ₹ 167.75 करोड़ के निष्पादन अनुदान की राशि 31 मार्च 2015 को विमुक्त की गयी थी तथा बि.स. ने 6 अप्रैल 2015 को अनुदान राशि पं.रा.सं. को स्वीकृत किया परंतु, इसे पं.रा.सं. को 133 दिनों के विलंब से विमुक्त (2 सितंबर 2015) किया गया। फलस्वरूप, बि.स. ने दंडात्मक ब्याज के रूप में ₹ 4.43 करोड़ के परिहार्य दायित्व का सृजन किया।

#### चौदहवां वित्त आयोग

चौदहवां वि.आ. ने प्रदत्त अवधि 2015–20 के दौरान विधिवत रूप से गठित ग्रा.पं. व नगरपालिकाओं के लिए दो भागों में अनुदानों—(क) मूल अनुदान (ख) निष्पादन अनुदान की अनुशंसा की थी। अनुदान प्रत्येक वर्ष दो किश्तों में (जून एवं अक्टूबर) विमुक्त किया जाना था। ग्रा.पं. के मामले में, अनुदान का 90 प्रतिशत मूल अनुदान होगा व 10 प्रतिशत निष्पादन अनुदान होगा। निष्पादन अनुदान की पात्रता, प्रदत्त अवधि के दूसरे वर्ष से यानी 2016–17 से हो सकती है।

बि.स. को 2015–20 की अवधि के लिए ₹ 18,916.05 करोड़ के मूल अनुदान की पात्रता थी तथा 2016–20 की अवधि के लिए ₹ 2,101.78 करोड़ के निष्पादन अनुदान की पात्रता थी। 2015–16 की अवधि के लिए ₹ 2,269.18 करोड़ के मूल अनुदान की पात्रता के विरुद्ध बि.स. ने पूर्ण राशि प्राप्त की परंतु उपयोगिता प्रमाण—पत्र के समर्पण में विलंब की वजह से दूसरे किस्त की प्राप्ति पाँच महीनों के विलंब से हुई। यद्यपि 2016–17 की अवधि के लिए प्रथम किस्त जून 2016 में देय थी परंतु, इसे पं.रा.सं. को छः महीने के विलंब से विमुक्त (दिसंबर 2016) किया गया।

## 1.9.4 अभिलेखों का संधारण

### 1.9.4.1 बजट

बिहार पंचायत समिति एवं जिला परिषद (बजट एवं लेखा) नियमावली, 1964, के नियम 14 के अनुसार जि.प. का वार्षिक बजट प्राक्कलन, इसके विगत तीन वर्षों के वास्तविक आय एवं व्यय के आधार पर बनाया जाना है। जिला परिषद का बजट 20 फरवरी से पूर्व परिषद के द्वारा अनुमोदित किया जाना है तथा इस प्रकार तैयार एवं अनुमोदित बजट 1 मार्च के पूर्व राज्य सरकार को भेजा जाएगा। आगे, नियम 16 जि.प. को बिना बजट प्रावधान के व्यय करने को प्रतिबंधित करता है।

दस लेखापरीक्षित जि.प.<sup>10</sup> के अभिलेखों की जाँच में पाया गया कि पाँच जि.प.<sup>11</sup> ने 2015–16 की अवधि के लिए बजट तैयार नहीं किया था जबकि शेष पाँच जि.प. में, वर्ष 2015–16 के लिए बजट संबंधित परिषदों द्वारा तीन से ग्यारह महीने के विलंब से पारित किया गया था। पाँच जि.प. जिन्होंने बजट तैयार किया था, में से जि.प. बाँका ने पारित बजट राज्य सरकार को जुलाई 2016 तक समर्पित नहीं किया था जबकि जि.प. मुंगेर, नालंदा एवं पश्चिम चंपारण ने अपना अपना बजट चार से नौ महीनों के विलंब से राज्य सरकार को समर्पित किया।

जि.प. किशनगंज, मुजफ्फरपुर एवं पूर्णिया ने जवाब दिया (जून–सितम्बर 2016) कि कर्मचारियों की कमी की वजह से बजट तैयार नहीं हो सका। जि.प. गोपालगंज ने जवाब दिया (जून 2016) कि बजट का प्रारूप एवं बजट बनाने का दिशा–निर्देश विभाग/सरकार द्वारा उपलब्ध नहीं कराया गया तथा जि.प. समस्तीपुर ने जवाब दिया (जुलाई 2016) कि वर्ष 2016–17 के लिए बजट तैयार किया जा रहा था।

बिना बजट के व्यय करना एक स्वस्थ वित्तीय व्यवहार नहीं है क्योंकि यह आय एवं व्यय पर नियंत्रण प्रक्रिया को कमजोर करने के अतिरिक्त, संसाधनों की प्राथमिकता के महत्व को गौण करता है। राज्य स्तर पर उच्च स्तरीय समिति ने पं.रा.वि. को सितंबर 2013 तक पं.रा.सं. के लिए बजट एवं लेखा नियमावली तैयार करने का निर्देश दिया था परंतु, जनवरी 2017 तक नियमावली की तैयारी प्रक्रियाधीन था।

### 1.9.4.2 अभिलेखों का संधारण

बिहार पंचायत समिति एवं जिला परिषद (बजट एवं लेखा) नियमावली, 1964 का नियम 40 पारदर्शिता एवं उत्तरदायित्व के लिए मूल दस्तावेजों, पंजियों एवं लेखाओं के संधारण को निर्धारित करता है।

अभिलेखों की जाँच (2015–16) में पाया गया कि राज्य के 38 जि.प. में से छः लेखा परीक्षित जि.प. ने मूल कुंजी दस्तावेजों<sup>12</sup> यथा: अनुदान पंजी, परिसंपत्ति पंजी, दैनिक वसूली पंजी, रोकड़पाल रोकड़बही इत्यादि का संधारण नहीं किया था। आगे, राज्य के 8,931 पं.स. एवं ग्रा.प. में से 1,064 नमूना जांचित पं.स. एवं ग्रा.प. ने मूल अभिलेखों का संधारण नहीं किया। मूल अभिलेखों के संधारण में विफलता के कारण अनुश्रवण की कमी हो सकती है एवं लेखापरीक्षा में लेखापरीक्षित इकाईयों की वास्तविक वित्तीय स्थिति को

<sup>10</sup> बाँका, बक्सर, गोपालगंज, किशनगंज मुंगेर, मुजफ्फरपुर, नालंदा, पूर्णिया, समस्तीपुर एवं पश्चिम चंपारण

<sup>11</sup> गोपालगंज, किशनगंज, मुजफ्फरपुर पूर्णिया एवं समस्तीपुर

<sup>12</sup> परिसंपत्ति पंजी—बक्सर, पटना, रोहतास, पश्चिमी चंपारण, रोकड़पाल रोकड़बही—पश्चिमी चंपारण; दैनिक संग्रहण पंजी — मुंगेर व रोहतास; अनुदान पंजी — बक्सर, नालंदा, पटना रोहतास, समस्तीपुर व पश्चिमी चंपारण; भंडार पंजी — रोहतास; अग्रिम खाता बही — बक्सर, रोहतास एवं पश्चिमी चंपारण

सुनिश्चित नहीं किया जा सका। जि.प. के मु.का.प. ने जवाब दिया कि कर्मियों की कमी के कारण अभिलेखों का संधारण नहीं किया गया था।

#### 1.9.4.3 वार्षिक लेखा

बिहार पंचायत समिति एवं जिला परिषद (बजट एवं लेखा) नियमावली, 1964 का नियम 94 अनुबंधित करता है कि वर्ष की समाप्ति के बाद यथाशीघ्र एवं 15 अप्रैल तक, वर्ष की कुल प्राप्तियों एवं व्यय की प्रविष्टि वार्षिक लेखा के विहित प्रारूप में की जाएगी।

परंतु, सात लेखापरीक्षित जि.प.<sup>13</sup> ने वर्ष 2015–16 के लिए वार्षिक लेखा तैयार नहीं किया था। परिणामस्वरूप, शीर्षवार प्राप्तियाँ एवं व्यय आकलित करना संभव नहीं था तथा बजट प्रावधान के साथ इसकी तुलना भी संभव नहीं थी।

#### 1.9.5 शेषों का समाधान

बिहार पंचायत समिति एवं जिला परिषद (बजट एवं लेखा) नियमावली, 1964 के नियम 80(क) से (घ) के अनुसार, प्रत्येक माह के अंत में रोकड़बही में शेषों के समाधान को दर्शाती विवरणी बनायी जानी चाहिए। अवधि 2015–16 के लिए अभिलेखों की जाँच में पाया गया कि तीन जि.प.<sup>14</sup> में समाधान विवरणी नहीं बनाया गया था तथा 31 मार्च 2016 तक तेरहवीं वित्त आयोग, चतुर्थ रा.वि.आ. व. पि.क्षे.अ.नि. के रोकड़बही शेष तथा बैंक शेष में कुल ₹ 87.17 लाख का अंतर था। अंतर का समाशोधन नहीं होना, निधियों के दुरुपयोग के जोखिम से भरा था।

#### 1.9.6 पं.रा.सं. द्वारा लेखाओं का संधारण

##### 1.9.6.1 पं.रा.सं. द्वारा लेखाओं का संधारण

पंचायतों को लेखाओं का संधारण बि.पं.रा.अ. 2006 की धारा 30, 58 एवं 85 के अनुसार करना था। वर्तमान बि.पं.रा.अ. के अंतर्गत कोई अलग नियम नहीं बनाए गए थे तथा बि.प.रा.अ., 1947 तथा पंचायत समिति एवं जिला परिषद (बजट एवं लेखा) नियमावली, 1964 का अनुसरण किया जा रहा था। पं.रा.सं. के लिए पुनर्रक्षित बजट एवं लेखा नियमावली सितंबर 2013 तक तैयार कर लिया जाना था परंतु, पं.रा.सं के लिए बजट एवं लेखा नियमावली तैयार नहीं की गई थी (जनवरी 2017)। छ: लेखापरीक्षित जि.प.<sup>15</sup> में लेखाओं का संधारण एकल प्रविष्टि प्रणाली में किया जा रहा था। पं.रा.सं. नकद आधारित एकल प्रविष्टि प्रणाली में लेखाओं का संधारण कर रहे थे।

##### 1.9.6.2 मानक लेखांकन प्रणाली एवं प्रियासॉफ्ट

मानक लेखांकन प्रणाली (मा.ले.प्र.) भारत के नि.म.ले.प. से परामर्श कर भारत सरकार द्वारा समुचित नियंत्रण तथा बेहतर उत्तरदायित्व के लिए विहित (2009) की गई थी। तदनुसार, पं.रा.वि., बि.स. ने अधिसूचित किया (जुलाई 2010) कि पं.रा.सं. द्वारा 1 अप्रैल 2010 से लेखाओं का संधारण मा.ले.प्र. प्रपत्र<sup>16</sup> में किया जाएगा। बिहार में, मा.ले.प्र. का कार्यान्वयन राष्ट्रीय सूचना केंद्र (रा.सू.के.) द्वारा विकसित पंचायती राज संस्थान लेखांकन सॉफ्टवेयर

<sup>13</sup> औरंगाबाद, बक्सर, मुंगेर, मुजफ्फरपुर, पटना, रोहतास एवं पश्चिमी चंपारण

<sup>14</sup> बक्सर (₹ 5.04 लाख), गोपालगंज (₹ 40.67 लाख) एवं मुजफ्फरपुर (₹ 41.46 लाख)

<sup>15</sup> औरंगाबाद, मुंगेर, मुजफ्फरपुर, पटना, रोहतास एवं पश्चिमी चंपारण

<sup>16</sup> प्रपत्र – I: वार्षिक प्राप्ति एवं भुगतान लेखा; प्रपत्र – II: समेकित सार पंजी; प्रपत्र – III: मासिक समाधान विवरणी; प्रपत्र – IV: प्राप्त एवं भुगतान विवरणी; प्रपत्र – V: अचल संपत्ति पंजी; प्रपत्र – VI: चल संपत्ति पंजी; प्रपत्र – VII: वस्तुसूची पंजी; तथा प्रपत्र – VIII: मांग एवं वसूली पंजी

(प्रियासॉफ्ट) द्वारा किया गया था। इसका उद्देश्य मा.ले.प्र. के माध्यम से पं.रा.सं. के तीनों स्तरों के लेखाओं का कंप्यूटरीकरण करना था। यह पाया गया कि 2014–15 तक लेखांकन कार्य प्रियासॉफ्ट पर किए गए तथा कुल आठ मा.ले.प्र. प्रपत्रों में से केवल तीन प्रारूपों<sup>17</sup> ही तैयार किए जा रहे थे। हालाँकि, 17 अप्रैल 2015 से प्रियासॉफ्ट में लेखांकन कार्य बंद हो गया और इसके पश्चात ई–पंचायत मॉड्यूल में लेखांकन कार्य प्रारम्भ हुआ।

इस प्रकार, मा.ले.प्र. के अंगीकरण के छः वर्ष बीत जाने के बाद भी मा.ले.प्र. प्रपत्र में लेखाओं का संधारण लागू नहीं हुआ।

### 1.9.7 लेखापरीक्षा की उपलब्धि

वर्ष 2015–16 के दौरान किए गए लेखापरीक्षा के दौरान चार पं.रा.सं<sup>18</sup> में संबंधित व्यक्तियों से ₹ 8.12 लाख की वसूली की गई।

### 1.9.8 उत्तम व्यवहार

जीविका गरीबी उन्मूलन के लिए राज्य सरकार का एक पहल है। बिहार ग्रामीण आजीविका संवर्धन समाज (बि.ग्रा.अ.सं.स.) राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (रा.ग्रा.आ.मि.) के समग्र ढाँचे के अंतर्गत कार्य कर रहा है एवं जीविका योजना का कार्यान्वयन कर रहा है। सितंबर 2015 के अंत तक 47 लाख निर्धन परिवारों को 4.40 लाख स्वयं सेवी समूहों (स्व.से.स) में संगठित किया गया था। इन स्व.से.स में से 60 प्रतिशत को 21,529 ग्रामीण संगठनों में संघबद्ध किया गया था।

<sup>17</sup> प्रपत्र – I, II एवं III

<sup>18</sup> ग्रा.पं. – कचियाना (₹ 4.14 लाख), पं.स.– खिजरसराय (₹ 1.57 लाख), कुमारखंड (₹ 0.50 लाख) एवं जि.प. – पश्चिम चंपारण (₹ 1.91 लाख)

**अध्याय – II**  
**अनुपालन लेखापरीक्षा**

## अध्याय-II

### अनुपालन लेखापरीक्षा

#### पंचायती राज विभाग

##### 2.1 पंचायती राज संस्थाओं में चतुर्थ राज्य वित्त आयोग की अनुशंसाओं का कार्यान्वयन

###### 2.1.1 परिचय

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 आई तथा बिहार पंचायत राज अधिनियम (बि.पं.रा.अ.), 2006 की धारा 168 के अनुसरण में बिहार सरकार (बि.स.) ने पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए जून 2007 में चतुर्थ राज्य वित्त आयोग (चतुर्थ रा.वि.आ.) का गठन किया। चतुर्थ रा.वि.आ. ने राज्य द्वारा लगाए जानेवाले करों, चुंगियों एवं शुल्कों से प्राप्त निवल राजस्व का राज्य एवं पंचायतों के बीच वितरण को अधिशासित करनेवाले सिद्धांतों की अनुशंसा की। चतुर्थ रा.वि.आ. ने पंचायती राज संस्थाओं (पं.रा.सं.) को स्थानीय स्वशासन की संस्थाओं के रूप में सशक्त रूप से कार्य करने योग्य बनाने हेतु 17 अनुशंसाएं की (जून 2010)।

वर्ष 2011–16 की लेखापरीक्षा अवधि के लिए जून से सितंबर 2016 के दौरान चार जिला परिषद (जि.प.), 16 पंचायत समितियों (पं.स.) एवं 49 ग्राम पंचायतों (ग्रा.पं.) के लेखाओं की नमूना लेखापरीक्षा की गयी।

लेखापरीक्षा का प्रारंभ 9 मई 2016 को सचिव, पं.रा.वि., बि.स. के साथ अंतर्गमन सम्मेलन से हुआ। बहिर्गमन सम्मेलन 3 फरवरी 2017 को विभाग के सचिव के साथ हुआ जिसमें लेखापरीक्षा निष्कर्ष पर विचार–विमर्श किया गया तथा विभाग के जवाब को प्रतिवेदन में समुचित स्थानों पर समाविष्ट किया गया है।

###### लेखापरीक्षा निष्कर्ष

पंचायती राज संस्थाओं के संदर्भ में चतुर्थ रा.वि.आ. द्वारा किए गए सभी 17 अनुशंसाओं को राज्य सरकार द्वारा स्वीकार किया गया (परिशिष्ट-2.1)। तथापि, चार अनुशंसाओं को अक्षरशः लागू किया गया एवं 10 अनुशंसाओं को संशोधनों के साथ कार्यान्वित किया गया जबकि तीन अनुशंसाओं पर कोई कार्रवाई नहीं की गयी थी।

##### 2.1.2 अक्षरशः कार्यान्वित अनुशंसाएं

चतुर्थ रा.वि.आ. ने पं.रा.सं. और शहरी स्थानीय निकायों को निधियों के आवंटन एवं तदनुसार त्रिस्तरीय पं.रा.सं. को इसकी विमुक्ति के संबंध में चार अनुशंसाएं की जो निम्न प्रकार हैं:

स्थानीय निकायों को राज्य कर के कुल हिस्से का 70 प्रतिशत पं.रा.सं. को एवं 30 प्रतिशत श.स्था.नि. को प्रतिनिधायित की जानी चाहिए। पं.रा.सं. को राज्य कर के कुल अंतरित हिस्से में से ग्रा.पं. को 70 प्रतिशत, पं.स. को 20 प्रतिशत एवं जि.प. को 10 प्रतिशत के अनुपात में वितरित किया जाना चाहिए। जि.प. के 10 प्रतिशत हिस्से को जिले की आबादी के एकमात्र अर्हता के आधार पर जि.प. के बीच वितरित किया जाना चाहिए। ग्रा.पं. का 70 प्रतिशत हिस्सा सभी ग्रा.पं. में समान रूप में वितरित किया जाना चाहिए।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि राज्य सरकार द्वारा उपरोक्त अनुशंसाओं को अक्षरशः स्वीकार किया गया।

### 2.1.3 संशोधनों के साथ कार्यान्वित अनुशंसाएँ

#### 2.1.3.1 राज्य सरकार द्वारा स्थानीय निकायों को निधियों की विमुक्ति

चतुर्थ रा.वि.आ. ने अनुशंसा की थी कि राज्य के कर राजस्व से संग्रह लागत घटाकर निवल कर राजस्व का 7.5 प्रतिशत उस वित्तीय वर्ष के लेखापरीक्षित आंकड़ों के आधार पर स्थानीय निकायों को अंतरित किया जाना चाहिए।


लेखापरीक्षा में पाया गया कि चतुर्थ रा.वि.आ. की अनुशंसा के अनुसार 2010–15 के दौरान राज्य सरकार द्वारा पं.रा.सं. को ₹ 4,026.55 करोड़ विमुक्त किया जाना था। अनुदानों की विमुक्ति एवं उसमें कमी को नीचे तालिका 2.1 एवं चार्ट 2.1 में दर्शाया गया है:

**तालिका—2.1: राज्य के स्वयं कर राजस्व एवं पं.रा.सं. को विमुक्त राशि की स्थिति**

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	2010–11	2011–12	2012–13	2013–14	2014–15	कुल
1	स्वयं स्रोत से राज्य का कुल राजस्व	9869.85	12612.10	16253.08	19961	20750	79446.03
2	घटाव: संग्रह लागत	439.33	495.03	542.24	624.88	648.49	2749.97
3	निवल राजस्व	9430.52	12117.07	15710.84	19336.12	20101.51	76696.06
4	अनुशंसा के अनुसार पं.रा.सं. को विमुक्त की जानेवाली राशि	495.10	636.15	824.82	1015.15	1055.33	4026.55
5	पं.रा.सं. को विमुक्त वास्तविक राशि	0	400.31	493.43	636.07	50.68 <sup>19</sup>	1580.49
6	अनुदान की कम विमुक्ति (4–5)	495.10	235.84	331.39	379.08	1004.65	2446.06

**चार्ट—2.1**



(स्रोत: वित्त विभाग एवं पं.रा.वि., बि.स. द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना)

उपरोक्त तालिका 2.1 एवं चार्ट 2.1 दर्शाता है कि ₹ 4,026.55 करोड़ के अनुदान की अनुशंसा के विरुद्ध पं.रा.सं. को मात्र ₹ 1,580.49 करोड़<sup>20</sup> (39 प्रतिशत) ही विमुक्त किया

<sup>19</sup> वित्त विभाग, बि.स. ने पं.रा.सं. को आवंटित अंश को विमुक्त नहीं किया क्योंकि पं.रा.वि. प्रस्ताव समर्पित करने में विफल रहा

<sup>20</sup> ₹953.97 करोड़ उच्च प्राथमिकता वाले क्षेत्र के लिए तथा ₹ 626.52 करोड़ अन्य विकास कार्य एवं वेतन हैं

गया क्योंकि राज्य सरकार द्वारा स्थानीय निकायों को 2011–12 से राज्य के स्वयं स्रोत कर राजस्व का 7.5 प्रतिशत हिस्सा ही विमुक्त किए जाने का निर्णय लिया गया था। यह भी पाया गया कि राज्य सरकार द्वारा 2010–11 में राशि की विमुक्ति नहीं की गयी थी जबकि चतुर्थ रा.वि.आ. की अनुशंसा के अनुसार ₹ 495.10 करोड़ विमुक्त किया जाना था।

उप सचिव, वित्त विभाग ने बताया (अक्टूबर 2016) कि दो वर्ष पूर्व के निवल कर संग्रह के आधार पर अनुदान विमुक्त करने का निर्णय, सुविचारित निर्णय था। सचिव द्वारा स्पष्ट किया गया कि चालू वर्ष के राज्य के स्वयं स्रोत कर राजस्व के आधार पर निधि की विमुक्ति व्यावहारिक रूप से संभव नहीं थी। चतुर्थ रा.वि.आ. की अनुशंसाओं के आलोक में उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि पं.रा.सं. को उच्च प्राथमिकता वाले प्रक्षेत्रों के कार्यों के कार्यान्वयन एवं अधिनियम में वर्णित कार्यों एवं दायित्वों के संगत उद्देश्यों पर व्यय करने हेतु ₹ 2,446.06 करोड़ कम प्राप्त हुआ।

#### **2.1.3.2 दो अर्द्धवार्षिक किस्तों में स्थानीय निकायों के अंश की विमुक्ति**

चतुर्थ रा.वि.आ. की अनुशंसा के अनुसार, पं.रा.सं. को अनुदान की विमुक्ति दो किस्तों में की जानी थी। प्रथम किस्त 30 सितंबर तक एवं शेष राशि वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पूर्व विमुक्त किया जाना था।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि चतुर्थ रा.वि.आ. की अवधि (2010–15) के तीन वर्षों में से दो वर्षों (2011–13) में अनुदान की विमुक्ति एक ही किस्त में वर्ष के अंत में की गयी थी। परिणामतः वर्ष 2011–12 में नमूना जांचित पं.रा.सं. में कोई कार्य नहीं लिया गया और कार्यों के कार्यान्वयन में विलंब हुआ क्योंकि उस वर्ष के अनुदान का उपयोग दूसरे वर्ष में किया गया जिसके परिणामस्वरूप चतुर्थ रा.वि.आ. की अवधि समाप्त होने के बाद भी नमूना जांचित पं.रा.सं. के पास ₹ 5.09 करोड़ अव्ययित थे।

#### **2.1.3.3 पंचायत समितियों को विमुक्त निधियाँ**

चतुर्थ रा.वि.आ. की अनुसंशा के अनुसार, पंचायत समितियों के 20 प्रतिशत हिस्से को पं.स. के बीच आबादी के 80 प्रतिशत भारांक तथा बी.पी.एल. परिवारों की संख्या के 20 प्रतिशत भारांक के आधार पर वितरित किया जाना चाहिए।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि नालंदा एवं सारण जिलों में पं.स. को निधियों का वितरण आबादी के 80 प्रतिशत भारांक तथा बी.पी.एल. परिवारों की संख्या के 20 प्रतिशत भारांक के आधार पर नहीं किए गए थे बल्कि पं.स. की आबादी के आधार पर निधियों का अंतरण किया गया था। परिणामस्वरूप, 22 पं.स.<sup>21</sup> के लिए विहित ₹ 20.94 लाख का अंतरण अन्य 18 पं.स.<sup>22</sup> को किया गया जो अर्हता पूरी नहीं करते थे।

मु.का.प., जि.प. नालंदा एवं मु.का.प., जि.प. सारण ने लेखापरीक्षा निष्कर्षों को स्वीकार किया।

#### **2.1.3.4 उच्च प्राथमिकता प्रक्षेत्र के अंतर्गत निधि की विमुक्ति**

पं.रा.सं. के लिए उच्च प्राथमिकता के अंतर्गत छ: कार्यकलापों<sup>23</sup> का चयन किया गया था। इन कार्यकलापों के लिए राज्य करों के हिस्से से अंतरित राशि दी जा सकती थी। इन कार्यों के लिए अनुमानित लागत ₹ 1,590 करोड़ था। चतुर्थ रा.वि.आ. द्वारा प्रतिवर्ष 8,463 ग्रा.प. को पांच प्राथमिकता प्रक्षेत्रों<sup>24</sup> के लिए ₹ 316.72 करोड़ एवं 531 पं.स. को स्वच्छता<sup>25</sup> के लिए ₹ 1.27 करोड़ की निधि के आवंटन की अनुशंसा की गयी थी।

<sup>21</sup> नालंदा – 11 पं.स. तथा सारण – 11 पं.स.

<sup>22</sup> नालंदा – 9 पं.स. तथा सारण – 9 पं.स.

<sup>23</sup> पेयजल, ईंट सोलिंग, नाला, स्वच्छता, पुस्तकालय एवं गलियों में रोशनी

<sup>24</sup> ईंट सोलिंग एवं नाला निर्माण के दो कार्यों को एक कार्य के रूप में समेकित किया गया

लेखापरीक्षा में पाया गया कि 2010–15 की अवधि के लिए ग्रा.पं. को ₹ 1,583.60 करोड़ एवं पं.सं. को ₹ 6.35 करोड़ की अनुशंसित राशि ₹ 1,589.95 करोड़ के विरुद्ध केवल ₹ 667.78 करोड़ ग्रा.पं. को समान रूप से विमुक्त किया गया। राज्य सरकार द्वारा ₹ 1,589.95 करोड़ की अनुशंसा के विरुद्ध ₹ 953.97 करोड़ विमुक्त किए जाने एवं ग्रा.पं. का हिस्सा जि.प. एवं पं.स. को क्रमशः 10 प्रतिशत (₹ 95.39 करोड़) एवं 20 प्रतिशत (₹ 186.98 करोड़) के अनुपात में आवंटित किए जाने के कारण ऐसा हुआ। इस प्रकार, उच्च प्राथमिकता प्रक्षेत्र के अंतर्गत न केवल ₹ 635.98 करोड़ की कम विमुक्ति हुई बल्कि केवल ग्रा.पं. के उपयोग वाली राशि ₹ 282.38 करोड़<sup>26</sup> जि.प. एवं पं.स. में वितरित किया गया। परिणामतः, जहाँ विकास कार्य की आवश्यकता थी वहाँ ग्रा.पं. अपने विवेक से गाँवों का चुनाव कर कार्यों को कार्यान्वित करने में विफल रहे क्योंकि जि.प. एवं पं.स. द्वारा अपनी योजना के अनुसार कार्य कराए गए।

अनुश्रवण पदाधिकारी, पं.रा.वि. द्वारा उत्तर दिया गया कि ग्रा.पं. की तुलना में पं.स. एवं जि.प. को कम राशि आवंटित की जा रही थी और समय–समय पर अधिक राशि की मांग की जा रही थी। आगे, विभाग पं.रा.सं. के तीनों स्तरों के लिए संवेदनशील है और इसलिए निधि उपलब्ध कराने का निर्णय लेता है। जवाब स्वीकार्य नहीं है क्योंकि चतुर्थ रा.वि.आ. की अनुशंसाओं का अनुसरण नहीं किया गया।

### उच्च प्राथमिकता प्रक्षेत्र के अंतर्गत योजनाओं का कार्यान्वयन

बिहार सरकार द्वारा चयनित इकाईयों को पांच प्राथमिकता प्रक्षेत्रों के अंतर्गत ₹ 23.01 करोड़ की निधि विमुक्त की गयी जिसका उपयोग सरकार के निर्देशानुसार अनुदान के निर्धारित अनुपात<sup>27</sup> में किया जाना था। 2011–16 की अवधि में पांच प्राथमिक प्रक्षेत्रों के अंतर्गत निधि की शीर्षवार उपयोगिता (*परिशिष्ट-2.2*) में एवं इसका सार तालिका 2.2 में दर्शाया गया है:

**तालिका-2.2: उच्च प्राथमिकता प्रक्षेत्र के अंतर्गत योजनाओं का कार्यान्वयन**

(₹ करोड़ में)

कार्य का प्रक्षेत्र	निर्धारित प्रतिशतता	उपलब्ध अनुदान	व्यय की गयी राशि	उपलब्ध अनुदान के विरुद्ध उपयोगिता का प्रतिशत	शून्य उपयोगिता वाली इकाईयों की संख्या
पेयजल	15.75	3.62	9.44	41.02	4
गलियों में रोशनी	16.25	3.74	1.62	7.04	45
ईंट सोलिंग एवं नाला	61.20	14.08	13.62	59.19	14
पुस्तकालय	3.2	0.73	0.02	0.09	56
सफाई	3.6	0.83	0	0	69
<b>कुल</b>	<b>100</b>	<b>23</b>	<b>24.7*</b>		

(स्रोत: पं.रा.सं. द्वारा समर्पित सूचना)

\* व्यय में उच्च प्राथमिकता अनुदान, ब्याज एवं अन्य विकास अनुदान शामिल हैं

<sup>25</sup> नाला, तालाब, सार्वजनिक सड़कों, कुओं की सफाई एवं इसी प्रकार के कार्य

<sup>26</sup> ₹ 953.97 करोड़\*30 प्रतिशत – ₹ 3.81 करोड़

<sup>27</sup> पेयजल – 16 प्रतिशत, ईंट सोलिंग एवं नाला – 61 प्रतिशत, स्वच्छता – 4 प्रतिशत, पुस्तकालय – 3 प्रतिशत एवं गलियों में रोशनी – 16 प्रतिशत

उपरोक्त तालिका 2.2 से स्पष्ट था कि:

कार्यों के किसी भी प्रक्षेत्र में अनुदान के विहित अनुपात का पालन नहीं किया गया। पेयजल शीर्ष एवं गलियों में रोशनी शीर्ष की विहित सीमा 15.75 प्रतिशत एवं 16.25 प्रतिशत के विरुद्ध क्रमशः 41.02 प्रतिशत एवं 7.04 प्रतिशत राशि का उपयोग किया गया।

लेखापरीक्षा में यह भी पाया गया कि 45 से 69 नमूना जांचित इकाईयाँ तीन प्राथमिक प्रक्षेत्रों यथा: गलियों में रोशनी, पुस्तकालय एवं सफाई पर कोई व्यय करने में विफल रही।

योजनाओं के भौतिक सत्यापन के दौरान पाया गया कि दो पं.स. एवं 11 ग्रा.प. में ₹ 8.47 लाख के व्यय से चापाकल निर्माण की 37 योजनाएँ, सरकार के निर्देशों के विपरीत निजी परिसरों में कार्यान्वित की गयी थीं (*परिशिष्ट-2.3*)।

योजनाओं के भौतिक सत्यापन में यह भी पाया गया कि तीन पं.स. एवं 18 ग्रा.प. में ₹ 10.46 लाख के 39 चापाकल एवं सोलर लाइट<sup>28</sup> खराब थे (*परिशिष्ट-2.4*)। उपरोक्त तथ्यों की पुष्टि लाभुक सर्वेक्षण में हुई।

### 2.1.3.5 क्षमता निर्माण हेतु अनुदान

चतुर्थ रा.वि.आ. ने अनुशंसा की थी कि जि.प., पं.स. एवं ग्रा.प. को क्षमता निर्माण हेतु प्रतिवर्ष क्रमशः ₹ 15 लाख, ₹ एक लाख एवं ₹ दो लाख का अनुदान दिया जाय (2010–15 के पाँच वर्ष की अवधि में ₹ 180.27 करोड़ प्रति वर्ष की दर से ₹ 901.35 करोड़)।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि राज्य सरकार ने पं.रा.सं. के लिए आयोजना, बजट निर्माण, व्यय, लेखांकन और रिपोर्टिंग की मूलभूत जबावदेहियों को पूरा करने हेतु लेखा संधारण और क्षमता निर्माण<sup>29</sup> के लिए 2010–15 के लिए अनुशसित ₹ 901.35 करोड़ के विरुद्ध तीन वर्षों (2011–14) में केवल ₹ 538.11 करोड़ ही विमुक्त किया।


पं.रा.वि. द्वारा जबाब दिया गया कि वित्त विभाग द्वारा अनुदान की विमुक्ति पर रोक के कारण पं.रा.सं. को राशि आवंटित नहीं की गयी जबकि वित्त विभाग के द्वारा उत्तर दिया गया कि पं.रा.वि. अनुदान विमुक्ति हेतु प्रस्ताव समर्पित करने में असफल रहा। इस प्रकार, विभाग के दुलमुल रवैये के कारण पं.रा.सं अनुदान से वंचित रहीं।

नमूना जांचित पं.रा.सं. द्वारा असंबद्ध अनुदान के रूप में ₹ 5.22 करोड़ प्राप्त किया गया जिसमें से केवल 20 प्रतिशत राशि का ही व्यय अनुमत्य कार्यों पर किया गया। तेरह पं.स. और 22 ग्रा.प. असंबद्ध शीर्ष के अंतर्गत व्यय करने में विफल रहे जबकि शेष इकाईयों में व्यय की प्रतिशतता एक से सड़सठ प्रतिशत के बीच रही।

<sup>28</sup> ₹ 3.40 लाख के 15 चापाकल एवं ₹ 7.06 लाख के 24 सोलर लाइट

<sup>29</sup> कंप्यूटर, प्रिंटर, स्कैनर, फैक्स मशीन, टेलीफोन, इंटरनेट संपर्क, कंप्यूटर टेबल एवं संबंधित उपकरणों के क्रय एवं संधारण तथा लेखापरीक्षा कार्य के लिए बाह्य कर्मियों की सेवाओं के भुगतान हेतु

आगे, लेखापरीक्षा में पाया गया कि चतुर्थ रा.वि.आ. की अनुशंसा एवं सरकार के निर्देशों का उल्लंघन कर नमूना जांचित पं.रा.सं. द्वारा ₹ 2.60 करोड़ (50 प्रतिशत) असंबद्ध अनुदान का व्यय लेखा संधारण एवं क्षमतावर्द्धन पर करने की बजाय योजनाओं के कार्यान्वयन एवं कार्यालय आकस्मिकता पर किया गया। जबकि नमूना जांचित 60 इकाइयों में ₹ 1.56 करोड़ (30 प्रतिशत) का अनुदान अनुप्रयुक्त रहा जैसा कि चार्ट-2.2 में चित्रित किया गया है एवं विस्तृत विवरण परिशिष्ट-2.5 में दर्शाया गया है।



पं.रा.सं. ने उत्तर दिया कि आकस्मिकता शीर्ष में निधि की कमी के कारण कार्यालय आकस्मिकता पर व्यय किया गया। बि.स. द्वारा व्यय के संबंध में कोई स्पष्ट निर्देश नहीं था और पं.स. एवं ग्रा.पं. की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए कार्यों का कार्यान्वयन किया गया। उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि अनुदान संस्थीकृति पत्र में निधि का उपयोग किन उद्देश्यों पर किया जाएगा, इसका स्पष्ट उल्लेख किया गया था।

लेखापरीक्षा दल द्वारा भौतिक सत्यापन के दौरान पाया गया कि छह ग्रा.पं.<sup>30</sup> द्वारा कम्प्यूटर एवं इससे संबंधित पार्ट, टेबुल एवं कुर्सी के क्रय पर ₹ 10.80 लाख का व्यय किया गया गया परंतु इन सामग्रियों का उपयोग ग्रा.पं. के मुखिया/भूतपूर्व मुखिया द्वारा निजी कार्यों में किया जा रहा था।



सारण जिला के इसुआपुर पंचायत समिति अंतर्गत ग्राम पंचायत आटानगर में क्रय किया गया कम्प्यूटर सेट भूतपूर्व मुखिया की अभिरक्षा एवं निजी उपयोग में (फोटोग्राफी की तिथि—5 अगस्त 2016)

सारण जिले के इसुआपुर पंचायत समिति अंतर्गत ग्राम पंचायत अगोथर सुंदर में क्रय किया गया कम्प्यूटर सेट भूतपूर्व मुखिया की अभिरक्षा एवं निजी उपयोग में (फोटोग्राफी की तिथि—5 अगस्त 2016)

### 2.1.3.6 जि.प. द्वारा असंबद्ध अनुदान का उपयोग

चतुर्थ रा.वि.आ. द्वारा अनुशंसा की गयी थी कि असंबद्ध अनुदान का उपयोग उच्च प्राथमिकता प्रक्षेत्र की आवश्यकता को पूरा करने के बाद शेष राशि का उपयोग अधिनियम में उल्लिखित कर्तव्यों एवं कार्यों के संगत उद्देश्यों को पूरा करने में व्यय किया जाना था तथा राज्य सरकार की पूर्व स्वीकृति के बिना वेतन भुगतान अथवा वाहन क्रय पर इसका उपयोग नहीं किया जाना था।

<sup>30</sup> ग्रा.पं. – आटानगर, अगोथर सुंदर, भैसाहा, भलुआही, मेघीनगमा एवं निपनिया

लेखापरीक्षा में पाया गया कि राज्य सरकार द्वारा पं.स. एवं ग्रा.प. के लिए 2011–14 के दौरान राज्य के स्वयं कर राजस्व में पं.रा.सं. के अंश की राशि (20:70 के अनुपात में) कुल ₹ 518.27 करोड़ का अनुदान अन्य विकास अनुदान के रूप में विमुक्त किया गया तथा 2011–15 के दौरान जि.प. के हिस्से की ₹ 108.25 करोड़ की विमुक्ति अन्य विकास शीर्ष पर न कर जिले की आबादी के आधार पर वेतन एवं सेवानिवृत्ति लाभ के भुगतान हेतु की गयी। परिणामतः जि.प. अधिनियम में वर्णित कर्तव्यों एवं कार्यों के संगत उद्देश्यों पर व्यय हेतु अतिरिक्त निधि प्राप्त करने में विफल रहे।

### 2.1.3.7 कार्यों, कर्मियों एवं निधियों (3एफ) का प्रतिनिधायन

चतुर्थ रा.वि.आ. द्वारा अनुशंसा की गयी थी कि 3एफ के हस्तांतरण में तेजी लायी जाय। इसे इस प्रकार किया जाना था कि नियमित सरकारी कर्मी को किसी कठिनाई का सामना नहीं करना पड़े एवं दूसरे विभागों के कार्य, यदि ऐसे कर्मियों द्वारा किए जा रहे हों, तो वह भी प्रभावित न हो। पंचायतों को भी ऐसी स्थिति में होना चाहिए कि वह स्थानांतरित कर्मियों पर प्रभावी नियंत्रण रख सके।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि बि.स. के विभागों द्वारा ग्रा.प. को 79 कार्य, पं.स. को 60 कार्य एवं जि.प. को 61 कार्य हस्तांतरित किए गए (जुलाई से सितंबर 2001) थे तथा कार्यकलाप का मानचित्रण<sup>31</sup> तैयार किया गया। परंतु, अब तक विभागवार एवं विषयवार कार्यकलाप मानचित्रण की प्रक्रिया असंतोषजनक थी। पारास्टेटल निकायों<sup>32</sup> द्वारा भी पं.रा.सं. को अंतरित कार्य किए जा रहे थे। यद्यपि पं.रा.सं. को विभिन्न स्रोतों से उपलब्ध करायी गयी निधियाँ उन्हें सौंपे गए कार्यों के लिए बिल्कुल अपर्याप्त थीं तथापि वे उसका उपयोग करने में क्षमता की कमी के कारण सक्षम नहीं थे। कर्मचारी अपने संबंधित विभागों के प्रति जबाबदेह थे तथा पं.रा.सं. के पास प्रतिनिधायित कार्यों को करने हेतु पर्याप्त कर्मचारी नहीं थे।

नमूना जांचित चार जि.प. में मार्च 2016 को 81 प्रतिशत पद रिक्त पड़े थे जबकि नमूना जांचित 16 पं.स. के ग्रा.प. में पंचायत सचिव के 57 प्रतिशत पद रिक्त थे। प्रखंड कार्यालय के कर्मचारी पं.स. के अतिरिक्त प्रभार में थे क्योंकि पं.स. के लिए अलग से संवर्ग का गठन नहीं किया गया था।

इस प्रकार, यह स्पष्ट था कि 3एफ का प्रतिनिधायन प्रभावी नहीं था। सचिव, पं.रा.वि. द्वारा बताया गया कि प्रतिनिधायन के लक्ष्य को पाने में मानवशक्ति की कमी मुख्य बाधा थी और जून 2017 तक रिक्त पदों को भरने हेतु कदम उठाए जा रहे थे।

### 2.1.3.8 पं.रा.सं. के कर्मियों को वेतन का भुगतान

चतुर्थ रा.वि.आ. ने अनुशंसा की कि स्वीकृत पदों के विरुद्ध कार्यरत कर्मियों के वर्तमान वेतन के व्यय का वहन सरकार द्वारा अगले पांच वर्षों तक बिना किसी कटौती के किया जाय।

बिहार सरकार ने केवल चार वर्षों (2011–15) के लिए वेतन भुगतान हेतु ₹ 108.25 करोड़ अनुदान जि.प. में कार्यरत कर्मियों के अनुसार वास्तविक आवश्यकता के आधार पर नहीं कर जिले की जनसंख्या को एक मात्र आधार बनाकर विमुक्त किया।

नमूना जांचित चार जि.प. को 2011–15 के दौरान कुल ₹ 29.78 करोड़ के वेतन मांग के विरुद्ध ₹ 15.34 करोड़ की विमुक्ति की गयी। परिणामतः चार नमूना जांचित जि.प. में बि.स. का अनुदान कर्मियों के वेतन भुगतान की मांग का मात्र 39 से 70 प्रतिशत मांग ही पूरा कर

<sup>31</sup> कार्यकलाप का मानचित्रण पं.रा.सं. द्वारा हस्तांतरित कार्यों के स्तरवार निष्पादन को पारिभाषित करता है

<sup>32</sup> सरकार द्वारा पूर्णतः या अंशतः अधिकृत एवं नियंत्रित निकाय

सका तथा वेतन के लिए आवश्यक शेष ₹ 14.44 करोड़ की मांग को जि.प. द्वारा स्वयं स्रोत से पूरा किया गया जैसा कि तालिका 2.3 एवं चार्ट 2.3 में नीचे दर्शाया गया है:


### तालिका—2.3: वेतन एवं सेवानिवृत्ति लाभ के भुगतान को दर्शानेवाली विवरणी

(₹ करोड़ में)

जिला	भुगतान किए गए वेतन एवं सेवानिवृत्ति लाभ	चतुर्थ रावि.आ. के अंतर्गत उपलब्ध अनुदान	अनुदान में कमी	उपलब्ध अनुदान की प्रतिशतता	कमी की प्रतिशतता
मधुबनी	7.22	5.03	2.19	69.63	30.37
नालंदा	4.69	2.93	1.76	62.44	37.56
रोहतास	6.73	3.07	3.66	45.62	54.38
सारण	11.14	4.31	6.83	38.68	61.32
<b>कुल</b>	<b>29.78</b>	<b>15.34</b>	<b>14.44</b>		

(स्रोत: जि.प.के द्वारा दी गयी सूचना एवं पं.रा.वि., बि.स. का अनुदान संस्थीकृति पत्र)

### चार्ट—2.3



(स्रोत: जिला परिषद द्वारा उपलब्ध करायी गई सूचना)

इसने जि.प. को अपने स्रोत का उपयोग कर नयी परिसंपत्तियों के निर्माण एवं वित्तीय रूप से आत्मनिर्भर होने को प्रभावित किया जैसा कि प्रतिवेदन की कंडिका 2.1.4.2 में चर्चा की गयी है।

अनुश्रवण अधिकारी, पं.रा.वि. ने उत्तर दिया कि वित्त विभाग के संकल्प के अनुसार जि.प. को 10 प्रतिशत हिस्सा जिले की जनसंख्या के आधार पर विमुक्त किया जाना था। आगे, जि.प. को कर्मियों के वेतन की व्यवस्था स्वयं स्रोत से करनी थी और वह वेतन जि.प. को बाध्यता के कारण नहीं बल्कि सहायता के रूप में उपलब्ध करायी गयी।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि चतुर्थ रावि.आ. द्वारा जि.प. के कर्मियों को पांच साल तक वेतन भुगतान बिना कटौती के करने की अनुशंसा की गयी थी।

#### 2.1.3.9 सेवानिवृत्ति लाभ का भुगतान

चतुर्थ रावि.आ. ने अनुशंसा किया था कि स्थानीय निकायों के कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति लाभ की बकाया राशि का भुगतान एकमुश्त सहाय्य अनुदान देकर की जाय। लेखापरीक्षा में पाया गया कि राज्य सरकार द्वारा 2010–15 के दौरान पं.रा.सं. को इस प्रकार का कोई अनुदान विमुक्त नहीं किया गया। बल्कि राज्य सरकार द्वारा पं.रा.सं. को विमुक्त वेतन अनुदान से सेवानिवृत्ति लाभ का भुगतान करने का निदेश दिया गया था। परिणामतः

सेवानिवृत्ति लाभ का भुगतान नहीं हो पाया और इस मद में बकाया की बड़ी राशि पड़ी थी। जि.प. मधुबनी एवं नालंदा को वेतन एवं सेवानिवृत्ति लाभ के लिए विमुक्त ₹ 7.96 करोड़ (2011–15) के आवंटन के विरुद्ध मार्च 2016 के अंत तक ₹ 92 लाख अव्ययित रहा। तथापि दो जि.प. में 20 सेवानिवृत्ति कर्मियों के (जनवरी 2011 से जून 2015) सेवानिवृत्ति लाभ के मद में ₹ 94 लाख बकाया था।

अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी (अ.मु.का.प.), जि.प. नालंदा द्वारा बताया गया कि सेवानिवृत्ति लाभ के भुगतान हेतु कार्रवाई की जा रही थी।

#### 2.1.3.10 पं.रा.सं. के लिए लेखांकन प्रपत्र को अपनाया जाना

चतुर्थ रा.वि.आ. द्वारा अनुशंसा की गयी थी कि नि.म.ले.प. द्वारा विहित लेखांकन प्रपत्र अपनाया जाय तथा महालेखाकार से परामर्श कर लेखांकन नियमावली को अंतिम रूप दिया जाय। यह भी अनुशंसा की गयी थी कि प्रपत्र को और सरल बनाने की संभावना की भी तलाश की जाय।

पं.रा.वि., बि.स. ने अधिसूचित किया (सितंबर 2010) कि पं.रा.सं. को अप्रैल 2010 से अपने लेखाओं का संधारण पंचायती राज संस्थान लेखांकन सॉफ्टवेयर के प्रभावी माध्यम से भारत के नि.म.ले.प. द्वारा विहित मानक लेखांकन प्रणाली (मा.ले.प्र.) के आठ प्रपत्रों में किया जाना चाहिए।

तथापि पं.रा.वि. द्वारा संधारित अभिलेखों के अवलोकन में पाया गया कि मार्च 2015 तक मात्र तीन प्रपत्रों को ही तैयार किया गया था एवं पांच प्रपत्र संधारित नहीं किए गए थे क्योंकि पं.रा.सं. द्वारा आवश्यक एक्रुअल आधारित लेखांकन प्रणाली नहीं अपनाया गया था तथा इसके बाद कोई प्रपत्र मा.ले.प्र. में संधारित नहीं किया गया। परिणामतः पं.रा.सं. द्वारा लेखाओं का वित्तीय विवरण तैयार नहीं किया गया और परिसम्पत्तियों की वास्तविक स्थिति का आकलन नहीं किया जा सका।

आगे, बि.पं.रा.अ., 2006 के अधिनियमित होने के 10 वर्षों के बाद भी बि.स. द्वारा नयी लेखांकन नियमावली तैयार नहीं की गयी थी तथा बि.पं.रा.अ., 1947 और पं.सं. एवं जि.प. (बजट एवं लेखा) नियमावली, 1964 का ही अनुसरण किया जा रहा था। यह भी पाया गया कि नमूना जांचित पं.रा.स. ने उपरोक्त तीन डाटा प्रपत्र भी संधारित नहीं किए थे।

नमूना जांचित इकाईयों की लेखापरीक्षा में भी लेखाओं के संधारण में निम्नांकित अनियमितताएं पायी गयी:

जि.प. मधुबनी द्वारा पं.स. एवं ग्रा.प. को अंतरित ₹ 17.83 करोड़ की राशि की प्रविष्टि रोकड़बही में नहीं की गयी थी। केवल अनुदान की एकमुश्त राशि की प्रविष्टि जुलाई 2013 से फरवरी 2014 के लिए तैयार एक सारांश में की गयी थी। इस प्रकार उक्त अवधि में प्राप्ति और व्यय की वास्तविक स्थिति को रोकड़बही में नहीं दर्शाया गया। मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी (मु.का.प.), जि.प. मधुबनी ने लेखापरीक्षा निष्कर्ष को स्वीकार किया और आश्वासन दिया कि भविष्य में ऐसा नहीं होगा।

जि.प. सारण में 13 दिसंबर 2013 से 25 जनवरी 2014 के दौरान असंबद्ध अनुदान की रोकड़बही से ₹ 7.94 लाख का व्यय किया गया परंतु, उक्त राशि असंबद्ध अनुदान के लिए संधारित पंजाब नेशनल बैंक की खाता संख्या 455404 से डेबिट करने की बजाय उच्च प्राथमिकता प्रक्षेत्र के लिए संधारित पंजाब नेशनल बैंक की खाता संख्या 434517 से डेबिट कर दिया गया। परिणामतः उच्च प्राथमिकता प्रक्षेत्र के तीन कार्य अतिरिक्त निधि के अभाव में पूर्ण नहीं हो सका। मु.का.प., जि.प. सारण द्वारा लेखापरीक्षा निष्कर्ष को स्वीकार किया गया और आश्वासन दिया गया कि उच्च प्राथमिकता प्रक्षेत्र के बैंक खाता में राशि का हस्तांतरण कर दिया जाएगा।

2011–16 की अवधि के दौरान 9 पं.स. एवं 15 ग्रा.पं. में बैंक पासबुक एवं रोकड़बही के अंतर्शेष में ₹ 38.59 लाख का अंतर पाया गया जिसका समाधान विवरणी 31 मार्च 2016 तक नहीं बनाया गया था (**परिशिष्ट-2.6**)। अंतर का समाधान नहीं होना निधियों के दुरुपयोग के जोखिम से भरा था। संबंधित पं.स. के कार्यपालक पदाधिकारी (का.प.) एवं ग्रा.पं. के पंचायत सचिव द्वारा जवाब दिया गया कि रोकड़बही एवं बैंक शेष में अंतर का समाधान कर लिया जाएगा।

#### 2.1.4 सरकार द्वारा कार्यान्वित नहीं की गयी अनुशंसाएँ

##### 2.1.4.1 पं.स. एवं जि.प. को अनुदान

राज्य करों में हिस्सा एवं पं.स. एवं जि.प. को विमुक्त अनुदान का उपयोग सर्वप्रथम प्राथमिक कार्यकलापों के रूप में चिह्नित योजनाओं के कार्यान्वयन पर वास्तविक लागत में असमानताओं को दूर करना है। चतुर्थ रा.वि.आ. के दिशा-निर्देश एवं राज्य सरकार की निर्देशिका में उन उद्देश्यों<sup>33</sup> को विशिष्ट किया गया था जिन पर चतुर्थ रा.वि.आ. के अंतर्गत निधियों का उपयोग किया जाना था।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि चतुर्थ रा.वि.आ./सरकार के निर्देशों में वर्णित उद्देश्यों के लिए जि.प. एवं पं.स. को अनुदान की विमुक्ति नहीं की गयी थी। तथापि उच्च प्राथमिकता क्षेत्रों के अंतर्गत ग्रा.पं. के अंश की राशि को जि.प. एवं पं.स. को विमुक्त की गई थी।

नमूना जांच में पाया गया कि जि.प. मधुबनी एवं जि.प. रोहतास के द्वारा 2012–16 की अवधि में 36 अनुमत्त कार्यों पर ₹ 1.39 करोड़ का व्यय ग्रा.पं. के हिस्से से किया गया था (**परिशिष्ट-2.7**)।

अनुमत्त कार्यों के कार्यान्वयन के संबंध में मु.का.प., जि.प. मधुबनी द्वारा जबाब दिया गया कि जि.प. के निर्वाचित सदस्यों की अनुशंसा के आधार पर कार्य कराए गए। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि सरकार के निर्देशों का उल्लंघन किया गया।

##### 2.1.4.2 पं.रा.सं. का वित्तीय रूप से आत्मनिर्भर होना

चतुर्थ रा.वि.आ. ने अनुशंसा किया था कि पं.रा.सं., विशेषकर जि.प. को अपनी महत्वपूर्ण भूमि का लाभदायक उपयोग सुनिश्चित करने हेतु अपनी परियोजना में निवेश हेतु वित्तीय संस्थाओं से संपर्क कर अपने संसाधन को बढ़ाकर वित्तीय रूप से आत्मनिर्भर होने का प्रयास करना चाहिए तथा सार्वजनिक-निजी साझेदारी पद्धति अपनाकर अपनी परिसम्पत्तियों के निर्माण की संभावना की तलाश करनी चाहिए।

#### महत्वपूर्ण भूमि का लाभदायक उपयोग/परिसम्पत्ति निर्माण

लेखापरीक्षा में पाया गया कि नमूना जांचित चारों जि.प. वित्तीय संस्थाओं से सम्पर्क करने अथवा अपनी महत्वपूर्ण भूमि के लाभदायक उपयोग हेतु सार्वजनिक-निजी साझेदारी पद्धति अपनाने में असफल रहा। जि.प. रोहतास और नालंदा द्वारा दुकानों के निर्माण की योजना बनायी गयी पर इसके कार्यान्वयन करने में विफल रहे।

लेखापरीक्षा में आगे यह पाया गया कि:

जि.प. रोहतास ने 20 स्थानों पर दुकानों के निर्माण हेतु 2011–12 में अपने बजट में ₹ 6.27 करोड़ का प्रावधान किया था जिसे 2013–14 में बढ़ाकर ₹ 7.10 करोड़ किया गया

<sup>33</sup> ईंट सोलिंग एवं नाला, पेयजल, पुस्तकालय, स्वच्छता एवं गलियों में रोशनी

तथा छ: स्थानों पर ₹ 90 लाख के अनुमानित लागत के साथ प्रथम तल पर दुकानों का निर्माण पहले ही (2011–12) कर लिया गया था, परंतु कोई व्यय नहीं किया गया था।

मु.का.प., जि.प. रोहतास द्वारा बताया गया कि कर्मियों की कमी एवं नियमित जिला अभियंता की अनुपस्थिति के कारण निर्माण कार्य नहीं किया गया। कर्मियों की कमी के संबंध में जवाब स्वीकार्य नहीं था क्योंकि निर्माण कार्य निविदा के माध्यम से भी किया जा सकता था।

जि.प. रोहतास द्वारा चेनारी निरीक्षण भवन में ₹ 48.75 लाख की लागत से आठ खंड में स्ववित्त पद्धति के अंतर्गत 99 दुकानों के निर्माण हेतु विज्ञापन (अक्टूबर 2000) निकाला गया था। जि.प. ने अक्टूबर 2000 में प्रस्तावित दुकानों को दस वर्ष के लिए पट्टे पर देने हेतु नोटिस जारी किया और जुलाई 2006 में 76 पट्टेधारी से निर्माण हेतु ₹ 57.17 लाख ब्याज सहित प्राप्त किया। प्राप्त राशि में से ₹ 37.89 लाख दुकानों के निर्माण पर व्यय किया गया परंतु दुकानों का निर्माण अपूर्ण था (अगस्त 2016)। परिणामतः जि.प. वर्ष 2011–16 के दौरान किराए से प्राप्त होनेवाली ₹ 13 लाख<sup>34</sup> के राजस्व से वंचित रहा।

मु.का.प., जि.प. रोहतास द्वारा बताया गया कि तत्कालीन मु.का.प. द्वारा अनुवीक्षण में कमी के कारण दुकानों के निर्माण का कार्य पूर्ण नहीं हो पाया। लेखापरीक्षा में पाया गया कि वर्तमान मु.का.प., जि.प. भी अक्टूबर 2014 से अपने कार्यकाल के दौरान दुकान निर्माण कार्य को पूरा कराने में कोई प्रभावकारी कदम उठाने में असफल रहे।

जि.प. नालंदा ने अपनी आम सभा (23 जुलाई 2011) में परवलपुर निरीक्षण भवन के प्रांगण में सात खंडों में 122 दुकानोंवाले मार्केट कॉम्प्लेक्स बनाने का निर्णय किया था। उपरोक्त दुकानों के आवंटन हेतु विज्ञापन प्रकाशित किए गए (जून 2012) तथा प्रत्येक दुकान के लिए ₹ 5,000 की सुरक्षित जमा राशि के साथ 22 आवेदन प्राप्त किए गए (जुलाई 2012) परंतु, दुकानों का निर्माण नहीं हुआ। दुकानों का निर्माण नहीं होने के कारण जि.प. को ₹ 8.78 लाख<sup>35</sup> के वार्षिक राजस्व की हानि हुई।

अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जि.प. नालंदा ने बताया कि दुकानों के आवंटन हेतु वांछित संख्या में आवेदन प्राप्त नहीं होने के कारण निर्माण कार्य प्रारम्भ नहीं किया जा सका। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि जि.प. के प्राधिकारियों द्वारा दुकानों के निर्माण हेतु पुनः विज्ञापन निकालने हेतु कोई कदम नहीं उठाए गए।

### राजस्व में वृद्धि

पं.रा.वि. ने राज्य के जिलाधिकारी, उपविकास आयुक्त को जि.प. की परिसम्पत्तियों के सर्वेक्षण, जि.प. के खाली जमीन पर कार्यालयीन एवं वाणिज्यिक उद्देश्य से निर्माण कर, जि.प. के भवनों का जीर्णोद्धार कर एवं इसे किराया पर लगाकर अथवा अपने कार्यों में उपयोग कर, डाक बंगला/निरीक्षण भवन का किराया बाजार दर पर वसूल कर जि.प. के राजस्व को बढ़ाने हेतु कार्रवाई प्रारंभ करने का निर्देश दिया था (जुलाई 2013)।

उपर्युक्त निर्देशों का उल्लंघन करते हुए चार नमूना जांचित जि.प. में निम्नलिखित कमियाँ पायी गयीं:

### जि.प. के निरीक्षण भवन/परिसम्पत्तियों पर कब्जा

दो जि.प. में निरीक्षण बंगलों/भवनों (**परिशिष्ट-2.8**) का राज्य सरकार के अधिकारियों द्वारा प्रखंड कार्यालय चलाने/आवास हेतु कब्जा किया गया था तथा निजी व्यक्तियों द्वारा सुधा मिल्क पार्लर एवं बस स्टैंड चलाने हेतु बिना कोई किराया के अथवा नाम मात्र के किराया पर उपयोग किया जा रहा था। कुछ मामलों को नीचे दर्शाया गया है:

<sup>34</sup> 62 दुकान @ ₹ 240, 36 दुकान @ ₹ 180 एवं 1 दुकान @ ₹ 432

<sup>35</sup> राजस्व की वार्षिक क्षति = ₹ 600 x 122 x 12 महीने यानी ₹ 8.78 लाख

एक एकड़ 15 डिसमिल क्षेत्रफल वाले मधुबनी निरीक्षण भवन का उपयोग जिलाधिकारी, मधुबनी द्वारा केवल ₹ 250 प्रति माह के किराए पर अपने सरकारी आवास के रूप में किया जा रहा था।

बैनीपट्टी में डाकबंगला का पुलिस उपाधीक्षक, बैनीपट्टी द्वारा बिना किराया का भुगतान किए अपने आवास हेतु अधिगृहित किया गया था।

विक्रमगंज में निरीक्षण भवन का चार कमरा अनुमंडल अधिकारी द्वारा ₹ 68 प्रतिदिन की दर से किराए पर अधिगृहित किया गया था जिसका किराया 2005–06 से पुनरीक्षित नहीं हुआ था जबकि कोचस निरीक्षण भवन में प्रखंड एवं अंचल कार्यालय चल रहा था जिसका किराया ₹ 64 प्रतिदिन था तथा किराया विगत 24 वर्षों से पुनरीक्षित नहीं किया गया था।

मु.का.प. जि.प. मधुबनी एवं मु.का.प. रोहतास द्वारा उत्तर दिया गया कि बाजार दर से किराया वसूली हेतु आवश्यक कार्रवाई पं.रा.वि. को सूचना देते हुए प्रारंभ की जाएगी। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि जि.प. सरकार के दिशा-निर्देशों के बावजूद न केवल किराया की वसूली में विफल रहा बल्कि इस संबंध में सरकार को सूचित भी नहीं किया।

### किराया की वसूली

जि.प. मधुबनी की जमीन पर 14,765 वर्गफीट के क्षेत्रफल में निर्मित विकास भवन, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण (डी.आर.डी.ए.) का कार्यालय, द्वारा जि.प. को निर्माण के समय से कोई किराया का भुगतान नहीं किया जा रहा था। परिणामतः जि.प. 2011–16 के दौरान बाजार दर पर ₹ 55.37 लाख<sup>36</sup> के किराए से वंचित रहा। मु.का.प., जि.प. मधुबनी ने बताया कि डी.आ.डी.ए. से किराए की मांग की जाएगी।

### बकाया किराया

तीन जि.प. में 1,325 दुकानों का ₹ 90 लाख किराया एक से दो सौ बयालिस महीनों से दुकानदारों के पास बकाया था। दुकान के किराए दिसंबर 1987 एवं सितंबर 2011 के मध्य निर्धारित दर पर वसूल किए जा रहे थे जिसके एकरारनामा के पुनरीक्षण/नवीकरण में विफलता के कारण जि.प. दुकानों के किराए में वृद्धि हेतु प्रभावी कदम उठाने में विफल रहे (**परिशिष्ट-2.9**)।

मु.का.प., जि.प. मधुबनी एवं अ.मु.का.प., जि.प. नालंदा द्वारा जवाब दिया गया कि दुकानदारों को बकाया किराए की वसूली हेतु नोटिस दिया गया था जबकि एकरारनामा के पुनरीक्षण/नवीकरण हेतु प्रक्रिया चल रही थी। मु.का.प. जि.प. सारण ने जवाब दिया कि दुकानों के आवंटन के समय एकरारनामा नहीं किया गया था फिर भी जि.प. द्वारा बाद में कुछ पटटेधारी के साथ एकरारनामा किया गया परंतु एकरारनामा का पुनरीक्षण/नवीकरण नहीं किया गया था।

दो जि.प. द्वारा अपने भवन को राज्य सरकार के कार्यालय के लिए किराए पर लगाया गया था परंतु उन कार्यालयों द्वारा विगत एक से बाईस वर्षों से किराए का भुगतान नहीं किया जा रहा था फलस्वरूप, जि.प. ₹ 24.86 लाख के राजस्व से वंचित रहे (**परिशिष्ट-2.10**)।

मु.का.प., जि.प. रोहतास ने जवाब दिया कि कई अनुस्मार देने के बावजूद संबंधित कार्यालयों द्वारा किराए का भुगतान नहीं किया गया। अ.मु.का.प., जि.प. नालंदा ने बताया कि किराए की वसूली हेतु नोटिस दिया गया था तथा पुनः नोटिस निर्गत किया जा रहा है। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि जि.प. मामले को राज्य सरकार को सूचित करने में विफल रहा।

<sup>36</sup> अप्रैल 2011 से ₹ 90,805 प्रतिमाह @ ₹ 6.15 प्रति वर्गफीट तथा जनवरी 2015 एवं मार्च 2016 से ₹ 1,03,355 प्रतिमाह @ ₹ 7 प्रति वर्गफीट

इस प्रकार, जि.प. न केवल समय पर किराया वसूल करने में बल्कि किराए की दर में बढ़ोत्तरी हेतु प्रभावी कदम उठाने में भी विफल रहे।

#### 2.1.4.3 करों का अध्यारोपण

चतुर्थ रा.वि.आ. की अनुशंसा के अनुसार, पं.रा.सं. को अपने संसाधन बढ़ाने हेतु राज्य सरकार को पं.रा.सं. द्वारा वसूली योग्य करों की अधिकतम दरों को अधिसूचित करना था अथवा नियमों में संशोधन करना था ताकि सरकार के अनुमोदन की आवश्यकता न पड़े।

राज्य सरकार मई 2016 तक किसी भी प्रकार के करों की दर अधिसूचित करने में विफल रही जिसके कारण पं.रा.सं. करारोपण द्वारा राजस्व के सृजन करने में असमर्थ रहे।

सचिव, पं.रा.वि. ने सूचित किया (फरवरी 2017) कि करों के दरों की अधिसूचना की प्रक्रिया आगे बढ़ी हुई है तथा इसे शीघ्र ही अधिसूचित कर दिया जाएगा।

#### 2.1.5 निष्कर्ष

पं.रा.सं. को अपने संसाधन बढ़ाने हेतु उनके द्वारा अध्यारोपित किए जानेवाले करों की उच्चतम दरों को अधिसूचित करने की चतुर्थ रा.वि.आ. की अनुशंसा राज्य सरकार द्वारा कार्यान्वित नहीं की गयी। परिणामतः, पं.रा.सं. विभिन्न प्रकार की योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु सरकारी अनुदानों पर निर्भर थे।

महत्वपूर्ण भूमि का लाभदायक उपयोग कर वित्तीय रूप से आत्मनिर्भर होने के प्रयास एवं सार्वजनिक–निजी भागीदारी पद्धति अपनाकर परिसम्पत्ति निर्माण करने के चतुर्थ रा.वि.आ. की अनुशंसा को पं.रा.सं. द्वारा कार्यान्वित नहीं किया गया था।

राज्य सरकार ने पं.रा.सं. को चतुर्थ रा.वि.आ. की स्वीकृत अनुशंसा के अनुसार अनुदान नहीं दिया। वर्ष 2010–15 के दौरान ₹ 2,446.06 करोड़ अनुदान की कम विमुक्ति हुई। वर्ष 2010–11 में अनुदानों की विमुक्ति नहीं की गयी जबकि वर्ष 2014–15 के लिए ₹ 1,055.33 करोड़ के अर्हक अनुदान के विरुद्ध केवल ₹ 50.68 करोड़ ही विमुक्त किया गया।

उच्च प्राथमिकता प्रक्षेत्रों के अंतर्गत केवल ग्रा.पं. एवं पं.स. द्वारा उपयोग की जानेवाली निधि को जि.प. को भी आवंटित कर दिया गया।

यद्यपि राज्य सरकार ने वर्ष 2010–15 की अवधि के लिए वेतन एवं सेवानिवृत्ति लाभ के भुगतान हेतु पं.रा.सं. को अनुदान विमुक्त करने के चतुर्थ रा.वि.आ. की अनुशंसा को स्वीकार कर लिया था परंतु, इस उद्देश्य के लिए जि.प. को केवल 39 से 70 प्रतिशत अनुदान ही उपलब्ध कराया गया।

#### 2.1.6 अनुशंसाएँ

उपरोक्त लेखापरीक्षा निष्कर्षों के आधार पर निम्नलिखित अनुशंसा की जाती है:

राज्य सरकार को पं.रा.सं. द्वारा अध्यारोपित किए जानेवाले करों की अधिकतम दरों को अधिसूचित करनी चाहिए।

पं.रा.सं. को अपने महत्वपूर्ण भूमि का लाभदायक उपयोग कर वित्तीय रूप से आत्मनिर्भर होने का प्रयास करना चाहिए एवं सार्वजनिक–निजी साझेदारी पद्धति के माध्यम से नयी परिसम्पत्ति का निर्माण करनी चाहिए।

राज्य सरकार को पं.रा.सं. को अपने अनिवार्य कार्यों को संपादित करने हेतु पर्याप्त निधियों एवं कर्मियों को प्रतिनिधायित करना चाहिए।

जि.प. को अपने राजस्व के हिस्से को बढ़ाने हेतु अपने भवनों/दुकानों के किराए में वृद्धि करने एवं इसकी वसूली हेतु समय पर उपयुक्त कदम उठाने चाहिए।

## 2.2 किराए से आय की हानि

**मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद पटना द्वारा आठ मंजिला एनेक्सी भवन को वर्तमान स्थिति में बन्दोबस्ती किए जाने के जिला परिषद बोर्ड के आदेश पर निष्क्रियता के परिणामस्वरूप सितंबर 2011 से अगस्त 2016 के दौरान ₹ 3.78 करोड़ के किराया आय की हानि हुई।**

बिहार वित्तीय नियमावली (बि.वि.नि.) का नियम 37 प्रावधान करता है कि विभागीय नियंत्रण पदाधिकारी को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सरकार को देय सभी राशियों को नियमित एवं यथासमय मूल्यांकित एवं वसूल किए जाएँ। बिहार पंचायत समिति एवं जिला परिषद (बजट एवं लेखा) नियमावली, 1964 का नियम 105 एवं 106 प्रावधान करता है कि जिला परिषद (जि.प.) के प्रत्येक स्रोत जिससे जि.प. को सावधिक आय प्राप्त होती है, को दर्शनेवाली एक अलग पंजी का संधारण होना चाहिए एवं उस पंजी का जि.प. के सचिव द्वारा वार्षिक जाँच होनी चाहिए एवं उनके द्वारा अभिप्रापणित भी किया जाना चाहिए।

जि.प. पटना के अभिलेखों की संविक्षा (फरवरी 2016) में पाया गया कि लोकनायक भवन नामक एक वाणिज्यिक भवन एवं एक एनेक्सी भवन का निर्माण (मार्च 2000), जि.प. द्वारा बौकीपुर डाक बंगला (1991) के पुराने व क्षतिग्रस्त भवन को तोड़ कर किया गया। वाणिज्यिक भवन का निर्माण कार्य पूर्ण कर बन्दोबस्ती किया गया (1993) परंतु, एनेक्सी भवन की बन्दोबस्ती जनवरी 2017 तक नहीं की गई थी।

लोकनायक भवन के एनेक्सी भवन की बन्दोबस्ती<sup>37</sup> के लिए दरों को निर्धारित करने हेतु आयुक्त—सह—अध्यक्ष, लोकनायक भवन निर्माण समिति की अध्यक्षता में एक बैठक आयोजित (मार्च 2000) की गई थी। यह भी निर्णय लिया गया था कि प्रथम मंजिल के सुपर निर्मित क्षेत्रफल को ₹ 25 प्रति वर्ग फीट मासिक किराए की दर से बन्दोबस्ती किया जाएगा एवं उसके बाद प्रत्येक उपरी दो मंजिल की दर ₹ 1 एक से घटाया जाएगा।

तथापि, नौ वर्षों के विलंब के बाद, जुलाई 2009 एवं जून 2010 में क्रमशः जि.प. के अध्यक्ष एवं मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी (मु.का.प.) की अध्यक्षता में निर्णय लिया गया कि एनेक्सी भवन की वर्तमान स्थिति में बन्दोबस्ती की जाय। मु.का.प., जि.प. ने बताया कि कई सरकारी तथा अन्य संगठनों<sup>38</sup> एवं चार अन्य संगठनों<sup>39</sup> ने भी भवन की वर्तमान स्थिति में अभिरुचि जाहिर (मई 2011 से जून 2015) की थी। इस प्रकार, जि.प. के पास उपरोक्त भवन को किराए पर देने का अवसर था। तथापि, जि.प., बोर्ड के निर्णय के बावजूद इस संबंध में कोई भी कारवाई करने में विफल रहा। इसके परिणामस्वरूप सितंबर 2011 से अगस्त 2016 की अवधि के लिए, मार्च 2000 में निर्धारित किए गए दर के अनुसार, ₹ 3.78 करोड़ के किराया आय की हानि हुई। मु.का.प. ने स्थायी मांग पंजी की जाँच नहीं की और न ही एनेक्सी भवन की बन्दोबस्ती के मामले का समाधान किया।

<sup>37</sup> बन्दोबस्ती का अर्थ है किसी व्यक्ति या फर्म को विज्ञापन के माध्यम से एक एकारित मूल्य पर निर्धारित अवधि के लिए सौरातों (भवन, तालाब, बस स्टैंड आदि) को सौंपना।

<sup>38</sup> आयकर विभाग, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लि. एवं अन्य।

<sup>39</sup> युनाइटेड इंस्युरेन्स कंपनी लि., विदेश व्यापार के संयुक्त महानिदेशक का कार्यालय केयर बोर्ड, पंजीयक, डेव्ट रिकवरी ट्रिब्युनल।



डाकबंगला चौराहा, पटना में अवस्थित लोकनायक एनेक्सी भवन

लेखापरीक्षा में इसे इंगित किए जाने पर, मु.का.प., जि.प. ने बताया (मई 2016) कि लोकनायक एनेक्सी भवन के बन्दोबस्ती के मामले की निगरानी हेतु एक समिति गठित की गई थी एवं 2001 में त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं के गठन के उपरांत ग्रामीण विकास विभाग (ग्रा.वि.वि.) से उक्त समिति की वैधता के संबंध में स्पष्ट दिशा-निर्देश की माँग (सितंबर 2001) की गई थी परंतु जवाब अप्राप्त था (मई 2016)। तथापि, सचिव, पंचायती राज विभाग द्वारा जवाब (अगस्त 2016) दिया गया कि भवन का संपूर्ण कार्य पूर्ण नहीं होने एवं संवेदक द्वारा भवन का हस्तांतरण नहीं किए जाने के कारण, भवन की बन्दोबस्ती नहीं हो सकी। सचिव का जवाब स्वीकार्य नहीं था क्योंकि जि.प. बोर्ड के द्वारा वर्तमान स्थिति में ही भवन की बन्दोबस्ती करने का निर्णय लिया जा चुका था तथा कई सरकारी एवं अन्य संगठन इसकी बन्दोबस्ती लेने को इच्छुक थे।

मु.का.प., जि.प. का जवाब भी स्वीकार्य नहीं था क्योंकि भवन की बन्दोबस्ती हेतु दैनिक समाचारपत्रों में विज्ञापन प्रकाशित नहीं किया गया था। समिति की वैधता के संबंध में विभाग से दिशा-निर्देश पूर्व में ही लिया जा सकता था ताकि विलंब को टाला जा सके।

इस प्रकार जि.प. पटना के द्वारा पहल की कमी एवं निगरानी तंत्र की विफलता के कारण एनेक्सी भवन की बन्दोबस्ती नहीं की जा सकी एवं जि.प. अगस्त 2016 तक ₹ 3.78 करोड़ (**परिशिष्ट-2.11**) के राजस्व से वंचित रहा।

### 2.3 दंडात्मक ब्याज का परिहार्य भुगतान

**चौदहवें वित्त आयोग अनुदान की राशि का विहार सरकार द्वारा विलंब से विमुक्त किए जाने के फलस्वरूप ग्राम पंचायतों को ₹ 8.12 करोड़ के दंडात्मक ब्याज का परिहार्य भुगतान।**

चौदहवें वित्त आयोग (चौदहवें वि.आ.) अनुदान की अनुशंसा एवं भारत सरकार द्वारा निर्धारित शर्तों के अनुसार, भारत सरकार से राज्यों को उनके खाते में अनुदान की प्राप्ति के 15 दिनों के अंदर उसे संबंधित ग्राम पंचायतों (ग्रा.प.) एवं नगरपालिकाओं को विमुक्त किया जाना चाहिए था एवं विलंब की स्थिति में राज्य सरकार को स्वयं की निधि से रिजर्व बैंक ऑफ़ इंडिया की दर से अनुदान की किश्त ब्याज के साथ विमुक्त किया जाना था।

पंचायती राज विभाग (पं.रा.वि.) के संबंधित अभिलेखों की संवीक्षा (फरवरी-जुलाई 2016) में पाया गया कि चौदहवें वि.आ. की अनुशंसा के आलोक में, भारत सरकार द्वारा वर्ष 2015–16

के लिए प्रथम किस्त के रूप में ₹ 1,134.59 करोड़ विमुक्त किया गया था (30 जून 2015) एवं राज्य सरकार द्वारा इसे प्राप्त किया गया (2 जुलाई 2015)। यद्यपि, राज्य सरकार के पास अनुदान को ग्रा.पं. को सीधे हस्तांतरण की कोई प्रणाली नहीं थी। परिणामस्वरूप, राज्य सरकार द्वारा संबंधित ग्रा.पं. को चयनित आधारभूत सेवाओं<sup>40</sup> पर व्यय करने हेतु राशि उपलब्ध कराने के लिए संबंधित जिलों को अनुदान स्वीकृत व आवंटित (17 जुलाई 2015) किए गए तथा संबंधित जि.प. के उपविकास आयुक्त—सह—मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी को उक्त अनुदान हेतु निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का कार्य सौंपा गया। तथापि, अनुदान को 8,398 ग्राम पंचायतों को 15 दिन की निर्धारित समय—सीमा में उपलब्ध नहीं कराया गया, इसमें 11 दिन से छः महीने तक का विलंब किया गया।

पं.रा.वि., बिहार सरकार ने ₹ 1,134.59 करोड़ का उपयोगिता प्रमाण पत्र (उ.प्र.प.) वित्त मंत्रालय, भारत सरकार को समर्पित किया (14 दिसंबर 2015)।

तथापि, मंत्रालय ने राज्य सरकार को निर्देश दिया (22 दिसंबर 2015) कि ग्रा.पं. को विलंब से अनुदान हस्तांतरण के कारण संबंधित ग्रा.पं. को ब्याज का भुगतान करे। मंत्रालय द्वारा आगे, निर्देश दिया गया कि राज्य सरकार दंडात्मक ब्याज का भुगतान करने के बाद ही संशोधित उ.प्र.प. प्रेषित करे जो कि वर्ष 2015–16 के द्वितीय किस्त की विमुक्ति का एक पूर्व शर्त था।

इस मामले पर, बिहार के मुख्यमंत्री द्वारा टिप्पणी की गई (मार्च 2016) थी कि ग्रा.पं. को अनुदान राशि ससमय विमुक्त किया जाना चाहिए क्योंकि विलंब के कारण राज्यकोष पर भार पड़ता है तथा दंडात्मक ब्याज के रूप में संबंधित ग्रा.पं. को ₹ 8.12 करोड़ (ग्रा.पं. वार) के भुगतान को संस्थीकृति दी गई (10 मार्च 2016)।

पं.रा.वि. ने जवाब दिया (जुलाई 2016) कि विभाग द्वारा अनुदान की राशि को निर्धारित 15 दिन के अंदर ही विमुक्त किया गया था परंतु, जिला परिषद स्तर पर प्रक्रियात्मक विलंब के कारण डी.डी.ओ. द्वारा राशि की विमुक्ति में विलंब हुआ, परिणामस्वरूप ब्याज का भुगतान किया गया।

जवाब स्वीकार्य नहीं था क्योंकि अनुदान की राशि को सीधे संबंधित ग्रा.पं. के खाते में अंतरित किया जाना था एवं राज्य सरकार को 15 दिनों के अंदर अनुदान राशि ग्रा.पं. को विमुक्त किया जाना सुनिश्चित करना था। राज्य सरकार द्वारा अनुदान की राशि के ग्रा.पं. को सीधे स्थानांतरण के तंत्र को स्थापित करने में विफल रहने के कारण ग्रा.पं. को अनुदान प्राप्ति में विलंब हुआ। फलस्वरूप, बिहार सरकार को ब्याज के रूप में ₹ 8.12 करोड़ का परिहार्य भुगतान ग्रा.पं. को करना पड़ा। इसके कारण 2015–16 के लिए अनुदान की द्वितीय किश्त की विमुक्ति में भी विलंब हुआ, द्वितीय किश्त अक्टूबर 2015 में देय था परंतु, मार्च 2016 में विमुक्त किया गया।

आगे, यद्यपि बिहार के मुख्यमंत्री की इस टिप्पणी कि विलंब के कारण राज्यकोष पर भार पड़ता है, के बावजूद दोषी डी.डी.ओ. पर कोई कारवाई नहीं की गई।

<sup>40</sup> उद्यान, सड़कें, सड़कों पर सोशनी, स्वच्छता, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन एवं जलापूर्ति इत्यादि

**भाग—ब  
शहरी स्थानीय निकाय**

**अध्याय – III**

**बिहार में शहरी स्थानीय निकायों  
की कार्यप्रणाली का एक अधिदृश्य**

### अध्याय - III

#### बिहार में शहरी स्थानीय निकायों की कार्यप्रणाली का एक अधिदृश्य

##### 3.1 परिचय

चौहत्तरवें संविधान संशोधन अधिनियम (सं.सं.अ.), 1992 शहरी क्षेत्र की आबादी हेतु स्थानीय स्वशासन की स्थापना को उल्लिखित करता है एवं तदनुसार नगरपालिकाओं को शासन हेतु संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। राज्यों को नगरपालिकाओं को ऐसी शक्तियों, कार्यों तथा उत्तरदायित्वों को सौंपना था जिससे वे स्थानीय स्वशासन की संस्थाओं के रूप में कार्य कर सकें तथा संविधान की बारहवीं अनुसूची में वर्णित 18 विषयों में उन्हें प्रदत्त उत्तरदायित्वों का निर्वहन कर सकें।

तदनुसार, बिहार सरकार ने बिहार एवं उड़ीसा नगरपालिका अधिनियम, 1922 का निरसन करते हुए बिहार नगरपालिका अधिनियम (बि.न.अ.), 2007 को अधिनियमित किया तथा बिहार नगरपालिका लेखा नियमावली, 2014, बिहार नगरपालिका लेखा नियमावली एवं बिहार नगरपालिका बजट नियमावली तैयार किया। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की शहरी आबादी 1.18 करोड़ थी जो राज्य की कुल आबादी (10.41 करोड़) का 11.29 प्रतिशत थी। मार्च 2016 तक राज्य में 141 शहरी स्थानीय निकाय (श.स्था.नि.) थे जिनमें 3,320 पार्षद सम्मिलित थे। श.स्था.नि. का विगत चुनाव मई 2012 में संपन्न हुआ था।

बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 की धारा 7 एवं 20 राज्य सरकार द्वारा नगरपालिका क्षेत्र के वर्गीकरण के मानदंडों का उल्लेख करता है। 2011 की जनगणना के आधार पर श.स्था.नि. की संख्या को नीचे तालिका 3.1 में दर्शाया गया है:

तालिका – 3.1: श.स्था.नि. का वर्गीकरण

श.स्था.नि. की श्रेणी	कोटि	जनसंख्या	श.स्था.नि. की सं.
नगर निगम	वृहत् शहरी क्षेत्र	2 लाख से अधिक	11
नगर परिषद	श्रेणी 'क'	1.5 से 2 लाख	42
	श्रेणी 'ख'	1 से 1.5 लाख	
	श्रेणी 'ग'	0.40 से 1 लाख	
नगर पंचायत	छोटे शहरी ट्रांजिशन क्षेत्र	0.12 से 0.40 लाख	88

(स्रोत: बि.न.अ., 2007 की धारा 7 एवं 20)

राज्य के नगरपालिका क्षेत्रों को जनसंख्या के आधार पर अनेक वार्डों में बाँटा गया था जिसका निर्धारण एवं अधिसूचना राज्य सरकार द्वारा किया गया था। राज्य में नगरपालिकाओं के विभिन्न श्रेणियों में न्यूनतम 10 तथा अधिकतम 75 वार्ड थे। मार्च 2016 तक राज्य में 3,320 वार्ड थे।

##### 3.2 राज्य की रूपरेखा

बिहार राज्य देश के सबसे कम शहरीकृत राज्यों में से एक है तथा राज्य के केवल एक शहर (पटना) की आबादी 10 लाख से अधिक है। यद्यपि, बिहार की आबादी भारत की कुल आबादी का 8.6 प्रतिशत है परंतु, इसकी कुल आबादी का केवल 3.1 प्रतिशत शहरी आबादी है। राज्य की जनसांख्यिकीय तथा विकास सांख्यिकी आंकड़ों को नीचे तालिका 3.2 में दर्शाया गया है:

### तालिका-3.2: राज्य के महत्वपूर्ण आंकड़े

सूचक	इकाई	राज्य	संपूर्ण भारत
शहरी जनसंख्या	दस लाख	11.76	377.11
शहरी जनसंख्या घनत्व	प्रति वर्ग कि.मी. व्यक्ति	4811	3836
शहरी साक्षरता	प्रतिशत	76.86	84.11
श.स्था.नि. की संख्या	संख्या	141	3700
जिलों की संख्या	संख्या	38	686
शहरी गरीबी का स्तर	प्रतिशत	31.2	13.7
नगरपालिका प्रति व्यक्ति स्व राजस्व	₹	58	2540


(स्रोत: पंचम राज्य वित्त आयोग का प्रतिवेदन एवं भारतीय लोक प्रशासन संस्थान, नई दिल्ली का प्रतिवेदन)

### 3.3 श.स्था.नि. का संगठनात्मक ढाँचा


श.स्था.नि., नगर विकास एवं आवास विभाग (न.वि. एवं आ.वि.), बि.स. के प्रशासनिक नियंत्रण में होते हैं तथा प्रधान सचिव इसके प्रमुख होते हैं। नगर आयुक्त, नगर निगम के कार्यकारी प्रमुख होते हैं जबकि नगर परिषद एवं नगर पंचायत के कार्यकारी प्रधान कार्यपालक पदाधिकारी होते हैं जो राज्य सरकार द्वारा नियुक्त होते हैं। नगर प्रबंधक की नियुक्ति श.स्था.नि. में सविदा के आधार पर कार्यपालक पदाधिकारियों को सहायता प्रदान करने हेतु की जाती है।

श.स्था.नि. में एक सशक्त स्थायी समिति (स.स्था.स.) होती है जिसका गठन लोगों के द्वारा निर्वाचित पार्षदों/सदस्यों द्वारा होता है तथा निर्वाचित सदस्यों में से महापौर (नगर निगम के लिए)/सभापति (नगर परिषद व नगर पंचायत के लिए) चुने जाते हैं जो स.स्था.स. की बैठकों की अध्यक्षता करते हैं। श.स्था.नि. की संठनात्मक संरचना को नीचे चार्ट 3.1 एवं 3.2 में दर्शाया गया है:

#### चार्ट – 3.1: निर्वाचित निकाय



### चार्ट - 3.2: प्रशासनिक निकाय



(स्रोत: बि.न.अ., 2007 की धारा 36 एवं [www.urban.bih.nic.in](http://www.urban.bih.nic.in))

### 3.4 श.स्था.नि. की कार्यप्रणाली

#### 3.4.1 राज्य सरकार की शक्तियाँ

बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 राज्य सरकार को श.स्था.नि. के कार्यकलापों के समुचित निगरानी के लिए सक्षम बनाने हेतु निश्चित शक्तियाँ प्रदान करती है। श.स्था.नि. को कुछ कार्यकलापों को करने की शक्तियाँ प्राप्त हैं परंतु, सभी महत्वपूर्ण कार्यकलापों का निर्णय लेने का अधिकार राज्य सरकार के पास है। राज्य सरकार की शक्तियों का एक संक्षिप्त सार नीचे तालिका 3.3 में दर्शाया गया है:

### तालिका – 3.3: राज्य सरकार की शक्तियाँ

प्राधिकार	राज्य सरकार की शक्तियाँ
धारा 3 एवं 6	<b>नगरपालिका क्षेत्र का गठन:</b> इस अधिनियम के अंतर्गत राज्य सरकार जैसा उचित हो वैसा जांचोपरांत अधिसूचना द्वारा किसी शहरी क्षेत्र की जनसंख्या, जनसंख्या घनत्व, स्थानीय प्रशासन के लिए उत्पन्न राजस्व के आधार पर बड़े शहरी क्षेत्र, शहर, नगर या परिवर्तनशील क्षेत्र या अन्य निर्दिष्ट भाग को नगरपालिका क्षेत्र के रूप में घोषित कर सकती है।
धारा 44	<b>राज्य नगरपालिका निगरानी प्राधिकार:</b> राज्य सरकार नगरपालिका के मुख्य/उप मुख्य पार्षदों/पदाधिकारियों या अन्य कर्मचारियों के किसी भ्रष्टाचार, कदाचार, सत्यनिष्ठा के अभाव या अनाचार या कुशासन अथवा बदसलूकी की जाँच करने के लिए लोक प्रहरी की नियुक्ति करेगी।
धारा 65 एवं 66	<b>कार्यालय के निरीक्षण, अभिलेखों की मांग इत्यादि की शक्ति:</b> राज्य सरकार श.स्था.नि. के नियंत्रणाधीन किसी भी कार्यालय के निरीक्षण या अभिलेखों की मांग कर सकती है।
धारा 87	<b>नियमावली का निर्माण:</b> राज्य सरकार नगरपालिकाओं में सभी वित्तीय एवं लेखांकन मामले व प्रक्रियाओं के विवरण से युक्त एकुअल आधारित द्विप्रविष्टी लेखांकन तंत्र के कार्यान्वयन हेतु एक नियमावली यथा: बिहार नगरपालिका लेखांकन नियमावली तैयार कर इसका संधारण करेगी।
धारा 419	<b>नियम बनाने की शक्ति:</b> राज्य सरकार, राज्य विधायिका के अनुमोदन से अधिसूचना द्वारा बि.न.अ., 2007 के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए नियम बना सकती है।
धारा 421 एवं 423	<b>विनियम बनाने की शक्ति:</b> नगरपालिका बि.न.अ., 2007 के प्रावधानों को प्रभावी बनाने के उद्देश्य से राज्य सरकार के अनुमोदन से विनियम बना सकती है।
धारा 487	<b>कठिनाईयों का निवारण:</b> बि.न.अ., 2007 के उपबंधों को कार्यान्वयन करने में यदि कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो राज्य सरकार, उस कठिनाई का निराकरण करने के लिए जो भी आवश्यक हो कर सकती है।

(स्रोत: बि.न.अ., 2007)

#### 3.4.2 कार्यों व निधियों का प्रतिनिधायन

चौहत्तरवां संविधान संशोधन अधिनियम (74वां सं.सं.अ.) श.स्था.नि. को संविधान की बाहरवीं अनुसूची में वर्णित 18 विषयों पर कार्य करने के लिए सक्षम बनाती है। तदनुसार, श.स्था.नि. द्वारा 17 विषयों (अग्नि सेवा छोड़कर) से संबंधित कार्यों के कार्यान्वयन के लिए बि.स. ने बि.न. अधिनियम, 2007 में प्रावधान किया (**परिशिष्ट-3.1**)। लेखापरीक्षा में पाया गया कि श.स्था.नि. द्वारा इन 17 विषयों में से 12 विषयों से संबंधित कार्यों का कार्यान्वयन परंपरागत तरीके से किया जा रहा था तथा शेष पाँच विषयों<sup>41</sup> से संबंधित कार्यों का निष्पादन बि.स. के कार्यकारी विभागों द्वारा किया जा रहा था। 74वां सं.सं.अ. की शर्तों के अनुसार कार्यों के प्रतिनिधायन से संबंधित अधिसूचना अलग से निर्गत नहीं की गयी एवं श.स्था.नि. की भूमिका व दायित्वों के स्पष्टीकरण हेतु गतिविधि मानचित्रण का कार्यान्वयन भी नहीं किया गया था। श.स्था.नि. में कर्मियों की कमी व तकनीकी अक्षमता के कारण, श.स्था.नि. के इन कार्यों के निष्पादनार्थ बड़ी संख्या में सामानांतर निकाय (सा.नि.) का निर्माण किया गया एवं तदनुसार उन्हें निधियों का प्रतिनिधायित किया गया। इस प्रकार, श.स्था.नि. के कार्यों का अतिव्यापन बि.स. के कार्यकारी विभागों/सा.नि. द्वारा किया गया तथा 74वां सं.सं.अ. के 24 वर्षों से अधिक व्यतीत हो जाने के बाद भी श.स्था.नि. अनिवार्य कार्यों के कार्यान्वयन में अक्षम थे।

<sup>41</sup> (1) पटना के अलावा अन्य स्थानों में लोक स्वास्थ्य एवं अभियंत्रण विभाग द्वारा जलापूर्ति (2) शहरी वानिकी एवं पर्यावरण संरक्षण (3) अग्नि सेवाएं (4) कला एवं संस्कृति को बढ़ावा (5) शिक्षा विभाग द्वारा प्राथमिक शिक्षा

### 3.4.3 कर्मियों का प्रतिनिधायन

बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 की धारा 36 श.स्था.नि. के लिए विभिन्न पदों का प्रावधान करती है परंतु इनमें से अधिकांश पद रिक्त थे। सितंबर 2016 तक रिक्त पदों का विवरण नीचे तालिका 3.4 (अ) एवं (ब) में दर्शाया गया है:

**तालिका – 3.4 (अ): श.स्था.नि. में रिक्त पद**

क्र. स.	श.स्था.नि.	स्वीकृत पद	कार्यरत बल	रिक्ति	रिक्त पदों की प्रतिशतता
1.	नगर निगम	5747	2524	3223	56
2.	नगर परिषद्	4923	1977	2946	60
3.	नगर पंचायत	1783	807	976	55
<b>कुल</b>		<b>12453</b>	<b>5308</b>	<b>7145</b>	<b>57</b>

(स्रोत: न.वि. एवं आ.वि., वि.स. द्वारा प्रदत्त सूचना)

**तालिका – 3.4 (ब): श.स्था.नि. में कार्यपालक एवं तकनीकी कर्मियों के रिक्त पद**

क्र.सं.	पदनाम	स्वीकृत पद	कार्यरत बल	रिक्ति	रिक्त पदों की प्रतिशतता
1.	कार्यपालक पदाधिकारी	130	22	108	83
2.	सहायक अभियंता	70	3	67	96
3.	नगर प्रबंधक	152	69 (संविदा पर)	83	55
4.	कनीय अभियंता	201	3	198	99

(स्रोत: न.वि. एवं आ.वि., वि.स. द्वारा प्रदत्त सूचना)

उपरोक्त तालिका 3.4 (अ) एवं (ब) से स्पष्ट है कि श.स्था.नि. में कर्मियों की कमी थी। कुल 12,453 स्वीकृत पदों में से 7,145 पद (57 प्रतिशत) रिक्त थे। लेखापरीक्षा में आगे पाया गया कि मार्च 2007 तक 40 प्रतिशत पद रिक्त थे जो सितंबर 2016 को बढ़कर 57 प्रतिशत हो गया। आगे, तकनीकी कर्मियों के 96 से 99 प्रतिशत पद रिक्त थे। कार्यपालक पदाधिकारी के कार्य एवं दायित्वों का निर्वहन अन्य विभागों के पदाधिकारियों द्वारा किए जा रहे थे क्योंकि सितंबर 2016 तक कार्यपालक पदाधिकारी के 83 प्रतिशत पद रिक्त थे। श.स्था.नि. में कर्मियों की कमी की वजह से अनुदानों का न्यून उपयोग, कुँजी दस्तावेजों का अपर्याप्त संधारण, श.स्था.नि. के विभिन्न कार्यों के निष्पादनार्थ बड़ी संख्या में सा.नि. का निर्माण इत्यादि हुआ। हाँलाकि, नगर प्रबंधकों, कार्यपालक पदाधिकारियों एवं कनीय अभियंताओं के रिक्तियों को भरने के लिए न.वि. एवं आ.वि. ने कदम उठाए थे (फरवरी 2014, मई 2016 एवं नवंबर 2016)।

### 3.5 समितियों का गठन

#### 3.5.1 सशक्त स्थायी समिति

बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 की धारा 21 एवं 22 यह प्रावधान करता है कि प्रत्येक नगरपालिका में एक सशक्त स्थायी समिति (स.स्था.स.) होगा तथा नगरपालिका की कार्यकारी शक्तियाँ स.स्था.स. में अंतर्निहित रहेंगी। मुख्य पार्षद, स.स्था.स. द्वारा उनको प्रदत्त शक्तियों एवं प्रकार्यों का प्रयोग करेंगे। स.स्था.स. की संरचना को नीचे तालिका 3.5 में दर्शाया गया है:

### तालिका – 3.5: सशक्त स्थायी समितियाँ

श.स्था.नि. की श्रेणी	पीठासीन पदाधिकारी	स.स्था.स. की संरचना	अभियुक्ति
नगर निगम	महापौर	महापौर, उप—महापौर एवं सात अन्य पार्षद	
श्रेणी 'क' अथवा 'ख' नगर परिषद	नगर सभापति	नगर सभापति, नगरपालिका उपसभापति एवं पाँच अन्य पार्षद	
श्रेणी 'ग' नगर परिषद	नगर अध्यक्ष	नगर अध्यक्ष, नगर उपाध्यक्ष एवं तीन अन्य पार्षद	
नगर पंचायत	नगर अध्यक्ष	नगर अध्यक्ष, नगर उपाध्यक्ष एवं तीन अन्य पार्षद	स.स्था.स. के अन्य सदस्यों को मुख्य पार्षद द्वारा निर्वाचित पार्षदों के बीच से नामित किया जाएगा

(स्रोत: बि.न.अ., 2007 की धारा 21)

स.स्था.स. नगर निगम, नगर परिषद अथवा नगर पंचायत जैसी स्थिति हो, के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी है।

#### 3.5.2 जिला योजना समिति

संविधान की धारा 243 जेड.डी. ने जिले के पंचायतों एवं नगरपालिकाओं द्वारा तैयार योजनाओं को समेकित करने एवं संपूर्ण जिले के लिए एक प्रारूप विकास योजना (प्रा.वि.यो.) तैयार करने के लिए जिला योजना समिति (जि.यो.स.) के गठन की परिकल्पना की। तदनुसार, बि.स. ने बि.न.अ., 2007 में प्रावधान किए तथा बिहार जिला योजना समिति व कार्य नियमों का संचालन नियम, 2006 तैयार किया।

बि.न.अ., 2007 की धारा 275 प्रावधान करता है कि जि.यो.स. द्वारा समेकित एवं राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित जिले के प्रा.वि.यो. में श.स्था.नि. द्वारा कार्यान्वित सभी विकासात्मक योजनाओं को सम्मिलित किया जाना चाहिए। हालांकि यह पाया गया कि 2015–16 तक श.स्था.नि. द्वारा स्वयं के स्रोतों एवं नागरिक सुविधा शीर्ष से कार्यान्वित विकासात्मक कार्यों को जिले के प्रा.वि.यो. में सम्मिलित नहीं किया गया था।

हालांकि, विशेष सचिव, न.वि. एवं आ.वि. ने बताया (19 दिसंबर 2016) कि श.स्था.नि. द्वारा वर्ष 2016–17 हेतु तैयार किए गए योजनाओं को जि.यो.स. द्वारा समेकित किया गया था।

### 3.6 लेखापरीक्षा व्यवस्था

#### 3.6.1 प्राथमिक लेखापरीक्षक

बि.न.अ., 2007 की धारा 91(1) प्रावधान करता है कि विशेष निधियों यदि कोई हो, सहित वित्तीय विवरणी एवं तुलन पत्र में निहित लेखाओं का निरीक्षण व लेखापरीक्षा निदेशक, स्थानीय निधि अंकेक्षण (नि.स्था.नि.अं.) अथवा उसके समतुल्य प्राधिकार अथवा पेशेवर चाटर्ड एकाउंटेंटों के पैनल से राज्य सरकार द्वारा नियुक्त लेखापरीक्षक द्वारा किया जाएगा। आगे, बि.न.अ., 2007 (2013 में संशोधित) की धारा 91(2) के अनुसार श.स्था.नि. के लेखाओं का समुचित संधारण व लेखाओं के अंकेक्षण पर तकनीकी मार्गदर्शन व सहयोग (त.मा.स.) भारत के नियंत्रक—महालेखापरीक्षक प्रदान करेंगे तथा नियंत्रक—महालेखापरीक्षक द्वारा तैयार वार्षिक प्रतिवेदन राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों में उपस्थापित किया जायेगा।

राज्य सरकार ने महालेखाकार (लेखापरीक्षा), बिहार कार्यालय के स्थानीय लेखापरीक्षक (स्था.ले.प.) को नि.स्था.नि.अं. के रूप में कार्य करने हेतु प्राधिकृत किया (नवंबर 2007)। तदनुसार, श.स्था.नि. का अंकेक्षण स्था.ले.प. द्वारा स्थानीय निधि लेखापरीक्षा अधिनियम, 1925 के प्रावधानों के अंतर्गत नवंबर 2016 तक किया गया।

आगे, केंद्रीय वित्त आयोग के अनुपालन में राज्य सरकार ने स्थानीय निकायों की लेखापरीक्षा हेतु वित्त विभाग, बिहार सरकार के अधीन मुख्य लेखा नियंत्रक—सह—नि.स्था.नि.अं. की अध्यक्षता में स्थानीय निधि अंकेक्षण निदेशालय के गठन की अधिसूचना जारी की (जून 2015) एवं 11 जून 2015 से यह कार्यशील था। 2015–16 के दौरान, नि.स्था.नि.अं. के रूप में स्था.ले.प. तथा स्थानीय निधि अंकेक्षण निदेशालय द्वारा श.स्था.नि. का लेखापरीक्षा किया गया। स्था.ले.प., महालेखाकार (लेखापरीक्षा) कार्यालय तथा स्था.नि.ले.नि., बि.स. द्वारा लेखापरीक्षित इकाईयों का विवरण नीचे तालिका 3.6 में दर्शाया गया है:

**तालिका–3.6: स्था.ले.प., म.ले. (लेखापरीक्षा) एवं स्था.नि.ले.नि., बि.स. द्वारा अंकेक्षण की स्थिति**

प.सा.सं.	इकाईयों की कुल संख्या	स्था.ले.प. द्वारा अंकेक्षित इकाईयों की संख्या	स्था.नि.ले.नि. द्वारा अंकेक्षित इकाईयों की संख्या	स्था.नि.ले.नि. से म.ले. (लेखापरीक्षा) को मार्गदर्शन के लिए प्राप्त प्रतिवेदनों की संख्या
नगर निगम	11	11	0	0
नगर परिषद	42	20	6	3
नगर पंचायत	88	28	1	1
<b>कुल</b>	<b>141</b>	<b>59</b>	<b>7</b>	<b>4</b>

2015–16 के दौरान राज्य के कुल 141 श.स्था.नि. में से 59 श.स्था.नि.<sup>42</sup> के लेखाओं का अंकेक्षण स्था.ले.प. द्वारा किया गया जबकि श.स्था.नि. की सात<sup>43</sup> इकाईयों का अंकेक्षण स्थानीय निधि अंकेक्षण निदेशालय द्वारा किया गया। नि.स्था.नि.अं. द्वारा लेखापरीक्षित कुल इकाईयों में से चार श.स्था.नि. का प्रतिवेदन स्था.ले.प. कार्यालय में मार्गदर्शन के लिए प्राप्त हुए थे (सितंबर 2015) एवं इन प्रतिवेदनों पर टिप्पणियों से स्था.नि.ले.नि. को अवगत (दिसंबर 2015) करा दिया गया था।

### 3.6.2 भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा लेखापरीक्षा

केंद्रीय वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में नि.म.ले.प. को सभी स्थानीय निकायों (स्था.नि.) के प्रत्येक स्तर के लेखापरीक्षा पर त.मा.स. सौंपा जाना चाहिए तथा उसका वार्षिक तकनीकी निरीक्षण प्रतिवेदन, नि.स्था.नि.अं. के वार्षिक प्रतिवेदन के साथ राज्य विधायिका के समक्ष अवश्य प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

इस संबंध में, राज्य सरकार ने स्था.नि. के लेखापरीक्षा के लिए वित्त विभाग के अंतर्गत एक कोषांग<sup>44</sup> की स्थापना की थी (अक्टूबर 2013)। आगे, राज्य सरकार ने इस उद्देश्य हेतु स्थानीय निधि अंकेक्षण निदेशालय की स्थापना को अधिसूचित किया (जून 2015)। वित्त विभाग, बिहार सरकार ने सूचित किया (दिसंबर 2015) कि राज्य सरकार ने त.मा.स. के अंतर्गत स्था.नि. के लेखापरीक्षा के लिए लेखापरीक्षा एवं लेखा विनियम, 2007 के तहत मानक नियमों एवं शर्तों को स्वीकार कर लिया है। त.मा.स. व्यवस्था के अंतर्गत लेखापरीक्षा दिसंबर 2016 से प्रारंभ किया गया।

<sup>42</sup> **नगर निगम(11):** आरा, भागलपुर, बेगूसराय, बिहारशरीफ, दरभंगा, गया, कटिहार, मुंगेर, मुजफ्फरपुर, पटना एवं पूर्णिया **नगर परिषद (20):** अररिया, बैतिया, भगुआ, बीहट, डेहरी डालमियानगर, गोपालगंज, हिल्सा, जमुई, खगोल, मधेपुरा, मधुबनी, मोतीहारी, समस्तीपुर, सासाराम, शेखपुरा, सीतामढ़ी, सिवान, सुल्तानगंज एवं सुपौल **नगर पंचायत (28):** अरेराज, बखित्यारपुर, बरौली, बड़हिया, बिहिया, बोधगया, खुसरुपुर, कोआथ, महनार, मीरगंज, मुरलीगंज, नासरीगंज, निर्मली, पीरो, रफीगंज, राजगीर, शेरधाटी, सिलाव, सोनपुर एवं तेघरा

<sup>43</sup> **नगर परिषद:** भगुआ, दानापुर, लखीसराय, फुलवारीशरीफ, सासाराम एवं सीतामढ़ी **नगर पंचायत:** शिवहर

<sup>44</sup> 39 वरीय लेखापरीक्षक एवं उप वित्त नियंत्रक से बना

### 3.7 लेखापरीक्षा टिप्पणियों पर अनुक्रिया

#### 3.7.1 निरीक्षण प्रतिवेदनों की असंतोषप्रद अनुक्रिया


लेखापरीक्षा की समाप्ति के बाद, लेखापरीक्षा निष्कर्षों के साथ निरीक्षण प्रतिवेदनों (नि.प्र.) की एक प्रति न.वि. एवं आ.वि., बि.स. सहित लेखापरीक्षित इकाईयों को प्रेषित किए गए थे। संबंधित लेखापरीक्षित इकाईयों के मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी/कार्यपालक पदाधिकारियों को नि.प्र. में निहित अंकेक्षण टिप्पणियों पर नि.प्र. की प्राप्ति के तीन महीने के अंदर स्थाले. प. को अनुपालन प्रतिवेदन समर्पित करना था। कार्यपालक पदाधिकारियों ने लेखापरीक्षा कंडिकाओं के अनुपालन के लिए कोई प्रभावी कदम नहीं उठाया जैसा कि लंबित कंडिकाओं की साल-दर-साल बढ़ती संख्या से स्पष्ट है। लंबित कंडिकाओं का विवरण नीचे तालिका 3.7 व चार्ट 3.3 में दर्शाया गया है:

**तालिका—3.7: विगत पाँच वर्षों के लिए श.स्था.नि. में लंबित कंडिकाएँ**

वर्ष	नि.प्र. की सं.	नि.प्र. में कंडिकाओं की सं.	सम्मिलित राशि (₹ करोड़ में)	निपटान कंडिकाओं की सं.	निपटान की राशि (₹ करोड़ में)	लंबित कंडिकाओं की सं.	लंबित कंडिकाओं का मौद्रिक मूल्य (₹ करोड़ में)
1	2	3	4	5	6	7 (3–5)	8 (4–6)
2011–12	43	1237	52.94	360	4.16	877	48.78
2012–13	61	1398	45.63	213	1.74	1185	43.89
2013–14	67	1141	75.35	161	4.68	980	70.67
2014–15	93	1898	373.66	543	9.04	1355	364.62
2015–16	35	497	70.91	—	—	497	70.91
<b>कुल</b>	<b>299</b>	<b>6171</b>	<b>618.49</b>	<b>1277</b>	<b>19.62</b>	<b>4894</b>	<b>598.87</b>

(स्रोत: श.स्था.नि. का निरीक्षण प्रतिवेदन)

**चार्ट 3.3**



उपरोक्त तालिका 3.7 एवं चार्ट 3.3 से स्पष्ट है कि 299 नि.प्र. में निहित 6,171 कंडिकाओं में से केवल 1,277 कंडिकाओं (21 प्रतिशत) का निपटान हुआ तथा ₹ 598.87 करोड़ राशि की 4,894 कंडिकाएँ 31 मार्च 2016 तक लंबित थीं।

बड़ी संख्या में लंबित कंडिकाओं ने संबंधित प्राधिकारियों द्वारा इन कंडिकाओं के अनुपालन समर्पित करने के प्रयासों की कमी को इंगित किया।

### **3.7.2 स्था.ले.प. के वार्षिक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों का अनुपालन**

वित्त विभाग, बि.स. ने स्था.ले.प. के वार्षिक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों की समीक्षा के लिए त्रि-स्तरीय समितियों—उच्च स्तरीय, विभाग स्तरीय एवं जिला स्तरीय का गठन (मार्च 2010) किया था। जिला स्तरीय समिति<sup>45</sup> का उत्तरदायित्व, जिले के श.स्था.नि. से प्राप्त लेखापरीक्षा कंडिकाओं/प्रतिवेदनों के अनुपालन को सुनिश्चित करना है। विभाग स्तरीय समिति<sup>46</sup> को जिला स्तरीय समितियों द्वारा किए गए अनुपालन की स्थिति की समीक्षा करना है तथा जिला एवं विभाग स्तरीय समितियों के कार्यकलापों की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय समिति<sup>47</sup> की बैठक छः महीने में एक बार होनी है।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि 2015–16 के दौरान केवल एक जिला स्तरीय समिति की बैठक हुई थी। 2015–16 के दौरान विभाग स्तरीय एवं उच्च स्तरीय समिति की कोई बैठक नहीं हुई थी तथा इस प्रकार इन समितियों के गठन का उद्देश्य विफल रहा तथा स्था.ले.प. के वार्षिक प्रतिवेदन में समिलित लेखापरीक्षा कंडिकाओं पर विमर्श अछूता रह गया।

### **3.7.3 स्थानीय निकायों के प्रतिवेदन की स्थिति**

बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 (जनवरी 2014 में यथा संशोधित) की धारा 91 (2) में निहित प्रवधानों के अनुसार भारत के नि.म.ले.प. द्वारा तैयार किए गए श.स्था.नि. के वार्षिक प्रतिवेदन को राज्य विधायिका के दोनों सदनों के पटल पर रखा जायेगा।

वर्ष 2013–14 अवधि तक के लिए स्थानीय निकायों पर स्था.ले.प. के वार्षिक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन तैयार किए गए एवं संबंधित विभागों को एक प्रति के साथ राज्य सरकार को समर्पित किए गए थे। यद्यपि, 2012–13 एवं 2013–14 की अवधि के लिए स्थानीय निकायों के प्रतिवेदनों को राज्य विधायिका के समक्ष उपस्थापित किया गया (11 मार्च 2016) परंतु, लोक लेखा समिति (लो.ले.स.) या लो.ले.स. जैसी समिति में प्रतिवेदनों पर विमर्श के लिए कोई व्यवस्था नहीं की गई थी। वर्ष 2014–15 के लिए प्रथम नि.म.ले.प. का प्रतिवेदन राज्य विधायिका के दोनों सदनों के पटल पर 4 अप्रैल 2016 को रखा गया तथा बि.स. ने लो.ले.स. में प्रतिवेदन पर चर्चा करने का निर्णय लिया। 23 जनवरी 2017 तक श.स्था.नि. पर नि.म.ले.प. के प्रतिवेदन पर चर्चा करने हेतु लो.ले.स. की दो बैठक हुई (जून व अगस्त 2016) परंतु किसी लेखापरीक्षा अवलोकन का निपटान नहीं हुआ।

## जवाबदेही तंत्र एवं वित्तीय प्रतिवेदन मामले

### **3.8 जवाबदेही तंत्र**

#### **3.8.1 लोकप्रहरी (लोकपाल)**

बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 की धारा 44(1) श.स्था.नि. के प्राधिकारियों के भ्रष्टाचार, सत्यनिष्ठा का अभाव, कदाचार इत्यादि के किसी आरोप की जाँच करने के लिए लोकप्रहरी (लोकपाल) की नियुक्ति का प्रावधान करता है। लोकप्रहरी (लोकपाल) की नियुक्ति के लिए योग्यता, शर्त व नियम एवं कार्यकाल तथा अधिकार व कर्तव्य सरकार द्वारा निर्धारित की जायेगी। तेरहवें वित्त आयोग ने सामान्य निष्पादन अनुदान की प्राप्ति हेतु योग्यता मानदंड के रूप में राज्य सरकार को एक स्वतंत्र स्थानीय निकाय लोकप्रहरी (लोकपाल) तंत्र की व्यवस्था करने की अनुशंसा की थी। इस प्रकार, नियुक्त लोकप्रहरी

<sup>45</sup> जिलाधिकारी/उप विकास आयुक्त की अध्यक्षता में

<sup>46</sup> प्रधान सचिव/सचिव, न.वि.एवं आ.वि., बि.स. की अध्यक्षता में

<sup>47</sup> वित्त विभाग, बि.स. के प्रधान सचिव की अध्यक्षता में एवं प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) एक सदस्य के रूप में

(लोकपाल) निर्वाचित व अधिकारिक दोनों तरह के कर्मियों के खिलाफ भष्टाचार एवं कदाचार की शिकायत की जाँच एवं उपयुक्त कारवाई की अनुशंसा करेंगे। पंचम राज्य वित्त आयोग ने भी श.स्था.नि. के लिए एक अलग लोकप्रहरी (लोकपाल) की अनुशंसा की थी। परंतु, दिसंबर 2016 तक न.वि. एवं आ.वि., बि.स. द्वारा लोकप्रहरी (लोकपाल) की नियुक्ति नहीं की गयी थी। न.वि. एवं आ.वि. ने लोकपाल नियमावली (न.वि. एवं आ.वि. तथा पं.रा.वि. के लिए संयुक्त) का प्रारूप तैयार किया था एवं पं.रा.वि. के साथ उनके विचार के लिए प्रषित किया, जो दिसंबर 2016 तक दो वर्षों से अधिक समय से प्रतीक्षित था।

### **3.8.2 सामाजिक अंकेक्षण**

सामाजिक अंकेक्षण का मूल उद्देश्य जन-भागीदारी द्वारा परियोजनाओं, कानून एवं नीतियों के कार्यान्वयन में लोक उत्तरदायित्व को सुनिश्चित करना है। यद्यपि बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 श.स्था.नि. में सामाजिक अंकेक्षण का प्रावधान नहीं करता है, पंचम राज्य वित्त आयोग ने अनुशंसा की थी कि श.स्था.नि. में सामाजिक अंकेक्षण जवाबदेही तंत्र के रूप में किया जाना था एवं मलिन बस्ती व गरीबी उन्मूलन परियोजनाओं के लिए सामाजिक अंकेक्षण अनिवार्य रूप से किया जाना चाहिए।

अपर सचिव, न.वि. एवं आ.वि. ने बताया कि अक्टूबर 2016 तक श.स्था.नि. में सामाजिक अंकेक्षण के लिए तंत्र स्थापित नहीं की गयी थी। सामाजिक अंकेक्षण तंत्र के स्थापित नहीं होने का कारण न.वि. एवं आ.वि. द्वारा नहीं बताया गया (दिसंबर 2016)।

### **3.8.3 संपत्ति कर बोर्ड**

बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 की धारा 138(अ) संपत्ति कर के निर्धारण, संग्रहण व वसूली की अभिवृद्धि हेतु स्वतंत्र एवं पारदर्शी प्रक्रिया स्थापित करने के लिए एक राज्य स्तरीय संपत्ति कर बोर्ड की स्थापना का प्रावधान करता है। तेरहवें वित्त आयोग ने भी संपत्ति कर के निर्धारण हेतु एक स्वतंत्र एवं पारदर्शी प्रक्रिया स्थापित करने में श.स्था.नि. को सहायता प्रदान करने हेतु राज्य स्तरीय संपत्ति कर बोर्ड के स्थापना की अनुशंसा की थी। यद्यपि, न.वि. एवं आ.वि., बि.स. द्वारा बिहार संपत्ति कर बोर्ड नियमावली, 2013 बनाया एवं अधिसूचित (मई 2013) किया गया, परंतु बोर्ड का गठन प्रक्रियाधीन था (अक्टूबर 2016)।

### **3.8.4 सेवा स्तर मानक**

तेरहवें वित्त आयोग ने अनुशंसा किया था कि श.स्था.नि. द्वारा सेवा प्रदान करने को प्राथमिकता दी जानी चाहिए एवं आवश्यक नागरिक सेवाओं के लिए मानक स्थापित करना चाहिए। इस शर्त के अंश के रूप में श.स्था.नि. को आगामी वित्तीय वर्ष के अंत में प्राप्त किए जानेवाले मानकों को प्रत्येक वर्ष अधिसूचित व राज्य के राजपत्र में इसे प्रकाशित करना है।

तदनुसार, बि.स. ने श.स्था.नि. द्वारा सेवाएँ प्रदान करने हेतु सेवा स्तर मानक (से.स.मा.) बनाए। 11 नगर निगमों (न.नि.) के अभिलेखों की जाँच में पाया गया कि अधिकांश न.नि. सेवा स्तर मानक को प्राप्त नहीं कर सके। पाँच न.नि. में सीवरेज ट्रीटमेंट के मामले में कोई उपलब्धि नहीं हुई थी, सात न.नि. में शौचालय का विस्तार 50 प्रतिशत से कम था एवं 10 न.नि. में नगरीय ठोस अपशिष्ट (न.ठो.अ.) के निपटान के मामले में 20 प्रतिशत से कम उपलब्धि थी। 11 न.नि. में सेवा स्तर मानकों के मापदंड एवं इसकी स्थिति परिशिष्ट-3.2 में दर्शायी गयी है।

अपर सचिव, न.वि. एवं आ.वि., ने बताया (अक्टूबर 2016) कि जनवरी 2016 से राज्य के सभी श.स्था.नि. को बजट के साथ सेवा स्तर मानक की उद्घोषणा करना अनिवार्य कर दिया गया था।

### 3.8.5 फायर हजार्ड रिसपैस

तेरहवें वित्त आयोग की अनुशंसा के अनुसार, एक मिलियन (2001 की जनगणना) से अधिक की जनसंख्या वाले सभी नगर निगम अपने अधिकार क्षेत्र में एक फायर हजार्ड रिसपैस एवं मिटिगेशन योजना बनायेंगे।

न.वि. एवं आ.वि., बि.स. ने पटना नगर निगम के लिए फायर हजार्ड रिसपैस एवं मिटिगेशन की योजना को अधिसूचित किया (मार्च 2011)। परंतु, उक्त योजना फरवरी 2016 तक साकार नहीं किया जा सका।

### 3.8.6 उपयोगिता प्रमाणपत्र का प्रेषण

बि.वि.नि. का नियम 342 (1) प्रावधान करता है कि अनुदानों की उपयोगिता को, अनुदान प्राप्ति के 18 माह के अंदर अनुदेयी संस्थानों को समर्पित किया जाना चाहिए। अनुदान विमुक्ति के आवंटन पत्रों में दिए गए निर्देशों के अनुसार श.स्था.नि. द्वारा उपयोगिता प्रमाण पत्र (उ.प्र.प.) राज्य सरकार को निर्धारित अवधि के अंदर समर्पित किया जाना चाहिए।

न.वि. एवं आ.वि., बि.स. द्वारा लंबित उ.प्र.प. की स्थिति प्रदान नहीं की गई, हांलाकि महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) द्वारा संकलित उ.प्र.प. के अनुसार न.वि. एवं आ.वि. द्वारा विभिन्न सहाय्य अनुदान के रूप में 2003–15 के दौरान ₹ 10,261.62 करोड़ का अनुदान विमुक्ति (जुलाई 2015 तक) किया गया परंतु, 2 फरवरी 2017 तक ₹ 4,223.56 करोड़ (41 प्रतिशत) के उ.प्र.प. लंबित थे। वर्षावार लंबित उ.प्र.प. की विवरणी तालिका 3.8 में दर्शाया गया है:

**तालिका – 3.8: वर्षावार लंबित उ.प्र.प. की विवरणी**

(₹ करोड़ में)

वर्ष	विमुक्त अनुदान	लंबित उ.प्र.प.	लंबित उ.प्र.प. का प्रतिशत
2003–12	4107.71	1308.68	31.86
2012–13	1376.53	240.47	17.47
2013–14	1736.19	635.39	36.60
2014–15	2229.12	1394.67	62.57
2015–16 (जुलाई 2015 तक)	812.28	644.35	79.33
<b>कुल</b>	<b>10261.62</b>	<b>4223.56</b>	<b>41.16</b>

(स्रोत: महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) कार्यालय द्वारा प्रदान की गई सूचना)

इतनी लंबी अवधि से उ.प्र.प. का लंबित रहना, कमजोर आंतरिक नियत्रण एवं निधियों के संभावित दुरुपयोग की ओर संकेत करता है।

### 3.9 वित्तीय प्रतिवेदन मामले


#### 3.9.1 निधि के स्रोत

##### 3.9.1.1 वित्त के स्रोत

शहरी स्थानीय निकाय, विकास कार्यों के कार्यान्वयन हेतु भारत सरकार तथा राज्य सरकार से अनुदान के रूप में निधि प्राप्त करते हैं। भारत सरकार के अनुदान में केंद्रीय वित्त आयोग (के.वि.आ.) की अनुशंसा पर हस्तांतरित अनुदान शामिल हैं। राज्य सरकार के अनुदान, राज्य वित्त आयोग (रा.वि.आ.) की अनुशंसा पर राज्य के कुल स्वयं कर राजस्व के निवल प्राप्तियों के हस्तांतरण एवं राज्य प्रायोजित योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु प्राप्त होते हैं। इसके अतिरिक्त, श.स्था.नि. के पास निधियों के स्वयं के स्रोत (कर राजस्व एवं गैर कर

राजस्व) भी थे। भूमि एवं भवनों पर लगनेवाला संपत्ति कर श.स्था.नि. के स्वयं के राजस्व स्रोतों में मुख्य है। श.स्था.नि. के वित्तीय स्रोतों को नीचे चार्ट 3.4 में दर्शाया गया है:

**चार्ट – 3.4: निधि के स्रोत**



(स्रोत: बि.न.आ. 2007 की धारा 127)

### 3.9.1.2 राज्य बजट आवंटन की तुलना में व्यय

राज्य सरकार का वर्ष 2011–16 के लिए श.स्था.नि. के बजट प्रावधान, जिसमें भारत सरकार की योजनाओं के लिए राज्यांश तथा के.वि.आ. की अनुशंसाओं के तहत प्राप्त अनुदान शामिल है, नीचे तालिका 3.9 में दिया गया है:

**तालिका – 3.9: बजट आवंटन की तुलना में व्यय**

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	शीर्ष	2011–12	2012–13	2013–14	2014–15	2015–16	कुल
		1	2	3	4	5	6	8 (3 से 7)
1.	बजटीय आवंटन	राजस्व	1374.83	1668.44	2537.40	3300.59	3111.15	11992.41
		पूँजीगत	7.00	2.00	1.00	1.00	37.73	48.73
		कुल	1381.83	1670.44	2538.40	3301.59	3148.88	12041.14
2.	व्यय	राजस्व	661.37	1263.72	1717.44	1778.46	1977.47	7398.46
		पूँजीगत	0	2.00	1.00	0	0	3.00
		कुल	661.37	1265.72	1718.44	1778.46	1977.47	7401.46
3.	बचत (1–2)		720.46	404.72	819.96	1523.13	1171.41	4639.68
4.	बचत का प्रतिशत		52	24	32	46	37	39

(स्रोत: बिहार सरकार के विनियोजन लेखे)

उपरोक्त तालिका 3.9 से यह स्पष्ट है कि न.वि. एवं आ.वि. द्वारा संपूर्ण बजटीय आवंटन का उपयोग नहीं किया जा सका एवं 2011–16 के दौरान बचत की प्रतिशतता का परास 24 प्रतिशत से 52 प्रतिशत के बीच था। 2011–16 के दौरान पूँजीगत शीर्ष के अंतर्गत आवंटन, कुल आवंटन का एक प्रतिशत से भी कम था जबकि 2011–12, 2014–15 एवं 2015–16 में पूँजीगत व्यय शून्य था।



लेखापरीक्षा में आगे पाया गया कि रा.आ.यो. के अंतर्गत 20 नवंबर 2014 को ₹ 149.15 करोड़ अनुदान विमुक्त किया गया था परंतु, अगस्त 2016 तक अनुदान का केवल 65.43 प्रतिशत ही उपयोग किया गया।

### 3.9.3 राज्य वित्त आयोग (रा.वि.आ.)

बिहार सरकार ने अनुच्छेद 243—आई सहपठित 243—वाई के अनुपालन में तथा बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 के प्रावधानों के अंतर्गत स्थानीय निकायों की वित्तीय स्थिति का आकलन करने तथा राज्य एवं स्थानीय निकायों के बीच करों, शुल्कों आदि के बैंटवारे को विनियमित करने वाले सिद्धांतों की अनुशंसा के लिए पंचम राज्य वित्त आयोग का गठन (दिसंबर 2013) किया। यद्यपि, आयोग का प्रतिवेदन 31 मार्च 2015 को ही समर्पित होना था परंतु इसे फरवरी 2016 में समर्पित किया गया। इसके फलस्वरूप, राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2015–16 से अनुशंसाओं में कुछ आंशिक संशोधनों के साथ लागू करने का फैसला लिया गया जिसकी विवरणी **परिशिष्ट-3.4** में दी गई है।

यद्यपि, राज्य के शुद्ध कर आगमों एवं अनुदानों में श.स्था.नि. के अंश को वर्ष 2015–16 के लिए पूर्णतया विमुक्त करना था परंतु, बि.स. द्वारा ₹ 781.32 करोड़ के हकदारी के विरुद्ध ₹ 434.64 करोड़ ही वित्तीय वर्ष 2015–16 की समाप्ति (21 मार्च 2016) के समय विमुक्त किया। वर्ष 2016–17 का मई 2016 में देय प्रथम किश्त की ₹ 462.93 करोड़ राशि को अक्टूबर 2016 में विमुक्त किया गया जबकि प्रथम किश्त के उपयोगिता प्रमाण पत्र के अभाव में श.स्था.नि. को द्वितीय किश्त विमुक्त नहीं किया गया (फरवरी 2017)।

### 3.9.4 अभिलेखों का संधारण

बिहार नगरपालिका लेखा नियमावली, 2014 के नियम 12, 69, 84 एवं 103 पारदर्शिता, जवाबदेही एवं समुचित देखरेख हेतु मूल अभिलेखों व पंजियों<sup>50</sup> के संधारण हेतु प्राविहित करती है। अभिलेखों की संवीक्षा (2015–16) में पाया गया कि 15 नमूना जाँचित श.स्था.नि. द्वारा मूल अभिलेखों यथा लेखापाल रोकड़बही, अनुदान पंजी, परिसंपत्ति पंजी एवं भंडार पंजी का संधारण नहीं किया गया था। संबंधित श.स्था.नि. के कार्यपालक पदाधिकारियों द्वारा जवाब दिया गया कि भविष्य में उक्त अभिलेखों का संधारण किया जाएगा।

### 3.9.5 श.स्था.नि. द्वारा लेखाओं का संधारण

श.स्था.नि. द्वारा एकुअल आधारित लेखाओं के संधारण हेतु शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार ने नियंत्रक महालेखापरीक्षक के साथ परामर्श कर राष्ट्रीय नगरपालिका लेखांकन पुस्तिका तैयार किया (2004)। बि.न.अ., 2007 की धारा 86, 87 एवं 88 भी प्रावधान करता है कि राज्य सरकार, एकुअल आधारित द्वि-प्रविष्टि लेखांकन प्रणाली को लागू करने हेतु बिहार नगरपालिका लेखांकन पुस्तिका तैयार करेगी तथा मुख्य नगरपालिका पदाधिकारी द्वारा वर्ष की समाप्ति के चार महीने के अंदर पूर्ववर्ती वर्ष के लिए एक वित्तीय विवरण तैयार किया जाएगा जिसमें निधि प्रवाह विवरणी, आय-व्यय लेखा, प्राप्तियाँ एवं व्यय लेखा तथा एक तुलन-पत्र शामिल होंगी।

न.वि. एवं आ.वि. द्वारा बि.न. अधिनियम, 2007 के अधिनियमित होने के नौ वर्षों के उपरांत बिहार नगरपालिका लेखांकन पुस्तिका को अनुमोदित एवं अधिसूचित (21 मार्च 2016) किया

<sup>50</sup> **लेखापाल रोकड़बही**— नगर परिषद बाढ़ एवं सहरसा: नगर पंचायत बरबीधा एवं बिकमगंज अनुदान पंजी – नगर परिषद बाढ़ एवं मोतीहारी; नगर पंचायत बरबीधा, बीरपुर, बिकमगंज, कटैया, मखदुमपुर एवं नोखा संपत्ति पंजी – नगर परिषद बाढ़, हाजीपुर एवं नवादा; नगर पंचायत विकमगंज, काटी, कटैया, मखदुमपुर, मोतीपुर, नोखा एवं साहेबगंज भंडार पंजी – नगर परिषद बाढ़ एवं डुमरांव; नगर पंचायत कटैया

गया। 13 नमूना जाँचित श.स्था.नि.<sup>51</sup> में पाया गया कि उनके द्वारा 2012–16 की अवधि के वित्तीय विवरण तैयार नहीं किए गए थे (**परिषिष्ट-3.5**)। संबंधित श.स्था.नि. के कार्यपालक पदाधिकारियों द्वारा बताया गया कि भविष्य में वित्तीय विवरणी तैयार की जाएगी।

न.वि. एवं आ.वि. ने नगरपालिकाओं में 1 अप्रैल 2014 से वित्तीय विवरणी को एकुअल आधारित द्विप्रविष्टि प्रणाली में संधारित एवं तैयार करने के लिए ‘बिहार नगरपालिका लेखा नियमावली, 2014’ अधिसूचित किया (जनवरी 2014)।

हालाँकि, अपर सचिव, न.वि. एवं आ.वि. ने बताया (अक्टूबर 2016) कि श.स्था.नि. द्वारा अपने लेखाओं का संधारण समांतर रूप से एकल प्रविष्टि एवं द्वि-प्रविष्टि में किया जा रहा था तथा जैसे ही नई द्वि-प्रविष्टि प्रणाली में लेखांकन पूर्ण एवं सुचारू रूप से प्रारंभ हो जाएगा, पुरानी लेखांकन प्रणाली को समाप्त कर दिया जाएगा।

### 3.9.6 लेखापरीक्षा की उपलब्धि

जून 2015 से फरवरी 2016 के दौरान छः श.स्था.नि.<sup>52</sup> में निर्गत किए गए 13 लेखापरीक्षा अवलोकनों से संबंधित नगरपालिका के कर्मियों द्वारा संपत्ति कर एवं विविध रसीदों से वसूल की गई ₹ 33.69 लाख की राशि श.स्था.नि. के खाते में जमा नहीं की गई थी, अंकेक्षण के दौरान संबंधित व्यक्तियों से जमा कराया गया।

<sup>51</sup> नगर परिषद – डुमरांव, मोकामा, नवादा एवं सहरसा नगर पंचायत – अमरपुर, बरबीघा, कांटी, कटैया, मखदुमपुर, नवगाँधिया, नोखा, बिक्रम एवं बिक्रमगंज

<sup>52</sup> बरौली (₹ 3.75 लाख), भभुआ (₹ 0.21 लाख), हिल्सा (₹ 0.50 लाख), खगौल (₹ 2.51 लाख), शेखपुरा (₹ 3.39 लाख), एवं सीवान (₹ 23.33 लाख)

**अध्याय – IV**  
**निष्पादन लेखापरीक्षा**

**अध्याय-IV**  
**निष्पादन लेखापरीक्षा**

**नगर विकास एवं आवास विभाग**

**4.1 नगर निगमों द्वारा नागरिक सुविधा शीर्ष (राज्य योजना) के अंतर्गत अनुदानों का उपयोग**

**कार्यकारी सारांश**

नगर निगमों द्वारा 'नागरिक सुविधा शीर्ष (राज्य योजना)' के अंतर्गत अनुदानों के उपयोग पर एक निष्पादन लेखापरीक्षा जून से अगस्त 2016 तक की गई थी जिसमें चार चयनित नगर निगम यथा: भागलपुर, बिहारशरीफ, गया और पटना समिलित थे तथा प्रमुख निष्कर्ष इस प्रकार हैं:

नमूना जांचित नगर निगमों द्वारा नागरिक सुविधाओं को उपलब्ध कराने के लिए विकास योजनाएं तैयार नहीं की गयी थीं और उनके द्वारा कार्यान्वित विकास कार्य, जिला योजना समितियों द्वारा तैयार किए गए जिला योजना के भाग नहीं थे।

**(कंडिका 4.1.6.1)**

आवंटित ₹ 4.07 करोड़ की राशि व्यपगत हो गयी थी तथा बिहारशरीफ एवं पटना नगर निगमों द्वारा अनुमत्य कार्यों पर ₹ 10.56 करोड़ व्यय किया गया था।

**(कंडिका 4.1.8.6 एवं 4.1.8.8)**

चार नमूना जांचित नगर निगमों में नागरिक सुविधाएं यथा: पार्क, विशेष स्वच्छता आदि हेतु ₹ 48.19 करोड़ की अनुदान राशि आवश्यक भूमि उपलब्ध नहीं कराए जाने के कारण एक से सात साल तक की अवधि तक अनुपयोगित थी।

**(कंडिका 4.1.7.2)**

चार नमूना जांचित नगर निगमों द्वारा राज्य सरकार को ₹ 79.35 करोड़ (56.62 प्रतिशत) राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र समर्पित नहीं किया गया था।

**(कंडिका 4.1.7.4)**

दो पार्कों के निर्माण में ₹ 83 लाख की अतिरिक्त देनदारी सृजित की गयी थी। छ: पार्कों के भौतिक सत्यापन में ₹ 51.25 लाख की लागत से निर्मित दो पार्क बंद, गंदे एवं अनुपयोगी पाए गए।

**(कंडिका 4.1.8.1)**

बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड द्वारा नगर निगम, पटना को ₹ 1.58 करोड़ के लागत से निर्मित 9 सार्वजनिक सुविधाओं (टॉयलेट) का हस्तांतरण नहीं किए जाने के कारण उस पर किया गया व्यय निष्फल रहा।

**(कंडिका 4.1.8.7)**

पटना नगर निगम ने जून 2010 से डीलक्स सार्वजनिक शौचालयों के साथ एकरारनामा नहीं किया। इसके कारण ₹ 1.54 करोड़ के राजस्व की हानि हुई क्योंकि बंदोबस्ती की राशि वसूल नहीं की गई थी।

**(कंडिका 4.1.8.7)**

बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड द्वारा ठेकेदारों को ₹ 7.33 करोड़ के 23 कार्यों के आदेश नामांकन के आधार पर दिए गए थे।

**(कंडिका 4.1.8.8)**

बिहार शहरी आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड द्वारा निविदा या अन्य प्रतियोगी बोली लगाने की बजाय सलाहकारों की मांग के आधार पर डीपीआर को तैयार करने के लिए परामर्श शुल्क ₹ 56.37 लाख तक बढ़ाया गया था।

(कंडिका 4.1.8.2)

बिहार शहरी आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड ने बिना प्रशासनिक अनुमोदन के 117 बस क्यू शेल्टर का निर्माण किया परिणामतः ₹ 6.35 करोड़ की अतिरिक्त देनदारी सृजित की।

(कंडिका 4.1.8.2)

बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड के अनुरोध को नजरअंदाज करने के कारण 10 बस क्यू शेल्टर को हटाए जाने के कारण बिहार शहरी आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड को ₹ 27.60 लाख की परिहार्य हानि हुई।

(कंडिका 4.1.8.2)

मौर्यालोक कॉम्प्लेक्स (एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स) की मरम्मत के लिए ₹ 81.05 लाख का विद्युत कार्य एक ठेकेदार को दिया गया जिसके पास विद्युत कार्यों को करने का लाइसेंस या अनुभव नहीं था।

(कंडिका 4.1.8.7)

भागलपुर नगर निगम में ₹ 1.87 करोड़ की उपलब्धता के बावजूद 2,940 व्यक्तिगत शौचालय का निर्माण नहीं किए जाने के कारण 2,940 घरों के लोग खुले में शौच को मजबूर थे।

(कंडिका 4.1.8.4)

#### 4.1.1 परिचय

चौहत्तरवें संविधान संशोधन अधिनियम, 1992, ने शहरी स्थानीय निकायों (श.स्था.नि.) को स्थानीय स्वशासन का दर्जा दिया एवं शहरी क्षेत्रों में नागरिक सुविधाएं प्रदान करने के लिए उन्हें व्यापक शक्तियां सौंपी। बिहार सरकार ने भी बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 को तैयार किया जिसकी धारा 45 नगरपालिकाओं द्वारा सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं स्वच्छता के क्षेत्र में प्रयोग किए जानेवाले विभिन्न जिम्मेदारियों का प्रावधान करता है।

नगर विकास एवं आवास विभाग (न.वि. एवं आ.वि.), बिहार सरकार (बि.स.) ने वित्तीय वर्ष 2011–16 के दौरान नगर निगमों (न.नि.) को नागरिक सुविधाएं प्रदान करने के लिए जैसे टाउन हॉल, बस पड़ाव, गेस्ट हाउस, स्ट्रीट लाइट्स, हाई मास्ट लाईट्स, सभागार, घाट, पार्क आदि के निर्माण हेतु राज्य योजना शीर्ष के अंतर्गत अनुदानों की विमुक्ति की थी।

#### 4.1.2 संगठनात्मक ढांचा

नगर निगम, न.वि. एवं आ.वि., बि.स. के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन हैं जिसके प्रमुख प्रधान सचिव होते हैं। राज्य सरकार द्वारा नियुक्त नगर आयुक्त (न.आ.), नगर निगम के कार्यकारी प्रमुख होते हैं।

नगर निगमों में एक सशक्त स्थायी समिति होती है जिसमें जनता द्वारा चुने गए नगर पार्षद/सदस्य शामिल होते हैं, जिसका नेतृत्व नगर पार्षदों के बीच से चुने गये मेयर करते हैं। नगर निगमों के कार्यकारी शक्ति का प्रयोग सशक्त स्थायी समिति द्वारा किया जाता है। नगर निगमों के संगठनात्मक ढांचे को नीचे चार्ट 4.1 में दर्शाया गया है:

## चार्ट–4.1

### प्रधान सचिव (नगर विकास एवं आवास विभाग)

#### नगर आयुक्त, नगर निगम

- नगर वित्त एवं लेखा नियंत्रक
- नगर आंतरिक अंकेशक
- मुख्य नगर अभियंता
- नगर वास्तुविद एवं टाउन प्लानर
- मुख्य नगर स्वास्थ्य पदाधिकारी
- नगर विधि पदाधिकारी
- नगर सचिव
- अपर/संयुक्त नगर आयुक्त

#### 4.1.3 लेखापरीक्षा उद्देश्य

निष्पादन लेखापरीक्षा (नि.ले.) का उद्देश्य यह मूल्यांकन करना था कि क्या:

- नगर निगम द्वारा नागरिक सुविधाओं हेतु अनुदान के उपयोग के लिए विकास योजना तैयार की गयी थी;
- प्राप्त अनुदान नागरिक सुविधाओं को प्रदान करने के लिए पर्याप्त थे और इसका मितव्ययिता, दक्षतापूर्वक और प्रभावी ढंग से उपयोग किया गया था; तथा
- नागरिक सुविधाओं का कार्यान्वयन नगर निगमों के विकास योजना एवं/या अनुदान की शर्तों एवं/या सरकार के निर्देशों के अनुसार किया गया था।

#### 4.1.4 लेखापरीक्षा मानदंड

निष्पादन लेखापरीक्षा के लिए लेखापरीक्षा मानदंड इस प्रकार थे:

- चौहत्तरवां संविधान संशोधन अधिनियम, 1992;
- बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007;
- बिहार नगरपालिका लेखा नियमावली, 1928 एवं 2014;
- बिहार वित्तीय नियमावली, 2005;
- बिहार लोक निर्माण विभाग संहिता, तथा;
- नागरिक सुविधाओं से संबंधित दिशानिर्देश/योजनाओं/कार्यक्रमों से संबंधित संस्थीकृत पत्र एवं बिहार सरकार द्वारा जारी आदेश।

#### 4.1.5 लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं कार्यप्रणाली

निष्पादन लेखापरीक्षा का संचालन जून से सितंबर 2016 के दौरान किया गया जिसमें 2011–16 के दौरान राज्य योजना अंतर्गत नागरिक सुविधा के आठ घटकों<sup>53</sup> को शामिल किया गया। निष्पादन लेखापरीक्षा विशेष सचिव, न.वि. एवं आ.वि., बि.स. के साथ अंतर्गमन सम्मेलन (19 मई 2016) से प्रारंभ हुआ जिसमें लेखापरीक्षा के उद्देश्यों, लेखापरीक्षा कार्यक्षेत्र,

<sup>53</sup> बस स्टैंड, सामुदायिक भवन, अतिथि गृह/टाउन हॉल, घाट, मलिन बस्तियों में आधारभूत संरचना, पार्क, यातायात प्रकाश प्रणाली/सार्वजनिक शौचालय/मौयलिक कॉम्प्लेक्स तथा विशेष सफाई

लेखापरीक्षा मानक आदि पर चर्चा हुई। क्षेत्रीय लेखापरीक्षा में चार न.नि.<sup>54</sup> के साथ समानांतर निकाय<sup>55</sup> (स.नि.) यथा: बिहार शहरी आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड (बुडको), जिला शहरी विकास एजेंसी (डूड़ा), बिहार राज्य आवास बोर्ड (बी.एस.एच.बी.) एवं बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड (बी.आर.पी.एन.एल.) के अभिलेखों की नमूना जाँच की गई।

चार नगर निगमों का चयन सिंपल रैंडम सैंपलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट (एस.आर.एस.डब्ल्यू ओ.आर) विधि का उपयोग कर किया गया था। प्रारूप प्रतिवेदन को तथ्यों एवं आंकड़ों की पुष्टि के लिए न.वि. एवं आ.वि. को अप्रसारित किया गया था (19 अक्टूबर 2016)। बहिर्गमन सम्मेलन विशेष सचिव, न.वि. एवं आ.वि. के साथ (19 दिसंबर 2016) किया गया था जिसमें लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर चर्चा की गई तथा उनके जवाब उपयुक्त स्थान पर शामिल किए गए हैं।

क्षेत्रीय लेखापरीक्षा में न.नि./स.नि. के कर्मियों के साथ निर्माण स्थलों का भौतिक सत्यापन किया गया। भौतिक सत्यापन के दौरान जहां अतियमितताएं पायी गई, उन मामलों में लेखापरीक्षा साक्ष्य के रूप में फोटो भी शामिल किए गए थे।

## लेखापरीक्षा निष्कर्ष

### 4.1.6 योजना

योजना एक बुनियादी कार्य है जिसमें उपलब्ध संसाधनों से जरूरतों या मांगों का अधिकतम संतुलन प्राप्त करने हेतु एक या अधिक विस्तृत योजना तैयार करना शामिल है। योजना प्रक्रिया उन उद्देश्यों को चिन्हित करती है तथा उसे प्राप्त करने के लिए रणनीतियां तैयार करती है, इसके लिए साधनों को व्यवस्थित या निर्मित करती है और इसके सभी चरणों को उनके उचित प्रक्रम में लागू निर्देशित एवं अनुश्रवण करती है।

#### 4.1.6.1 विकास योजना की तैयारी

चौहत्तरवें संविधान संशोधन अधिनियम के अनुच्छेद-243 जेड.डी (1) के अनुसार पंचायतों एवं नगरपालिकाओं द्वारा तैयार की गई योजनाओं को मजबूती प्रदान करने तथा पूरे जिले के लिए एक प्रारूप विकास योजना तैयार करने हेतु प्रत्येक जिले में जिला योजना समिति (जि.यो.स.) का गठन किया जाना चाहिए। इस प्रकार की समेकित योजना राज्य सरकार को अनुमोदन हेतु समर्पित की जाती है। आगे, बिहार नगरपालिका अधिनियम (बि.न.अ), 2007 में प्रावधानित किया गया है कि प्रत्येक नगरपालिका, विकास एवं सामाजिक न्याय के लिए योजना तैयार करेगी तथा इस प्रकार की योजनाओं को लागू करेगी और ऐसे कार्यों को करेगी जो इसे सौंपा जाएगा।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि नमूना जांचित न.नि. द्वारा नागरिक सुविधाओं को प्रदान करने हेतु विकास योजना तैयार नहीं किया गया था। फलस्वरूप, जि.यो.स. द्वारा कोई भी समेकित विकास योजनाएं निगर निगमों को कार्यान्वयन हेतु उपलब्ध नहीं थी। आगे, न.नि. द्वारा शहरी लोगों के आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय की आवश्यकताओं को प्रथमिकता नहीं दी गयी थी, जैसा कि चौहत्तरवें संविधान संशोधन अधिनियम में उल्लिखित था।

विकास योजना तैयार करने में असफल रहने के परिणामस्वरूप योजनाएं कार्यान्वित नहीं की जा सकी जिसका कारण जमीन की अनुपलब्धता, अधिकतम उपयोग के लिए नागरिक सुविधाओं को उपलब्ध कराने के लिए उचित जगह की पहचान नहीं किया जाना, कार्यों को

<sup>54</sup> भागलपुर बिहारशरीफ, गया एवं पटना

<sup>55</sup> समानांतर निकायों का मतलब सरकार द्वारा पूर्णतः अथवा अंशतः नियंत्रित एक कंपनी या अभिकरण है। शहरी स्थानीय निकायों में मानव बल की कमी एवं तकनीकी अक्षमता के कारण, कई समानांतर निकायों यथा: बुडको, बी.यू.टी.सी.एल., बिहार शहरी विकास अभिकरण (बुड़ा), बी.आर.जे.पी. इत्यादि का गठन नगर निकायों के विभिन्न प्रकार के कार्यों को कार्यान्वित करने हेतु किया गया था।

पूरा होने में विलंब, निर्मित परिसंपत्तियों का रख-रखाव नहीं किया जाना एवं उन्हें उपयोग में नहीं लाया जाना था। फलस्वरूप, 2011–16 के दौरान जारी किए गए 35 प्रतिशत अनुदान का उपयोग नहीं किया गया था।

नगर निगमों ने जवाब दिया कि न.वि. एवं आ.वि. द्वारा न.नि. की बुनियादी जरूरतों और कार्यों की व्यवहार्यता का मूल्यांकन किए बिना नागरिक सुविधाओं को उपलब्ध कराने के लिए कार्यों का चयन किया गया था। विशेष सचिव ने बहिर्गमन सम्मेलन में जवाब दिया कि नागरिक सुविधाओं के संबंध में विकास योजना न.नि. द्वारा तैयार नहीं किया गया था।

#### 4.1.7 वित्तीय प्रबंधन एवं निधि प्रवाह


विभिन्न विकास कार्यों के निष्पादन के लिए न.नि. राज्य सरकार से अनुदान के रूप में राज्य वित्त आयोग की अनुशंसाओं पर राज्य के स्वयं कर राजस्व से शुद्ध आय के वितरण से निधि प्राप्त करती है।

##### 4.1.7.1 अनुदानों की विमुक्ति एवं उपयोग

वर्ष 2011–16 के दौरान शहरी स्थानीय निकायों को नागरिक सुविधा मद (राज्य योजना) में राज्य सरकार द्वारा प्रदान किए गए निधियों की स्थिति नीचे चार्ट 4.2 में दर्शायी गयी है:

चार्ट – 4.2

(₹ करोड़ में)



(स्रोत: न.वि. एवं आ.वि., बिहार सरकार द्वारा जारी अनुदानों की संस्थीकृति/आवंटन पत्र)

वर्ष 2011–16 के दौरान नमूना जांचित चार न.नि. द्वारा नागरिक सुविधा (राज्य योजना) मद के आठ घटकों के अंतर्गत कुल ₹ 136.97 करोड़ प्राप्त किए गए थे, जिसका विवरण नीचे तालिका 4.1 में दर्शाया गया है:

### तालिका – 4.1: घटकवार निधियों का आवंटन

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	नागरिक सुविधाओं के घटक	वर्ष 2011–16 के दौरान निधियों का आवंटन
1	पार्क	13.03
2	बस स्टैंड/बस पड़ाव	26.23
3	घाट का निर्माण	6.30
4	मलिन बस्तियों में आधारभूत सुविधा	20.89
5	सामुदायिक भवन का निर्माण	3.35
6	अतिथि गृह/टाउन हॉल का निर्माण	0.65
7	यातायात प्रकाश प्रणाली एवं नागरिक सुविधा	39.43
8	विशेष सफाई	27.09
कुल		136.97

(स्रोत: नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार सरकार द्वारा जारी अनुदानों की संस्चीकृति/आवंटन पत्र)

वर्ष 2011–16 के दौरान ₹ 136.97 करोड़ के कुल आवंटन के विरुद्ध नागरिक सुविधा के लिए ₹ 104.26 करोड़ का उपयोग किया गया था। नमूना जांचित न.नि. में वर्ष 2011–16 के दौरान उपलब्ध निधियों एवं व्यय की स्थिति नीचे तालिका 4.2 में दर्शायी गयी है।

### तालिका – 4.2: चयनित नगर निगमों में निधि की उपलब्धता एवं व्यय

(₹ करोड़ में)

वर्ष	प्रारंभिक शेष	प्राप्त निधि	कुल निधि	समानांतर निकायों को हस्तांतरण	नगर निगमों द्वारा उपयोग / व्यय	कुल व्यय	अंतशेष	न.नि. द्वारा उपयोगिता का प्रतिशत
1	2	3	4 (2–3)	5	6	7 (5–6)	8 (4–7)	9
2011–12	2.51	0.28	2.79	0.00	0.05	0.05	2.74	17.85
2012–13	2.74	7.03	9.77	4.56	0.24	4.80	4.97	3.41
2013–14	4.97	10.75	15.72	5.94	1.48	7.42	8.30	13.76
2014–15	8.30	69.32	77.62	46.25	0.73	46.98	30.64	1.05
2015–16	30.64	49.59	80.23	19.25	25.76	45.01	35.22	51.94
कुल		136.97		76.00	28.26	104.26		20.63

(स्रोत: नमूना जांचित न.नि. द्वारा उपलब्ध करायी गई सूचना)

लेखापरीक्षा में पाया गया कि न.नि. द्वारा कुल प्राप्त अनुदानों में से 55 प्रतिशत<sup>56</sup> स.नि. को हस्तांतरित किया गया था (परिशिष्ट-4.1) एवं केवल 45 प्रतिशत न.नि. के पास विकास कार्यों के कार्यान्वयन हेतु शेष था। इस प्रकार, 50 प्रतिशत से अधिक के नागरिक सुविधाओं से संबंधित कार्यों को श.स्था.नि. के शामिल किए बिना ही कार्यान्वित किया गया था।

वित्तीय वर्ष 2014–15 में सभी चार नमूना जांचित न.नि. में सम्प्राट अशोक भवन के निर्माण हेतु जमीन की अनुपलब्धता तथा बिहारशरीफ एवं भागलपुर न.नि. में मलिन बस्तियों में आधारभूत संरचना विकास के कार्यों के कार्यान्वयन के लिए निविदा प्रक्रिया में विलंब के कारण कुल अनुदानों का केवल 1.05 प्रतिशत ही व्यय किया जा सका था।

आगे, जैसा कि उपरोक्त तालिका 4.2 से स्पष्ट है कि अंतशेष में विगत पाँच वर्षों के दौरान ₹ 2.74 करोड़ (2011–12) से ₹ 35.22 करोड़ (2015–16) की उत्तरातर वृद्धि हुई है जो न.नि. एवं स.नि. द्वारा अनुदानों के न्यून उपयोग को इंगित करता है वहीं न.नि. द्वारा 2011–16

<sup>56</sup> प्राप्त निधि ₹ 136.97 करोड़ का 55 प्रतिशत = ₹ 76 करोड़

के दौरान उपलब्ध निधियों के उपयोगिता के प्रतिशत की सीमा एक प्रतिशत (2014–15) से बावन प्रतिशत (2015–16) तक रही।

#### **4.1.7.2 अनुदानों का उपयोग करने में विफलता**

चार नमूना जांचित न.नि. एवं स.नि. को वर्ष 2011–16 के दौरान विमुक्त ₹ 136.97 करोड़ एवं ₹ 43.17 करोड़ अनुदानों में से क्रमशः ₹ 24.11 करोड़ एवं ₹ 4.08 करोड़ अनुदानों का उपयोग अगस्त 2016 तक नहीं किया गया था तथा अनुपयोगित राशि ट्रेजरी/बैंकों के विभिन्न बचत खातों में एक से सात वर्षों तक पड़ी रही क्योंकि नगर निगम, पटना के संबंधित एक कार्य प्रमंडल द्वारा पार्क निर्माण हेतु राशि की माँग नहीं की गई थी, जबकि चार नमूना जांचित न.नि. द्वारा विभिन्न नागरिक सुविधाओं के निर्माण हेतु आवश्यक जमीन उपलब्ध नहीं कराया गया था (परिशिष्ट-4.2)।

#### **4.1.7.3 रोकड़बहियों का संधारण**

बिहार नगरपालिका लेखा नियमावली का नियम 63 से 65 उपबंध करता है कि नगरपालिका का लेखापाल एक रोकड़बही का संधारण करेगा एवं उसमें नगरपालिका की नकद प्राप्तियों एवं वितरण से संबंधित लेनदेन को दर्ज करेगा। रोकड़बही का अंतशेष प्रतिदिन निकाला जाएगा, बिहार नगरपालिका लेखा नियमावली, 2014 का नियम 118 प्रावधानित करता है कि माह के समाप्ति के 15 दिनों के अंदर रोकड़बही एवं ट्रेजरी/बैंक पासबुक के अवशेषों का समाधान किया जायेगा। प्रत्येक बैंक खातों के लिए लेखापाल द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित एक मासिक बैंक समाधान विवरणी तैयार किया जाएगा। आगे, बिहार नगरपालिका लेखा नियमावली, 2014 के नियम 12 के अनुसार रोकड़बही का अंतशेष प्रतिदिन निकाला जाएगा और मुख्य नगरपालिका पदाधिकारी रोकड़बही की प्रविष्टियों एवं अंतशेष की जाँच करेंगे एवं वैसी जाँच के प्रमाण के रूप में हस्ताक्षरित करेंगे।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि न.नि. पटना द्वारा रोकड़बही का संधारण नहीं किया गया था जबकि तीन अन्य नमूना जांचित न.नि. में रोकड़बहियों को न तो प्रतिदिन बंद किया गया था और न ही नगर आयुक्तों द्वारा हस्ताक्षर किया गया था। तीन चयनित न.नि. में लेखापालों द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित मासिक बैंक समाधान विवरणी भी तैयार नहीं किया गया था।

नगर वित्त एवं लेखा नियंत्रक, नगर निगम, पटना द्वारा जवाब (जुलाई 2016) दिया गया कि रोकड़बही संधारित नहीं किया गया क्योंकि नियमित लेखापाल नियुक्त नहीं था जबकि अन्य न.नि. द्वारा कोई जवाब नहीं दिया।

तीन न.नि. में रोकड़बही के उचित संधारण नहीं किए जाने से न केवल उपरोक्त नियमों के प्रावधानों का उल्लंघन हुआ बल्कि यह वित्तीय औचित्य की कमी और आंतरिक नियंत्रण के अभाव को भी इंगित करता है। आगे, रोकड़बही का संधारण नहीं किए जाने के कारण न.नि., पटना में अनुदान की प्राप्ति, बैंक से प्राप्त ब्याज, निर्गत चेक की स्थिति, बाउंस चेक, चेक का पुनर्वैधीकरण, दुर्विनियोजन, निधि का विचलन, बकाया अग्रिमों की स्थिति एवं उसके समायोजन, नगद एवं बैंक में जमा राशि की स्थिति को सुनिश्चित नहीं किया जा सका।

#### **4.1.7.4 उपयोगिता प्रमाणपत्र**

विमुक्त अनुदानों के ससमय उपयोग एवं समुचित निगरानी के लिए अनुदान स्वीकृति पत्रों में उल्लिखित शर्तों के अनुसार न.नि. द्वारा राज्य सरकार को उपयोगिता प्रमाणपत्र प्रेषित किया जाना आवश्यक था। चार नमूना जांचित न.नि. को विमुक्त निधियों से संबंधित अभिलेखों की जाँच में पाया गया कि ₹ 79.35 करोड़ (56.62 प्रतिशत) का उपयोगिता प्रमाणपत्र राज्य सरकार को प्रेषित नहीं किया गया था जैसा कि नीचे तालिका 4.3 में दर्शाया गया है:

### तालिका – 4.3: लंबित उपयोगिता प्रमाणपत्र

(₹ करोड़ में)

नगर निगमों के नाम	निधि की प्राप्ति		लंबित उपयोगिता प्रमाणपत्र
	अवधि	राशि	
भागलपुर	2012–13 से 2015–16	27.81	23.17
बिहारशरीफ	2013–14 से 2015–16	11.95	9.03
गया	2011–12 से 2015–16	16.18	16.18
पटना	2012–13 से 2015–16	84.22	30.97
<b>कुल</b>		<b>140.16</b>	<b>79.35</b>

(चोत: नमूना जांचित न.नि. द्वारा उपलब्ध करायी गई सूचनाएँ)

उपयोगिता प्रमाणपत्र के अभाव में उद्धिष्ठ प्रयोजनों के लिए अनुदानों की उपयोगिता को सुनिश्चित नहीं किया जा सका।

न.नि. पटना के नगर वित्त एवं लेखा नियंत्रक ने जवाब (जुलाई 2016) दिया कि स.नि. को हस्तांतरित ₹ 64.24 करोड़ के विरुद्ध केवल ₹ 12.02 करोड़ का ही उपयोगिता प्रमाणपत्र उनके द्वारा उपलब्ध कराया गया था, जो मान्य नहीं है क्योंकि नगर निगमों को स.नि. द्वारा अनुदान के उपयोगिता पर निगरानी रखनी चाहिए थी।

#### 4.1.8 कार्यों का कार्यान्वयन

##### 4.1.8.1 पार्क

###### पार्कों का निर्माण

बिहार सरकार द्वारा वर्ष 2009–16 के दौरान न.नि. पटना के अधीन 17 पार्कों के निर्माण के लिए ₹ 11.56 करोड़ (**परिशिष्ट-4.3**) का अनुदान विमुक्त किया गया था। न.नि./स.नि. द्वारा निर्माण किए जाने वाले 17 पार्कों में से 10 पार्कों का निर्माण ₹ 10.08 करोड़ के व्यय के साथ पूर्ण किया गया था जबकि 7 पार्क अगस्त 2016 तक अपूर्ण थे। लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अनियमितताएं पाई गईः

कुल 10 पूर्ण पार्कों में से तीन पार्कों<sup>57</sup> को उनके परिचालन एवं रखरखाव के लिए नगर निगम, पटना को हस्तांतरित नहीं किया गया था। परिचालन एवं रखरखाव की कमी के कारण पार्क मनोरंजन के लिए उपयुक्त नहीं थे एवं हरित क्षेत्र उपलब्ध कराने के उद्धिष्ठ उद्देश्यों को प्राप्त नहीं किया जा सका था। इसके अलावा, यह भी पाया गया कि रोशनी एवं फब्बारे के संचालन के लिए विद्युत संयोजन उपलब्ध नहीं था। जिला पदाधिकारी—सह—अध्यक्ष, डूड़ा, पटना के द्वारा जवाब दिया गया कि डूड़ा से पूर्णता प्रमाणपत्र प्राप्त होने पर दोनों पार्कों<sup>58</sup> को संबंधित एजेंसी को हस्तांतरित कर दिया जायेगा। जवाब असंगत था क्योंकि कार्यपालक अभियंता, डूड़ा ने जिला पदाधिकारी के अधीन कार्यरत जिला योजना पदाधिकारी से पार्कों के हस्तांतरण के लिए पहले ही अनुरोध (दिसंबर 2013) किया था। कार्यपालक अभियंता, बिहार राज्य आवास बोर्ड द्वारा जवाब दिया गया कि बिहार सरकार से दिशानिर्देशों के अभाव में एम.आई.जी लोहियानगर में स्थित पार्क को किसी भी एजेंसी को हस्तांतरित नहीं किया गया था।

<sup>57</sup> 100 एम.आई.जी पार्क नं. 9, लोहिया नगर (बिहार राज्य आवास बोर्ड), मंदिर के नजदीक आनंद विहार कॉलानी में पार्क, राजेन्द्र नगर टेलीफोन एक्सचेंज के नजदीक पार्क (डूड़ा, पटना)

<sup>58</sup> मंदिर के पास आनंद विहार कॉलानी में पार्क, राजेन्द्र नगर टेलीफोन एक्सचेंज के नजदीक पार्क (डूड़ा, पटना)

दो पार्क<sup>59</sup> में ₹ 2.82 करोड़ के प्रशासनिक स्वीकृति के विरुद्ध ₹ 3.65 करोड़ व्यय किया गया था जिसके कारण ₹ 83 लाख के अतिरिक्त दायित्व का सृजन हुआ।

कार्यपालक अभियंता, बिहार राज्य आवास बोर्ड द्वारा लेखापरीक्षा परिणाम को स्वीकार किया गया जबकि वरीय परियोजना अभियंता, बि.रा.पु.नि.नि.लि. द्वारा जवाब दिया गया कि विभाग की प्रशासनिक स्वीकृति की प्रत्याशा में अधिक व्यय किया गया था। जवाब मान्य नहीं था क्योंकि कार्य प्रारंभ करने के पूर्व न.वि. एवं आ.वि. से प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त की जानी चाहिए थी।

एक से चार वर्षों तक ₹ 73.36 लाख की उपलब्धता के बावजूद न.नि. एवं डूडा, पटना दो पार्क<sup>60</sup> का निर्माण प्रारंभ करने में विफल रहे थे।

नगर वित्त एवं लेखा नियंत्रक, न.नि., पटना ने जवाब दिया कि संबंधित कार्य प्रमंडल के का. अ. द्वारा मांग के अभाव में पार्क निर्माण का कार्य प्रारंभ नहीं किया गया था। जवाब स्वीकार्य नहीं था क्योंकि न.नि. को कार्यों के प्रगति की निगरानी करनी थी।

दस पूर्ण पार्कों में से छः पार्क<sup>61</sup> के संयुक्त भौतिक सत्यापन में पाया गया कि दो पार्क<sup>62</sup> जिसकी कुल लागत ₹ 51.25 लाख थी, की स्थिति दयनीय थी और वे उपयोग में नहीं थे। टाइल्स/ग्रेनाइट टूटा हुआ/नष्ट पाया गया क्योंकि पार्कों को न.नि., पटना को परिचालन एवं रखरखाव के लिए हस्तांतरित नहीं किया गया था।

	
	
100 एम.आई.जी पार्क सं-9, लोहियानगर (जुलाई 2015 में पूर्ण लेकिन उपयोग में नहीं)	राजेंद्र नगर टेलिफोन एक्सचेंज के पीछे पार्क (अक्टूबर 2013 में पूर्ण लेकिन उचित रखरखाव का अभाव)

<sup>59</sup> हनुमान नगर में एम.आई.जी पार्क कंकड़बाग (बिहार राज्य आवास बोर्ड), प्रशासनिक स्वीकृति – ₹ 92.65 लाख, व्यय – ₹ 106.44 लाख एवं एस.के.पुरी चिल्ड्रेंस पार्क, प्रशासनिक स्वीकृति – ₹ 189.23 लाख, व्यय – ₹ 258.49 लाख

<sup>60</sup> जनता पी.आर.डी.ए फ्लैट पार्क – ₹ 17 लाख एवं वैटनरी कॉम्प्लेक्स में पार्क – ₹ 56.36 लाख

<sup>61</sup> राजेन्द्र नगर टेलीफोन एक्सचेंज के पीछे पार्क, मंदिर के नजदीक आनंद विहार कॉलानी (वार्ड नं. 2) में पार्क एम.आई.जी पार्क हनुमान नगर कंकड़बाग (बिहार राज्य आवास बोर्ड) एस.के.पुरी चिल्ड्रेंस पार्क पटना (बि.रा.पु.नि.नि.लि.), 100 एम.आई.जी पार्क नं. 9, लोहिया नगर (बिहार राज्य आवास बोर्ड), राजदंशी नगर पार्क, पटना।

<sup>62</sup> 100 एम.आई.जी पार्क नं. 9, लोहिया नगर (बिहार राज्य आवास बोर्ड), राजेंद्र नगर टेलीफोन एक्सचेंज के पीछे पार्क

आनंद विहार कॉलोनी में स्थित पार्क जो सितंबर 2014 में पूर्ण हुआ था, को परिचालन एवं रखरखाव के लिए न.नि., पटना को हस्तांतरित नहीं किया गया था। यद्यपि कि यह अच्छी स्थिति में था तथापि, पार्क में ₹ 2.01 लाख मूल्य की वस्तु<sup>63</sup> जगह पर नहीं पायी गयी।



आनंद विहार कॉलोनी पार्क (सितंबर 2014 में पूर्ण परंतु न.नि., पटना को रखरखाव हेतु हस्तांतरित नहीं)

इसी प्रकार, राजवंशी नगर पार्क पटना में भी ₹ 1.81 लाख मूल्य का एक फब्बारा अपनी जगह पर नहीं पाया गया था।

### **पार्क का सौंदर्यीकरण (हिरण्य पर्वत)**

हिरण्य पर्वत, बिहारशरीफ, नालंदा का एक पर्यटन स्थल है। पर्यटन बढ़ाकर स्थानीय अर्थव्यवस्था को सुधारने एवं न.नि. के लिए राजस्व सृजित करने के उद्देश्य से हिरण्य पर्वत के सौंदर्यीकरण की योजना बनाई गई थी। तदनुरूप, न.नि. ने ₹ 18.56 लाख (प्राक्कलित राशि का चार प्रतिशत) के सेन्टेज के प्रावधान के साथ ₹ 4.85 करोड़ मूल्य का प्राक्कलन तैयार किया एवं न.वि. एवं आ.वि. द्वारा ₹ 4.85 करोड़ का आवंटन किया गया था। कार्य को परिमाण विपत्र (₹ 2.84 करोड़) से 4.64 प्रतिशत अधिक पर एक फर्म को आवंटित किया गया जिसे जनवरी 2016 तक पूर्ण किया जाना था। लेकिन, अगस्त 2016 तक कार्य अपूर्ण था। लेखापरीक्षा में पाया गया कि न.नि. द्वारा प्राक्कलन में सेन्टेज का प्रावधान नहीं किया जाना था क्योंकि पार्क का उन्नयन न.नि. के मूल कार्यों में से एक था।

स्टैंडर्ड बिडिंग डॉक्युमेंट (एस.बी.डी.) के खंड 6 में प्रावधानित था कि वित्तीय मूल्य की सभी वस्तुओं की माप की प्रविष्टि मापीपुस्त में की जाएगी जिससे अनुबंध के तहत किए गये सभी कार्यों का पूर्ण अभिलेख प्राप्त हो सके। लेखापरीक्षा में पाया गया कि ₹ 1.27 करोड़ मूल्य के कार्य मापीपुस्त में प्रतिशत के आधार पर दर्ज किए गए थे जिससे संवेदक द्वारा किए गए वास्तविक कार्य को लेखापरीक्षा में सुनिश्चित नहीं किया जा सका।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि लाल पत्थर मार्ग के सामानांतर हेज प्लांट के साथ 866 प्रबलित कंक्रीट सीमेंट (आर.सी.सी) स्लैबों का निर्माण ₹ 2,050 (प्रथम चलांत बिल) प्रति स्लैब की दर से ₹ 17.75 लाख की लागत से किया गया था, लेकिन उक्त 866 आर.सी.सी. स्लैबों की लागत की गणना ₹ 2,500 प्रति स्लैब की दर से किया गया था जिसके कारण ₹ 4.08 लाख का अधिक भुगतान हुआ था।

नगर आयुक्त, न.नि., बिहारशरीफ ने लेखापरीक्षा मंतव्य को स्वीकार किया एवं जवाब दिया कि ₹ 4.08 लाख के अधिक भुगतान का समायोजन अगले विपत्रों से कर लिया जायेगा

<sup>63</sup> डस्टबीन – ₹ 0.24 लाख, फाईवर बेंच – ₹ 0.76 लाख, साईर्नबोर्ड – ₹ 0.07 लाख, स्ट्रीट लाइट – ₹ 0.50 लाख, झूला – ₹ 0.44 लाख

जिसका समायोजन फरवरी 2017 तक लंबित था। ₹ 18.56 लाख के सेन्टेज के प्रावधान के मामले पर जवाब दिया गया कि न.वि. एवं आ.वि. से निर्देश प्राप्त किया जाएगा। जवाब स्वीकार्य नहीं था क्योंकि न.नि. लोगों को नागरिक सुविधा प्रदान करने के लिए सेन्टेज नहीं वसूल सकता है क्योंकि यह न.नि. का मूल कार्य है।

#### **4.1.8.2 बस पड़ाव एवं बस क्यू शेल्टर का निर्माण**

शहरी अबादी के लिए बेहतर सुविधा प्रदान करने हेतु न.वि. एवं आ.वि., बि.स. द्वारा पूरे राज्य में बस पड़ाव के निर्माण हेतु बुड़को को अधिदृष्ट किया गया था। वर्ष 2011–16 के दौरान न.वि. एवं आ.वि. द्वारा बस पड़ावों एवं बी.क्यू एस के निर्माण हेतु कुल ₹ 26.24 करोड़ चार चयनित न.नि. के माध्यम से बुड़को को विमुक्त किया गया था।

#### **बस पड़ावों का विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डी.पी.आर.)**

बुड़को ने बस पड़ावों के डी.पी.आर तैयार करने हेतु छ: सलाहकारों<sup>64</sup> के साथ जुलाई 2013 में परामर्शी शुल्क की प्रतिपूर्ति के लिए 50 करोड़ तक की योजनाओं के प्रस्तावित लागत पर 1.25 प्रतिशत शुल्क निर्धारित किया। बस पड़ावों के 47 डी.पी.आर तैयार करने हेतु आहूत बैठक (मई 2014) में सूची में शामिल छ: सलाहकारों में से मात्र चार<sup>65</sup> को आमंत्रित किया गया, लेकिन केवल तीन सलाहकार ही बैठक में शामिल हुए। सलाहकारों के अनुरोध पर बुड़को द्वारा परामर्शी शुल्क 1.25 प्रतिशत से बढ़ाकर 1.75 प्रतिशत कर दिया गया तदनुसार बुड़को द्वारा सलाहकारों से अनुबंध किया गया।

इस प्रकार, प्रतिस्पर्धी दर प्राप्त करने हेतु न तो सभी सूचीबद्ध सलाहकारों को बैठक में भाग लेने का मौका दिया गया एवं न ही खुली निविदा आमंत्रित की गयी थी। यह भी पाया गया कि 36 डी.पी.आर तैयार करने हेतु परामर्शी शुल्क में ₹ 56.37 लाख की बढ़ोतरी, निविदा आमंत्रित करने या अन्य प्रतिस्पर्धी दर प्राप्त करने के बजाय सलाहकारों के मांग पर की गयी थी।

परियोजना निदेशक (प.नि.) बुड़को द्वारा जबाब दिया गया कि शुल्क की बढ़ोतरी बुड़को के तत्कालीन प्रबंध निदेशक की अध्यक्षता में हुए बैठक (मई 2014) में किया गया था।

कुल तैयार 36 डी.पी.आर में से छ:<sup>66</sup> डी.पी.आर भूमि मालिकों से बिना अनापत्ति प्रमाण पत्र<sup>67</sup> प्राप्त किए तैयार किया गया था। परिणामस्वरूप, इनमें से पाँच बस पड़ावों का निर्माण भूमि मालिकों के आपत्ति के कारण आरंभ नहीं किया जा सका था एवं एक बस पड़ाव साहेबगंज (मुजफ्फरपुर) का निर्माण जमीन पर अतिक्रमण के कारण आरंभ नहीं किया जा सका था। शेष 30 बस पड़ावों का निर्माण कार्य प्रगति पर था (फरवरी 2017)। चूंकि डी.पी.आर तैयार करने से पहले भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित नहीं की गई थी, जिसके फलस्वरूप डी.पी.आर के तैयार किए जाने पर परामर्शी शुल्क पर व्यय की गई राशि ₹ 19.11 लाख (**परिशिष्ट-4.4**) निष्फल रहा।

#### **बस पड़ावों का निर्माण**

बिहार सरकार द्वारा चयनित न.नि. में पाँच बस पड़ावों के निर्माण हेतु कुल ₹ 18.74 करोड़ का अनुदान विमुक्त किया गया था (**परिशिष्ट-4.5**)। पाँच बस पड़ावों में से दो बस पड़ावों

<sup>64</sup> मेसर्स इडमैक ई. कंसलटेंट, मेसर्स कपूर एवं एसोसिएट्स, मेसर्स सेन एवं लाल कंसलटेंट (प्रा.) लि, मेसर्स विवेद भोले आर्टिटेक्ट, मेसर्स ब्लैक इंक तथा मेसर्स आर्टिटेक्ट हाफिज कंसलटेंट

<sup>65</sup> मेसर्स इडमैक ई. कंसलटेंट, मेसर्स कपूर एवं एसोसिएट्स, मेसर्स सेन एवं लाल कंसलटेंट (प्रा.) लि तथा मेसर्स विवेद भोले आर्टिटेक्ट

<sup>66</sup> मानपुर (गया), पूर्णिया, साहेबगंज, मोतीपुर एवं चकिया में बस स्टैंड

<sup>67</sup> जिला परिषद नवादा, गौरक्षणी समिति गया, पशुपालन विभाग पूर्णिया, नगर पंचायत साहेबगंज, लोक निर्माण विभाग, मोतीपुर मुजफ्फरपुर, नगर पंचायत, चकिया

का कार्य प्रगति पर था एवं तीन बस पड़ावों का निर्माण अगस्त 2016 तक प्रारंभ नहीं किया गया था।

मार्च 2013 से नवंबर 2014 तक ₹ 12.73 करोड़ की उपलब्धता के बावजूद बुड़को तीन बस पड़ावों<sup>68</sup> का निर्माण शुरू करने में विफल रहा। लेखापरीक्षा में पाया गया कि दो न.नि. द्वारा जमीन उपलब्ध नहीं कराए जाने के कारण एवं एक अंतर्राज्यीय बस टर्मिनल, पटना की प्रशासनिक स्वीकृति न.वि. एवं आ.वि. द्वारा नहीं दिए जाने के कारण कार्य प्रारंभ नहीं किया गया था। बुड़को द्वारा लेखापरीक्षा निष्कर्षों को स्वीकार किया गया।

### बस क्यू शेल्टर (बी.क्यू.एस.) का निर्माण

यात्री बसों, ऑटो एवं टेम्पो की अत्यधिक संख्या को नियंत्रित करने हेतु बि.स. ने वर्ष 2014–15 के दौरान पटना में 104 बी.क्यू.एस. के निर्माण हेतु ₹ 7.50 करोड़ की राशि न.नि. पटना को विमुक्त किया था।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि:

बिहार लोक निर्माण संहिता के अनुसार प्रत्येक कार्य जो अन्य विभाग की आवश्यकताओं से जुड़ा है, को प्रारंभ करने एवं तकनीकी स्वीकृति प्रदान करने से पहले संबंधित विभाग से सहमति लिया जाना चाहिए। संबंधित विभाग द्वारा औपचारिक स्वीकृति को कार्य की प्रशासनिक स्वीकृति मानी जाएगी।

बुड़को द्वारा पटना में 208 बी.क्यू.एस. के निर्माण हेतु डी.पी.आर तैयार किया गया जिसकी प्राककलित राशि ₹ 15 करोड़ थी। विभाग से प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त किए बिना ही बुड़को द्वारा 117 बी.क्यू.एस. के निर्माण हेतु ₹ 13.72 करोड़ की निविदा स्वीकृत कर ली गयी थी, परंतु विभाग द्वारा केवल 104 के बी.क्यू.एस निर्माण हेतु ₹ 7.50 करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई थी। जब विभाग से ₹ 6.35 करोड़ के अतिरिक्त राशि की मांग की गयी तो विभाग द्वारा अनुरोध किया गया कि बी.क्यू.एस. का निर्माण स्वीकृत राशि के अंदर ही पूरा किया जाय एवं अतिरिक्त राशि की स्वीकृति देने से विभाग द्वारा इनकार कर दिया गया। इस प्रकार, बिना न.वि. एवं आ.वि. के प्रशासनिक स्वीकृति के बुड़को ने 117 बी.क्यू.एस. का निर्माण किया एवं ₹ 6.35 करोड़ की अतिरिक्त देनदारी का सृजन किया।

परियोजना निदेशक, बुड़को द्वारा जवाब दिया गया कि प्रधान सचिव, न.वि. एवं आ.वि. ने एक बैठक (अप्रैल 2015) के दौरान न.वि. एवं आ.वि. के कर्मियों को निर्देश दिया कि शेष राशि उपलब्ध करा दी जाय। यद्यपि, न.वि. एवं आ.वि. से शेष राशि की स्वीकृति अप्राप्त थी (सितंबर 2016)।

बिहार राज्य पुल निर्माण निगम द्वारा बुड़को से अनुरोध किया गया था (सितंबर 2014) कि फ्लाई ओवर, अंडर पास एवं मल्टी जंक्शन इन्टरचंज की परियोजना का कार्य शुरू होने वाला है, अतः ललित भवन से लेकर विद्युत भवन तक कुल 10 बी.क्यू.एस.<sup>69</sup> का निर्माण नहीं कराया जाय। परंतु बुड़को द्वारा इस अनुरोध की अनदेखी कर इस खंड पर बी.क्यू.एस. का निर्माण कराया गया था।

संयुक्त भौतिक सत्यापन में पाया गया कि बि.रा.पु.नि.नि द्वारा उक्त परियोजना पर कार्य शुरू कर दिया था एवं पाँच बी.क्यू.एस तोड़ दिए गए थे (अगस्त 2016) तथा शेष पाँच बी.क्यू.एस. जल्द ही तोड़ दिए जाने वाले थे।

---

<sup>68</sup> भागलपुर, गया और अंतर्राज्यीय बस टर्मिनल, पटना

<sup>69</sup> लोकायुक्त कार्यालय (सड़क के दोनों तरफ), बिहार लोक सेवा आयोग (सड़क के दोनों तरफ), आयकर चौराहा (सड़क के दोनों तरफ), माझटं कारमेल स्कूल एवं विकास भवन (सड़क के दोनों तरफ)



इस प्रकार, बि.रा.पु.नि.नि के अनुरोध की अनदेखी किए जाने से 10 बी.क्यू.एस. को तोड़े जाने के कारण बुड़कों को कुल ₹ 27.60 लाख (**परिशिष्ट-4.6**) की परिहार्य हानि उठानी पड़ी।

परियोजना निदेशक, बुड़कों ने जबाब दिया कि बी.क्यू.एस. का निर्माण एवं उद्घाटन बि.रा.पु.नि.नि के अनुरोध से पूर्व किया गया था। जबाब अमान्य था, क्योंकि बि.रा.पु.नि.नि के अनुरोध (सितंबर 2014) के समय तक मापीपुस्त के अनुसार (13 अक्टूबर 2014) मात्र जंगल सफाई का कार्य किया गया था।

बी.क्यू.एस. में विज्ञापन से राजस्व की प्राप्ति हेतु पृथक निविदा आमंत्रित किया जाना था, जिसका इस्तेमाल इसके परिचालन एवं रखरखाव पर किया जा सकता था। लेखापरीक्षा में पाया गया कि बी.क्यू.एस. का निर्माण मार्च 2015 में पूर्ण किया गया था। जबकि, अगस्त 2016 तक विज्ञापन हेतु निविदा किसी भी अभिकरण को नहीं दी गयी थी। इस प्रकार, बी.क्यू.एस. के रखरखाव हेतु वित्तीय संसाधन की उगाही नहीं की जा सकी थी।

अनुदान पत्र के अनुसार, निर्मित बी.क्यू.एस. को बिहार शहरी यातायात निगम लिमिटेड (बी.यू.टी.सी.एल.) को हस्तांतरित किया जाना था। परंतु, किसी भी बी.क्यू.एस. को बी.यू.टी.सी.एल. को हस्तांतरित नहीं किया गया। परिणामस्वरूप, बी.क्यू.एस. का परिचालन एवं रखरखाव नहीं किया जा रहा था।

साठ बी.क्यू.एस. के संयुक्त भौतिक निरीक्षण के दौरान पाया गया कि 29 बी.क्यू.एस. अतिक्रमित थे, 58 बी.क्यू.एस. में बसों का ठहराव नहीं था, किसी भी बी.क्यू.एस. पर उस मार्ग से गुजरने वाली बसों की समय–सारणी प्रदर्शित नहीं की गयी थी तथा किसी भी बी.क्यू.एस. में विद्युत संयोजन मुहैया नहीं कराया गया था।



शिवमंदिर, बेली रोड, पटना का बी.क्यू.एस. अतिक्रमित था।	बी. एम. पी.-16, पटना का बी.क्यू.एस. अतिक्रमित था एवं इसमें एक होटल चल रहा था।
---	---

चूंकि निर्मित बी.क्यू.एस. को परिचालन एवं रखरखाव हेतु बी.यू.टी.सी.एल. को हस्तांतरित नहीं किया गया था अतः ₹ 13.85 करोड़ की लागत से निर्मित बी.क्यू.एस. यात्रियों को सुविधा देने में विफल रहा तथा अतिक्रमण, क्षति एवं बर्बादी के लिए सुगम था।

उप परियोजना निदेशक, बुडको के साथ 64 लाभुकों का लाभुक सर्वेक्षण (नवंबर 2016) किया गया जो लेखापरीक्षा निष्कर्षों की पुष्टि करता है, जिसका सार नीचे है:

मानक	प्रतिक्रिया
क्या बी.क्यू.एस. का इस्तेमाल आम जनता द्वारा किया गया था।	56 प्रतिशत द्वारा बताया गया कि बी.क्यू.एस. का इस्तेमाल नहीं किया गया था।
क्या सिटी बस बी.क्यू.एस. के समीप रुकते थे।	88 प्रतिशत द्वारा बताया गया कि सिटी बस बी.क्यू.एस. के समीप नहीं रुकते थे।
क्या लोग बसों में चढ़ने हेतु बी.क्यू.एस. के पास जमा होते थे।	66 प्रतिशत द्वारा बताया गया कि लोग बसों में चढ़ने हेतु बी.क्यू.एस. के पास जमा नहीं होते थे।
क्या बी.क्यू.एस. का रख-रखाव ठीक से किया जा रहा था।	83 प्रतिशत द्वारा बताया गया कि रख-रखाव नहीं किया जा रहा था।
बी.क्यू.एस. उपयोग किसके द्वारा किया जा रहा था।	97 प्रतिशत द्वारा बताया गया कि बी.क्यू.एस. का अनाधिकृत रूप से इस्तेमाल किया जा रहा था यथा भेन्डरों, नसीरी आदि द्वारा।

#### 4.1.8.3 तालाब/घाट का निर्माण/जीर्णोद्धार/सौंदर्यकरण

बिहार सरकार ने घाट<sup>70</sup> के निर्माण के लिए न.नि., गया को ₹ 13.27 करोड़ विमुक्त (2012–15) किया था। लेखापरीक्षा में पाया गया कि योजना एवं डी.पी.आर. तैयार नहीं किया गया था एवं तकनीकी स्वीकृति सक्षम प्राधिकारी<sup>71</sup> से प्राप्त नहीं की गयी थी तथा किसी कारण का उल्लेख किए बिना कार्य छ: महीने के विलंब से पूर्ण किया गया था। संविदा की शर्तों के अनुसार, दंडस्वरूप प्राक्कलित राशि के 10 प्रतिशत यानी ₹ 13.23 लाख (प्राक्कलित राशि ₹ 132.28 लाख) की कटौती नहीं की गयी थी, परिणामस्वरूप ठेकेदार को ₹ 13.23 लाख का अधिक भुगतान हुआ था।

इसे लेखापरीक्षा में इंगित किए जाने पर नगर आयुक्त, गया द्वारा जवाब (फरवरी 2017) दिया गया कि ठेकेदार को पूर्व मंत्री, न.वि. एवं आ.वि. एवं मगध प्रमंडल के आयुक्त द्वारा पितृपक्ष मेला के दौरान कार्य को रोकने का आदेश दिया गया था। नगर आयुक्त का जवाब मान्य नहीं था क्योंकि कार्य को रोके जाने के आदेश से संबंधित कोई दस्तावेजी साक्ष्य लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं कराया गया। आगे, पितृपक्ष मेला की कुल अवधि 15 दिनों की थी, जबकि छ: महीने का समय विस्तार बिना किसी उचित कारण के मंजूर किया गया था।

देवघाट के उत्तर की ओर संगत घाट से गायत्री घाट के संयुक्त भौतिक निरीक्षण के दौरान यह पाया गया कि घाट के कई स्लैब टूटे एवं सीढ़ियों से उखड़े हुए थे तथा एक मिनी हाई मास्ट लाईट भी कार्यरत नहीं था।

#### ब्रह्मसरोवर के डिसिल्टिंग तथा सीढ़ी, रास्ते के निर्माण एवं वृक्षारोपण सहित सौंदर्यकरण

बिहार सरकार ने गया न.नि. को कागवली के सौंदर्यकरण/जीर्णोद्धार हेतु ₹ 80 लाख विमुक्त किया था (अक्टूबर 2010)। लेखापरीक्षा में पाया गया कि कार्य को दो भागों<sup>72</sup> में

<sup>70</sup> देवघाट के उत्तर की ओर संगत घाट से गायत्री घाट

<sup>71</sup> मुख्य अभियंता के बजाय अधीक्षण अभियंता

<sup>72</sup> (i) ब्रह्म सरोवर के जीर्णोद्धार, सीढ़ी एवं पाथवे निर्माण, वृक्षारोपण सहित सौंदर्यकरण, वार्ड नं. – 45 (प्राक्कलित राशि – ₹ 70.15) लाख एवं (ii) ब्रह्म सरोवर पर स्थित कागवली वेदी का सौंदर्यकरण (प्राक्कलित राशि – ₹ 8.95 लाख)

विभक्त किया गया था। प्रथम कार्य को, सरोवर के चारों ओर रास्ते के निर्माण के द्वारा इसे गंदे पानी एवं घरों से निकलनेवाले कूड़ों के प्रदूषण से बचाने तथा सरोवर में पिंडदान हेतु देश-विदेश से आने वाले तीर्थ यात्रियों को सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से किए जाने का निर्णय किया गया था।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि तकनीकी स्वीकृति सक्षम प्राधिकारी से प्राप्त नहीं किया गया था। कार्यादेश के अनुसार, रास्ते, पाथवे का निर्माण, वृक्षारोपण के साथ सौंदर्यीकरण एवं सरोवर का डिसिलिंग कार्य फरवरी 2012 तक पूर्ण कर लिया जाना था। तथापि, कार्यस्थल पर विवाद के कारण कार्य समय शुरू नहीं किया जा सका था।

कार्य जून 2012 में शुरू किया जा सका। यद्यपि, ठेकेदार द्वारा विलंब के कारण कई बार दर पुनरीक्षित करने का अनुरोध किया गया था जिसे न.नि. द्वारा अस्वीकृत कर दिया गया था। ठेकेदार को इस चेतावनी के साथ कार्य करने का निदेश दिया गया था (अप्रैल–मई 2015) कि यदि कार्य पूर्ण नहीं किया गया तो उनका निबंधन रद्द कर दिया जाएगा तथा फर्म को काली सूची में डाल दिया जाएगा एवं उनके विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की जाएगी। परंतु, न तो ठेकेदार द्वारा कार्य पूर्ण किया गया एवं न ही न.नि., गया द्वारा उसके विरुद्ध कोई कारवाई शुरू की गयी थी (अगस्त 2016)। हांलाकि, ₹ 8.95 लाख मूल्य के कार्य के दूसरे भाग को पूर्ण (सितंबर 2012) कर लिया गया था।



न.नि. गया के अंतर्गत कागवली स्थित ब्रह्मसरोवर में प्रदूषण नियंत्रण कार्य का कार्यान्वयन नहीं किया गया

नगर आयुक्त, गया ने जवाब दिया कि ठेकेदार के विरुद्ध कारवाई की जाएगी तथा सक्षम प्राधिकारी से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त नहीं किए जाने को स्वीकार किया। इस प्रकार, तीन वर्षों से अधिक समय से कार्य को बीच में बंद कर दिए जाने के कारण सरोवर को प्रदूषण से रोकने एवं पिंडदान हेतु तीर्थयात्रियों को सुविधा मुहैया कराने का वांछित उद्देश्य प्राप्त नहीं किया जा सका एवं ₹ 37.85 लाख का व्यय निष्फल रहा।

#### **4.1.8.4 मलिन बस्तियों में आधारभूत संरचना का विकास**

बिहार सरकार ने चार चयनित न.नि. के अंतर्गत मलिन बस्तियों में आधारभूत संरचना विकास हेतु बूड़ा को ₹ 45.25 करोड़ स्वीकृत (दिसंबर 2013 एवं जुलाई 2014) किया था।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि:

शौचालयों के निर्माण हेतु तैयार (2014) किए कुल 4,488 डी.पी.आर. में से केवल 1,548 व्यक्तिगत शौचालयों को प्रथम चरण में पूर्ण किया गया था एवं मलिन बस्ती आधारभूत संरचना विकास के अंतर्गत ₹ 1.87 करोड़ उपलब्ध रहने के बावजूद 2,940 शौचालयों का निर्माण नहीं किया गया। शौचालयों का निर्माण नहीं कराए जाने के कारण न.नि., भागलपुर

के 2,940 घरों के लोग खुले में शौच के लिए मजबूर थे। न.आ., भागलपुर ने जवाब दिया कि डी.पी.आर. की तैयारी में विलंब के कारण, कार्यों के कार्यान्वयन में विलंब हुआ।

मलिन बस्तियों में आधारभूत संरचना विकास कार्य के दिशानिर्देश की कंडिका 15 के अनुसार व्यक्तिगत शौचालय की स्थिति में लाभुक के अंश<sup>73</sup> को समूह विकास समिति (स.वि.स.) के विशेष बैंक खाते में जमा किया जाना था। लेखापरीक्षा में पाया गया कि न.नि., भागलपुर द्वारा 30 स.वि.स. के लाभुकों का अंश ₹ 17.74 लाख (**परिशिष्ट-4.7**) स.वि.स. के विशेष बैंक खाते में जमा नहीं किया गया था बल्कि, अलग से पंजी का संधारण किया गया था जिससे यह पता नहीं चल सका कि लाभुकों के अंशों को व्यक्तिगत शौचालयों के निर्माण कार्य में उपयोग किया गया था। न.नि., भागलपुर द्वारा जवाब दिया गया कि स.वि.स. को निदेश दिया जाएगा कि लाभुक अंश को स.वि.स. के विशेष बैंक खाते में जमा किया जाए।

उक्त दिशानिर्देश की कंडिका 8 में प्रावधान था कि स्वीकृत प्राक्कलित राशि का 10 प्रतिशत व्यक्तिगत शौचालयों एवं चापाकलों के कार्यान्वयन हेतु पंजीकृत स.वि.स. के खाते में अग्रिम के रूप में हस्तांतरित किया जाएगा। तत्पश्चात्, प्राक्कलित राशि का 30 प्रतिशत श.स्था.नि. को प्रत्येक व्यय की पूर्ण विवरणी प्रस्तुत किए जाने पर, किस्तों में विमुक्त की जाएगी। परंतु, न.नि. भागलपुर ने विहित प्रपत्र में व्यय विवरणी प्राप्त किए बिना ही स.वि.स. को ₹ 32.42 लाख विमुक्त कर दिया जो कमजोर वित्तीय नियंत्रण को इंगित करता है। न.नि., भागलपुर ने जवाब दिया कि व्यय विवरणी स.वि.स. से प्राप्त किया जाएगा जो मान्य नहीं था क्योंकि न.नि. द्वारा राशि विमुक्ति से पूर्व ही व्यय विवरणी प्राप्त की जानी चाहिए थी।

दिशानिर्देशों के अनुसार, मलिन बस्तियों में विकास कार्य को दो भागों में पूरा किया जाना था, प्रथम भाग में स.वि.स. के माध्यम से व्यक्तिगत शौचालयों एवं चापाकल अधिष्ठापन का कार्य किया जाना था तथा दूसरे भाग में सड़क, नाला, सामुदायिक भवन एवं सोलर लाईट अधिष्ठापन का कार्य ई-निविदा के माध्यम से किया जाना था। न.वि. एवं आ.वि. ने प्रथम चरण में न.नि. भागलपुर के अंतर्गत 46 मलिन बस्तियों में आधारभूत संरचना विकास के लिए ₹ 13.09 करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की थी।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि द्वितीय भाग के अंतर्गत कार्यों के कार्यान्वयन हेतु ₹ सात करोड़ आवटिन किया गया था। प्रारंभिक प्राक्कलन में ₹ 4.96 करोड़ की लागत से पेवर ब्लॉक सड़क के निर्माण का प्रावधान किया गया था। जबकि, पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त किए बिना ही उक्त कार्य को ₹ 6.24 करोड़ के पी.सी.सी. सड़क में बदल दिया गया था। तदनुसार, ₹ 5.71 करोड़ का कार्यादेश निर्गत किया गया एवं ₹ 2.82 करोड़ का भुगतान किया गया था (अगस्त 2016)। परिणामस्वरूप, सामुदायिक भवन, सामुदायिक शौचालय एवं पानी टंकी के निर्माण के लिए राशि ₹ 74.55 लाख से कम पड़ गयी थी। बिना प्रशासनिक स्वीकृति के पी.सी.सी. सड़क के कार्यान्वयन एवं ₹ 74.55 लाख के वित्तीय भार के परिणामस्वरूप न केवल कार्यों के द्वितीय भाग के विकास मदों से समझौता किया गया बल्कि ये मलिन बस्तियां कोटि उन्नयन एवं मलिन बस्ती की सूची से बाहर होने से भी वंचित रहीं।

भौतिक सत्यापन के दौरान पाया गया कि:

- नगर निगम, भागलपुर के अंतर्गत पाँच<sup>74</sup> मलिन बस्तियों में 81 व्यक्तिगत शौचालयों में विद्युत फिटिंग्स नहीं पायी गयी। मुसहरी टोला मलिन बस्ती में एक स्थान पर नाला मिट्टी से भरा हुआ था।
- रिफ्युजी टोला बस्ती में वैसे क्षेत्र में सड़क बनी थी जहाँ मलिन बस्ती नहीं थी।

<sup>73</sup> ₹ 1,500 एवं लाभुक द्वारा नींव एवं गड्ढे की खुदाई स्वयं करने कि स्थिति में ₹ 1,000

<sup>74</sup> वार्ड नं. 29 में मुसहरी टोला, वार्ड नं. 28 में पासी टोला बरारी, वार्ड नं. 28 में रिफ्युजी कॉलोनी, वार्ड नं. 2 में मकबरा हरिजन टोला एवं वार्ड नं. 26 में धोबी टोला

- प्राक्कलन में बिजली, जलापूर्ति के लिए बोरिंग एवं मोटर का प्रावधान नहीं किया गया था। परिणामस्वरूप, धनिया बगीचा, गया स्थित सामुदायिक भवन में पानी टंकी एवं टंकी के लिए कनेक्टिंग पाईप फिटिंग्स अनुपयोगित रहा (दिसंबर 2015)।



251 लाभुकों का लाभुक सर्वेक्षण न.नि., भागलपुर के कर्मियों के साथ किया गया (नवंबर 2016) एवं निष्कर्षों का सार नीचे दिया गया है:

मानक	प्रतिक्रिया
क्या व्यक्तिगत शौचालयों का निर्माण स.वि.स/न.नि., भागलपुर द्वारा किया गया था।	कुल 37 प्रतिशत लाभुकों द्वारा बताया गया कि व्यक्तिगत शौचालयों का निर्माण समूह विकास समिति/नगर निगम, भागलपुर द्वारा नहीं किया गया था।
यदि नहीं, तो शौचालयों के लिए क्या व्यवस्था है।	88 प्रतिशत लाभुकों द्वारा बताया गया कि चूंकि कोई शौचालय की कोई व्यवस्था नहीं की गई थी इसलिए वे खुले में शौच के लिए मजबूर थे।
क्या स.वि.स./न.नि., भागलपुर द्वारा विद्युत की व्यवस्था की गई थी।	79 प्रतिशत लाभुकों द्वारा बताया गया कि विद्युत की व्यवस्था नहीं की गई थी।
यदि नहीं, तो क्या विद्युत व्यवस्था के अभाव में शौचालयों के उपयोग कोई परेशानी थी।	लगभग 61 प्रतिशत लाभुकों ने विद्युत के अभाव में उनके द्वारा महसूस की गई परेशानियों का वर्णन किया।

#### 4.1.8.5 सामुदायिक भवन का निर्माण

सामुदायिक भवनों के निर्माण/विस्तार/जीर्णोद्धार हेतु डूड़ा, गया को ₹ तीन करोड़ आवंटित (दिसंबर 2011) किए गए थे जिसका ब्यौरा नीचे तालिका 4.4 में वर्णित है:

तालिका – 4.4: सामुदायिक भवनों के निर्माण/विस्तार/जीर्णोद्धार

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	आवंटन संख्या / तिथि	कार्यकारी एजेंसी का नाम	योजना का नाम	स्वीकृत राशि	व्यय
1.	41 / 29.12.11	डूड़ा, गया	बागेश्वरी मंदिर, गया के नजदीक सामुदायिक भवन का विस्तार	0.65	0.42
2.	-तथैव-	-तथैव-	चॉद-चौरा, गया के नजदीक सामुदायिक भवन का निर्माण	0.40	0.40
3.	-तथैव-	-तथैव-	अक्षयवट, गया में सामुदायिक भवन का निर्माण	1.25	1.25
4.	-तथैव-	-तथैव-	आजाद पार्क-सह-सामुदायिक भवन, गया का जीर्णोद्धार एवं सौंदर्यकरण	0.70	शून्य
<b>कुल</b>					<b>3.00</b>
(स्रोत: आवंटन पत्र एवं नगर निगम द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना)					<b>2.07</b>

इस प्रकार, ₹ तीन करोड़ के कुल अनुदान में से आजाद पार्क सामुदायिक भवन में कार्यस्थल पर विवाद एवं मां बागेश्वरी मंदिर, गया में शेष कार्य<sup>75</sup> हेतु निविदा आमंत्रित नहीं किए जाने के कारण ₹ 0.93 करोड़<sup>76</sup> अवरोधित रहा (अगस्त 2016)।

ठेके की शर्तों के उपबंध 2 में प्रावधानित है कि यदि कार्य विनिर्दिष्ट तिथि से पूरा होना शेष रह जाता है तो ठेकेदार प्रतिदिन प्राक्कलित राशि का आधा प्रतिशत प्रतिदिन की दर से (प्राक्कलित राशि का 10 प्रतिशत अधिकतम) मुआवजा के रूप में भुगतान करेगा।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि बिना कोई कारण समनुदेशित किए हुए अक्षयवट सामुदायिक भवन का निर्माण 48 दिनों के विलंब से पूर्ण किया गया था। जबकि, ठेकेदार के अंतिम बिल से कटौती योग्य राशि ₹ 11.19 लाख (प्राक्कलित राशि ₹ 111.90 लाख का 10 प्रतिशत) के विरुद्ध केवल ₹ 0.86 लाख की ही कटौती की गयी, जिसके कारण ठेकेदार को ₹ 10.33 लाख का अधिक भुगतान किया गया। कार्यपालक अभियंता, डूड़ा, गया द्वारा ₹ 10.33 लाख का अधिक भुगतान स्वीकार किया गया एवं जवाब दिया गया कि शेष राशि की वसूली हेतु कार्यवाही की जा रही है (फरवरी 2017)।

#### 4.1.8.6 टाइन हॉल (सम्राट अशोक भवन) का निर्माण

सम्राट अशोक भवन, बस पड़ाव एवं विशेष सफाई अभियान के अंतर्गत दो न.नि.<sup>77</sup> को वर्ष 2014–16 के दौरान ₹ 6.57 करोड़ का विमुक्त अनुदान कोषागार से निकासी नहीं किए जाने के कारण व्यपगत हो गया था। ₹ 6.57 करोड़<sup>78</sup> में से ₹ 2.50 करोड़ न.वि. एवं आ.वि. द्वारा न.नि., पटना को 2015–16 में पुर्नवैद्यीकरण किया गया था तथा ₹ 4.07 करोड़ व्यपगत था। यद्यपि, नगर आयुक्त कोषागार से अनुदान की निकासी हेतु जिम्मेवार थे, नगर आयुक्त द्वारा इस प्रकार के अनुश्रवण किए जाने से संबंधित कोई अभिलेख न.नि. में उपलब्ध नहीं था।

नगर निगम, पटना के नगर वित्त एवं लेखा नियंत्रक द्वारा जवाब (जुलाई 2016) दिया गया कि कोषागार पदाधिकारी द्वारा बजट प्रावधान से अधिक आवंटन होने के कारण आवंटन के निकासी में आपत्ति की गयी थी। जबकि, यह पाया गया कि व्यपगत अनुदान के पुर्नवैद्यीकरण हेतु न.वि. एवं आ.वि. से अनुरोध नहीं किया गया था। परिणामस्वरूप, शहरी नागरिक, नागरिक सुविधाओं से वंचित रहे।

#### 4.1.8.7 सार्वजनिक शौचालयों का निर्माण

नगर विकास एवं आवास विभाग ने पटना के विभिन्न स्थलों पर 32 सार्वजनिक शौचालयों के निर्माण हेतु प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गयी थी (जनवरी 2010) एवं बि.रा.पु.नि.नि.लि. को ₹ 18.45 लाख प्रति शौचालय की दर से ₹ 5.94 करोड़ का आवंटन किया गया था। पुनः, इन शौचालयों को न.नि., पटना को हस्तांतरित किया जाना था ताकि इसके आय के स्रोत में वृद्धि हो सके।

सभी 32 सार्वजनिक शौचालयों का निर्माण नवंबर – दिसंबर 2009 की अवधि में किया गया था। इन 32 सार्वजनिक शौचालयों में से 10 को इनके निर्माण के छः वर्ष से अधिक बीत जाने के बाद भी न.नि., पटना को हस्तांतरित नहीं किया गया था।

<sup>75</sup> विद्युतीकरण, सफाई एवं जलापूर्ति, लैंडस्केप, फर्नीचर और फिक्स्चर

<sup>76</sup> आजाद पार्क सामुदायिक भवन – ₹ 70 लाख एवं बागेश्वरी मंदिर के नजदीक सामुदायिक भवन – ₹ 22.86 लाख

<sup>77</sup> गया एवं पटना

<sup>78</sup> सम्राट अशोक भवन, गया का निर्माण ₹ 0.58 करोड़, बस पड़ाव, पटना का निर्माण ₹ 2.50 करोड़ एवं विशेष सफाई अभियान, पटना ₹ 3.49 करोड़

इन 10 सार्वजनिक शौचालयों<sup>79</sup> का लेखापरीक्षा द्वारा संयुक्त भौतिक निरीक्षण किया गया एवं पाया गया कि 10 में से नौ सार्वजनिक शौचालय निर्माण के समय से ही उपयोग में नहीं थे तथा इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान परिसर स्थित एक सार्वजनिक शौचालय का उपयोग एवं रखरखाव अस्पताल द्वारा किया जा रहा था, जिसकी संपुष्टि 177 लाभुकों के लाभुक सर्वेक्षण के दौरान की गयी।



विकास भवन, पटना स्थित नागरिक सुविधा	बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, स्थित नागरिक सुविधा	मौर्यलोक स्थित नागरिक सुविधा	जय प्रभा अस्पताल स्थित नागरिक सुविधा
-------------------------------------	---	------------------------------	--------------------------------------

इस प्रकार, नौ सार्वजनिक शौचालयों को पटना न.नि.को हस्तांतरित नहीं किए जाने के कारण सार्वजनिक शौचालय उपलब्ध कराने एवं न.नि., पटना के आय के स्रोत में वृद्धि का उद्देश्य विफल रहा, जिससे ₹ 1.58 करोड़<sup>80</sup> का व्यय निष्फल हुआ।

वरीय परियोजना अभियंता, बि.रा.पु.नि.नि.लि. ने जवाब दिया (जुलाई 2016) कि न.नि., पटना को सार्वजनिक शौचालयों का प्रभार लेने हेतु कई बार अनुरोध किया गया परंतु उनके द्वारा कोई रुचि नहीं दिखाई गयी।

### राजस्व की हानि

बिहार नगरपालिका लेखा नियमावली (बि.न.ले.प.) 1928 का नियम 73(क)(4) प्रावधान करता है कि प्रत्येक नगरपालिका कार्यपालक एवं कर्मचारी को पूर्णतया एवं स्पष्टतः समझना चाहिए कि नगरपालिका के आयुक्तों की ओर से हुए कपट एवं लापरवाही के कारण हुई हानि के लिए उन्हें व्यक्तिगत रूप से जिम्मेवार ठहराया जाएगा एवं नगरपालिका के अन्य कर्मचारी की ओर से भी हुए कपट एवं लापरवाही के लिए भी उन्हें व्यक्तिगत रूप से जिम्मेवार ठहराया जाएगा जिस हद तक उस हानि में उनके स्वयं की कारवाई या लापरवाही का योगदान हो।

पटना न.नि. के अभिलेखों की संवीक्षा (दिसंबर 2015) में यह ज्ञात हुआ कि न.वि. एवं आ.वि., बि.स. के आदेशों पर (सितंबर 2009) 33 डीलक्स सार्वजनिक शौचालयों (डी.सा.शौ.) जिनमें टॉयलेट, यूरिनल्स एवं वॉश बेसिन शामिल हैं, को बि.रा.पु.नि.नि.लि. द्वारा 30 अक्टूबर 2009 तक इसके रखरखाव एवं परिचालन के लिए पटना न.नि.को सौंपेगा ताकि उसके राजस्व के स्रोतों में वृद्धि हो सके।

<sup>79</sup> 1. बी.एम.पी, 2. जयप्रभा पार्क, 3. महावीर औषधालय के सामने, कंकड़बाग, 4. मौर्यलोक कॉम्प्लेक्स, 5. बी.एस.ई.बी कार्यालय, 6. विकास भवन, 7. गर्दनी बाग स्टेडियम, 8. आई.जी.आई.एस.एस, 9. गाय घाट, 10. सिविल कोर्ट गाय घाट

<sup>80</sup> किया गया व्यय (₹ लाख में) – 1. बी.एम.पी – 15.57, 2. जयप्रभा पार्क – 15.17 3. महावीर औषधालय के सामने – 18.07, कंकड़बाग–18.07, 4. मौर्यलोक कॉम्प्लेक्स–18.26, 5. बी.एस.ई.बी कार्यालय – 18.80, 6. विकास भवन–18.45, 7. गर्दनीबाग स्टेडियम–18.16, 8. गाय घाट – 17.94, 9. सिविल कोर्ट गाय घाट – 17.94

परंतु, बि.रा.पु.नि.नि.लि. द्वारा वास्तव में 12 डी.सा.शौ. को ही पटना न.नि. को हस्तांतरित (फरवरी—अगस्त 2010) किया गया था। इन डी.सा.शौ. को चार एजेंसियों को इस शर्त के साथ आवंटित (जून 2010) किया गया था कि वे आवंटन की तिथि से एक सप्ताह के अंदर बंदोबस्ती की राशि का 50 प्रतिशत जमा कर एकरारनामा करा लेंगे। न.नि. पटना द्वारा बनाए गए नियम व शर्तों के अनुसार आवंटन पाँच वर्षों के लिए किया जाना था परंतु प्रत्येक डी.सा.शौ. के लिए बंदोबस्ती की राशि प्रत्येक वर्ष निर्धारित किया जाना था।

यह पाया गया कि पटना न.नि. ने एजेंसियों के साथ कोई एकरारनामा निष्पादित नहीं किया। आगे, वर्ष 2010–11 के लिए ₹ 34.03 लाख के कुल माँग के विरुद्ध आवंटियों द्वारा केवल ₹ 15.98 लाख जमा किया गया (जुलाई—सितंबर 2010), परंतु पटना न.नि. द्वारा उनके विरुद्ध कोई कारवाई नहीं की गई एवं डी.सा.शौ. मई 2015 तक आवंटियों के कब्जे में रहा। आवंटियों के द्वारा भी जून 2010 से मई 2015 की अवधि की शेष राशि को सितंबर 2015 तक भुगतान नहीं किया गया था। पटना न.नि. आवंटियों जिन्हें 12 डी.सा.शौ. का आवंटन जून 2010 में किया गया था, के साथ एकरारनामा करने में विफल रहा जिसके कारण जून 2010 से मई 2015 की अवधि के लिए बंदोबस्ती राशि ₹ 1.54 करोड़ (**परिशिष्ट-4.8**) की वसूली नहीं की जा सकी।

लेखापरीक्षा में इसे इंगित किए जाने पर, अपर नगर आयुक्त (राजस्व), न.नि. पटना द्वारा जवाब दिया गया (मार्च 2016) कि पटना न.नि. के तत्कालीन मुख्य नगर अभियंता द्वारा डी.सा.शौ. के आवंटियों के साथ एकरारनामा नहीं किए जाने के कारण बन्दोबस्ती राशि की वसूली नहीं की जा सकी एवं तत्कालीन मुख्य नगर अभियंता से राशि की वसूली हेतु आवश्यक कारवाई की जाएगी।

मामले को सरकार को प्रतिवेदित किया गया था (जून 2016); स्मार—पत्र भी निर्गत किए गए (अगस्त 2016 एवं नवंबर 2016), उनका जवाब प्रतीक्षित था।

### **मौर्या लोक कॉम्प्लेक्स, पटना की मरम्मति**

बिहार सरकार ने मौर्यालोक कॉम्प्लेक्स<sup>81</sup> की मरम्मति हेतु ₹ चार करोड़ विमुक्त (अप्रैल 2014) किया था। इस कार्य को ₹ 3.09 करोड़ के व्यय से पूरा किया गया था (अप्रैल 2015)। लेखापरीक्षा में पाया गया कि:

कुल ₹ 81.05 लाख का विद्युतीकरण कार्य वैसे ठेकेदार को दिया गया जिसके पास विद्युतीकरण कार्य की अनुज्ञाप्ति एवं अनुभव नहीं था। संयुक्त भौतिक सत्यापन के दौरान पाया गया कि मौर्यालोक कॉम्प्लेक्स में विद्युत केबल बेतरतीब ढंग से लगाया गया था। दुकानों में विद्युत संयोजन हेतु विद्युत पैनल (बस बार) का अधिष्ठापन किया गया था परंतु, इसमें से एक का भी विद्युत संयोजन नहीं लिया गया था एवं कार्य को पाँच महीने विलंब से पूरा किया गया था।

		
मौर्यालोक कॉम्प्लेक्स में अव्यवस्थित विद्युत केबल		मौर्यालोक कॉम्प्लेक्स में विद्युत कनेक्शन हेतु इलेक्ट्रिक पैनल (बस बार)

<sup>81</sup> मार्केट/ऑफिस कॉम्प्लेक्स

तीन शौचालयों के भौतिक सत्यापन में से, दो शौचालय बंद पाए गए एवं एक बंद शौचालय की चाबी अनाधिकृत कब्जे में थी। नल की टॉटी गायब थी तथा मूत्रालय एवं शौचालय के बीच का बंटवारा छोटा था।

#### 4.1.8.8 विशेष स्वच्छता

सपूर्ण नगर निकाय क्षेत्र में स्वच्छता में व्यापक सुधार हेतु अनुदानों का उपयोग छः घटकों यथा घर-घर कचरा संग्रहण, कचड़ा संग्रहण हेतु उपकरणों का क्रय, कचड़े के प्रबंधन हेतु लैंडफिल साइट के क्रय/विकास, कचड़े से कम्पोस्ट/बिजली बनाने की योजना में सहायता, नालों की उड़ाही, सफाई एवं सुदृढ़ीकरण तथा सार्वजनिक स्थलों पर विशेष स्वच्छता अभियान हेतु मानव बल उपलब्ध कराने पर किया जाना था। आगे, आगामी वर्ष के लिए अनुदान की विमुक्ति न.वि. एवं आ.वि. द्वारा चालू वर्ष के अनुदान का सभी विहित घटकों पर किए गए व्यय के मूल्यांकन पर आधारित था।

#### अनुमत्य घटकों पर व्यय

लेखापरीक्षा में पाया गया कि दो नगर निगमों द्वारा वर्ष 2015–16 में ₹ 20.60 करोड़ के कुल अनुदान में से ₹ 10.56 करोड़ का व्यय ऐसे घटकों पर किया गया जो विहित घटक नहीं थे जैसा कि तालिका 4.5 में नीचे दर्शाया गया है:

**तालिका-4.5: अनुमत्य घटकों पर व्यय**

(₹ करोड़ में)

नगर निगम का नाम	कुल प्राप्त अनुदान	सफाई कार्य हेतु अनुमत्य घटक	कार्य जिस पर व्यय किए गए	राशि
बिहारशरीफ	2.92	घर-घर कचरा संग्रहण, कचड़ा संग्रहण हेतु उपकरणों का क्रय, कचड़ा प्रबंधन हेतु लैंडफिल साइट के क्रय/विकास, कचड़े से कंपोस्ट/बिजली बनाने की योजना में सहायता, नाले की उड़ाही, सफाई एवं सुदृढ़ीकरण एवं सार्वजनिक स्थलों पर सफाई के विषेष अभियान हेतु मानव बल	नियमित सफाईकर्मी का वेतन	1.22
पटना	17.68		दैनिकभागी सफाईकर्मी का वेतन	0.71
			दैनिक मजदूरी का भुगतान	7.50
			रात्रि सफाई	0.13
			एप्रन का क्रय	0.01
			छठ घाट योजना	0.99
<b>कुल</b>	<b>20.60</b>			<b>10.56</b>

(स्रोत: नमूना जांचित न. नि. द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना)

अनुदानों के उपयोग में प्रावधानों के उल्लंघन से योजना का उद्देश्य पूरा नहीं हुआ। न.नि. बिहारशरीफ एवं नगर वित्त एवं लेखा नियंत्रक, न.नि., पटना द्वारा लेखापरीक्षा निष्कर्ष को स्वीकार किया गया तथा जवाब दिया गया कि विभाग से पूर्व-व्यापी अनुमोदन प्राप्त कर लिया जाएगा (जुलाई 2016)। हाँलाकि, विभाग ने पूर्व-व्यापी अनुमोदन देने से इंकार कर दिया था (अगस्त 2016)।

#### नामांकन के आधार पर अनियमित ठेका दिया जाना

केंद्रीय सतर्कता आयोग (के.स.आ.) द्वारा पुनः जोर दिया गया था (जुलाई 2007) कि निविदा की प्रक्रिया या सार्वजनिक निलामी किसी भी सरकारी एजेंसी द्वारा संविदा/अनुबंध दिए जाने की मूल आवश्यकता है क्योंकि किसी अन्य विधि खासकर नामांकन आधार पर ठेका दिया जाना भारत के संविधान के अनुच्छेद-14 में उपबंधित समता के अधिकार का उल्लंघन होगा। आगे, माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा स्पेशल लीब पेटिशन सं. 10174/2006 में दिए गए निर्णय के अनुसार सरकार, इसके निगमों, तंत्रों, एजेंसियों द्वारा सरकारी अनुबंध सामान्यतया सार्वजनिक निलामी/सार्वजनिक निविदा द्वारा दिया जाना चाहिए।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि बि.रा.पु.नि.नि.लि. द्वारा के.स.आ. के मार्गनिर्देशिका का उल्लंघन करते हुए ₹ 7.33 करोड़ के 23 कार्य नामांकन आधार पर संवेदकों को दिए गए थे। आगे, यह भी पाया गया कि बि.रा.पु.नि.नि.लि. द्वारा नामांकन आधार पर दी गयी उपरोक्त सरकारी संविदा अपवादिक परिस्थितियों में नहीं दी गयी थी एवं इसका कोई कारण भी अभिलेखों में दर्ज नहीं किया गया था।

वरीय परियोजना अभियंता, बि.रा.पु.नि.नि.लि. द्वारा जवाब दिया गया (जुलाई 2016) कि नामांकन के आधार पर संविदा दिए जाने का कार्य अब पूर्णतः बंद कर दिया गया है।

#### 4.1.9 अनुश्रवण एवं पर्यवेक्षण

जैसा कि अनुदान संस्थीकृति पत्र/आवंटन पत्र में परिकल्पित था, उपरोक्त कार्यों का आवधिक अनुश्रवण एवं पर्यवेक्षण जिला पदाधिकारी के द्वारा किया जाना था। परंतु, सभी चारों न.नि. एंव स.नि. में कोई भी ऐसा अभिलेख उपलब्ध नहीं था जिससे यह पता लगाया जा सके कि इस प्रकार का अनुश्रवण किया गया था परिणामतः अनुमत्य कार्यों पर व्यय हुआ, परिसम्पत्तियों का निर्माण तो हुआ परंतु वह बिना किसी उपयोग के था, जिन परिसम्पत्तियों का निर्माण हुआ उनके परिचालन एवं रखरखाव हेतु उन्हें संबंधित एजेंसियों को नहीं सौंपा गया।

मलिन बस्तियों के आधारभूत संरचना के विकास हेतु मार्गदर्शिका की कंडिका 16 के अनुसार यू.टी.ए.एस.टी. (अरबन टेक्निकल असिस्टेंस सपोर्ट टीम) के अंतर्गत नियुक्त अभियंता एवं नगर निकाय के अभियंता समूह विकास समिति (स.वि.स.) के अध्यक्ष अथवा किसी अन्य नामित सदस्य के साथ कार्यों की गुणवत्ता का नियमित निरीक्षण करेगा। साथ ही, यू.टी.ए.एस.टी अभियंता स्वयं भी सप्ताह में एक बार कार्यों की गुणवत्ता का निरीक्षण करेगा। कार्यों में किसी भी प्रकार की कमी पाए जाने की स्थिति में मासले को नगर आयुक्त को प्रतिवेदित किया जाएगा। यू.टी.ए.एस.टी. के अभियंता एवं नगर निकाय के अभियंता के साथ स.वि.स. के अध्यक्ष स्थल निरीक्षण पुस्तिका में अपनी टिप्पणी दर्ज करेंगे। परंतु, न.नि., भागलपुर में यू.टी.ए.एस.टी. के अभियंता एवं नगर निकाय के अभियंता के साथ स.वि.स. के अध्यक्ष द्वारा निरीक्षण किए जाने का पता लगाने हेतु स्थल निरीक्षण पुस्तिका उपलब्ध नहीं पाया गया। न.नि., भागलपुर द्वारा जवाब दिया गया कि कार्यों के संतोषजनक कार्यान्वयन के बाद ही भुगतान किया गया था। जवाब स्वीकार्य नहीं था क्योंकि स्थल निरीक्षण पुस्तिका, जिससे कि यह ज्ञात हो सके कि कार्यों की गुणवत्ता की नियमित जांच/निरीक्षण की गयी थी, उपलब्ध नहीं था।

#### 4.1.10 निष्कर्ष

नमूना जांचित न.नि. द्वारा नागरिक सुविधा उपलब्ध कराने के लिए विकास योजना तैयार नहीं की गयी थी तथा विकास कार्यों का कार्यान्वयन जि.यो.स. द्वारा समेकित योजनाओं को जिला विकास योजना में शामिल किए बिना किया गया था।

योजनाओं का कार्यान्वयन प्रभावी रूप से नहीं किया गया था जो उपलब्ध अनुदानों के 50 प्रतिशत से अधिक राशि के उपयोग करने में विफल रहना, ₹ 4.07 करोड़ के अनुदानों का व्यपगत होना, अनुमत्य कार्यों पर व्यय होना, परिसम्पत्ति का निर्माण होने के बावजूद उसे सार्वजनिक उपयोग में नहीं लाया जाना, परिसम्पत्तियों का निर्माण किए जाने के बावजूद उनके परिचालन एवं रखरखाव हेतु संबंधित एजेंसियों को सौंपा नहीं जाना स्पष्ट करता है कि योजनाओं को प्रभावी ढंग से कार्यान्वित नहीं किया गया था।

कार्यों का कार्यान्वयन बिना प्रशासनिक अनुमोदन के किया गया था तथा कार्य का आवंटन नामांकन के आधार पर किया गया था।

कार्यों की संभावनाओं का आकलन किए बिना विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तैयार किए गए थे तथा कार्यकारी एजेंसियों को निधियों की विमुक्ति की गयी थी परिणामतः अनुदान अवरुद्ध रहे। इस प्रकार, शहरी आबादी को नागरिक सुविधा उपलब्ध कराने की योजना का उद्देश्य पूर्णतः प्राप्त नहीं किया जा सका।

#### 4.1.11 अनुशंसाएँ

- शहरी स्थानीय निकायों को विकास योजना तैयार करनी चाहिए तथा जिला योजना समिति के समक्ष समेकन एवं जिला विकास योजना में शामिल करने हेतु प्रस्तुत किया जाना चाहिए।
- नगर विकास एवं आवास विभाग तथा न.नि. को अनुमत्य कार्यों के लिए उपलब्ध अनुदानों के अधिकतम उपयोग हेतु आवश्यक कदम उठाना चाहिए।
- नगर विकास एवं आवास विभाग को ध्यान रखना चाहिए कि समानांतर निकायों द्वारा निर्माण की गयी परिसम्पत्ति सार्वजनिक उपयोग में है तथा उसे प्रचालन एवं रखरखाव हेतु जिम्मेदार एजेंसियों को सौंपा जाना चाहिए।
- नगर विकास एवं आवास विभाग तथा न.नि. को अनुदानों को व्यपगत होने से बचाने, रोकड़बही के संधारण एवं बैंक खाताओं के समाधान विवरणी तैयार करने तथा ससमय उपयोगिता प्रमाण पत्र समर्पित करने के लिए आंतरिक नियंत्रण की प्रणाली स्थापित करनी चाहिए।

**अध्याय – V**  
**अनुपालन लेखापरीक्षा**

**अध्याय – V**  
**अनुपालन लेखापरीक्षा**

**नगर विकास एवं आवास विभाग**

**5.1 अनियमित/निष्फल व्यय**

योजना मार्गदर्शिकाओं के अनुपालन में कमी के कारण नगर परिषद, सुल्तानगंज ने स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना के प्रशिक्षण घटक पर ₹ 50 लाख का अनियमित भुगतान किया। आठ शहरी स्थानीय निकायों में लाभार्थियों के प्रशिक्षण पर ₹ 3.91 करोड़ के व्यय के बावजूद गैर सरकारी संगठन प्रशिक्षित लाभार्थियों को रोजगार मुहैया कराने में विफल रहे।

स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना (एस.जे.एस.आर.वाई), एक केंद्र प्रायोजित योजना जो शहरी गरीबों के बीच रोजगार को बढ़ावा देने के लिए कौशल प्रशिक्षण (स्टेप-अप) द्वारा शहरी बेरोजगारों या अर्द्ध बेरोजगारों को लाभकारी रोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से प्रारंभ (दिसंबर 1997) किया गया था ताकि उन्हें बाजार में उपलब्ध रोजगार के अवसर प्राप्त हो सकें या वे स्वरोजगार को अपना सकें। एस.जे.एस.आर.वाई को सितंबर 2013 में राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (रा.श.आ.मि) के रूप में पुनर्गठित एवं पुनर्नामित किया गया तथा एस.जे.एस.आर.वाई के अंतर्गत स्टेप-अप के स्थान पर कौशल प्रशिक्षण और नियुक्ति के माध्यम से रोजगार (इ.एस.टी.एंड पी.) को शामिल किया गया।

स्टेप-अप के अंतर्गत, प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु चयनित एजेंसी रोजगार या स्वरोजगार के माध्यम से लाभार्थियों के 30 प्रतिशत की नियुक्ति के लिए उत्तरदायी था जबकि रा.श.आ.मि. में सफल प्रशिक्षित अभ्यर्थियों की नियुक्ति का अनुपात बढ़ाकर न्यूनतम 50 प्रतिशत तक कर दिया गया।

लेखापरीक्षा में योजना के कार्यान्वयन में निम्न अनियमितताएँ पाई गईः

(क) नगर परिषद (न.प.) सुल्तानगंज के अभिलेखों के नमूना जाँच (जुलाई 2015) में पाया गया कि एस.जे.एस.आर.वाई के अंतर्गत सभी पाँच घटकों के लिए न.प. द्वारा ₹ 75 लाख का आवंटन (दिसंबर 2012) प्राप्त किया गया था जिसका 40 प्रतिशत (₹ 30 लाख) स्टेप-अप घटक के लिए निर्धारित था। स्टेप-अप के अंतर्गत उपरोक्त आवंटन के विरुद्ध भौतिक लक्ष्य 350 लाभार्थियों का था तथा प्रशिक्षित लाभार्थियों को रोजगार उपलब्ध कराने का लक्ष्य 105 (350 का 30 प्रतिशत) था। इस प्रयोजन हेतु, न.प. ने एक गैर-सरकारी संगठन (गै.स.स.) 'संबोधित' के साथ एक एकरारनामा किया एवं चार ट्रेडों में प्रशिक्षण देने हेतु कार्यादेश निर्गत (अक्टूबर 2012) किया तथा ₹ 14 लाख का अग्रिम भुगतान किया (फरवरी-मार्च 2013 के दौरान)।

यद्यपि, यह पाया गया कि न.प. ने गै.स.सं. को प्रशिक्षण से संबंधित कोई भी दस्तावेज समर्पित नहीं किए जाने के संबंध में सूचित किया था (मई 2013)। उसके बावजूद कार्यपालक पदाधिकारी (का.प.), न.प. ने गै.स.सं. को ₹ 14 लाख की अतिरिक्त राशि का भुगतान किया (जुलाई एवं अगस्त 2013 के बीच)। तदुपरांत, गै.स.सं. ने 350 लाभार्थियों के लक्ष्य की बजाय 690 लाभार्थियों को प्रशिक्षण देने से संबंधित ₹ 69 लाख का अंतिम विपत्र समर्पित किया (सितंबर 2013)।

न.प. के का.प. ने गै.स.सं. को सूचित किया (सितंबर 2013 एवं नवंबर 2014) कि उनके द्वारा समर्पित विपत्र फर्जी था और इसलिए प्रशिक्षण प्रदान करने संबंधी दावा न.प. द्वारा स्वीकार नहीं किया गया एवं ₹ 69 लाख का फर्जी विपत्र समर्पित करने एवं उन्हें भुगतान की गई राशि की वसूली के संबंध में नोटिस निर्गत किया (दिसंबर 2013)। न.प. के का.प. ने फर्जी विपत्र समर्पित करने के लिए गै.स.सं. के विरुद्ध अग्रेतर कार्रवाई करने की बजाय गै.स.सं. को ₹ 22 लाख का अतिरिक्त भुगतान कर दिया (फरवरी 2014)। इस प्रकार, न.प. द्वारा गै.स.सं. को भुगतान की गई ₹ 50 लाख<sup>82</sup> की राशि अनियमित थी क्योंकि यह गै.स.सं. द्वारा प्रशिक्षण प्रदान करने के साक्ष्य के बिना भुगतान की गई थी।

न.प. के वर्तमान का.प. ने जवाब दिया (फरवरी 2016) कि गै.स.सं. द्वारा प्रशिक्षण प्रदान किए जाने के संबंध में कोई साक्ष्य न.प. में उपलब्ध नहीं था तथा गै.स.सं. को किया गया अग्रिम भुगतान सरकारी निर्देशों के विरुद्ध था। यह भी बताया गया कि सरकार द्वारा निर्धारित शर्तों के अनुपालन की जाँच किए बिना ही राशि का भुगतान किया गया था।

मामले को न.वि. एवं आ.वि. को प्रतिवेदित किया गया (मार्च 2016) और प्रधान सचिव, न.वि. एवं आ.वि. ने जिलाधिकारी, भागलपुर को मामले की जाँच करने एवं तदनुसार आवश्यक कार्रवाई करने हेतु निर्देशित किया (मई 2016)। प्रधान सचिव, न.वि. एवं आ.वि. द्वारा सूचित किया गया (सितंबर 2016) कि प्रशिक्षण प्रदान करने के संबंधित आवश्यक दस्तावेज गै.स.सं. द्वारा न.प. कार्यालय को उपलब्ध करा दिया गया था (जून 2016) और लेखापरीक्षा द्वारा दस्तावेज की जाँच की जा सकती है।

एक लेखापरीक्षा दल ने दस्तावेजों के सत्यापन हेतु न.प. कार्यालय का दौरा किया (अक्टूबर 2016) और पाया कि का.प. द्वारा विपत्रों को पारित नहीं किया गया था, लाभार्थियों के बी.पी.एल स्थिति का सत्यापन नहीं किया गया था, 350 के स्वीकृत लक्ष्य की बजाय 690 लाभार्थियों को प्रशिक्षण प्रदान करने की स्वीकृति नहीं दी गई थी, टूल किट्स वितरण के विपत्र पर लाभार्थियों की पावती इत्यादि उपलब्ध नहीं थे। न.प. के का.प. ने यह भी बताया (नवंबर 2016) कि गै.स.सं. द्वारा समर्पित अभिलेख वास्तविक नहीं थे तथा गै.स.सं. को भुगतान की गई राशि की वसूली की प्रक्रिया प्रारंभ की जा रही थी।

(ख) वर्ष 2012–13 के लिए स्टेप–अप तथा वर्ष 2013–16 के लिए रा.श.आ.मि. के अंतर्गत लाभार्थियों को प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए राज्य सरकार द्वारा आठ शहरी

---

<sup>82</sup> ₹ 14 लाख + ₹ 14 लाख + ₹ 22 लाख

निकायों में निर्धारित लक्ष्य तथा उनकी प्राप्ति एवं गै.स.सं. को प्रशिक्षण हेतु भुगतान की गई राशि नीचे तालिका 5.1 में दर्शायी गई है:

**तालिका – 5.1: नमूना जांचित श.स्था.नि. के लक्ष्य एवं प्राप्तियाँ**

घटक	वर्ष	लक्ष्य (लाभार्थियों की संख्या)	प्राप्ति (लाभार्थियों की संख्या)	गै.स.सं को भुगतान की गई <sup>83</sup> राशि (₹ करोड़ में)	प्राप्ति का प्रतिशत
स्टेप–अप	2011–12	कोई लक्ष्य <sup>84</sup> निर्धारित नहीं	कोई प्राप्ति नहीं	3.14	शून्य
	2012–13	3350	4168		124
इ.एस.टी. एंड पी.	2013–14	8400	शून्य	0.77	शून्य
	2014–15	कोई लक्ष्य <sup>84</sup> निर्धारित नहीं	कोई प्राप्ति नहीं		शून्य
	2015–16	9720	4860		50
<b>कुल</b>		<b>21470</b>	<b>9028</b>	<b>3.91</b>	

(स्रोत: श.स्था.नि. द्वारा प्रस्तुत सरकारी पत्र एवं सूचना)

कुल आठ श.स्था.नि.<sup>83</sup> में से दो श.स्था.नि.<sup>84</sup> स्टेप–अप के अंतर्गत वांछित लक्ष्य (प्राप्ति परासः 28 से 45 प्रतिशत) प्राप्त करने में विफल रहे तथा सभी आठ श.स्था.नि मुख्यतः इ.एस.टी.एंड.पी. के अंतर्गत प्रशिक्षण प्रदन करने के लिए एजेंसियों के चयन में विलंब के कारण वांछित लक्ष्य प्राप्ति में विफल रहे।

आगे, यह भी देखा गया कि 3681 लाभार्थियों जिन्हें गै.स.सं. द्वारा प्रशिक्षण प्रदान किया गया था, को नियुक्ति प्रदान नहीं किया गया था यद्यपि ₹ 3.91 करोड़ गै.स.सं. को इस शर्त पर विमुक्त किया गया था कि प्रशिक्षित लाभार्थियों को नियुक्ति प्रदान कराई जाएगी। इससे लाभार्थियों को प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु ₹ 3.91 करोड़ का किया गया व्यय अलाभकारी रहा।

मामला सरकार को प्रतिवेदित किया गया (नवंबर 2016); उनका जवाब प्रतीक्षित था।

## 5.2 कर राजस्व की हानि

होल्डिंग का वार्षिक किराया मूल्य प्रत्येक पाँच वर्षों में न्यूनतम 15 प्रतिशत की वृद्धि नहीं करने एवं संपत्ति कर का निर्धारित न्यूनतम दर से कम दर पर वसूली के कारण ₹ 36.56 लाख के कर राजस्व की हानि।

बिहार नगरपालिका (संशोधन) अधिनियम (बि.न.अ.), 2011 की धारा 127 (13)(i) प्रावधान करता है कि नगरपालिका प्रत्येक पाँच वर्षों में एक बार होल्डिंग<sup>85</sup> के वार्षिक किराया

<sup>83</sup> आरा, बांका, भागलपुर, छपरा, जमुई, पूर्णिया, सासाराम एवं शिवहर

<sup>84</sup> आरा एवं बांका

<sup>85</sup> होल्डिंग का अर्थ एक हक या करार के अधीन धारित तथा एक नियत चहारदीवारी के एक सेट से घिरी भूमि

मूल्य का उर्ध्वगामी पुनरीक्षण करेगी तथा बि.न.अ. (संशोधित), 2013 की धारा 127 (7)(iii) प्रावधान करता है कि संपूर्ण निर्मित क्षेत्र का विभिन्न वर्गों के होल्डिंग<sup>86</sup> के लिए प्रति वर्ग फुट किराया प्रति 5 वर्ष में न्यूनतम 15 प्रतिशत से बढ़ायी जाएगी। आगे, उपरोक्त अधिनियम की धारा 127(8) प्रावधान करता है कि नगरपालिका द्वारा भूमि एवं भवनों का वार्षिक किराया मूल्य (वा.कि.मू.)<sup>87</sup> न्यूनतम 9 प्रतिशत व अधिकतम 15 प्रतिशत अद्यारोपित किया जाएगा एवं कोई नगरपालिका राज्य सरकार के अनुमोदन के बिना टैक्स की दर जो न्यूनतम एवं अधिकतम दर के बीच प्रचलित है, को कम नहीं कर सकती है।

लेखापरीक्षा ने पाया कि पटना नगर निगम (प.न.नि.) एवं जमालपुर नगर परिषद द्वारा प्रत्येक पाँच वर्षों में होल्डिंग के वा.कि.मू. का पुनरीक्षण नहीं किया गया था जबकि अमरपुर नगर पंचायत द्वारा वा.कि.मू. के 9 प्रतिशत निर्धारित न्यूनतम दर से भी कम दर पर संपत्ति कर का अद्यारोपण किया गया जिसका ब्यौरा नीचे दिया गया है:

**(क)** प.न.नि. के वर्ष 2014–15 के अभिलेखों की संवीक्षा (मार्च 2016) में यह पाया गया कि होल्डिंगों के वा.कि.मू. का अंतिम पुनरीक्षण 1995–96 में किया गया था एवं इसके उपरांत मार्च 2016 तक इसका पुनरीक्षण नहीं किया गया, जबकि चौथा पुनरीक्षण वर्ष 2015–16<sup>88</sup> में लंबित था। प.न.नि. में 1995–96 में हुए पुनरीक्षण के अनुसार 1033 नमूना जांचित होल्डिंगों<sup>89</sup> का वा.कि.मू. ₹ 6.42 करोड़ था। नमूना जांचित होल्डिंगों के वा.कि.मू. न्यून होने के कारण प.न.नि. को 2014–16 के दौरान ₹ 17.32 लाख की न्यूनतम हानि हुई।

लेखापरीक्षा में इसे इंगित (मार्च 2016) किए जाने पर, अपर नगर आयुक्त, प.न.नि. ने जवाब दिया (मार्च 2016) कि नगर विकास एवं आवास विभाग के निर्देशों (अक्टूबर 2013) के आलोक में वा.कि.मू. में बढ़ोतरी नहीं की गई। उनके द्वारा आगे बताया गया कि विभाग से पुनरीक्षण के अनुमोदन हेतु अनुरोध (अगस्त 2015) किया गया था एवं मामला विभाग के पास विचाराधीन था। जवाब तर्कसंगत नहीं है क्योंकि विभाग द्वारा होल्डिंग के वा.कि.मू. में प्रत्येक पाँच वर्षों में 15 प्रतिशत की बढ़ोतरी हेतु पूर्व में ही निर्देश (दिसंबर 2013) एवं अधिसूचना (जनवरी 2014) जारी किया जा चुका था। इसके अतिरिक्त, अभिलेखों के अनुसार प.न.नि. ने होल्डिंगों के वा.कि.मू. के पुनरीक्षण के अनुमोदन हेतु विभाग (अक्टूबर 2013) से अनुरोध नहीं किया था।

**(ख)** जमालपुर नगर परिषद (नगर परिषद) में यह पाया गया (मई 2016) कि होल्डिंगों के वा.कि.मू. का अंतिम पुनरीक्षण वर्ष 2007–08 में किया गया था एवं तत्पश्चात् संपत्ति कर उसी दर से मार्च 2016 तक वसूल किया गया, जबकि पुनरीक्षण 2012–13 में ही होना था। परिणामस्वरूप, नगर परिषद को 2014–16 के दौरान संपत्ति कर के रूप में न्यूनतम ₹ 13.27 लाख की हानि हुई।

<sup>86</sup> आवासीय, वाणिज्यिक, पक्का, एस्बेस्टस भवन; स्व-उपयोग, किराएदार के उपयोगवाले भवन इत्यादि

<sup>87</sup> वा.कि.मू. = कारपेट क्षेत्रफल \* किराया मूल्य \*अधिभोग गुणक\* वर्णित गुणक

<sup>88</sup> प्रथम पुनरीक्षण 2000–01 में, द्वितीय 2005–06 में एवं तृतीय 2010–11 में होना था

<sup>89</sup> लेखापरीक्षा में केवल 1033 होल्डिंग की माँग उपलब्ध कराई गयी

इसे इंगित किए जाने पर नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी ने जवाब दिया (मई 2016) कि होल्डिंगों का पुनरीक्षण प्रक्रियाधीन था। जवाब स्वीकार्य नहीं था क्योंकि वा.कि.मू. का पुनरीक्षण 2012–13 में ही देय था एवं उस समय से ही इसका पुनरीक्षण किया जाना चाहिए था।

**(ग)** अमरपुर नगर पंचायत (नगर पंचायत) में यह पाया गया कि संपत्ति कर वा.कि.मू. का न्यूनतम 9 प्रतिशत की दर से वसूलने की बजाय अप्रैल 2006 से ही वा.कि.मू. के 6 प्रतिशत की दर से वसूल की गई थी। परिणामस्वरूप, नगर पंचायत को 2014–16 की अवधि में संपत्ति कर के रूप में ₹ 5.97 लाख की हानि हुई।

नगर पंचायत के कार्यपालक पदाधिकारी ने जवाब दिया कि अप्रैल 2016 से वा.कि.मू. के 9 प्रतिशत की दर से संपत्ति कर की वसूली की जा रही थी। जवाब तर्कसंगत नहीं था क्योंकि विभाग द्वारा संपत्ति कर, वा.कि.मू. के न्यूनतम 9 प्रतिशत की दर से वसूली हेतु निर्देश पूर्व में ही जारी किया जा चुका था।

इस प्रकार, नगर निकायों द्वारा संपत्ति कर के प्रत्येक पाँच वर्ष में पुनरीक्षण एवं संपत्ति कर का वा.कि.मू. के 9 प्रतिशत की दर से अध्यारोपित करने एवं वसूली करने के संबंध में बि.न.अ. के प्रावधानों एवं विभाग के निर्देशों का पालन करने में विफल रहने के परिणामस्वरूप ₹ 36.56 लाख<sup>90</sup> के संपत्ति कर की हानि हुई।

मामले को सरकार को प्रतिवेदित किया गया (जुलाई 2016); स्मार पत्र जारी किए गए (नवंबर 2016); उनका जवाब प्रतिक्षित था।

### 5.3 अग्रिमों का अनियमित भुगतान

नगर परिषद, सिवान द्वारा सोलर लाईट के अनुरक्षण के लिए अग्रिम भुगतान में संगत वित्तीय नियमों का पालन नहीं किया गया, जिसके फलस्वरूप एजेंसी को ₹ 80.87 लाख का अनियमित भुगतान किया गया।

बिहार वित्तीय नियमावली (बि.वि.नि.) के नियम 131(पी), (क्यू)(1) विहित करता है कि सामान्यतः प्रदान किए गए सेवाओं या आपूर्तियों के लिए किया जाने वाला भुगतान, सेवा की प्राप्ति या आपूर्ति के उपरांत ही किया जाना चाहिए। आगे, अग्रिम भुगतान किए जाने के समय, संविदा का उचित निष्पादन सुनिश्चित करने हेतु फर्म से पर्याप्त सावधानी/निष्पादन सुरक्षा डिमांड ड्राफ्ट, बैंक गारंटी इत्यादि (संविदा मूल्य का पाँच से दस प्रतिशत) के रूप में प्राप्त करना चाहिए।

नगर परिषद (न.प.), सीवान के अभिलेखों की जाँच (फरवरी 2016) से यह ज्ञात हुआ कि क्रय समिति की बैठक में, सोलर लाईट की प्राप्ति एवं अधिष्ठापन का कार्य एक एकरारनामा के अंतर्गत ₹ 26,684 प्रति इकाई की दर पर एक एजेंसी को सौंपा गया था। आगे, क्रय समिति को न.प. के अध्यक्ष की सलाह पर, उक्त एकरारनामा में दो वर्षों के

<sup>90</sup> ₹ 13.27 लाख + ₹ 17.32 लाख + ₹ 5.97 लाख = ₹ 36.56 लाख

लिए निःशुल्क अनुरक्षण सहित 10 वर्षों के लिए 10 प्रतिशत प्रति इकाई प्रति वर्ष की दर से सोलर लाईट के अनुरक्षण का उपबंध शामिल किया गया।

न.प., सिवान ने एजेंसी से 330 सोलर लाईट प्राप्त किया (फरवरी—अप्रैल 2012) एवं उसे कुल ₹ 88.06 लाख की लागत पर न.प. के वार्ड में निर्धारित स्थानों पर अधिष्ठापित किया गया। एकरारनामा के अनुसार, सोलर लाईट का अनुरक्षण दो वर्षों तक निःशुल्क करना था एवं उसके बाद फरवरी—अप्रैल 2014 से भुगतेय अनुरक्षण शुरू होना था। एकरारनामा के शर्तों की अनदेखी कर, न.प. सिवान ने एजेंसी को 330 सोलर लाईटों का अनुरक्षण शुल्क पाँच वर्षों के लिए ₹ 41.08 लाख का अग्रिम भुगतान किया। साथ ही, प्राप्त किए गए सोलर लाईटों की अधिष्ठापन से पूर्व जाँच एवं परीक्षण नहीं किया गया था। इस प्रकार, न.प. द्वारा अनुरक्षण शुल्क का अग्रिम भुगतान किए जाने के कारण दो वर्षों के निःशुल्क अनुरक्षण अवधि के दौरान एजेंसी के प्रदर्शन का आकलन करने का अवसर गवां दिया और वित्तीय हितों की सुरक्षा नहीं की गई।

आगे, न.प. द्वारा ₹ 23,000 प्रति इकाई की दर से 400 अतिरिक्त सोलर लाईट (एरियन मेक) की प्राप्ति के लिए उसी एजेंसी के साथ एकरारनामा (20 दिसंबर 2012) किया गया जिसमें, पाँच वर्षों (दो वर्षों का निःशुल्क अनुरक्षण अवधि सहित) के लिए सोलर लाईट के अनुरक्षण के लिए उपबंध शामिल था। परंतु, पुनः, एकरारनामा के शर्तों की अनदेखी करते हुए न.प. सिवान (जुलाई—सितंबर 2013) द्वारा एजेंसी को 400 सोलर लाईटों के लिए पाँच वर्षों के लिए अनुरक्षण शुल्क की ₹ 39.79 लाख राशि अग्रिम भुगतान किया गया।

जन—शिकायत होने पर, न.प. सिवान ने एजेंसी के द्वारा अधिष्ठापित अधिकांश सोलर लाईटों के काम नहीं करने के संबंध में एजेंसी को लगातार नोटिस जारी किया (अक्टूबर—दिसंबर 2013) एवं इसके अनुरक्षण हेतु निर्देशित किया, परंतु एजेंसी ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। न.प. ने भी सोलर लाईट के कार्यशील होने की स्थिति का आकलन करने के लिए एक निरीक्षण (दिसंबर 2013) किया एवं पाया कि अनुरक्षण के अभाव में कई सोलर लाईट कार्य नहीं कर रहे थे और इसलिए, एजेंसी से स्पष्टीकरण मांगा गया कि क्यों न सोलर लाईट के अनुरक्षण नहीं करने के कारण उन्हें भुगतान की गई सभी अनुरक्षण राशि की वसूली की जाय। परंतु, संवेदक ने इस पर न तो कोई प्रतिक्रिया दिया और न ही कोई अनुरक्षण कार्य किया।

जब लेखापरीक्षा द्वारा मामले को उठाया गया, तो कार्यपालक पदाधिकारी, न.प. सिवान ने बताया (सितंबर 2016) कि एजेंसी को भुगतान से पहले अध्यक्ष का अनुमोदन प्राप्त किया गया था। जवाब स्वीकार्य नहीं था क्योंकि न.प. ने न केवल बिना निष्पादन प्रतिभूति प्राप्त किए एवं भुगतेय अनुरक्षण अवधि शुरू होने से पूर्व ही दो वर्षों के पूर्ण अनुरक्षण राशि का भुगतान किया बल्कि न.प. के वित्तीय हितों की रक्षा करने में भी विफल रहा। इसके अतिरिक्त, अध्यक्ष वित्तीय नियमों के प्रावधान से हटकर स्वीकृति देने के लिए अधिकृत नहीं थे।

इस प्रकार, यह स्पष्ट था कि न.प. सिवान ने 730 सोलर लाईटों के पूर्ण अनुरक्षण राशि का अग्रिम भुगतान कर एजेंसी को ₹ 80.87 लाख का अनियमित भुगतान किया।

चूंकि संवेदक फरवरी 2012 से ही सोलर स्ट्रीट लाईट के अनुरक्षण में विफल रहा था, फलस्वरूप लाईट अक्रियाशील रहे जिससे ₹ 80.87 लाख का व्यय निष्फल हो गया।

मामला सरकार को प्रतिवेदित किया गया (अगस्त 2016); स्मार पत्र निर्गत किया गया (नवंबर 2016); उनका जवाब प्रतीक्षित था।

पटना

दिनांक:

(धर्मेंद्र कुमार)

महालेखाकार (लेखापरीक्षा) बिहार, पटना

प्रतिहस्ताक्षरित

नई दिल्ली

दिनांक:

(शशि कान्त शर्मा)

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक

परिशिष्ट

## परिशिष्ट—2.1

**(संदर्भ- कंडिका—2.1.1 पृष्ठ— 19)**

**पं.रा.सं. के लिए चतुर्थ राज्य वित्त आयोग के मुख्य अनुशंसाओं को दर्शाती विवरणी**

क्र.सं.	मुख्य अनुशंसाएँ
1.	भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा विहित लेखांकन प्रपत्र अपनाया जाय और महालेखाकार से सलाह कर लेखांकन नियमावली को अंतिम रूप दिया जाय। प्रपत्र को और सरल बनाने की संभावना की भी तलाश की जाय।
2.	3एफ के हस्तानांतरण में तेजी लायी जाय। इसे इस प्रकार किया जाना था ताकि नियमित सरकारी कर्मी बिना किसी कठिनाई में पड़े एवं दूसरे विभागों के कार्य, यदि ऐसे कर्मियों द्वारा किए जा रहे हों, तो वह भी बाधित न हो। पंचायतों को भी इस स्थिति में होना चाहिए कि वह स्थानांतरित कर्मियों पर प्रभावी नियंत्रण रख सके।
3.	स्वीकृत पद के विरुद्ध कार्यरत कर्मियों को वर्तमान वेतन पर व्यय का वहन सरकार द्वारा अगले पांच वर्षों तक बिना किसी कटौती के किया जाय।
4.	पं.रा.सं. के लिए उच्च प्राथमिकता के लिए छ: कार्यकलापों को चुना गया है। इन कार्यकलापों के लिए प्राथमिक रूप से राज्य करों के हिस्से से अंतरित राशि दी जा सकती है। इन कार्यों के लिए अनुमानित लागत ₹ 1,590 करोड़ है।
5.	स्थानीय निकायों के प्राथमिक एवं अन्य कार्यक्रमों में सहयोग करने हेतु राज्य के कर राजस्व से संग्रह लागत घटा कर निवल कर राजस्व का 7.5 प्रतिशत उस वर्ष के लेखापरीक्षित आंकड़ों के आधार पर पं.रा.सं. को अंतरित किया जाना चाहिए।
6.	प्रत्येक वर्ष स्थानीय निकायों को अनुदान की विमुक्ति दो किस्तों में की जानी चाहिए।
7.	स्थानीय निकायों को राज्य कर में कुल प्रतिनिधित्व हिस्से का 70 प्रतिशत पं.रा.सं. को एवं 30 प्रतिशत श.स्था. नि. को दी जानी चाहिए।
8.	राज्य कर की कुल अंतरित हिस्से को पं.रा.सं. में ग्रा.पं. को 70 प्रतिशत, पं.स. को 20 प्रतिशत एवं जि.प. को 10 प्रतिशत के अनुपात में दिया जाना चाहिए।
9.	जि.प. के 10 प्रतिशत हिस्से का जि.प. के बीच वितरण एक मात्र मापदंड जिले की आबादी के आधार पर किया जाना चाहिए।
10.	पं.स. के 20 प्रतिशत हिस्से के वितरण में आबादी को 80 प्रतिशत भारांक एवं गरीबी रेखा से नीचे रहनेवाले परिवारों की संख्या को 20 प्रतिशत भारांक दिया जाना चाहिए।
11.	ग्रा.पं. का 70 प्रतिशत हिस्सा सभी ग्रा.पं. में समान रूप में बांटा जाना चाहिए।
12.	स्थानीय निकायों के कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति लाभ की बकाया राशि का भुगतान एकमुश्त अनुदान देकर की जाय।
13.	पंचायती राज संस्थाओं को राज्य की संचित निधि से जि.प., पं.स. एवं ग्रा.पं. को प्रतिवर्ष क्रमशः ₹ 15 लाख, ₹ 1 लाख एवं ₹ 2 लाख की दर से क्षमता निर्माण के लिए दिया जाना चाहिए।
14.	पं.स. एवं जि.प. को अनुदान के रूप में दिए गए राज्य करों में हिस्सा का उपयोग सबसे पहले प्राथमिक कार्यकलापों के रूप में चिह्नित योजनाओं के कार्यान्वयन पर वास्तविक लागत की असमानता को दूर करने में किया जाएगा।
15.	असंबद्ध अनुदान का उपयोग उच्च प्राथमिक क्षेत्र की आवश्यकता को पूरा करने के बाद शेष राशि का उपयोग अधिनियम में उल्लिखित कर्तव्यों एवं कार्यों के संगत उद्देश्यों को पूरा करने में खर्च किया जाय और राज्य सरकार की पूर्व स्वीकृति के बिना वेतन भुगतान अथवा वाहन क्रय पर इसका उपयोग नहीं किया जाय।
16.	पं.रा.सं. खासकर जि.प. को स्वयं के संसाधनों की अभिवृद्धि द्वारा वित्तीय रूप से आन्तरिक होने के लिए प्रयास करना चाहिए। यह उन्हें परियोजनाओं में निवेश हेतु वित्तीय संस्थाओं से संपर्क कर अपनी महत्वपूर्ण भूमि के लाभप्रद उपभोग को सुनिश्चित करने योग्य बनायेगा। उन्हें सार्वजनिक-निजी भागीदारी पद्धति अपनाकर परिसंपत्ति निर्माण की संभावना की तलाश करनी चाहिए।
17.	राज्य सरकार द्वारा पं.रा.सं. द्वारा लगाये जाने योग्य करों की उच्चतम दरों को अधिसूचित किया जाना अब भी बाकी है जिसके कारण निकाय कोई भी कर नहीं लगाते हैं। राज्य सरकार को या तो इन दरों को अधिसूचित करना चाहिए ताकि पं.रा.सं. अपने संसाधन को बढ़ा सके या नियमों में संशोधन करे ताकि सरकार से अनुमोदन प्राप्त करने की आवश्यकता न पड़े।

(स्रोत: चतुर्थ राज्य वित्त आयोग का प्रतिवेदन)





## परिशिष्ट-2.3

(संदर्भ: कठिका -2.1.3.4, पृष्ठ-23)

निजी परिसर में कार्यान्वित किये पाए गए कार्यों को दर्शाती विवरणी

(राशि ₹ में)

इकाई का नाम	योजना का प्रकार	कार्यों की संख्या	वर्ष	इकाई की संख्या	अनुमानित लागत	व्यय	स्थिति	अभियुक्ति
ग्रा.पं. बिरपुर	चापाकल	2	2012-13	1	14500	12400	पूर्ण	चापाकल का अधिष्ठापन निजी परिसर में किया गया। चापाकल का हेड नहीं पाया गया। चापाकल कार्यरत स्थिति में नहीं था।
ग्रा.पं. बिरपुर	चापाकल	2	2012-13	1	14500	12400	पूर्ण	चापाकल का अधिष्ठापन निजी परिसर में किया गया। चापाकल का हेड नहीं पाया गया। चापाकल कार्यरत स्थिति में नहीं था।
ग्रा.पं. खौना	चापाकल	6	2013-14	1	19500	16000	पूर्ण	चापाकल का अधिष्ठापन निजी परिसर में किया गया।
ग्रा.पं. खौना	चापाकल	3	2013-14	1	19500	16000	पूर्ण	चापाकल का अधिष्ठापन निजी परिसर में किया गया।
ग्रा.पं. खौना	चापाकल	3	2013-14	1	19500	16000	पूर्ण	चापाकल कार्यरत स्थिति में नहीं था। चापाकल का अधिष्ठापन निजी परिसर में किया गया।
ग्रा.पं. खौना	चापाकल	2	2013-14	1	19500	16100	पूर्ण	चापाकल का अधिष्ठापन निजी परिसर में किया गया।
ग्रा.पं. खौना	चापाकल	6	2013-14	1	19500	16000	पूर्ण	चापाकल का अधिष्ठापन निजी परिसर में किया गया।
ग्रा.पं. रामपुर	चापाकल	6	2014-15	1	29362	29362	पूर्ण	चापाकल का अधिष्ठापन श्री दिनेश पाल की निजी जमीन में किया गया और निजी रूप से उसका उपयोग किया गया।
ग्रा.पं. रहुई	चापाकल	10	2015-16	1	25000	24926	पूर्ण	चापाकल कार्यरत स्थिति में था। चापाकल में मोटर लगा हुआ था।
ग्रा.पं. रहुई	चापाकल	11	2012-13	1	20000	20000	पूर्ण	चापाकल का अधिष्ठापन निजी परिसर में किया गया।
ग्रा.पं. पेशौर	चापाकल	16	2013-14	1	25000	24395	पूर्ण	चापाकल का अधिष्ठापन निजी परिसर में किया गया।
ग्रा.पं. पेशौर	चापाकल	12	2013-14	1	25000	24395	पूर्ण	चापाकल का अधिष्ठापन निजी परिसर में किया गया।
ग्रा.पं. पेशौर	चापाकल	9	2013-14	1	25000	24395	पूर्ण	चापाकल का अधिष्ठापन निजी परिसर में किया गया।
ग्रा.पं. पेशौर	चापाकल	5	2012-13	1	20000	20000	पूर्ण	चापाकल का अधिष्ठापन निजी परिसर में किया गया। चापाकल एक वर्ष से कार्यरत स्थिति में नहीं था।
ग्रा.पं. पेशौर	चापाकल	3	2015-16	1	25000	24760	पूर्ण	चापाकल का अधिष्ठापन निजी परिसर में किया गया।
ग्रा.पं. पेशौर	चापाकल	2	2014-15	1	25000	24350	पूर्ण	चापाकल का अधिष्ठापन निजी परिसर में किया गया।
ग्रा.पं. पेशौर	चापाकल	2	2013-14	1	25000	24395	पूर्ण	चापाकल का अधिष्ठापन निजी परिसर में किया गया और पूर्णतः निजी उद्देश्यों के लिए उपयोग किया जा रहा था।
ग्रा.पं. सुपासंग	चापाकल	5	2012-13	1	20000	20000	पूर्ण	चापाकल का अधिष्ठापन निजी परिसर में किया गया।
ग्रा.पं. सुपासंग	चापाकल	23	2012-13	1	25000	22000	पूर्ण	चापाकल का अधिष्ठापन निजी परिसर में किया गया।
ग्रा.पं. जगदीशपुर तियारी	चापाकल	3	2014-15	1	24500	24269	पूर्ण	चापाकल का अधिष्ठापन निजी परिसर में किया गया।
ग्रा.पं. जगदीशपुर तियारी	चापाकल	2	2014-15	1	24500	24269	पूर्ण	चापाकल का अधिष्ठापन निजी परिसर में किया गया।
ग्रा.पं. जगदीशपुर तियारी	चापाकल	4	2015-16	1	24500	24287	पूर्ण	चापाकल का अधिष्ठापन निजी परिसर में किया गया।

ग्रा.पं. जगदीशपुर तियारी	चापाकल	5	2012–13	1	24500	24200	पूर्ण	चापाकल का अधिष्ठापन निजी परिसर में किया गया।
ग्रा.पं. जगदीशपुर तियारी	चापाकल	7	2013–14	1	24500	24200	पूर्ण	चापाकल का अधिष्ठापन निजी परिसर में किया गया।
ग्रा.पं. जगदीशपुर तियारी	चापाकल	23	2013–14	1	24500	24191	पूर्ण	चापाकल का अधिष्ठापन निजी परिसर में किया गया।
पं.स. नूरसराय	चापाकल	7	2013–14	1	24500	24320	पूर्ण	चापाकल का अधिष्ठापन निजी परिसर में किया गया।
पं.स. नूरसराय	चापाकल	11	2012–13	1	24500	23625	पूर्ण	चापाकल का अधिष्ठापन निजी परिसर में किया गया।
पं.स. नूरसराय	चापाकल	26	2012–13	1	24500	23625	पूर्ण	चापाकल का अधिष्ठापन निजी परिसर में किया गया।
ग्रा.पं. राणाविगहा	चापाकल	3	2013–14	1	24500	24377	पूर्ण	चापाकल लाभुक के निजी कबजे में पाया गया।
ग्रा.पं. डुमरावां	चापाकल	13	2013–14	1	24500	23321	पूर्ण	चापाकल का अधिष्ठापन निजी परिसर में किया गया।
ग्रा.पं. आटानगर	चापाकल	1	2015–16	1	17300	15467	पूर्ण	चापाकल में निजी वाटर मोटर लगा हुआ था।
ग्रा.पं. जलालपुर	चापाकल	2	2015–16	1	34000	34000	पूर्ण	चापाकल का अधिष्ठापन निजी परिसर में किया गया और निजी कबजे में था।
ग्रा.पं. जलालपुर	चापाकल	2	2015–16	1	34000	34000	पूर्ण	चापाकल श्री टिंकू साह के घर में अधिष्ठापित था और निजी कबजे में था।
ग्रा.पं. जलालपुर	चापाकल	1	2015–16	1	22000	21660	पूर्ण	चापाकल का अधिष्ठापन निजी परिसर में किया गया और निजी कबजे में था।
ग्रा.पं. जलालपुर	चापाकल	2	2015–16	1	34000	34000	पूर्ण	चापाकल का अधिष्ठापन निजी परिसर में किया गया और निजी कबजे में था। निजी मोटर चापाकल में लगा हुआ था।
ग्रा.पं. जलालपुर	चापाकल	1	2015–16	1	22000	21660	पूर्ण	चापाकल का अधिष्ठापन निजी परिसर में किया गया और निजी कबजे में था।
ग्रा.पं. जलालपुर	चापाकल	2	2015–16	1	34000	34000	पूर्ण	चापाकल का अधिष्ठापन निजी परिसर में किया गया और निजी कबजे में था। निजी मोटर चापाकल में लगा हुआ था।
<b>कुल</b>				<b>37</b>	<b>882662</b>	<b>847349</b>		

(चोतः योजनाओं का संयुक्त भौतिक सत्यापन)

## परिशिष्ट-2.4

(संदर्भ: कंडिका -2.1.3.4, पृष्ठ-23)

खराब पड़े चापाकल एवं सोलर लाइट को दर्शाती विवरणी

(राशि ₹ में)

इकाई	योजना का प्रकार	कार्यों की संख्या	वर्ष	इकाईयों की संख्या	अनुमानित लागत	व्यय	स्थिति	अभियुक्ति
ग्रा.पं. खौना	सोलर लाइट	1	2012-13	1	46500	46500	पूर्ण	सोलर लाइट कार्यरत स्थिति में नहीं था।
ग्रा.पं. नरुआर	सोलर लाइट	2	2012-13	1	48300	48300	पूर्ण	सोलर लाइट कार्यरत स्थिति में नहीं था।
ग्रा.पं. बलबा	चापाकल	1	2012-13	1	14010	14010	पूर्ण	चापाकल से पानी के साथ बालू आ रहा था।
ग्रा.पं. बलबा	चापाकल	2	2012-13	1	14010	14010	पूर्ण	चापाकल टूटा हुआ था और काम नहीं कर रहा था।
ग्रा.पं. करसेरुआ	सोलर लाइट	1	2013-14	1	27200	27200	पूर्ण	सोलर लाइट कार्यरत स्थिति में नहीं था।
ग्रा.पं. करसेरुआ	सोलर लाइट	4	2013-14	1	27200	27200	पूर्ण	सोलर लाइट कार्यरत स्थिति में नहीं था।
पं.स सासाराम सदर	सोलर लाइट	1	2013-14	1	27200	27200	पूर्ण	सोलर लाइट कार्यरत स्थिति में नहीं था।
ग्रा.पं. समहुता	सोलर लाइट	1	2012-13	1	27200	27200	पूर्ण	सोलर लाइट कार्यरत स्थिति में नहीं था। सोलर प्लेट और बैटरी स्थल पर नहीं पाया गया।
पं.स. रोहतास	चापाकल	27	2013-14	1	22000	22000	पूर्ण	चापाकल का हेड नहीं पाया गया। चापाकल कार्यरत स्थिति में नहीं था।
ग्रा.पं. कोचस	सोलर लाइट	2	2012-13	1	27200	27200	पूर्ण	सोलर लाइट स्थल पर अधिष्ठापित नहीं पाया गया। खंभा, बैटरी और सोलर पैनल श्री दुनटुन सिंह के घर में पाया गया।
ग्रा.पं. कोचस	सोलर लाइट	1	2012-13	1	27200	27200	पूर्ण	सोलर लाइट स्थल पर अधिष्ठापित नहीं पाया गया। खम्भा नीचे से कटा हुआ था।
ग्रा.पं. कोचस	सोलर लाइट	1	2012-13	1	27200	27200	पूर्ण	सोलर लाइट स्थल पर अधिष्ठापित नहीं पाया गया। खम्भा, बैटरी और सोलर पैनल श्री रहमान नाई के घर में पाया गया एवं निजी उपयोग में था।
ग्रा.पं. कोचस	सोलर लाइट	3	2012-13	1	27200	27200	पूर्ण	सोलर लाइट काम नहीं कर रहा था। स्थानीय लोगों द्वारा बताया गया कि कार्यकारी एजेंसी द्वारा बैटरी 2014-15 में ले जाया गया लेकिन लौटाया नहीं गया।
ग्रा.पं. कोचस	सोलर लाइट	3	2012-13	1	27200	27200	पूर्ण	सोलर लाइट काम नहीं कर रहा था। स्थल पर केवल पोल पाया गया। बैटरी एवं सोलर प्लेट श्री शिव दयाल केशरी के घर में पाया गया और वह निजी उपयोग में था।
ग्रा.पं. कोचस	सोलर लाइट	3	2012-13	1	27200	27200	पूर्ण	सोलर लाइट काम नहीं कर रहा था। स्थल पर केवल खम्भा पाया गया। कार्यकारी एजेंसी द्वारा बैटरी मरम्मति हेतु ले जाया गया लेकिन लौटाया नहीं गया। और सोलर पैनल श्री सुनील साह के घर में रखा हुआ था।
ग्रा.पं. भलुआरी	सोलर लाइट	3	2013-14	1	27200	27200	पूर्ण	सोलर लाइट काम नहीं कर रहा था।
ग्रा.पं. भलुआरी	सोलर लाइट	8	2012-13	1	27200	27200	पूर्ण	सोलर लाइट काम नहीं कर रहा था।
ग्रा.पं. मैसहा	सोलर लाइट	3	2013-14	1	27200	27200	पूर्ण	सोलर लाइट काम नहीं कर रहा था।

ग्रा.पं. भैसहा	सोलर लाइट	1	2012–13	1	27200	27200	पूर्ण	सोलर लाइट काम नहीं कर रहा था।
ग्रा.पं. रामपुर	सोलर लाइट	1	2012–13	1	27200	27200	पूर्ण	सोलर लाइट 2015–16 से ही काम नहीं कर रहा था। बैटरी श्री भगवान पासवान के घर में रखा हुआ था।
ग्रा.पं. रामपुर	सोलर लाइट	1	2012–13	1	27200	27200	पूर्ण	सोलर लाइट काम नहीं कर रहा था। स्थानीय लोगों द्वारा बताया गया कि 2012–13 में अधिष्ठापित होने के चार माह बाद से काम करना बंद कर दिया था। बैटरी निजी घर में रखा हुआ था।
ग्रा.पं. रामपुर	सोलर लाइट	6	2012–13	1	27200	27200	पूर्ण	सोलर लाइट 2014–15 से कार्यरत स्थिति में नहीं था।
ग्रा.पं. रामपुर	सोलर लाइट	6	2012–13	1	27200	27200	पूर्ण	सोलर लाइट 2014–15 से कार्यरत स्थिति में नहीं था।
ग्रा.पं. रामपुर	सोलर लाइट	6	2012–13	1	27200	27200	पूर्ण	सोलर लाइट 2015–16 से कार्यरत स्थिति में नहीं था।
ग्रा.पं. मेधी नगमा	चापाकल	8	2012–13	1	24500	24500	पूर्ण	चापाकल कार्यरत स्थिति में नहीं था।
ग्रा.पं. मेधी नगमा	चापाकल	7	2012–13	1	24500	24320	पूर्ण	चापाकल कार्यरत स्थिति में नहीं था। चापाकल का हेड स्थल पर नहीं पाया गया।
ग्रा.पं. रहुई	चापाकल	1	2013–14	1	25000	25000	पूर्ण	चापाकल कार्यरत स्थिति में नहीं था।
पं.स. रहुई	चापाकल	36	2012–13	1	20000	20000	पूर्ण	चापाकल कार्यरत स्थिति में नहीं था। चापाकल का हैंडिल नहीं पाया गया।
ग्रा.पं. सुपासंग	चापाकल	21	2012–13	1	25000	25000	पूर्ण	चापाकल स्थल पर नहीं पाया गया। स्थानीय लोगों द्वारा बताया गया कि चापाकल लगाया गया था परन्तु जमीन के नीचे चला गया।
ग्रा.पं. रसलपुर	चापाकल	7	2013–14	1	24500	22782	पूर्ण	चापाकल दो वर्षों से काम नहीं कर रहा था।
ग्रा.पं. रसलपुर	चापाकल	9	2012–13	1	24500	20000	पूर्ण	चापाकल आठ से नौ महीनों से काम नहीं कर रहा था।
ग्रा.पं. सरबहदी	चापाकल	1	2013–14	1	24500	24165	पूर्ण	चापाकल कार्यरत स्थिति में नहीं था।
ग्रा.पं. डुमरावां	चापाकल	3	2014–15	1	24500	23321	पूर्ण	चापाकल कार्यरत स्थिति में नहीं था।
ग्रा.पं. डुमरावां	चापाकल	4	2013–14	1	24500	24440	पूर्ण	चापाकल कार्यरत स्थिति में नहीं था।
ग्रा.पं. डुमरावां	चापाकल	2	2014–15	1	24500	23321	पूर्ण	चापाकल कार्यरत स्थिति में नहीं था।
ग्रा.पं. निपनिया	सोलर लाइट	8	2013–14	1	31450	31450	पूर्ण	सोलर लाइट काम नहीं कर रहा था। बैटरी नहीं पाया गया।
ग्रा.पं. निपनिया	सोलर लाइट	6	2013–14	1	31450	31450	पूर्ण	सोलर लाइट काम नहीं कर रहा था।
ग्रा.पं. आटानगर	सोलर लाइट	2	2012–13	1	31450	31450	पूर्ण	सोलर लाइट काम नहीं कर रहा था।
ग्रा.पं. चिरांद	चापाकल	4	2013–14	1	33000	33300	पूर्ण	चापाकल 2015 से कार्य नहीं कर रहा था।
<b>कुल</b>				<b>39</b>	<b>1054970</b>	<b>1046119</b>		

(चोर: योजनाओं का संयुक्त भौतिक सत्यापन)



	ग्रा.पं. लहेरी	600000	197500	375500	0	573000	27000	32.92	62.58	0	4.5
	ग्रा.पं. कोचस	600000	200000	0	0	200000	400000	33.33	0	0	66.67
	पं.स. डेहरी	300000	200000	0	0	200000	100000	66.67	0	0	33.33
	ग्रा.पं. भलुआरी	600000	90000	423395	50100	563495	36505	15	70.57	8.35	6.08
	ग्रा.पं. भैंसहा	600000	90000	251000	50000	391000	209000	15	41.83	8.33	34.83
	ग्रा.पं. मझिआवां	600000	155000	79987	90013	325000	275000	25.83	13.33	15.00	45.83
	पं.स. रोहतास	300000	0	201800	0	201800	98200	0	67.27	0	32.73
	ग्रा.पं. अकबरपुर	600000	0	529000	0	529000	71000	0	88.17	0	11.83
	ग्रा.पं. समहृता	600000	90000	502000	0	592000	8000	15	83.67	0	1.33
	पं.स. सासाराम.	300000	0	238102	0	238102	61898	0	79.37	0	20.63
	ग्रा.पं. करसेरूआ	600000	200000	378000	0	578000	22000	33.33	63	0	3.67
	ग्रा.पं. दरिगाँव	600000	200000	289000	0	489000	111000	33.33	48.17	0	18.5
	ग्रा.पं. मुरादाबाद कला	600000	199500	393700	0	593200	6800	33.25	65.67	0	1.13
	ग्रा.पं. रामपुर	600000	200000	381000	0	581000	19000	33.33	63.5	0	3.17
सारण	जि.प. सारण	4500000	1804825	94884	896475	2796184	1703816	40.11	2.11	19.92	37.86
	पं.स. पानापुर	300000	100000	200000	0	300000	0	33.33	66.67	0	0
	ग्रा.पं. टोटहा जगतपुर	600000	0	561000	39000	600000	0	0	93.5	6.5	0
	ग्रा.पं. बंकवा	600000	0	490000	15000	505000	95000	0	81.67	2.5	15.83
	पं.स. इशुआपुर	300000	0	38735	261265	300000	0	0	12.97	87.09	0
	ग्रा.पं. अगौथर सुंदर	600000	200000	304000	0	504000	96000	33.33	50.67	0	16
	ग्रा.पं. आटानगर	600000	200000	203000	0	403000	197000	33.33	33.84	0	32.83
	ग्रा.पं. निपनिया	600000	200000	400000	0	600000	0	33.33	66.67	0	0
	पं.स. सदर छपरा	300000	0	0	0	0	300000	0	0	0	100.00
	ग्रा.पं. भैरापुर निजामत	600000	297300	254700	0	552000	48000	49.55	42.45	0	8
	ग्रा.पं. मौना	600000	213500	325000	0	538500	61500	35.58	54.17	0	10.25
	ग्रा.पं. चिरांद	600000	0	593000	0	593000	7000	0	98.83	0	1.17
	ग्रा.पं. जलालपुर	600000	0	580000	0	580000	20000	0	96.67	0	3.33
	पं.स. मशरक	300000	0	0	0	0	300000	0	0	0	100.00
	ग्रा.पं. करण कुदरिया	600000	124000	476000	0	600000	0	20.67	79.33	0	0
	ग्रा.पं. सोनौली	600000	200000	389500	0	589500	10500	33.33	64.97	0	1.75
	ग्रा.पं. मशरक पश्चिमी	600000	124000	470500	0	594500	5500	20.67	78.47	0	0.97
	कुल	52200000	10589696	20684883	5325765	36600344	15599656				

(स्रोत: लेखापरीक्षित इकाईयों द्वारा प्रदत्त सूचना)

## परिशिष्ट—2.6

**(संदर्भ: कंडिका —2.1.3.10, पृष्ठ—28)**

**31 मार्च 2016 को रोकड़बही एवं बैंक खाता के अंतर्शेष में अंतर को दर्शाती विवरणी**

(₹ लाख में)

जिला	इकाई	रोकड़बही अंतशेष	बैंक खाता का अंतशेष	अंतर	बैंक खाता संख्या
मधुबनी	ग्रा.पं. नरुआर	225976	236906	10930	बी.ओ.आई 468610210000012
	पं.स. बासोपट्टी	321865	819386	497521	यू.बी.जी.बी 1004061030004818
	पं.स. लौकही	147848	282507	134659	यू.बी.जी.बी 1003781030001886
नालंदा	ग्रा.पं. मेघीनगवां	191943	206002	14059	एम.बी.जी.बी 71520100078339
	ग्रा.पं. राणाविगाहा	17472	25117	7645	एम.बी.जी.बी 71520100080194
	पं.स. रहुई	555283	582923	27640	एम.बी.जी.बी 74310100006200
	ग्रा.पं.सुपासंग	46131	17525	.28606	एम.बी.जी.बी 74310100008518
	पं.स. हरनौत	533641	783514	249873	एस.बी.आई 32329267921
	ग्रा.पं. कोलावां	3665	3647	18	पी.एन.बी 6747000100022186
	ग्रा.पं. तेलमर	0	5184	5184	पी.एन.बी 6747000100022195
	पं.स. नूरसराय	731431	814007	82576	पी.एन.बी 0814000101189520
	ग्रा.पं. जगदीशपुर तियारी	713	2105691	2104978	एम.बी.जी.बी 71790100082658ए पी.एन.बी 1255000105114782
रोहतास	पं.स. कोचस	35764	241606	205842	पी.एन.बी 0846000105032627
	पं.स. रोहतास	98393	98212	181	पी.एन.बी 1308000100119444
सारण	पं.स. पानापुर	63462	65152	1690	यू.बी.जी.बी 1005761030001794
	ग्रा.पं. बंकवा	102196	95327	6869	यू.बी.जी.बी 1006091030006997
	ग्रा.पं. अगौथर सुंदर	96602	97102	500	यू.बी.जी.बी 1006131030001107
	ग्रा.पं. आटानगर	197233	207233	10000	यू.बी.जी.बी 1006131030000971
	ग्रा.पं. भैरोपुर निजामत	48865	131751	82886	यू.बी.आई 415202010006611
	ग्रा.पं. मौना	61192	292844	231652	एस.बी.आई. 30283704034
	ग्रा.पं. जलालपुर	20064	162198	142134	यू.बी.आई 099558488143
	पं.स. मशरक	83579	6171	89750	सी.बी.आई 3187082172
	ग्रा.पं. करणकुदरिया	1815	2587	772	यू.बी.जी.बी 1005681030008663
	ग्रा.पं. मशरक पश्चिमी	5750	353	5397	सी.बी.आई 3187410161
		<b>3423725</b>	<b>7282945</b>	<b>3859220</b>	

(चोत: चयनित पं.स. सं. की रोकड़बही)

## परिशिष्ट-2.7

(संदर्भ कंडिका - 2.1.4.1; पृष्ठ - 28)

## मार्गदर्शिका के विरुद्ध योजनाओं के कार्यान्वयन से संबंधित विवरणी

(₹ लाख में)

स्वीकृति आदेश/ दिनांक	ईकाई का नाम	प्रखंड	योजना का नाम	व्यय
369 / 29-09-12	जि.प. मधुबनी	खजौली	चंदराडीह पंचायत के मकुनमा ग्राम में मंदिर के निकट पुस्तकालय का निर्माण	3.37
370 / 29-09-12		रहिका	सभुआर पंचायत के समौल ग्राम में उत्तरी बिन्दा के नजदीक कब्रिस्तान शेड का निर्माण	2.43
370 / 29-09-12		झंझारपुर	सिमरा ग्राम में कब्रिस्तान में शेड का निर्माण	2.43
369 / 29-09-12		लौकही	प्रखंड लौकही के पंचायत बुजहार के ग्राम कछुआ में पुस्तकालय का निर्माण	2.37
400 / 29-09-12		रहिका	जिला परिशद मधुबनी के परिसर में आईटी. भवन का निर्माण	15.00
475 / 16-01-13		रहिका	जिला परिशद मधुबनी के परिसर में ऑडिटोरियम भवन का निर्माण	30.00
538 / 16-03-13		जयनगर	ग्रा.प. देउधा मध्य में शमीम डीलर के घर से अनलारुलहक की चाय दुकान तक पी.सी.सी. सड़क निर्माण	3.24
538 / 16-03-13		बैनीपट्टी	ग्राम धनौजा में कब्रिस्तान में शेड का निर्माण	2.87
85 / 08-06-13		झंझारपुर	ग्राम बियारा में पुस्तकालय भवन का निर्माण	2.55
85 / 08-06-13		खजौली	ग्रा.पं. चन्द्राडीह के महाराजपुर छट्टाटोल के वार्ड सं 5 में पुस्तकालय भवन का निर्माण	2.55
86 / 08-06-13		बैनीपट्टी	ग्रा.पं. मानपुर के ग्राम दुरगौली में महादेव मंदिर के पास कब्रिस्तान शेड का निर्माण	2.14
86 / 08-06-13		बाबुबरही	ग्राम हनुमाननगर में इदगाह के पास कब्रिस्तान शेड का निर्माण	3.05
37 / 26-05-14		रहिका	जि.प. मधुबनी में सभापति कक्ष की मरम्मति का कार्य	3.00
37 / 26-05-14		रहिका	उपविकास आयुक्त मधुबनी के आवासीय कार्यालय की मरम्मति का कार्य	1.85
47 / 04-06-14		पंडौल	बलियाडीह पोखरा में स्नान घाट का निर्माण	3.20
48 / 04-06-14		बाबुबरही	डुमराही में सामुदायिक भवन का निर्माण	4.00
48 / 04-06-14		बाबुबरही	अंबेदकर नगर, शहर घाट में महात्मा गांधी मेमोरियल कालेज में पुस्तकालय भवन का निर्माण	4.00
49 / 04-06-14		बिस्फी	सिंधिया पश्चिम में ब्रह्मस्थान के पास चबूतरा का निर्माण	1.24
47 / 04-06-14		झंझारपुर	ग्राम काको में शिव कुमार के घर से कपिलेश्वर मंडल के घर तक पी.सी.सी. सड़क का निर्माण	3.49
49 / 04-06-14		लखनौर	अशोक ठाकुर के घर से राम चौक तक पी.सी.सी. सड़क का निर्माण	3.93
49 / 04-06-14		रहिका	रहिका उच्च विद्यालय से मंदिर तक पी.सी.सी. का निर्माण	3.93
49 / 04-06-14		अंधराठारी	प्रसनगोर्ड में भगवती स्थान की ओर पी.सी.सी. सड़क का निर्माण	3.46
49 / 04-06-14		जयनगर	वैराही खेल मैदान में चबूतरा का निर्माण	1.23
49 / 04-06-14		बिस्फी	सलेमपुर से सिर्सई जाने वाली सड़क में वनमिखा के पास चबूतरा का निर्माण	1.24
49 / 04-06-14		खुटौना	ग्रा.पं. विरपुर के संतनगर में चबूतरा का निर्माण	1.23
49 / 04-06-14		अंधराठारी	ग्रा.पं. थारी दक्षिण में महादलित राम प्रसाद के घर से राजेंद्र राम के घर तक पी.सी.सी. का निर्माण	3.97
49 / 04-06-14		रहिका	ग्रा.पं. वसौली में सुगौनुल हुण्डा से नवीजां के घर तक सड़क में पी.सी.सी. का निर्माण	1.30
49 / 04-06-14		लदनीया	माध्यमिक विद्यालय परसाडीह में चबूतरा का निर्माण	1.23
49 / 04-06-14		मधवापुर	ग्रा.पं. विसुनपुर में अशेवर यादव के घर से उत्क्रमित उच्च विद्यालय चिमुहान तक सड़क मरम्मति	1.38
50 / 04-06-14		हरलाखी	ग्राम सोथगाँव में सामुदायिक दलान से मंसूर आलम के घर तक सड़क मरम्मति	3.00
50 / 04-06-14		पंडौल	सरिसवपादी तारामंदिर की ओर जाने वाली पहुँचपथ का निर्माण	2.55
120 / 20-06-14		जयनगर	ग्रा.पं. रामपट्टी में प्रहलाद पूर्व के घर से लालबाबू के घर तक पी.सी.सी. का निर्माण	2.81

388 / 10-01-15		खुटौना	परसारी नहर चौक के पास जिला परिषद की जमीन पर सामुदायिक भवन का निर्माण	3.00
404 / 23-01-15		रहिका	ग्रा.पं. स्पटा के ग्रम भवानीपुर में श्री चंदन दास के घर से मो. डक्वा के घर तक पी.सी.सी. सड़क का निर्माण	2.39
22 / 25-02-16		झंज्घारपुर	ग्राम कोठिया में नीरज मंडल के घर से बेचन मंडल के घर तक मिट्टी भराई, ब्रिक सोलिंग और पी.सी.सी. सड़क निर्माण	5.00
04 / 13-14	जि.प. रोहतास	—	ग्राम परसाडीह में जनादन सिंह के घर से शिव मंदिर तक पी.सी.सी. सड़क का निर्माण	4.30
<b>कुल</b>				<b>138.73</b>

(चोर: नमुना जाँचित जिला परिषदों के द्वारा उपलब्ध कराये गये अभिलेख)

## परिशिष्ट—2.8

(संदर्भ: कांडिका – 2.1.4.2.; पृष्ठ – 29)

31.03.2016 को जि.प. के आई.बी./भूमि के अतिक्रमण को दर्शाती विवरणी

(₹ लाख में)

जिला	निरीक्षण बंगला/भवन का नाम	निवासी का नाम	किराया भुगतान	अभ्युक्ति
मधुबनी	निरीक्षण बंगला, सकरी	पुलिस कार्यालय		किराया का भुगतान नहीं किया जा रहा था।
	निरीक्षण बंगला, बेनीपट्टी	डी.एस.पी., बेनीपट्टी		किराया का भुगतान नहीं किया जा रहा था।
	निरीक्षण बंगला, उमगाँव	सुधा पार्लर		किराया का भुगतान नहीं किया जा रहा था।
	सहायक अभियंता कार्यालय, झांझारपुर	बस स्टैंड		किराया का भुगतान नहीं किया जा रहा था।
	निरीक्षण बंगला, मधुबनी	डी.एम., मधुबनी	₹ 250 प्रति माह	आवास के रूप में प्रयोग किया जा रहा था।
रोहतास	निरीक्षण बंगला, विक्रमगंज	सब डिविजन कार्यालय	₹ 68 प्रति दिन	4 कमरों को ₹ 17 प्रति दिन की दर से 2005–06 से कब्जा किया गया था
	निरीक्षण बंगला, कोचस	प्रखंड तथा अंचल कार्यालय	₹ 64 प्रति दिन	₹ 64 प्रति दिन के दर से विगत 24 वर्ष से किराए का भुगतान

(चोत: जि.प. द्वारा दी गयी जानकारी)

### परिशिष्ट-2.9

(संदर्भ: कंडिका – 2.1.4.2; पृष्ठ – 30)

#### बकाया किराया को दर्शाती विवरणी

(राशि ₹ में)

जिला	दुकानों की अवस्थिति	दुकानों की संख्या	अंतिम किराया पुनरीक्षण की तिथि	बकाया किराया	बकाया मास	अभियुक्ति
मधुबनी	परिषद बाजार, खजौली	78	जनवरी 2011	360240	1 से 99	
	परिषद बाजार, रामपट्टी	10	जनवरी 2011	40320	2 से 24	
	परिषद बाजार, सकरी	23	जनवरी 2011	277560	1 से 163	
	परिषद बाजार, मधुवापुर	20	जनवरी 2011	106080	2 से 35	फरवरी 2016
	परिषद बाजार, लोहा	20	जनवरी 2011	198080	3 से 69	फरवरी 2016
	परिषद बाजार, सहारघाट	7	जनवरी 2011	53160	2 से 47	फरवरी 2016
	अशोक बाजार, जयनगर	40	जनवरी 2011	324290	2 से 93	फरवरी 2016
	निधि बाजार, जयनगर	28	जनवरी 2011	118592	2 से 52	फरवरी 2016
	परिषद बाजार, जयनगर (भाग-1)	10	जनवरी 2011	311760	2 से 52	फरवरी 2016
	परिषद बाजार, जयनगर (भाग-2)	10	जनवरी 2011	107660	6 से 97	फरवरी 2016
	लौकही स्थित दुकान	24	जनवरी 2011	330280	13 से 48	
	फुलपरास स्थित दुकान	25	जनवरी 2011	351200	9 से 44	
	जि.प. स्थित क्योस्क	10	जनवरी 2011	62750	2 से 51	
	परिषद बाजार, मधुबनी	23	जनवरी 2011	637140	2 से 48	
	लौजिंग हाउस, परिषद बाजार, मधुबनी	13	जनवरी 2011	78750	15	
सारण	परिषद बाजार के सामने स्थित दुकान	1	जनवरी 2011	18900	15	
	परिषद बाजार, मधुबनी के दूसरे तल पर निर्मित दुकान	7	जनवरी 2011	325375	9 से 38	
		349		3702137	1 से 163	
	जि.प. के पूरब	31	दिसंबर 1991 से सितंबर 2006	147901	1 से 114	
	जि.प. के उत्तर	59	दिसंबर 1988 से सितंबर 2011	256147	3 से 103	
	एल.एफ के निकट	20	मार्च 1993	120564	2 से 99	
	डाक बंगला मषरक	10	मई 1988	81349	6 से 173	
	जे.ई. रेसिडेंस के निकट, एकमा	12	दिसंबर 1987 से अप्रैल 1988	88290	3 से 228	
	बनियापुर डाकबंगला के पास दुकान	19	नवंबर 1994 से जनवरी 1998	165830	3 से 186	
	निरीक्षण भवन मषरक के पूरब के पास	17	मार्च 1997	130202	अनुपलब्ध	जून 2016
	वेटनरी हॉस्पीटल, मशरक के दक्षिण	10	मार्च 1997	16344	31 से 48	
	डाक बंगला छपरा के निकट	26	जुन 1995 से अप्रैल 2005	263634	अनुपलब्ध	जून 2016
	सोनपुर गोदाम के पास	9	जनवरी 1994 से दिसंबर 2001	42250	9 से 76	
	दिघवारा में नयी दुकानें	89	नवंबर 1996	946016	3 से 242	
	खैरा में दुकान	95	जुन 1999	1218650	अनुपलब्ध	

	एल.एफ. बंगला के पूरब	21	जुन 2010	112048	5 से 70	
	एल.एफ. बंगला के उत्तर	5	जनवरी 2006	47520	3 से 102	
	दिघवारा में पुरानी दुकानें	29	सितंबर 1992	124922	अनुपलब्ध	
	जे.ई. रेसिडेंस, परसा के निकट	13	दिसंबर 2001	106278	अनुपलब्ध	
	आई.बी. एकमा के निकट	10	सितंबर 1993	245197	अनुपलब्ध	
		<b>475</b>	<b>दिसंबर 1987 से सितंबर 2011</b>	<b>4113142</b>	<b>1 से 242</b>	
नालंदा	भरावपुर ग्रूप—ए	13	सितंबर 2000 से फरवरी 2002	26712	1 से 09	
	भरावपुर ग्रूप—बी	14	जुन 2001 से जुलाई 2002	49644	1 से 13	
	भरावपुर ग्रूप—सी	13	अगस्त 1999 से मार्च 2002	28346	1 से 16	
	भरावपुर ग्रूप—डी एण्ड ई	20	सितंबर 1997 से अप्रैल 2004	32588	1 से 17	
	भरावपुर	15	नवंबर 1998 से मई 2003	49491	1 से 84	
	भरावपुर (निचली मंजिल)	19	अप्रैल 1998 से दिसंबर 1998	162694	1 से 152	
	भरावपुर (उपरी मंजिल)	16	अप्रैल 2001 से मई 2007	24700	1 से 17	
	भरावपुर अस्थावां रोड	5	जुलाई 1998	4807	1 से 9	
	ममता रेस्टोरेंट	1	नवंबर 2001	8525	11	
	भरावपुर के उत्तर	1	मार्च 2002	1344	1	
	भरावपुर बैंक भवन	1	फरवरी 2001	13440	12	
	भरावपुर के उत्तर गुमटी 4 के पास	4	जुन 2006 से अगस्त 2006	3000	4 से 11	
	भरावपुर मंदिर के दक्षिण	14	अक्टुबर 2002 से फरवरी 2003	16302	2 से 18	
	भरावपुर ग्रूप ए के पूरव	3	जनवरी 2000 से अक्टुबर 2003	8300	3 से 77	
	भरावपुर में गुमटी	3	जनवरी 2002	1500	5	
	कोना सराय	23	सितंबर 1996 से मई 1999	90540	1 से 19	
	पीली कोठी	42	अगस्त 1999 से मई 1999	61618	1 से 33	
	टाउन हॉल	6	अप्रैल 1998 से अगस्त 1998	4110	3 से 7	
	बिहारशारीफ आई.बी. परिसर	19	अगस्त 2003	19700	1 से 23	
	मुगल कुओं	11	अप्रैल 1998	6125	2 से 7	
	मुघा कुओं	2	मई 2002	2000	1 से 33	
	खासगंज	26	सितंबर 1998 से जुन 2003	11750	1 से 26	
	राजगीर में गिरियक मोड़	60	फरवरी 2003 से अक्टुबर 2008	106060	1 से 123	
	राजगीर गिरियक मोड़ में गुमटी	8	सितंबर 2007	5000	4 से 12	
	अस्थावां	31	जुन 2001	8750	1 जव 11	
	अस्थावां आई.बी में दशनापथ	10	सितंबर 2007 से मार्च 2008	3500	3 जव 7	
	परवलपुर माध्यमिक विद्यालय	13	जुन 2004	9500	1 से 152	
	परवलपुर मवेशी फाटक	9	मई 2002	8850	1 से 3	
	एकंगरसराय आई.बी.	16	जुलाई 2000 से अक्टुबर 2003	10600	1 से 4	
	इस्लामपुर	24	नवंबर 1997 से सितंबर 2004	56595	1 से 20	

	इस्लामपुर फाटक	5	दिसंबर 2000	15000	2 से 10	
	नूरसराय	14	अगस्त 2003 से मार्च 2010	16800	1 से 123	
	चण्डी आई.बी., ग्रूप—ए	8	फरवरी 2005	10950	1 से 17	
	चण्डी आई.बी., ग्रूप — डी	8	मार्च 2009	113250	15 से 85	
	सिलाव बाई पास	16	अगस्त 2002	180900	3 से 141	जुलाई 2016
	नालंदा मोड़	7	अक्टुबर 2006 से अक्टुबर 2007	8350	6 से 32	
	कोना सराय में गोदाम	1	अनुपलब्ध	0	0	
		501	सितंबर 1996 से मार्च 2010	1181341	1 से 152	
	<b>कुल योग</b>	<b>1325</b>	<b>दिसंबर 1987 से सितंबर 2011</b>	<b>8996620</b>	<b>1 से 242</b>	

(स्रोत: जि.प. द्वारा दी गयी जानकारी)

## परिशिष्ट—2.10

(संदर्भ: कंडिका – 2.1.4.2; पृष्ठ – 30)

दिनांक 31.03.2016 को सरकारी कार्यालय पर बकाया किराया को दर्शाती विवरणी

(राशि ₹ में)

जिला	भवन का नाम	किसे दिया गया	मासिक किराया	बकाया की अवधि	माह की संख्या	बकाया किराया
नालंदा	आई.बी., बिहारशरीफ	जिला शिक्षा पदाधिकारी, नालंदा	30000	जनवरी 2016 से मार्च 2016	3	90000
	मीटिंग हॉल (उपरी तल)	जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, नालंदा	6000	अक्टूबर 2015 से मार्च 2016	6	36000
	मीटिंग हॉल (उपरी तल)	निदेशक, बाल श्रम परियोजना समिति, नालंदा	2000 (विधुत)	मार्च 2015		47631
	किसान भवन, चंडी नालंदा	अभियंत्रण महाविधालय, चंडी	6000	दिसंबर 2015 से मार्च 2016	4	8000
	डाक बंगला, राजगीर	प्रचार्य सैनिक विधालय, राजगीर	14927	जुलाई 2015 से जनवरी 2016	7	104489
	उपरी तल, डॉ. लाल सिंह त्यागी भवन	कार्यपालक अभियंता, जलपथ डिविजन, एकंगरसराय, नालंदा	5500	अप्रैल 2015 से मार्च 2016	12	66000
	प्रेस भवन (उपरी तल)	बंदोबस्त पदाधिकारी, नालंदा	10300	जुन 2015 से मार्च 2016	10	103000
	प्रेस भवन (उपरी तल)	का.आ., आर.जी.एन.पी., एल. ए.ई.ओ.	500	फरवरी 1989 से जुलाई 2012	260	130000
	प्रेस भवन (उपरी तल)	का.आ. एल.ए.ई.ओ.	100 (विधुत)			239200
	प्रेस भवन (उपरी तल)	का.आ. डुडा, नालंदा	500	जनवरी 2015 से मार्च 2016	15	9000
			100 (विधुत)			
रोहतास	प्रेस भवन (उपरी तल)		500	जुन 2015 से मार्च 2016	10	5000
			100 (विधुत)			
			उप योग			916320
	जि.प. कार्यालय	का.आ. एल.ए.ई.ओ. कार्य डिविजन	1703	अप्रैल 2015 से		18733
	जि.प. कार्यालय	का.आ., आर.जी.एन.पी., रोहतास	अनुपलब्ध	2007 से		219995
	आई.बी., बिक्रमगंज	एस.डी.ओ.	₹ 68 प्रति दिन (4 कमरा ₹ 17 प्रति दिन की दर से)	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	98560
	आई.बी., चेनारी	एस.पी., रोहतास	₹ 32 प्रति दिन	कब्जा दिनांक 18.05.1982 से 30.06.1999 (4424 दिन)	अनुपलब्ध	141568
आई.बी., कोचस	आई.बी., कोचस	प्रखंड तथा अंचल कार्यालय, कोचस	₹ 64 प्रति दिन	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	561664
	आई.बी., तिलौथु	प्रखंड तथा अंचल कार्यालय, तिलौथु		किराया बकाया 2010 तक	अनुपलब्ध	528964
				उप योग		1569484
					कुल योग	2485804

(चोत: जि.प. द्वारा दी गयी जानकारी)

परिशिष्ट— 2.11

(संदर्भ: कंडिका—2.2; पृष्ठ— 33)

₹ 3.78 करोड़ की राजस्व हानि (पटना जिला परिषद) दर्शाती विवरणी

क्रम संख्या	तल संख्या	सुपर निर्मित क्षेत्र (वर्ग फीट)	दर (₹) (सुपर निर्मित क्षेत्र के वर्गफीट प्रति माह) (माह की संख्या 60)	राजस्व हानि (₹)
1.	1	3347.62	25	5021430.00
.2.	2	3347.62	24	4820572.80
.3.	3	3347.62	24	4820572.80
4.	4	3347.62	23	4619715.60
5.	5	3512.99	23	4847926.20
6.	6	3512.99	22	4637146.80
7.	7	3512.99	22	4637146.80
8.	8	3512.99	21	4426367.40
कुल				3,78,30,878.40

(चोर: जि.प. पटना के द्वारा उपलब्ध कराये गये अभिलेखों/सूचनाएँ)

## परिशिष्ट – 3.1

(संदर्भ: कंडिका-3.4.2; पृष्ठ-38)

श.स्था.नि. द्वारा किए जाने वाले कार्यों की सूची दर्शाती विवरणी

क्र. सं.	बि.न.अ. 2007 की धारा	कार्य
1.	290	नगर योजना को शामिल करते हुए शहरी आयोजना
2.	274 अ एवं 275	भूमि उपयोग व भवन निर्माण का नियमन
3.	45	आर्थिक एवं सामाजिक विकास के लिए योजना
4.	45	सड़कें एवं पुलें
5.	45 एवं 169–192	घरेलु औद्योगिक एवं वाणिज्यिक उद्देश्यों हेतु जलापूर्ति
6.	45, 193–203 एवं 220–230	लोक स्वास्थ्य, स्वच्छता, संरक्षण एवं ठोस अपशिष्ट प्रबंधन
7.	45, 250–261 एवं 262–268	शहरी वानिकी एवं वातावरण संरक्षण एवं पारिस्थितिक पहलुओं को बढ़ावा देना
8.	287	दिव्यांग एवं आंशिक रोगी सहित समाज के कमज़ोर वर्गों के हितों का संरक्षण
9.	287 एवं 289	गंदी बस्ती का सुधार एवं उत्थान
10.	287	नगरीय निर्धनता एवं उन्मूलन
11.	अध्याय 32	नगरीय सुविधाएं जैसे उद्यान, बगीचे, खेल के मैदान के लिए प्रावधान
12.	45	सांस्कृतिक शैक्षणिक एवं सौंदर्यात्मक पहलुओं को बढ़ावा
13.	269–272 एवं 421	कब्र और कब्रिस्तान, दाह संस्कार, दाह संस्कार भूमि एवं विद्युतीय दाह संस्कार
14.	249 एवं 421	मवेशी के लिए तालाब; जानवरों के प्रति क्रूरता का निवारण
15.	352–353	जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण सहित महत्वपूर्ण ऑँकड़े
16.	45	लोक सुविधाएं जैसे गलियों में रोशनी, पार्किंग स्थल, बस स्टैण्ड एवं जन-सुविधाएँ
17.	245 एवं 421	कसाइखानों एवं चर्म उद्योगों का नियमन

(स्रोत: न.वि.एवं आ.वि. बि.स. द्वारा प्रदत् सूचना)

### परिशिष्ट – 3.2

(संदर्भ: कांडिका 3.8.4; पृष्ठ-44)

#### नगर निगमों में सेवा स्तर मानक के लक्ष्य व वर्तमान स्थिति को दर्शाती विवरणी

सूचक	मानक लक्ष्य	आरा	बेगुसराय	भागलपुर	बिहारशरीफ	दरभंगा	गया	कटिहार	मुंगेर	मुजफ्फरपुर	पुर्णिया	पटना	परास
		जलापूर्ति											
जलापूर्ति संयोजन का व्याप्ति क्षेत्र	100%	22%	10%	50%	50%	20%	40%	0%	70%	60%	0%	20%	0–70%
मीटरिंग का विस्तार	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	15%	0%	0%	0%	0–15%
जलापूर्ति की निरंतरता	24 घंटे	5–8 घंटे	6 घंटे	6 घंटे	6 घंटे	0 घंटे	24 घंटे	0 घंटे	12 घंटे	12 घंटे	0 घंटे	24 घंटे	0–24 घंटे
जल उपभोग शुल्क के संग्रहण में दक्षता	90%	0%	20%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0–20%
ग्राहक शिकायतों के निवारण में दक्षता	80%	40%	50%	90%	20%	60%	50%	0%	60%	50%	0%	50%	0–90%
मलव्यस्था													
शौचालय का व्याप्ति क्षेत्र	100%	0%	0%	90%	60%	10%	60%	0%	0%	0%	5%	70%	0–90%
मल व्यवस्था तंत्र का व्याप्ति क्षेत्र	100%	0%	0%	25%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	65%	0–65%
ग्राहक शिकायतों के निवारण में दक्षता	80%	0%	50%	70%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	70%	0–70%
ठोस अपशिष्ट प्रबंधन													
घरेलु स्तर पर व्याप्ति क्षेत्र	100%	60%	20%	95%	20%	90%	50%	9 वार्ड	40%	0%	10%	50%	0–95%
ठोस अपशिष्ट के संग्रहण में दक्षता	100%	60%	20%	100%	20%	90%	80%	0%	40%	0%	10%	50%	0–100%
नगरीय ठोस अपशिष्ट के पृथक्करण का विस्तार	100%	0%	20%	20%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	5%	50%	0–50%
नगरीय ठोस अपशिष्ट के कुशल निपटान का विस्तार	100%	5%	20%	0%	0%	0%	60%	0%	0%	0%	10%	20%	0–60%
ग्राहक शिकायतों के निवारण में दक्षता	80%	20%	50%	85%	60%	40%	70%	0%	0%	0%	0%	70%	0–85%

(स्रोत: नगर निगमों का बजट)

## परिशिष्ट – 3.3

(संदर्भ: कंडिका-3.9.1.3; पृष्ठ-47)

## 28 श.स्था.नि. की प्राप्ति एवं उपयोगिता दर्शाती विवरणी

क्रम सं.	श.स्था.नि. का नाम	वि.व. 2012–13			वि.व. 2013–14			वि.व. 2014–15			वि.व. 2015–16		
		प्रारंभिक शेष	प्राप्ति	व्यय									
1	पटना	64.44	64.43	44.27	84.61	116.52	72.35	128.78	146.84	121.82	192.98	265.14	213.57
2	दानापुर	5.59	5.91	4.63	6.87	4.64	2.53	8.98	27.14	10.33	25.79	19.97	11.59
3	खगौल	0.94	2.80	2.60	1.14	2.99	1.69	2.44	4.79	4.63	2.61	6.97	3.51
4	फुलवारीशरीफ	2.42	4.72	2.57	4.57	6.62	3.39	7.79	5.15	1.85	11.10	11.44	7.58
5	आरा	10.68	16.24	10.61	16.30	23.80	8.65	31.45	14.07	27.74	17.79	10.46	15.70
6	बेगुसराय	4.48	3.10	0.99	6.59	1.44	0.45	7.58	4.73	3.50	8.81	9.33	14.87
7	छपरा	10.37	10.80	7.49	13.68	3.70	7.38	10.00	24.47	10.55	23.92	7.52	19.89
8	बिहारशरीफ	14.31	14.31	11.17	17.45	23.27	17.00	23.73	21.73	19.28	26.18	27.94	25.64
9	सिवान	8.68	8.36	4.49	12.55	8.69	8.64	12.61	12.99	11.77	13.83	9.80	14.05
10	हाजीपुर	0.74	7.19	3.17	4.76	5.54	5.10	5.19	32.58	14.39	23.39	5.67	2.16
11	भागलपुर	16.56	12.57	10.33	18.80	16.81	11.66	23.95	30.22	21.80	32.37	29.87	46.62
12	जमालपुर	2.97	15.67	7.83	10.81	11.05	15.39	6.47	4.20	4.77	5.89	11.08	5.20
13	मुंगेर	15.10	16.85	20.59	11.36	32.94	11.27	33.03	43.24	38.87	37.41	8.73	25.12
14	गया	20.85	21.33	10.01	32.16	22.25	22.05	32.36	48.08	28.76	51.69	56.90	41.60
15	औरंगाबाद	3.37	5.34	2.93	5.77	8.69	4.54	9.93	10.52	1.04	19.40	9.05	11.06
16	बोधगया	2.98	1.79	1.53	3.24	4.39	2.21	5.42	6.07	1.54	9.95	10.88	7.50
17	नवादा	5.79	4.37	3.07	7.09	11.84	11.47	7.46	14.23	4.44	17.25	25.28	15.72
18	सासाराम	9.50	7.28	5.73	11.04	18.52	15.26	14.30	14.57	10.89	17.97	3.36	3.67
19	डेहरी	5.66	5.53	4.05	7.13	11.91	9.06	9.98	14.89	4.85	20.02	5.81	4.49
20	किशनगंज	13.54	10.80	4.57	19.77	16.97	7.12	29.62	30.90	34.70	25.81	उ.न.	उ.न.
21	कटिहार	19.57	5.35	5.84	19.08	22.34	10.01	31.41	14.67	16.12	29.96	उ.न.	उ.न.
22	पूर्णिया	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	56.98	40.09	47.11	49.96	उ.न.	उ.न.
23	सहरसा	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	16.09	23.16	25.86	13.39	उ.न.	उ.न.
24	मुजफ्फरपुर	34.09	17.91	12.29	39.71	13.54	12.12	41.13	49.20	31.40	58.93	36.28	33.83
25	दरभंगा	21.95	13.26	6.76	28.45	14.78	11.50	31.73	42.85	25.36	49.21	54.62	27.50
26	मोतिहारी	7.68	10.01	5.95	11.74	14.70	3.50	22.94	18.12	17.57	23.49	8.50	11.17
27	बेतिया	13.84	8.84	6.89	15.79	8.35	6.32	17.82	22.70	28.26	12.26	13.31	4.95
28	सितामढ़ी	14.88	6.03	1.30	19.62	18.04	15.94	12.72	12.97	20.20	14.48	19.42	7.32
<b>कुल</b>		<b>330.98</b>	<b>300.79</b>	<b>201.66</b>	<b>430.08</b>	<b>444.33</b>	<b>296.60</b>	<b>641.89</b>	<b>735.17</b>	<b>589.40</b>	<b>835.84</b>	<b>667.33</b>	<b>574.31</b>

(ओत: न.वि.एवं आ.वि. बि.स. द्वारा प्रदत्त सूचना)

विगत वर्षों के अंशों प्राप्ति में नहीं खाती

### परिशिष्ट—3.4

(संदर्भ: कंडिका—3.9.3; पृष्ठ—48)

#### पंचम राज्य वित्त आयोग द्वारा श.स्था.नि. के संबंध में की गई महत्वपूर्ण अनुशंसाएँ एवं राज्य सरकार द्वारा उसकी स्वीकृति को दर्शाती विवरणी

क्रम सं.	पंचम राज्य वित्त आयोग के प्रतिवेदन की कंडिकाएँ	अनुशंसाएँ	राज्य सरकार द्वारा स्वीकृति की स्थिति
1.	8.9.6	राज्य सरकार अपने शुद्ध कर आगमों का 8.5 प्रतिशत 2015–16 में एवं 9 प्रतिशत वर्ष 2019–20 की अवधि में स्थानीय निकायों को हस्तांतरित करेगा।	राज्य सरकार द्वारा 2015–20 की अवधि हेतु राज्य के शुद्ध कर आगमों का 8.5 प्रतिशत स्थानीय निकायों को हस्तांतरित करने पर अपनी स्वीकृति दी।
2.	8.9.8	राज्य बजट से कुल निधि (हस्तांतरण अनुदान) का हस्तांतरण 2015–16 में 2.75 प्रतिशत से आरंभ कर, 2016–18 में 3 प्रतिशत एवं 2018–20 में 3.25 प्रतिशत किया जाएगा।	राज्य सरकार के द्वारा प्रत्येक वित्तीय वर्ष में पिछले वित्तीय वर्ष के राज्य के कुल वास्तविक व्यय का 2.75 प्रतिशत स्थानीय निकायों को हस्तांतरण अनुदान के रूप में अंतरित करने की स्वीकृति दी।
3.	8.10.4	वर्ष 2015–16 हेतु पं.रा.सं. एवं श.स्था.नि. को कुल हस्तांतरित होने वाली राशि का अंतर्विभाजन 70:30 के अनुपात में एवं अगले चार वर्षों में यह अनुपात 60:40 होगा।	पं.रा.सं. एवं श.स्था.नि. को कुल हस्तांतरित होनेवाली राशि का अंतर्विभाजन 70:30 के अनुपात में 70:30 के अनुपात में वित्तीय वर्ष 2015–20 तक किया जाएगा।
4.	9.5.8	स्थानीय निकायों को हस्तांतरित निधि एक ब्लॉक फंड के रूप में दी जाएगी जिसका उपयोग स्थानीय निकायों द्वारा अपनी प्राथमिकताओं के अनुसार करेंगे।	स्वीकृत
5.	9.12	पंचम राज्य वित्त आयोग के द्वितीय किश्त की राशि प्रथम किश्त की राशि का 50 प्रतिशत उपयोगिता प्रमाणपत्र जमा करने एवं आंतरिक लेखापरीक्षा के उपरांत ही विमुक्त किया जाएगा।	स्थानीय निकायों को कुल अंतरित की जानेवाली राशि के द्वितीय किश्त की विमुक्ति के पूर्व पिछले वित्तीय वर्ष में व्यय की गई राशि का लेखा एवं आंतरिक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के साथ उपयोगिता प्रमाणपत्र जमा किया जाना अनिवार्य होगा।
6.	9.13.1	श.स्था.नि. एंव जि.प. के वर्तमान कर्मियों का वेतन उनके स्व-राजस्वों से होना चाहिए। राज्य सरकार ऐरियर का भुगतान कर सकती है।	राज्य सरकार द्वारा उक्त अनुशंसा का आंशिक संशोधन करते हुए स्वीकृत किया, पंचम राज्य वित्त आयोग के हस्तांतरण अनुदान से मासिक वेतन एवं पेंशन का भुगतान करने की स्वीकृति दी।
7.	9.13.2	मानव बल के लिए चिह्नित निधियों का उपयोग मॉडल पंचायत एवं नगरपालिका कैंडर के अनुसार नये स्वीकृत एवं रिक्त पदों को भरने के लिए किया जाएगा न कि वर्तमान में कार्यरत कर्मियों के वेतनादि पर	स्वीकृत
8.	9.6.3	अनुदान का उपयोग किया जाएगा— (क) मानवशक्ति, प्रशिक्षण, ई-गर्वनेंस, कार्यालय के लिए जगह (ख) ग्राम कचहरी (ग) मास्टर प्लान/सिटी डेवलपमेन्ट प्लान/डी.पी.आर./जी.आई.एस. मैप (घ) स्मार्ट एवं अमरुत के तर्ज पर प्रमंडल एवं मुख्यालय का विकास (ड.) श.स्था.नि. एवं पं.रा. संस्थानों को स्पर जैसे पेशेवर सेवाएँ (च) सार्वजनिक एवं निजी भागीदारी को बढ़ावा देना (छ) अतिरिक्त संसाधन जुड़ाव (ए.आर.एम.) एवं निष्पादन अनुदान के लिए प्रोत्साहन राशि	स्वीकृत
9.	9.13.3	ई-गर्वनेंस के निधि का उपयोग ई-पंचायत एवं ई-नगरपालिका के लिए एक मिशन मोड में इस्तेमाल किया जाना चाहिए।	स्वीकृत

10.	9.6.5	अतिरिक्त संसाधन जुडाव (ए.आर.एम.) के लिए मैचिंग अनुदान को श.स्था.नि. के अन्तर्गत नगर निगमों को 1:1 एवं नगर परिषदों में 1:2 एवं नगर पंचायतों में 1:3 के अनुपात में दिया जाना है।	स्वीकृत
11.	9.6.5	श.स्था.नि. के लिए समग्र निष्पादन अनुदान की राशि मुख्यमंत्री आदर्श नगर निकाय प्रोत्साहन योजना के लिए पूरक होगी एवं इसे नगर निगमों, नगर परिषदों एवं नगर पंचायतों में 1:2:3 में विभाजित की जाएगी।	स्वीकृत
12.	9.11	पंचम राज्य वित्त आयोग के हस्तांतरण के उपरांत स्थानीय निकायों के संसाधनों के अंतराल को (क) स्वयं के अतिरिक्त राजस्व (कर एवं गैर कर) (ख) केंद्र एवं राज्य योजनाओं का पूर्ण उपयोगिता (ग) लाभकारी सार्वजनिक-निजी भागीदारी (घ) उधार एवं (ड.) स्वस्थ व्यय प्रबंधन से पाटा जाएगा।	स्वीकृत

(स्रोत: पंचम राज्य वित्त आयोग का प्रतिवेदन)

### परिशिष्ट – 3.5

(संदर्भ: कंडिका –3.9.5; पृष्ठ–49)

#### वित्तीय विवरणी तैयार नहीं किया जाना

क्रम सं.	इकाई	अवधि
1.	नगर परिषद नवादा	2014–15 से 2015–16
2.	नगर परिषद सहरसा	2013–14 से 2015–16
3.	नगर परिषद झुमराँव	2014–15 से 2015–16
4.	नगर परिषद मोकामा	2014–15 से 2015–16
5.	नगर पंचायत नौगछिया	2013–14 से 2015–16
6.	नगर पंचायत बरबीघा	2013–14 से 2015–16
7.	नगर पंचायत विक्रम	2015–16
8.	नगर पंचायत विक्रमगंज	2012–13 से 2015–16
9.	नगर पंचायत मखदुमपुर	2012–13 से 2015–16
10.	नगर पंचायत नोखा	2013–14 से 2015–16
11.	नगर पंचायत अमरपुर	2013–14 से 2015–16
12.	नगर पंचायत काँटी	2013–14 से 2015–16
13.	नगर पंचायत कटैया	2013–14 से 2015–16

(स्रोत: लेखापरीक्षित इकाईयों द्वारा प्रदत्त सूचना)

## परिशिष्ट— 4.1

(संदर्भ: कंडिका— 4.1.7.1; पृष्ठ — 56)

## सामानांतर निकायों को हस्तांतरित की गयी अनुदानों से सम्बंधित विवरणी

(₹ करोड़ में)

नगर निगम का नाम	आवंटन संख्या/दिनांक	आवंटित राशि	कार्यकारी संस्था का नाम जिसे राशि हस्तांतरित की गयी	हस्तांतरित की गयी राशि	निर्माण/मरम्मति/सौंदर्योकरण के लिए
भागलपुर	78/19.11.14	3.96	बुडको	3.96	बस स्टैंड
बिहारशरीफ	107/28.02.14	2.00	बुडको	2.00	बस स्टैंड
	78/19.11.14	1.50	बुडको	1.50	
	135/14.02.15	0.10	डुडा, बिहारशरीफ	0.10	सप्राट अशोक भवन
गया	110/28.02.14	2.00	बुडको	2.00	बस स्टैंड
	78/19.11.14	2.22	बुडको	2.21	
पटना	117/14.03.13	4.56	बुडको	4.55	बस स्टैंड
	14/17.05.13	0.80	बी.आर.जे.पी	0.80	शवदाह गृह
	34/08.08.14	2.49	बुडको	2.48	अदालतगांज तालाब
	90/5.12.14	1.20	डुडा	1.20	बेगमपुर सामुदायिक भवन
	90/5.12.14	0.80	डुडा	0.80	कौटिल्य नगर पार्क, बी.एम.पी कैपस, व्यास नगर
	48/27.08.14	0.93	बी.एस.एच.बी	0.92	एम.आई.जी पार्क, हनुमान नगर
	67/22.10.14	0.43	बी.एस.एच.बी	0.43	100 एम.आई.जी पार्क, लोहिया नगर
	105/29.12.14	0.04	बुडको	0.04	पुलिस कॉलोनी पार्क
	64/20.10.14	7.50	बुडको	7.50	बस क्यू शैल्टर
	45/20.08.15	26.07	बुडको	26.07	ट्रैफिक लाइट प्रणाली
	109/28.02.14	2.00	बुडको	3.97	मौर्या लोक का रथ रथाव
	110/28.02.14	2.00	बुडको		
	112/28.02.14	1.95	बुडको	1.18	मौर्या लोक में पेमर ब्लॉक
	10/5.06.14	3.02	बी.आर.जे.पी	3.02	शवदाह गृह
	32/20.08.14	0.02	डुडा	0.02	बेगमपुर में सामुदायिक भवन
	32/20.08.14	0.09	डुडा	0.09	कौटिल्य नगर पार्क
	32/20.08.14	0.06	डुडा	0.06	बी.एम.पी कैपस पार्क
	32/20.08.14	0.05	डुडा	0.05	व्यास नगर पार्क
	32/20.08.14	0.13	बुडको	0.13	कंकड़बाग कॉलोनी पार्क
	32/20.08.14	0.13	डुडा	0.13	बंदर बगीचा चिल्ड्रेन पार्क
	32/20.08.14	0.14	बुडको	0.14	यातायात नियंत्रण कक्ष
	41/31.08.15	2.50	बुडको	2.50	मालसलामी बस स्टैंड
	81/27.01.16	2.39	वन एवं पर्यावरण विभाग	2.39	श्री कृष्णापुरी पार्क, शिवाजी पार्क, राजवंशी नगर पार्क, पुलिस कॉलोनी सेक्टर-सी एवं पुलिस कॉलोनी सेक्टर-डी पार्क का सौंदर्योकरण
	116/03.03.16	2.31	वन एवं पर्यावरण विभाग	2.31	शहीद वीर कुंवर सिंह आजाद पार्क
	86/13.01.16	3.40	बी.एस.एच.बी	3.40	दीघा में बी.एस.एच.बी. के जमीन का घेराबंदी
	74/22.12.15	0.05	बी.एस.एच.बी	0.05	हनुमान नगर पार्क में नागरिक सुविधा
कुल				76.00	

(चेतावनी: नगर निगमों और सामानांतर निकायों द्वारा उपलब्ध कराये गए आवंटन—पत्र एवं विवरणी)

### परिशिष्ट-4.2

(संदर्भ: कंडिका-4.1.7.2; पृष्ठ-57)

#### विशिष्ट प्रयोजनों के लिए स्वीकृत अनुदानों के उपयोग से संबंधित विवरणी

क्र. सं.	नगर निगम/ समानांतर निकाय का नाम	आवंटन संख्या/ दिनांक	अनुदान का घटक	प्राप्त राशि	प्राप्ति का वर्ष	अनुपयुक्त राशि	(₹ करोड़ में) अनुपयुक्त पड़े रहने की अवधि	
1	बुडा	60/20.12.13	मलिन बस्तियों में आधारभूत संरचनाओं का विकास	25.76	2013–14	24.08	2 से 3 वर्ष	
		23/21.07.14		17.41	2014–15			
2	भागलपुर नगर निगम	79/18.02.13	नगर भवन	0.21	2012–13	0.21	3 से 4 वर्ष	
		135/14.02.15	सम्राट अशोक भवन	0.10	2014–15	0.68	1 से 2 वर्ष	
		32/20.08.15		0.58	2015–16		1 वर्ष	
3	बिहारशरीफ नगर निगम	135/14.02.15	सम्राट अशोक भवन	0.10	2014–15	0.68	1 से 2 वर्ष	
		32/20.08.15		0.58	2015–16			
4	गया नगर निगम	05/09.02.09	घाट	0.12	2008–09 से 2011–12	0.12	6 से 7 वर्ष	
		03/09.05.11						
		05/09.02.09	घाट	0.15	2008–09 से 2011–12	0.15	6 से 7 वर्ष	
		03/09.05.11						
		05/09.02.09	टावर का सौन्दर्यीकरण	0.14	2008–09 से 2011–12	0.14	6 से 7 वर्ष	
		03/09.05.11						
		05/09.02.09	सड़कों के नाम के लिए संकेत	0.04	2008–09 से 2011–12	0.04	6 से 7 वर्ष	
5	दुडा, गया	80/11.02.13	पर्वत/तलाब/धाट का नवीकरण	2.09	2012–13	2.09	3 से 4 वर्ष	
		135/14.02.15	सम्राट अशोक भवन	0.10	2014–15	0.10	1 से 2 वर्ष	
6	पटना नगर निगम	104/29.12.14	घाट	0.72	2014–15	0.72	1 से 2 वर्ष	
		41/29.12.11	आजाद पार्क—सह—सामुदायिक भवन का नवीकरण एवं सौन्दर्यीकरण	0.70	2012–13	0.70	3 से 4 वर्ष	
7		79/18.02.13	जनता नगर फ्लैट पी आर डी ए पार्क	0.17	2012–13	0.17	3 से 4 वर्ष	
		135/14.02.15	सम्राट अशोक भवन	0.05	2014–15	0.68	1 से 2 वर्ष	
		32/20.08.15		0.63	2015–16		1 वर्ष	
8	बुड्को	34/08.08.14	अदालतगंज तालाब का सौन्दर्यीकरण	2.49	2014–15	2.49 1.18	1 से 2 वर्ष	
		112/28.02.14	मौर्यलोक में पेमर ब्लाक	1.18	2014–15		1 से 2 वर्ष	
		117/14.03.13	बड़ी पहाड़ी बस स्टैंड	4.56	2012–13	4.56	3 से 4 वर्ष	
		78/19.11.14	भागलपुर बस स्टैंड	3.96	2014–15	3.96	1 से 2 वर्ष	
		110/28.02.14	गया बस स्टैंड	2.00	2013–14	4.22	2 से 3 वर्ष	
		78/19.11.14		2.22	2014–15			
9	दुडा, पटना	90/05.12.14	बेगमपुर में सामुदायिक भवन का निर्माण	1.20	2014–15	1.22	1 से 2 वर्ष	
		32/20.08.15		0.02	2015–16			
<b>कुल</b>						<b>48.19</b>		

(चोत: नगर निगमों और सामानांतर निकायों द्वारा उपलब्ध कराये गए विवरणी)

## परिशिष्ट—4.3

(संदर्भ: कंडिका—4.1.8.1; पृष्ठ—58)

पार्कों के निर्माण के लिए विमुक्त अनुदानों की प्राप्ति एवं उपयोगिता की विवरणी

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	नगर निगम / समानांतर निकाय का नाम	पार्क का नाम	आवंटन पत्र / दिनांक	अनुदान की राशि	व्यय	भौतिक स्थिति
1	नगर निगम पटना	जनता पी.आर.डी.ए. फ्लैट नं. 2 में पार्क का निर्माण	79/08.02.13	0.17	00	कार्य प्रारंभ नहीं
2		पाटलिपुत्रा कॉलोनी पार्क का विकास एवं निर्माण	28/12.08.15	0.65	00	निविदा प्रक्रिया में
3	बी.एस.एच.बी	हनुमान नगर, कंकडबाग पटना में एम.आई.जी. पार्क का निर्माण	48/27.04.14	0.93	1.06*	पूर्ण
4		लोहिया नगर पटना में 100 एम.आई.जी पार्क नं. 9	67/22.10.14	0.43	0.40	पूर्ण
5	बी.आर.पी.एन.एन.एल	श्री कृष्णा नगर पार्क	352/18.01.10	1.33	1.33	पूर्ण
6		एस.के.पुरी पार्क	352/18.01.10	1.89	2.58*	पूर्ण
7		जयप्रभा हॉस्पिटल पार्क	352/18.01.10	0.64	0.63	पूर्ण
8		जी सेक्टर कंकरबाग— 22 पार्क	352/18.01.10	0.79	0.78	पूर्ण
9		25 सी.सी. कंकरबाग पार्क	352/18.01.10	0.69	0.69	पूर्ण
10		राजबंशी नगर पार्क	353/18.01.10	2.32	2.29	पूर्ण
11	झुड़ा, पटना	आनंद बिहार कॉलोनी मंदिर के नजदीक पार्क का निर्माण	41/29.12.11	0.23	0.21	पूर्ण
12		राजेंद्र नगर टेलीफोन एक्सचेंज के पीछे पार्क का निर्माण	41/29.12.11	0.14	0.11	पूर्ण
13		कौटिल्य नगर बी.एम.पी पंप हाउस के नजदीक पार्क का निर्माण	32/20.08.15	0.29	0	निविदा प्रक्रिया समाप्त
14		बंदर बगीचा में चिल्ड्रेन पार्क का निर्माण	32/20.08.15	0.18	0	निविदा प्रक्रिया समाप्त
15		भेटनरी कॉलेज पोस्ट— मोर्टम कैंपस के नजदीक पार्क का निर्माण एवं सौंदर्यीकरण	32/20.08.15	0.56	0	कार्य प्रारंभ नहीं
16		व्यास नगर सेक्टर— बी पार्क के अंतर्गत रोड का नवीकरण	32/20.08.15	0.15	0	निविदा प्रक्रिया समाप्त
17	बूडको	कंकडबाग को—ऑपरेटिव सोसाइटी पार्क	32/20.08.15	0.17	0	अपूर्ण
	कुल			11.56	10.08	

(चोत: नगर निगमों एवं सामानांतर निकायों द्वारा उपलब्ध कराये गए विवरण)

\*आवंटन से अधिक का व्यय

#### परिशिष्ट-4.4

(संदर्भ: कंडिका-4.1.8.2; पृष्ठ-61)

बस स्टैंड के लिए जमीन उपलब्ध नहीं होने से संबंधित विवरणी

क्र. सं.	बस स्टैंड का नाम	जमीन मालिक का नाम	वास्तुविद का नाम	डी.पी.आर पर भुगतान (₹ लाख में)
1.	बस स्टैंड नवादा	जिला परिषद नवादा	मेसर्स सेन एंड लाल कंसलटेंट प्राइवेट लिमिटेड	3.21
2.	बस स्टैंड मानपुर (गया)	गोरक्षनी सेवा समिति, गया	मेसर्स सेन एंड लाल कंसलटेंट प्राइवेट लिमिटेड	5.16
3.	बस स्टैंड पूर्णिया	पशुपालन विभाग, पूर्णिया	मेसर्स सेन एंड लाल कंसलटेंट प्राइवेट लिमिटेड	4.00
4.	बस स्टैंड साहेबगंज	नगर पंचायत, साहेबगंज	मेसर्स सेन एंड लाल कंसलटेंट प्राइवेट लिमिटेड	1.60
5.	बस स्टैंड मोतीपुर	लोक निर्माण विभाग, मंडल-1, मुजफ्फरपुर	मेसर्स ई.डी.एम.ए. सी इंजिनियरिंग कंसलटेंट	2.57
6.	बस स्टैंड चकिया	नगर पंचायत, चकिया	मेसर्स ई.डी.एम.ए. सी इंजिनियरिंग कंसलटेंट	2.57
<b>कुल</b>				<b>19.11</b>

(स्रोत: बुड़को द्वारा उपलब्ध करायी गयी विवरणी)

#### परिशिष्ट-4.5

(संदर्भ: कंडिका-4.1.8.2; पृष्ठ-61)

बस स्टैंड के लिए निर्माण के लिए विमुक्त अनुदानों की प्राप्ति एवं उपयोगिता की विवरणी

क्र. सं.	नगर निगम/ समानांतर निकाय का नाम	बस स्टैंड का नाम	आवंटन पत्र संख्या/ दिनांक	आवंटन राशि	व्यय	(₹ करोड़ में) भौतिक स्थिति
1.	नगर निगम भागलपुर	बस स्टैंड का निर्माण	78 / 19.11.14	3.96	0	कार्य प्रारंभ नहीं
2.	नगर निगम बिहारशरीफ	बिहारशरीफ में बस स्टैंड का निर्माण	107 / 28.2.14, 78 / 19.11.14	3.50	0.99	अपूर्ण
3.	नगर निगम गया	मानपुर में बस स्टैंड का निर्माण	107 / 28.2.14, 78 / 19.11.14	4.22	0	कार्य प्रारंभ नहीं
4.	नगर निगम पटना	मालसलामी में बस स्टैंड का निर्माण	41 / 31.8.15	2.50	0.37	अपूर्ण
5.		बड़ी पहाड़ी में आई.एस.बी.टी. का निर्माण	117 / 14.3.13	4.56	0	कार्य प्रारंभ नहीं
		<b>कुल</b>		<b>18.74</b>	<b>1.36</b>	

(स्रोत: नगर निगमों द्वारा उपलब्ध करायी गई विवरणी)

### परिशिष्ट-4.6

**(संदर्भ: कंडिका-4.1.8.2; पृष्ठ-63)**

**बस क्यू शेल्टर को तोड़े जाने से हुए हानि/होनेवाले हानि की विवरणी**

क्र. सं.	बस क्यू सेल्टर्स का नाम	सिविल और संरचनात्मक निर्माण की लागत और विद्युत कार्य (₹ लाख में)	बस क्यू शेल्टर्स को तोड़ने एवं स्थापित करने की लागत (₹ लाख में)	कुल (₹ लाख में)	अभयुक्ति
1	इनकम टैक्स (अप)	1.80	0.96	2.76	तोड़ा जाना है
2	इनकम टैक्स (डाउन)	1.80	0.96	2.76	तोड़ा जाना है
3	विकास भवन (अप)	1.80	0.96	2.76	तोड़ा गया
4	विकास भवन (डाउन)	1.80	0.96	2.76	तोड़ा जाना है
5	माउंट कार्मेल स्कूल	1.80	0.96	2.76	तोड़ा जाना है
6	उच्च न्यायालय	1.80	0.96	2.76	तोड़ा जाना है
7	लोकायुक्त कार्यालय (अप)	1.80	0.96	2.76	तोड़ा गया
8	लोकायुक्त कार्यालय (डाउन)	1.80	0.96	2.76	तोड़ा गया
9	बिहार लोक सेवा आयोग (अप)	1.80	0.96	2.76	तोड़ा गया
10	बिहार लोक सेवा आयोग (डाउन)	1.80	0.96	2.76	तोड़ा गया
कुल		<b>18.00</b>	<b>9.60</b>	<b>27.60</b>	

(चोत: बुडको की संचिकाएं एवं अभिलेख)

### परिशिष्ट-4.7

(संदर्भ: कंडिका-4.1.8.4; पृष्ठ-66)

#### समूह विकास समिति के विशेष बैंक खातों में वसूली की राशि जमा नहीं किए जाने की विवरणी

क्र. सं.	सामूहिक विकास समिति का नाम	खाता संख्या	निजी शौचालयों की संख्या	बैंक खातों में जमा नहीं की गयी राशि (₹ लाख में)
1.	समूह विकास समिति, चमार टोली	34901102189	20	0.30
2.	समूह विकास समिति, कंपनी बाग	35114142824	104	1.56
3.	समूह विकास समिति, चुन्हारी टोला	0721104000101608	5	0.08
4.	समूह विकास समिति, गोलाघाट रोड	0721104000095594	7	0.11
5.	समूह विकास समिति, पासी टोला	467510110008514	14	0.21
6.	समूह विकास समिति, रिफ्यूजी कॉलोनी	467510110008280	55	0.83
7.	समूह विकास समिति, ग्वाला टोला	35361023494	15	0.23
8.	समूह विकास समिति, रिकाबगंज पवन टोला	35361028028	5	0.08
9.	समूह विकास समिति, यादवपट्टी	35106865183	50	0.75
10.	समूह विकास समिति, मोगलपुरा चमार टोला	50284954223	13	0.20
11.	समूह विकास समिति, मकबारा हरिजन टोला	6162000100021809	86	1.29
12.	समूह विकास समिति, नसरतखानी	36080110083942	41	0.62
13.	समूह विकास समिति, मिस्त्री टोला	0721104000100441	56	0.84
14.	समूह विकास समिति, महाराज घाट रोड	467510110008758	7	0.11
15.	समूह विकास समिति, रामरत्न लेन	463610110009752	3	0.05
16.	समूह विकास समिति, कबीरपुरगढ़ीय	36080110095743	53	0.80
17.	समूह विकास समिति, सचिदानन्द नगर	467510110008036	114	1.71
18.	समूह विकास समिति, जवारीपुर कालीस्थान, पोखरपर	467510110008037	15	0.23
19.	समूह विकास समिति, जरलाही	0721104000100366	12	0.18
20.	समूह विकास समिति, कसबा गोला घाट	0566010154345	7	0.11
21.	समूह विकास समिति, माहनपुर	34901095884	149	2.24
22.	समूह विकास समिति, बैराम तांती लेन	35197451539	5	0.08
23.	समूह विकास समिति, वारसलीगंज हरिजन टोला	581110210000047	37	0.56
24.	समूह विकास समिति, गढ़काचारी	34489279039	58	0.87
25.	समूह विकास समिति, बर्निंग घाट	35239649499	16	0.24
26.	समूह विकास समिति, बेनी माधव सिंह (2 लेन)	34696201522	72	1.08
27.	समूह विकास समिति, पार्वती नया टोला	0566010154840	28	0.42
28.	समूह विकास समिति, मोहदीआगर हरिजन टोला	581110210000048	63	0.95
29.	समूह विकास समिति, इशकचक पासी टोला	0721104000102919	27	0.41
30.	समूह विकास समिति, बौंसी रोड हरिजन टोला	36310110002967	40	0.60

(चोत: समूह विकास समितियों के अभिलेख)

## परिशिष्ट-4.8

(संदर्भ: कंडिका - 4.1.8.7, पृष्ठ -70)

## राजस्व की हानि को दर्शाती विवरणी

क्रम सं.	स्थल का नाम	डीलक्स शौचालयों की संख्या	बि.रा.पु.नि. नि. लि. द्वारा प.न. नि. को हस्तांतरण की तिथि	एजेंसी का नाम	प्रतिवर्ष प्रति इकाई आवंटन की राशि	पाँच वर्षों में वसूली की जानेवाली राशि	50 प्रतिशत जमा की गई राशि	राजस्व की हानि (₹ में)
(1)	(2)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	9 (7-8)
1.	संजय गाँधी जैविक उद्यान	2	20.07.10	समाधान सेवा समिति	516000 (258000*2)	25,80,000	2,58,000	23,22000
2.	एन. एम.सी.एच., पटना	2	19.07.10	समाधान सेवा समिति	420000 (2*210000)	21,00,000	2,10,000	18,90,000
3.	बजार समिति	2	19.07.10	समाधान सेवा समिति	471000 (2*235500)	23,55,000	2,35,500	21,19,500
4.	ट्रांसपोर्ट नगर	2	20.07.10	समाधान सेवा समिति	450000 (2*225000)	22,50,000	2,25,000	20,25,000
5.	कारगिल चौक	1	22.02.10	जय माता दी सेवा संरक्षण	408000	20,40,000	2,04,000	18,36,000
6.	चिरैयॉटॉड पुल, एकजीबीशन रोड	1	06.08.10	जय माता दी इनवेस्टमेंट कंपनी प्रा. लि.	365151	18,25,755	1,82,575.5	16,43,179.5
7.	बेरिंग कैनाल रोड	1	06.08.10		366200	18,31,000	1,83,100	16,47,900
8.	गाँधी मैदान (उत्तरी द्वार के समीप)	1	17.02.10	कायनात वेलफेर एसोसिएशन	406205	20,31,025	1,00,000	19,31,025
<b>कुल</b>		<b>12</b>			<b>34,02,556</b>	<b>1,70,12,780</b>	<b>15,98,176</b>	<b>1,54,14,604.50</b>

(स्रोत: लेखापरीक्षित इकाईयों द्वारा प्रदत्त सूचना)

### संक्षिप्तियों की शब्दावली

ते.वि.आ.	तेरहवां वित्त आयोग	चतुर्थ रा.वि.आ.	चतुर्थ राज्य वित्त आयोग
चौ.वि.आ.	चौदहवां वित्त आयोग	बि.स.	बिहार सरकार
प्र.स्वी.	प्रशासनिक स्वीकृति	भा.स.	भारत सरकार
अ.मु.का.प.	अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी	ग्रा.पं.	ग्राम पंचायत
वा.कि.मू.	वार्षिक किराया मूल्य	आई.एच.एस.डी.पी.	एकीकृत आवास व मलिन बस्ती सुधार परियोजना
प्र.वि.प.	प्रखंड विकास पदाधिकारी	नि.प्र.	निरीक्षण प्रतिवेदन
बि.वि.नि.	बिहार वित्तीय नियमावली	स्था.नि.	स्थानीय निकाय
बि.न.अ.	बिहार नगरपालिका अधिनियम	मा.ले.प्र.	मानक लेखांकन प्रणाली
बि.न.ले.न.	बिहार नगरपालिका लेखांकन नियमावली	न.आ.	नगर आयुक्त
बी.पी.एल.	गरीबी रेखा से नीचे	मनरेगा	महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना
बि.पं.रा.अ.	बिहार पंचायत राज अधिनियम	प्र.सू.तं.	प्रबंधन सूचना तंत्र
पि.क्षे.अ.नि.	पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि	मु.मं.ग्रा.यो.	मुख्य मंत्री ग्रामोदय योजना
बि.रा.पु.नि.नि.लि.	बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड	गै.स.सं.	गैर सरकारी संस्था
बि.रा.हा.बो.	बिहार राज्य हाउसिंग बोर्ड	रा.सू.के.	राष्ट्रीय सूचना केंद्र
बूडा	बिहार शहरी आधारभूत संरचना विकास निगम	न.नि.	नगर निगम
बि.श.प.का.लि.	बिहार शहरी परिवहन कॉरपोरेशन लिमिटेड	न.प.	नगर परिषद
नि.म.ले.प.	नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक	रा.ग्रा.जी.मि.	राष्ट्रीय ग्रामीण जीविकोपार्जन मिशन
मु.का.प.	मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी	लो.ले.स.	लोक लेखा समिति
के.वि.आ.	केंद्रीय वित्त आयोग	स.नि.	समानांतर निकाय
न.वि.ले.नि.	नगरपालिका वित्त एवं लेखा नियंत्रक	सा.नि.भा.	सार्वजनिक निजी भागीदारी
सि.मि.प्र.इ.	सिटी मिशन प्रबंधन इकाई	पं.रा.वि.	पंचायती राज विभाग
के.प्रा.यो.	केंद्रीय प्रायोजित योजना	पं.रा.सं.	पंचायती राज संस्थाएं
सी.वी.सी.	केंद्रीय निगरानी आयोग	प्रियासॉफ्ट	पंचायती राज संस्थान लेखांकन सॉफ्टवेयर
उ.वि.आ.	उप विकास आयुक्त	पं.स.	पंचायत समिति
आ.वि.प.	आहरण एवं वित्त पदाधिकारी	रा.आ.यो.	राजीव आवास योजना
प्रा.वि.यो.	प्रारूप विकास योजना	आर.बी.आई	रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया
नि.स्था.नि.अं.	निदेशक स्थानीय निधि अंकेक्षण	ग्रा.वि.वि.	ग्रामीण विकास विभाग
जि.अ.	जिला अधिकारी	रा.गां.प.स.यो.	राजीव गाँधी पंचायत सशक्तिकरण योजना
डी.सा.शौ.	डीलक्स सार्वजनिक शौचालय	रा.वि.आ.	राज्य वित्त आयोग
जि.यो.स.	जिला योजना समिति	एस.जे.एस.आर.वाई.	स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना
डी.पी.आर.	विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन	रा.क्र.सं.	राज्य क्रय संगठन
डी.पी.एस.	विलंब भुगतान अधिभार	स्पर	शहरी सुधार हेतु सहयोग कार्यक्रम
झूडा	जिला शहरी विकास अभिकरण	त.मा.स.	तकनीकी मार्गदर्शन एवं सहयोग
का.अ.	कार्यपालक अभियंता	उ.प्र.प.	उपयोगिता प्रमाण पत्र
स्था.ले.प.	स्थानीय लेखापरीक्षक	न.वि.एवं आ.वि.	नगर विकास एवं आवास विभाग
का.प.	कार्यपालक पदाधिकारी	श.स्था.नि.	शहरी स्थानीय निकाय
स.स्था.स.	सशक्त स्थायी समिति	वैट	मूल्य वर्द्धित कर
ई.एस.टी.एवं पी.	कौशल विकास के द्वारा नियोजन	जि.प.	जिला परिषद

© भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक  
[www.cag.gov.in](http://www.cag.gov.in)



विस्तृत हिन्दी प्रतिवेदन के लिये क्यूआर. कोड स्कैन करें

[www.ag.bih.nic.in](http://www.ag.bih.nic.in)